NOT TO BE ISSUED

त्रयोदश माला, खंड 4, अंक 2

FOR REFERNCE ONLY.

गुरुवार, 24 फरवरी, 2000
5 फाल्गुन, 1921 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. ...60...
Date ...8/12/2K...

(खंड 4 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे.एस. वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 4, तीसरा सत्र, 2000/1921 (शक)]

अंक 2, गुरुवार, 24 फरवरी, 2000/5 फाल्गुन, 1921 (शक)

विषय	कालम
मोरक्को राज्य के प्रधानमंत्री महामहिम श्री अब्दुर्रहमान युसूफी और संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत...	3
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 20	5–42
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 196	**42–326**
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
श्री बलवंत सिंह मेहता की जन्म शताब्दी	327
सभा पटल पर रखे गए पत्र...	328
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति...	329
समितियों के लिए निर्वाचन...	**330–331**
(एक) राजभाषा सम्बन्धी समिति	330
(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद्	330
पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव – समय का बढ़ाया जाना...	331
केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव – समय का बढ़ाया जाना	331
ऊर्जा संरक्षण विधेयक...	332
याचिका सम्बन्धी समिति	
पहला प्रतिवेदन...	**333**
नियम 377 के अधीन मामले...	333–340
(एक) तिलैया ढाढर सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए बिहार राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता	
डा. संजय पासवान	333
(दो) गौ-हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रेश पटेल	334

विषय		कालम
(तीन)	राष्ट्रीय राजमार्गों विशेष रूप से मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 की मरम्मत और रखरखाव के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री रामानन्द सिंह	334
(चार)	हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रामपुरराय घाटी और बालावाली के बीच गंगा नदी द्वारा हो रहे भारी भू-कटाव को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री हरपाल सिंह साथी	335
(पांच)	केरल में कोचीन विमानपत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री जार्ज ईडन	335
(छह)	दीमापुर सिटी, नागालैण्ड में दीमापुर-तिनसुखिया रेल लिंक पर रेल उपरिपुल को शीघ्र पूरा करने के लिए धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता	
	श्री के.ए. सांगतम	336
(सात)	राजस्थान में लूनी-मूनाबाव रेल लाइन का शीघ्र आमान परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता	
	कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी	336
(आठ)	हथकरघा क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री टी. गोविन्दन	337
(नौ)	दिल्ली-चौडगरा-बिन्दकी राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री चन्द्र भूषण सिंह	338
(दस)	बिहार के खगड़िया जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती रेनु कुमारी	338
(ग्यारह)	राष्ट्रीय वस्त्र निगम और महाराष्ट्र राज्य वस्त्र निगम की बंद पड़ी मिलों को फिर से खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री चन्द्रकांत खैरे	339
(बारह)	देश में तेजाबी वर्षा को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री वैको	339

लोक सभा

गुरुवार, 24 फरवरी, 2000/5 फाल्गुन, 1921 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजकर 2 मिनट पर समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 1

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में नहीं। कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे इसे प्रश्न काल में नहीं उठाने का अनुरोध कर रहा हूं। आप इसे 'शून्य काल में उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये पहले।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही आपकी सूचना को अस्वीकृत कर दिया है। मैं आपको 'शून्य काल' में इसे उठाने का अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): देश को बचाना चाहिए। देश को बचाइये।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। रघुवंश जी, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बूटा सिंह जी, आप भी बैठ जाइये। आप पहले बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को समझिए कि कल ही हमने निर्णय किया था कि प्रश्न काल को स्थगित या रद्द नहीं किया जाएगा। इसीलिए आप इस मुद्दे को शून्य काल में उठाइए।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): महोदय, मैंने प्रश्न काल के स्थगन के लिए सूचना दी थी। मैंने धर्मनिरपेक्षता और बहुवादी भारत में विश्वास रखने वालों के लिए गम्भीर चिन्ता के विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी दी है। इसलिए मैं अपने स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ, इस बारे में जानना चाहता हूं। मेरी सूचना का संबंध प्रश्न काल के स्थगन से भी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेरी सूचनाओं का क्या हुआ? प्रश्न काल के स्थगन के लिए दी गई मेरी सूचना पर आपका क्या निर्णय है?
...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। इस बात को समझिए कि मैं खड़ा हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी आप बैठ जाएं, बूटा सिंह जी आप भी बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है, कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए। इस बात को जानिए कि मोरक्को का संसदीय शिष्टमंडल विशेष कक्ष में बैठा हुआ है। मुझे एक बात की सूचना देने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शिष्टमंडल के बारे में उल्लेख करना है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप इसके बाद बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.06 बजे

मोरक्को राज्य के प्रधानमंत्री महामहिम श्री अब्दुर्रहमान युसूफी और संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, सबसे पहले मुझे एक घोषणा करनी है।

मैं अपनी तथा सभा के माननीय सदस्यगण की ओर से 21 से 24 फरवरी, 2000 तक भारत की सरकारी यात्रा पर आए मोरक्को के प्रधानमंत्री, महामहिम श्री अब्दुर्रहमान युसूफी और उनके साथ आए विशिष्ट संसदविदों का स्वागत करता हूं।

महामहिम प्रधानमंत्री और विशिष्ट संसदविद इस समय विशेष कक्ष में आसीन हैं। हमें आशा है कि भारत में उनका प्रवास सुखद और लाभप्रद रहा होगा। हम उनके माध्यम से मोरक्को के महाराजा और मित्र जनता को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेज रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 1 – डा. संजय पासवान।

...(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर): आज प्रश्न काल नहीं होना चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव को सूचना दी है। आपका विनिर्णय क्या है?

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही उस सूचना को अस्वीकृत कर चुका हूं। मैं आप सभी को शून्य काल के दौरान बोलने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कल नेताओं की बैठक में, हमने निर्णय किया था कि प्रश्न काल में व्यवधान नहीं आना चाहिए। यहां तक कि प्रश्न काल के दौरान आपने बजट प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी थी।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : मैं प्रश्न काल के स्थगन के लिए भी मैं पहले ही सूचना दे चुका हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्रवाई वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया इस बात को समझिए कि यह बजट सत्र है। यह एक लंबा सत्र है। आपको महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के कई अवसर मिलेंगे। मैं आपको 'शून्य काल' में, न कि प्रश्न काल में, अवसर दूंगा। कृपया इस बात को समझिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। शून्य काल के दौरान, मैं आपको अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ से सहयोग करें। मैं आपको शून्यकाल में अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर बैठिए;

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर जाइए। यह अच्छी बात नहीं है। मैं आपको अपनी बात कहने का अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.11 बजे

(इस समय श्री अवतार सिंह भडाना और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छी बात नहीं है। कृपया अपने स्थानों पर जाइए। यह ठीक नहीं है। मैं आपसे अपने स्थानों पर जाने की अपील कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सूचनाएं पहले ही अस्वीकृत की जा चुकी हैं।

...(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

पेइंग गेस्ट योजना

***1. डा. संजय पासवान** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी और देश के पर्यटकों को सस्ती दरों पर ठहरने की बेहतर सुविधाएं प्रदान करने तथा विदेशी पर्यटकों को भारतीय जीवनशैली, संस्कृति, परम्परा तथा भारतीय व्यंजनों से परिचित कराने के लिए कोई पेइंग गेस्ट योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो योजना का पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस योजना को किन-किन राज्यों में लागू करने का विचार है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकों को बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन स्कीम वर्ष 1991 में शुरू की थी। बाद में यह योजना वर्ष 1995 में राज्य सरकार को स्थानान्तरित कर दी गयी। इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

- वहनीय एवं स्वास्थ्यकर आवास सुविधा उपलब्ध कराना।
- विदेशी पर्यटकों को भारतीय परिवार के साथ रहने तथा भारतीय जीवन शैली का अनुभव करने, समृद्ध संस्कृति की जानकारी प्राप्त करने स्वादिष्ट व्यन्जनों का स्वाद लेने का अवसर प्रदान करना ताकि वे यहां की सुखद स्मृति को संजो कर लौटें।
- समस्त राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को परिचालित पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन स्कीम संबंधी दिशा-निर्देश संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) यह स्कीम सभी राज्यों तथा संघ शासित राज्यों में उपलब्ध है।

विवरण

पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन स्कीम के लिए दिशा-निर्देश

1. इस योजना का उद्देश्य देश के महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों में स्वदेशी तथा विदेशी दोनों पर्यटकों को वहनीय एवं स्वास्थ्यकर आवास सुविधा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार इस योजना से अतिरिक्त आवास उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। यह एक स्वैच्छिक योजना है।

2. इस योजना से विदेशी पर्यटकों को भारतीय परिवार के साथ रहने तथा भारतीय जीवन शैली का अनुभव करने, समृद्ध संस्कृति की जानकारी प्राप्त करने, स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लेने का अवसर प्राप्त होता है तथा विदेशी पर्यटक यहां की सुखद-स्मृति संजोकर वापस लौटते हैं।

इस योजना के महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं:-

- आवास इकाई रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डों आदि के पास सुगमता से पहुंचने योग्य स्थान पर स्थित होने चाहिए,
- मकान मालिक को स्वयं मकान में रहना चाहिए तथा स्वास्थ्यकर बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। कम से कम दो कमरे व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रखें हों।
- कमरे समुचित आकार के होने चाहिए जिनसे जुड़े स्नानागार होने चाहिएं और समुचित प्रकाश, वायु संचरण तथा उपयुक्त साजो सामान और अन्य सुविधाओं से युक्त होने चाहिएं।
- पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन में अधिकतम 5 कमरे (10 बिस्तर मात्र) ही हो सकते हैं।

- उपलब्ध सेवा तथा सुविधा के आधार पर पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

- यह योजना बेड (बिस्तर) एवं ब्रेकफास्ट आधारित होने चाहिए और उसी के अनुसार प्रभार लगाए जाने चाहिए। ब्रेकफास्ट के स्तर का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

- यह योजना स्वैच्छिक है, तथापि ऐसी यूनिटों को राज्य पर्यटन विभाग/स्थानीय पर्यटक कार्यालयों, जैसा भी मामला हो, के साथ पूरे ब्यौरों सहित पंजीकृत कराने की आवश्यकता है। सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के मामले में परिसरों को पेइंग गेस्ट आवास के रूप में पंजीकृत कराने से पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना चाहिए।

- पेइंग गेस्ट आवास यूनिटों के मंजीकर्ताओं द्वारा कम से कम तीन संदर्भ (रेफरेंस) प्रदान किए जाने अपेक्षित हैं जिनमें से एक सरकारी राजपत्रित अधिकारी का होना चाहिए।

- राज्य पर्यटन विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि यह यूनिटें उन सम्पत्तियों/भवनों में स्थित हैं, जो विशिष्ट क्षेत्र के भवन निर्माण उपनियमों के अनुसार स्वीकृत हैं और अनधिकृत संरचना में नहीं हैं।

- यूनिटों में ठहरने वाले मेहमानों के लिए बनाए गए रजिस्टरों में आवश्यक प्रविष्टियां की जाएं। विदेशी पर्यटकों के मामले में फार्म सी-1 में पासपोर्ट के ब्यौरे प्राप्त करने और सम्बन्धित प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता है।

3. इस योजना को अधिक व्यवहार्य/लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों/स्थानीय प्रशासनों द्वारा निम्नलिखित रियायतों/प्रोत्साहनों पर विचार किया जाए:-

* सम्पत्ति के नवीकरण के लिए सुलभ ऋण/इमदाद का प्रावधान जो कि पूंजीगत लागत की दो तिहाई है जिसकी अधिकतम सीमा एक लाख रुपए है।

* राज्य सरकारें ऐसी यूनिटों के पूरे ब्यौरे पर्यटन विभाग, भारत सरकार को प्रदान करे ताकि उनके विदेशी कार्यालयों के माध्यम से आवश्यक प्रचार किया जा सके।

* राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा ऐसी यूनिटों के मालिकों पर बिजली/जल प्रयोग आदि के लिए वाणिज्यिक शुल्क न लगाया जाए।

* यूनिटें बिक्री-कर, लक्जरी टैक्स आदि जैसे स्थानीय करों की सीमा क्षेत्र के अधीन नहीं आनी चाहिएं, क्योंकि यह यूनिटें केवल बिस्तर तथा ब्रेकफास्ट की सुविधा प्रदान करने के लिए अपेक्षित है और एक वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं हैं।

* राज्य पर्यटन विभाग इन यूनिटों के अनुरक्षण हेतु आवश्यक स्तर सुनिश्चित करने के लिए उनकी अपनी निरीक्षण व्यवस्था का उपयोग करे।

* विशेष रूप से हाउस कीपिंग तथा केटरिंग के क्षेत्र में इन यूनिटों के मालिकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है। होटल प्रबंध एवं केटरिंग की राष्ट्रीय परिषद इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की सहायता कर सकती है।

* स्थानीय प्राधिकरण द्वारा ऐसा गृह-कर वसूल किया जाए जैसे कि वह परिसर व्यक्तिगत अधिभोग के लिए प्रयोग किया जा रहा हो।

* राज्य के गृह/स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करें कि पुलिस/स्वास्थ्य प्राधिकारियों आदि द्वारा वास्तविक पार्टियों को परेशान न किया जाए।

4. पर्यटन विभाग निम्नलिखित मामलों को संबंधित केन्द्रीय विभागों/अभिकरणों के साथ उठा सकता है।

* राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों को लिखना है कि बिजली/जल/बिल्डिंग/करों आदि के लिए वाणिज्यिक दरें न वसूलें। (ऊर्जा विभाग, शहरी विकास/हाउसिंग, आदि)

* 5 वर्षों के लिए लाभ को आयकर से छूट दिलाना (सी.बी.डी.टी./वित्त मंत्रालय)।

* गैस/टेलीफोन कनेक्शन के लिए वरीयता देना (पैट्रोलियम मंत्रालय/पर्यटन मंत्रालय)।

पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन

श्रेणी ''क''

1. स्थान स्थिति तथा बस्ती का टाइप
2. कमरों में निम्नलिखित का प्रावधान –
   - टेलीविजन
   - कारपेट
   - कप बोर्ड
   - टेलीफोन
3. क्राकरी/कटलरियों की गुणवत्ता
4. साजो-सामान की गुणवत्ता
5. गर्म तथा शीतल जल
6. कमरों तक पहुंच
7. वातानुकूलन का प्रावधान

श्रेणी ''ख''

इस श्रेणी में उपर्युक्त के अनुसार प्रावधान न करने वाले यूनिट आते हैं।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का निजीकरण

***2. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :**
श्री सुरेश कुरूप :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कुछ चुनिन्दा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन हवाई अड्डों का निजीकरण करने का निर्णय किन परिस्थितियों के कारण किया गया?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हवाई अड्डों के उपयुक्त पाए जाने पर दीर्घावधिक पट्टे के जरिए पुनर्संरचना करने के विषय में निर्णय ले लिया गया है। इस समय, दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई तथा कलकत्ता के विद्यमान हवाई अड्डों को इस कार्य हेतु हाथ में लिया जा रहा है।

हवाई अड्डों की पुनर्संरचना का प्रयोजन निम्नानुसार हैं:-

(1) प्रबंधकीय दक्षता में सुधार लाना;

(2) अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सेवाओं/सुविधाओं के मानकों की स्थापना करना; तथा

(3) उपर्युक्त (1) तथा (2) के निमित्त निजी क्षेत्र से निवेशकों को आकृष्ट करना।

[हिन्दी]

इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकानों के आबंटन में अनियमितताएं

***3. श्री बब्बन राजभर :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्राम पंचायतों में इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकानों के आबंटन में अनियमितताएं पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये मकान पात्र व्यक्तियों को नहीं मिल रहे हैं और धनी व्यक्ति अधिकारियों/कर्मचारियों को रिश्वत देकर ये मकान ले रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई जांच करने तथा पात्र व्यक्तियों की ही मकान उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त जांच कब तक किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दरलाल पटवा): (क) जी, हां। कुछ मामलों में अनियमितताएं देखी गई हैं।

(ख) कुछ मामलों में देखी गई अनियमितताओं में इस प्रकार के मामले सम्मिलित हैं।

(ग) और (घ) जब भी अनियमितताएं जानकारी में आती हैं, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय उपयुक्त कार्रवाई के लिए मामले को तत्काल संबंधित राज्य सरकार के साथ उठाता है।

[अनुवाद]

काठमांडू से इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण

***4. श्री राम नायडू दग्गुबाटि :**
श्री पी.एस. गढ़वी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 24-25 दिसम्बर, 1999 को काठमांडू, नेपाल से आतंकवादी इंडियन एयरलाइंस के एक विमान का अपहरण करके कंधार ले गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अपहरणकर्त्ताओं की राष्ट्रीयता और उद्देश्य क्या था विमान में सवार यात्रियों को कितना नुकसान हुआ और इससे राष्ट्र को कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ;

(ग) विमान में सशस्त्र आतंकवादी किस तरह सवार हुए, इसकी जांच करने के लिए क्या सरकार द्वारा कोई जांच समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार अपहरणकर्त्ताओं को दंडित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या भारतीय विमानों के यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए नेपाल सरकार के साथ कुछ समझौते करने के प्रयास किए जा रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जी, हां। इंडियन एयरलाइंस उड़ान आईसी-814 का दिनांक 24.12.1999 को उस समय अपहरण कर लिया गया था जब वह काठमांडू से दिल्ली के मार्ग पर था और उस समय यह भारतीय वायुक्षेत्र में उड़ान भर रहा था। 24.12.1999 को अमृतसर तथा लाहौर में इन्टरमीडिएट हाल्ट के पश्चात् यह दिनांक 25.12.1999 को अल-मिनाद (यूएई) में उतरा था, लेकिन अंततः इसने दिनांक 25.12.1999 को कंधार में लैंड किया। यह विमान तब तक कंधार हवाई अड्डे पर ही खड़ा रहा जब तक 31.12.1999 की शाम अपहरण कांड का पटाक्षेप न हुआ। उन तीन आतंकवादियों, जो भारतीय जेल में बंद थे और जिनके नाम (1) मौलाना मसूद अजहर (2) अहमद उमर सैयद शेख (3) मुश्ताक अहमद जरगर हैं के बदले में, पांच अपहरणकर्त्ताओं, जो पाकिस्तानी मूल के पाए गए, द्वारा सभी यात्रियों को मुक्त कर दिया गया। इस घटनाक्रम के दौरान श्री रूपेन कत्याल नामक एक यात्री को मौत के घाट उतार दिया गया जबकि एक अन्य यात्री श्री सतनाम सिंह को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था।

(ग) सरकार द्वारा कोई जांच समिति गठित नहीं की गई है। तथापि, सी.बी.आई. अपनी जांच-पड़ताल के दौरान इस पहलू के बारे में जांच करेगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विमान यात्रियों की संरक्षा के बारे में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) चरणबद्ध ढंग से सभी चालू घरेलू हवाई अड्डों पर सुरक्षा ड्यूटियों के संबंध में राज्य पुलिस के स्थान पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) कार्मिकों की तैनाती। सी.आई.एस.एफ. ने पहले ही जयपुर, गुवाहाटी, बड़ोदरा तथा पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डों पर सुरक्षा ड्यूटी संभाल ली है।

(2) प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश के समय, यात्रियों तथा हैंड बैगेज की बारीक जांच-पड़ताल को कड़ा कर दिया गया है। लेडर प्वाइंट पर दूसरी बार की जांच लागू कर दी गई है।

(3) फोटो-पहचान-पत्रों की व्यापक पुनरीक्षा तथा पास होल्डरों की संख्या प्रतिबंधित करने से हवाई अड्डों के पहुंच मार्ग पर कठोर नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा रहा है तथा 28.2.2000 तक आगंतुकों के प्रवेश को प्रतिबंधित करना है।

(4) इंडियन एयरलाइंस तथा एअर इंडिया के कुछ पहचानशुदा मार्गों पर अतिरिक्त सुरक्षा सावधानी के बतौर स्काई मार्शलों की तैनाती।

(5) सभी चालू हवाई अड्डों पर निर्धारित ऊंचाई तक चारदीवारी को ऊंचा उठाना।

(6) पुरानी एक्सरे मशीनों को बदलना तथा जहां कहीं आवश्यक हो नई रंगीन एक्सरे मशीनों की संस्थापना करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कम से कम दो एक्सरे मशीनें प्रत्येक प्वाइंट पर उपलब्ध हैं।

(7) हवाई अड्डों की सुरक्षा से सम्बद्ध तकनीकी ढांचे का चरणबद्ध ढंग से आधुनिकीकरण तथा स्तरोन्नयन कार्य किया जा रहा है।

भारत सरकार ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान से कहा है कि वह न्यायिक प्रक्रिया के लिए अपहरणकर्ताओं को भारत को सौंप दे।

(च) और (छ) महामहिम नेपाल सरकार ने भारत सरकार को आश्वस्त किया है कि वे काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा सुदृढ़ करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं तथा काठमांडू में इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों को पुन: शुरू करने संबंधी हमारा निर्णय इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

भारतीय ठिकानों पर पाकिस्तानी हमले

***5. श्री माधवराव सिंधिया :**
श्री रामजीवन सिंह :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 22 जनवरी, 2000 को नियंत्रण रेखा के दूसरी ओर से भारतीय ठिकानों पर हमला किया था;

(ख) यदि हां, तो गत तीन माह के दौरान, तारीख-वार और स्थान-वार भारत पाक सीमा पर पाकिस्तानी सेना द्वारा किये गये अन्य सीमा के उल्लंघनों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोनों तरफ के हताहतों और अन्य नुकसान का घटना-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) पाकिस्तानी सेना ने 22 जनवरी, 2000 को 0500 बजे अखनूर सेक्टर में हमारी एक चौकी पर कब्जा करने का प्रयास किया। इस हमले से पूर्व मोर्टार तथा छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई थी। इस सेक्टर में नियंत्रण-रेखा पर तैनात हमारे सैनिकों ने इस हमले का मुंह-तोड़ जवाब दिया। इस दौरान 17 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए तथा 5 या 6 सैनिक जख्मी हो गए। घटनास्थल से पाकिस्तानी सेना के एक अफसर के शव सहित पांच शव और 11 हथियार बरामद किए गए। पाकिस्तानी प्राधिकारियों के अनुरोध पर 27 जनवरी, 2000 को ये शव चकला चौकी पर पाकिस्तान को सौंप दिए गए।

एक अन्य घटना में, जम्मू तथा कश्मीर में राजौरी के बिम्बर गली सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने 15 फरवरी, 2000 को रात के 9 बजकर 45 मिनट पर नियंत्रण रेखा पर हमारी ओर मौजूद हमारी टेलीफोन लाइन रिपेयर पार्टी पर घात लगाकर हमला बोल दिया। इस कार्रवाई में चार भारतीय सैनिक शहीद हुए तथा कुछ व्यक्तिगत हथियार पाकिस्तानी सैनिक उठा ले गए। पाकिस्तानी हताहतों की जानकारी नहीं हो पाई है। नियंत्रण-रेखा पर हमारी ओर तीन शव बरामद किए गए थे।

पिछले तीन महीनों में, उपर्युक्त घटनाओं के अलावा, पाकिस्तान ने इसी तरह के दो अन्य प्रयास किए थे। 9 नवंबर, 1999 को उड़ी/रामपुर सेक्टर में हमारी एक चौकी पर कब्जा करने का प्रयास विफल कर दिया गया था। इस कार्रवाई में 17 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। चार पाकिस्तानी हथियार भी बरामद किए गए थे। हमारे तीन सैनिक शहीद हुए तथा नौ सैनिक घायल हुए थे। 31 दिसम्बर, 1999 को, सियाचिन में उत्तरी ग्लेशियर सब-सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों ने एक चौकी पर कब्जा करने का प्रयास किया था। इस हमले का मुंह-तोड़ जवाब दिया गया था। इस कार्रवाई में हमारा कोई भी सैनिक हताहत नहीं हुआ था। पाकिस्तानी हताहतों की कोई जानकारी नहीं हो पाई है।

सीमा पर ऐसी सभी गतिविधियों पर बराबर नजर रखी जाती है तथा शत्रुओं की ओर से किए गए किसी भी दुष्प्रयास को विफल करने के लिए समुचित उपाय किए जा रहे हैं। यह मुद्दा राजनयिक माध्यमों के जरिए भी उठाया गया है तथा हमारे सैन्य संक्रिया महानिदेशक ने इसे अपने पाकिस्तानी समकक्ष के साथ समय-समय पर बातचीत में भी उठाया है।

[हिन्दी]

खाद्यान्न घोटाले

***6. श्री मानसिंह पटेल :**
श्रीमती रानी नरह :

क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को चीनी और गेहूं घोटालों की जांच करने वाली जांच समिति की रिपोर्ट मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो जांच समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिश क्या हैं और जिम्मेदार पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) भविष्य में ऐसे घोटालों को रोकने हेतु कौन-कौन से निवारक उपायों पर विचार किया गया है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) जहां तक चीनी का संबंध है, संभवतया चीनी मौसम 1993-94 में चीनी की उपलब्धता में कमी से उत्पन्न हुई स्थिति का उल्लेख किया जा रहा है। तथ्यों का पता लगाने और चूक, यदि कोई हो, के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए नियुक्त की गई ज्ञान प्रकाश समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

गेहूं के संबंध में, कोई जांच समिति नहीं थी।

(ख) और (ग) ज्ञान प्रकाश समिति की मुख्य सिफारिशों और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा उपाबंध-1 में दिया गया है। समिति ने कहा है कि तत्कालीन खाद्य मंत्री ही चीनी संकट के लिए पूर्णतया जिम्मेदार थे और यह भी कि राज्य व्यापार निगम समय पर कार्रवाई न करने तथा चीनी संकट के समय कमी की मनोवृत्ति को गंभीर बनाने एवं कीमतों को बढ़ाने की जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है। चीनी की उपलब्धता में कमी से बचने के लिए किए गए निवारक उपाय ज्ञान प्रकाश समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही में शामिल किए गए हैं जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

ज्ञान प्रकाश द्वारा प्रारंभिक प्रशासनिक जांच के रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें और उन पर की गई कार्रवाई

सिफारिश	की गई कार्रवाई
1	2
(1) चीनी, गुड़ और खांडसारी जैसे स्वीटनरों पर एक एकीकृत नीति तैयार की जाए।	चीनी उद्योग संबंधी उच्च शक्ति प्राप्त समिति (महाजन समिति) ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें स्वीटनरों पर एकीकृत नीति पर भी विचार व्यक्त किए गए हैं। महाजन समिति की कुछ सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं।
(2) चीनी का बफर स्टाक स्थाई तौर पर रखा जाना चाहिए ताकि किसी भी समय चीनी की कमी को आसानी से दूर किया जा सके।	1995-96 के चीनी उत्पादन में से 10 लाख टन का बफर स्टाक तैयार किया गया था।
(3) पूर्वानुमान और अनुमान की वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाई जानी चाहिए।	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ को इस संबंध में अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया था। इस अध्ययन की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।
(4) भविष्य में चीनी की कमी की मानीटरिंग करने के लिए सचिवों की समिति गठित की जाए।	मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त मूल्य मानीटरिंग बोर्ड है जो चीनी सहित आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, मूल्य और उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में साप्ताहिक आधार पर समीक्षा करता है।
(5) महत्वपूर्ण निधियों को प्रधान मंत्री के ध्यान में लाया जाए और नियमों के अधीन जहां आवश्यक हो मंत्रिमंडल की मूल्य समिति/मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति को ये मामले भेजे जाएं।	जब भी आवश्यक होता हैं, ऐसा किया जा रहा है।

1	2
(6) अन्तर्राष्ट्रीय जिन्स बाजारों की गहन मानीटरिंग की जानी चाहिए।	ऐसा किया जा रहा है।
(7) एक संयुक्त मंत्रालय होना चाहिए जिसमें नागरिक आपूर्ति और खाद्य, अलग-अलग विभाग होने चाहिए।	एक संयुक्त मंत्रालय अर्थात् उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है जिसके अंतर्गत शर्करा और खाद्य तेल विभाग एक अलग विभाग है।
(8) सचिवों के बीच मतभेदों और विरोधों को दूर करने के लिए एक संहिता तैयार की जानी चाहिए।	उच्च शक्तिप्राप्त मूल्य मानीटरिंग बोर्ड में विचार-विमर्श के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के बीच मतभेदों और विरोधों को दूर किया जाता है।
(9) रॉ चीनी के आयात और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये उसके वितरण के बारे में विचार किया जाना चाहिए।	जब कभी आवश्यक होता है तब इस संबंध में नीति की समीक्षा की जाती है। 1998-99 और 1999-2000 के चीनी मौसमों के दौरान अधिक घरेलू उत्पादन होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए घरेलू चीनी की उपलब्धता संतोषजनक नहीं है।
(10) खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन चीनी का ड्यूटीमुक्त आयात करने के बारे में समीक्षा केवल तभी की जानी चाहिए जब इसका घरेलू उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।	इस नीति की समीक्षा की गई है और घरेलू चीनी के पर्याप्त स्टाक को ध्यान में रखते हुए 9.2.2000 से आयात शुल्क 60 प्रतिशत कर दिया गया है और इसके साथ 850/- रुपये प्रति टन का प्रतिशुल्क भी बरकरार रखा गया है। सरकार ने घरेलू उद्योग तथा उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए आयात को विनियमित करने के उद्देश्य से, चीनी के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों की निरंतर मानीटरिंग करने का भी निर्णय लिया है।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अतिरिक्त खाद्यान्न

***7. श्री नवल किशोर राय :**
श्री अरुण कुमार :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च, 2000 के अंत तक सरकारी गोदामों में गेहूं और चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध होने का अनुमान है;

(ख) क्या खाद्यान्नों के उक्त अतिरिक्त मात्रा के भंडारण के कारण सरकार पर आर्थिक भार बढ़ा है;

(ग) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान इसके कारण कितना अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ने का अनुमान है; और

(घ) इतनी बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों का भंडारण करने के क्या कारण हैं और इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) मार्च, 2000 के अंत में सरकारी गोदामों/भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध गेहूं और चावल की अनुमानित अधिशेष मात्रा क्रमशः 93.14 लाख टन और 38.71 लाख टन होने की संभावना है।

(ख) और (ग) 1999-2000 के दौरान अधिशेष स्टाक के कारण होने वाला अतिरिक्त मौद्रिक भार लगभग 843 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

(घ) न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र के प्रचालन में किसानों द्वारा बिक्री के लिए पेश किए गए उचित औसत किस्म के खाद्यान्नों की खरीद यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि किसानों को मजबूरन बिक्री न करनी पड़े और उन्हें सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रति आश्वस्त किया जा सके। योजना के इस स्वरूप और उद्देश्य के कारण वसूली की मात्रा पर नियंत्रण रखना संभव नहीं है।

आकाश में विमान दुर्घटना से बचना

***8. श्री सुरेश रामराव जाधव :**
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 फरवरी, 2000 को नई दिल्ली से प्रकाशित 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "मिड-एयर क्रेश अवर्टेड ऑन आर-डे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं की संभावना को टालने हेतु कौन से एहतियाती उपाय किए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में यदि कोई जांच की गई है तो उसका क्या निष्कर्ष निकला तथा उस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) 26 जनवरी, 2000 को गणतंत्र दिवस परेड में जहाजों द्वारा सलामी के लिए नौसेना के तीन टी.यू.-142 एम विमानों की एक फार्मेशन को आई.एल.-76, ए.एन.-32 तथा डोर्नियर विमानों की एक कंपोजिट फार्मेशन के पीछे उड़ान भरनी थी। दोनों फार्मेशनों को साथ-साथ उड़ान भरनी थी जिसमें पी.यू. विमानों की फार्मेशन को आई.एल.-76 फार्मेशन से 32 सेकेंड का फासला रखते हुए उसके पीछे उड़ना था। तथापि, जैसा कि नौसेना ने बताया है, इतने बड़े विमान को फार्मेशन में उड़ाने के दबाव के कारण नौसेना विमान फार्मेशन ने (तमिलनाडु में) अराकोणम में अपने उड़ान स्थल से उड़ान भरी और प्रस्थान के ऑर्बिट प्वाइंट (हरियाणा में झज्जर के ऊपर) पर कुछ सेकंड पहले पहुंच गया। समय से पहले उड़ान भरने के प्रभाव को व्यर्थ करने के लिए टी.यू. फार्मेशन अपनी गति को कम करते हुए उसे न्यूनतम स्वीकार्य सीमा तक ले आयी। किन्तु गति को कम करना ही पर्याप्त नहीं समझा गया है और टी.यू. फार्मेशन सही निर्णय लेते हुए और ऊंचाई पर चली गई ताकि दो फार्मेशनों के बीच लम्बवत् फासला बना रहे। यद्यपि दोनों फार्मेशनें एक दूसरे के काफी निकट ही उड़ान पर थीं, किन्तु दोनों को ही हवाई स्थिति का भली-भांति पता था और उनका आकाश में टकरा जाने का खतरा बिल्कुल नहीं था। फ्लाई पास्ट नियंत्रक द्वारा दोनों फार्मेशनों की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उन्हें रेडियो-टेलीफोन पर समुचित सहायता भी दी गई थी।

फार्मेशन फ्लाई पास्ट में कई विमानों को बहुत नजदीक रहते हुए साथ-साथ उड़ान भरनी होती है और यह उड़ान हमेशा मौसम साफ होने पर ही कराई जाती है। फार्मेशन फ्लाईपास्ट के लिए नियम स्पष्टत: निर्धारित हैं। यद्यपि फार्मेशन फ्लाईपास्ट में शामिल विमान एक ही दिशा में उड़ रहे होते हैं परंतु वे एक दूसरे से ऊपर नीचे रहते हुए अपने बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखते हैं, इसलिए उनके बीच खास कर तुलनात्मक गति के कारण दुर्घटनाओं का जोखिम बहुत ही कम रहता है। अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, वे ऊपर-नीचे/साथ-साथ फासले पर उड़ते हुए भी सदा एक-दूसरे पर नजर रखते हैं। यदि उनके बीच दृष्टि संपर्क नहीं बनाए रखा जा सकता अथवा उड़ान सुरक्षा के लिए किसी जोखिम की संभावना लगती है तो फ्लाईपास्ट को निरस्त करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। तथापि, सावधानी के तौर पर अग्रणी टी.यू.-142 विमान के कैप्टन को अच्छी तरह से बताया जा चुका है।

चूंकि वायुयान की उड़ान के संबंध में सुरक्षा संबंधी कोई ढिलाई नहीं बरती गई थी तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय किए गए थे अत: इस संबंध में पूर्ण जांच कराना आवश्यक नहीं समझा गया। तथापि, जांच में यह पाया गया है कि टी.यू.-142 फार्मेशन ने अपने प्रस्थान बिंदु से निर्धारित समय से एक मिनट पहले उड़ान भर ली थी इसलिए इसे अपने तथा आई.एल. 76 फार्मेशन के मध्य लम्बवत अंतर बनाने के लिए ऊंचाई पर उड़ान भरनी पड़ी थी। भविष्य में इस प्रकार की आपात स्थितियों से बचने के लिए फ्लाईपास्टों की संरचना तथा योजना निर्माण में अपेक्षित बेहतर तालमेल स्थापित किया जाएगा।

पाकिस्तान द्वारा कारगिल जैसे नए मोर्चे खोलना

***9. श्री विलास मुत्तेमवार :**
श्री रतन लाल कटारिया :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत-पाकिस्तान सीमा पर अभी हाल में देखी गई नवीनतम घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पाकिस्तानी सेना के रणनीतिकारों द्वारा नियंत्रण रेखा पर तैनात सेना को अलग-थलग करने के लिए बड़ी संख्या में भाड़े के सैनिकों के दलों को जम्मू-श्रीनगर और जम्मू-पूंछ राजमार्ग को काटने के लिए भेजने हेतु निर्देश दिए जाने की जानकारी मिली है;

(ग) क्या सरकार को कारगिल की तरह के नए मोर्चों के खोले जाने के पाकिस्तानी इरादे के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों की भी जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो पाकिस्तान द्वारा उत्पन्न खतरे से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) नियंत्रण-रेखा पर और सर क्रीक क्षेत्र में पाकिस्तान की सैन्य टुकड़ियों में किए गए कुछ फेर-बदल और उन्हें फिर से सुदृढ़ किए जाने की सरकार को जानकारी है। कुछ आरक्षी विरचनाओं का उनकी स्थायी अवस्थितियों से आवाजाही की सूचना भी मिली है। यद्यपि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को सक्रिय समर्थन और सहायता देना जारी है तथापि इस प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित निर्देशों की पुष्टि करने वाली कोई विशिष्ट रिपोर्टें नहीं हैं।

सरकार को कारगिल के समान नए मोर्चे खोले जाने के पाकिस्तान के इरादों के बारे में मीडिया रिपोर्टों की जानकारी है। हमारी सैन्य टुकड़ियों को सजग कर दिया गया है और वे इस तरह के किसी भी पाकिस्तानी हमले का प्रभावी रूप से प्रतिरोध करने के लिए सतर्क हैं। जम्मू-कश्मीर में अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियों को लगाया गया है और उन्हें जम्मू-कश्मीर में सीमा-रेखा के आस-पास पाकिस्तान द्वारा किए जाने वाले किसी भी दु:साहस पर प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार रखा गया है। इसी तरह की कार्रवाई गुजरात में रन ऑफ कच्छ सहित शेष सीमा के आस-पास भी की गई है।

[हिन्दी]

पुराने विमान बेड़े को सेवा से हटाना

*10. **श्री हरिभाई चौधरी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के पास बहुत से विमान काफी पुराने हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक विमान कम्पनी के बारे में तत्संबंधी पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं और पुराने विमानों को समय पर बदलने में सरकार को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) एअर इंडिया के पास 26 विमानों का एक विमान-बेड़ा है जिसकी औसत आयु निम्नानुसार है:-

विमान किस्म	विमान संख्या	औसत आयु (वर्ष)
बी747-200	7	23.1
बी747-300	2	11.3
बी747-400	6	5.2
ए300बी4	3	17.5
ए310-300	8	12.7
कुल विमान बेड़ा	26	14.2

इंडियन एयरलाइंस के पास 54 विमानों का एक विमान-बेड़ा है जिसकी औसत आयु निम्नानुसार है:-

विमान किस्म	विमान संख्या	औसत आयु (वर्ष)
ए300	9*	20.6
ए320	30	8.6
बी737	12	18.6
डीओ-228	3	14.2
कुल विमान बेड़ा	54	13.1

*इसमें ड्राई लीज पर दिए गए दो ए300बी4 विमान शामिल नहीं हैं जिसकी इस समय आयु 16.8 वर्ष तथा 13.8 वर्ष है। तीन वर्ष की लीज समयावधि मई/जून, 1998 से शुरू होती है।

(ग) दोनों एयरलाइनों द्वारा विमान-बेड़े का विस्तार/नवीकरण कार्य एक सतत प्रक्रिया है और जो विभिन्न कारकों पर आधारित है, जिनमें से अधिक महत्वपूर्ण कारक एयरलाइनों के संसाधनों, यातायात अपेक्षाओं, विमान-किस्म की उपयुक्तता तथा विभिन्न सेक्टरों/रूटों के प्रचालनों की व्यवहार्यता से सम्बद्ध हैं।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में चावल का सड़ना

***11. श्री रामसागर रावत :**
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 दिसम्बर, 1999 और 16 दिसम्बर, 1999 को क्रमश: ''दी इंडियन एक्सप्रेस'' और ''न्यूजलाइन'' में ''21000 टन्स ऑफ राइस रट इन वन एफ.सी.आई. गोडाउन'' और ''राइस वाज नाट रॉटिंग, सेज गोडाउन ऑफिसियल'' शीर्षक से प्रकाशित समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय भंडारण निगम के लोनी डिपो में वर्ष 1991-92 में श्रेणी ''घ'' का लगभग 21,000 टन चावल पड़ा हुआ था। उक्त चावल का निपटान डिपो में श्रम समस्या होने के साथ-साथ इसलिए भी नहीं हो सका क्योंकि जिस समय पंजाब से यह चावल प्राप्त हुआ तो उस समय भी यह घटिया किस्म का था। हालांकि केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा सभी संभव परिरक्षण उपाय किए गए हैं लेकिन इसके बावजूद इसका लम्बी अवधि तक भंडारण करने के कारण इस स्टाक का श्रेणी ''घ'' में अवश्रेणीकरण किया गया है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा इतनी भारी मात्रा में ऐसे चावल का स्टाक इकट्ठा करने और उसका निपटान न करने संबंधी मामले की जांच सार्वजनिक वितरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई है। भारतीय खाद्य निगम के दोषी पाए गए अधिकारियों के प्रति जिम्मेदारी निर्धारित करने और स्टाक का शीघ्र निपटान करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।

विमानों में उड़ान के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कमांडों तैनात किये जाना

***12. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री के. येरननायडू :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में हुई आई.सी.-814 विमान के अपहरण को देखते हुए विमानों में उड़ान के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कमांडों तैनात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मार्गों पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कमांडो तैनात किए गए हैं अथवा तैनात किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या विभिन्न विमानपत्तनों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने विमानों में उड़ान के दौरान समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अन्य देशों के साथ बातचीत की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या कोई विशिष्ट सुरक्षा बल गठित करने का प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जी, हां। आर्म्ड स्काई मार्शलों (एन.एस.जी. कमांडो) की तैनाती उन कतिपय चिह्नित मार्गों पर की गई है जिनका विवरण सुरक्षा निहितार्थों की वजह से नहीं दिया जा सकता है।

(ग), (घ), (छ) और (ज) देश के हवाई अड्डों पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) प्रथम चरण में सभी चालू घरेलू हवाई अड्डों पर सुरक्षा ड्यूटियों के संबंध में राज्य पुलिस के स्थान पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) कार्मिकों की तैनाती। सी.आई.एस.एफ. ने पहले ही जयपुर, गुवाहाटी, बड़ोदरा तथा पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डों पर सुरक्षा ड्यूटी संभाल ली है।

(2) प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश के समय, यात्रियों तथा हैंड बैगेज की बारीक जांच-पड़ताल को कड़ा कर दिया गया है। लेडर प्वाइंट पर दूसरी बार की जांच लागू कर दी गई है।

(3) फोटो-पहचान-पत्रों की व्यापक पुनरीक्षा तथा पोस होल्डरों की संख्या प्रतिबंधित करने से हवाई अड्डों के पहुंच

मार्ग पर कठोर नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा रहा है तथा 28.2.2000 तक आगंतुकों के प्रवेश को प्रतिबंधित करना है।

(4) सभी चालू हवाई अड्डों पर निर्धारित ऊंचाई तक चारदीवारी को ऊंचा उठाना।

(5) पुरानी एक्सरे मशीनों को बदलना तथा जहां कहीं आवश्यक हो नई रंगीन एक्सरे मशीनों की संस्थापना करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कम से कम दो एक्सरे मशीनें प्रत्येक प्वाइंट पर उपलब्ध हैं।

(6) हवाई अड्डों की सुरक्षा से सम्बद्ध तकनीकी ढांचे का चरणबद्ध ढंग से आधुनिकीकरण तथा स्तरोन्नयन कार्य किया जा रहा है।

(ङ) और (च) जिन देशों में इंडियन एयरलाइंस तथा एअर इंडिया की उड़ानें प्रचालित की जा रही हैं उन्हें निदेश दिया गया है कि वे इन उड़ानों की उचित संरक्षा सुनिश्चित करें।

भूमि सुधार

*13. **श्री पी.डी. एलानगोवन** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भूमि सुधारों के संबंध में राज्यवार क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के भूमिहीन लोगों को भूमि बांटने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार वितरित भूमि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकारों द्वारा किये गये भूमि सुधारों के कार्यों का पर्यवेक्षण करने और इस संबंध में उनका मार्गदर्शन करने हेतु सरकार के पास कोई निगरानी निकाय है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) से (ग) भूमि सुधार संबंधी मुख्य उपायों जैसे-भूमि सीमा कानूनों का कार्यान्वयन, सरकारी बंजरभूमि का वितरण, भूदान भूमि का वितरण, उन काश्तकारों की संख्या जिन्हें स्वामित्व के अधिकार प्रदान किये गये हैं या अधिकारों का संरक्षण किया गया है और उन्हें दिये गये भूमि क्षेत्र, हस्तांतरित और वापस की गई आदिवासी भूमि और जोतों की चकबंदी के संबंध में राज्य-वार उपलब्धि को संलग्न विवरण I से VI में दर्शाया गया है।

(घ) से (ङ) भूमि सुधार कार्यक्रमों की निगरानी और समीक्षा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राजस्व सचिवों, राजस्व मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों के सम्मेलनों सहित समय-समय पर विभिन्न मंचों पर की जाती है। ऐसे सम्मेलनों में लिये गये निर्णयों/हुई सहमति को उपयुक्त कार्रवाई हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अग्रेषित किया जाता है।

कार्यक्रम पर निगरानी, राज्यों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों, वीडियो कांफेरेंसिंग के जरिए और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्यों का दौरा करके भी रखी जाती है।

विवरण-I

भूमि सीमा कानूनों के क्रियान्यवन का राज्य-वार ब्यौरा (सितम्बर, 1999)

(क्षेत्र एकड़ में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लोगों को वितरित भूमि क्षेत्र	लाभार्थियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य	
				लाभार्थियों की संख्या	क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या	क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या	क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	580007	533590	225644	230285	83400	120933	224550	228790
2.	असम	483951	444997	43720	46063	42361	58985	358916	378903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	बिहार	308549	380161	234532	181791	43004	39937	102625	86821
4.	गुजरात	116658	32016	14828	83948	13121	29272	4067	24822
5.	हरियाणा	101615	29109	12910	45035	असूचित	असूचित	16204	56700
6.	हिमाचल प्रदेश	4374	6365	3896	2714	332	249	2137	1411
7.	जम्मू और कश्मीर	450000	450000	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित	450000	450000
8.	कर्नाटक	119484	32560	19675	72655	1164	3966	11809	43022
9.	केरल	65957	154161	66535	15997	7629	5200	79997	34760
10.	मध्य प्रदेश	188563	73870	21793	49752	27906	74093	24171	64717
11.	महाराष्ट्र	652606	141366	40660	161820	29348	100163	65678	264078
12.	मणिपुर	1682	1258	96	128	72	97	1090	1457
13.	उड़ीसा	155864	137711	47367	49520	50833	65252	39553	41115
14.	पंजाब	104199	28570	11351	44247	असूचित	असूचित	17219	59952
15.	राजस्थान	460064	80678	29155	143603	11441	49786	40082	266675
16.	तमिलनाडु	172954	137533	62160	66170	204	274	75169	106510
17.	त्रिपुरा	1598	1424	256	217	359	448	809	933
18.	उत्तर प्रदेश	257895	292838	200008	179970	699	1195	92792	77216
19.	पश्चिम बंगाल	1034273	2501533	925127	355449	494776	217531	1081630	484711
20.	दादरा व नगर हवेली	6851	3353	30	53	3321	6795	2	3
21.	दिल्ली	394	654	495	277	असूचित	असूचित	159	117
22.	पांडिचेरी	1046	1427	840	628	असूचित	असूचित	587	418
	योग	5268584	5465174	1961078	1730322	809970	774176	2689246	2653131

*असूचित - राज्य सरकार द्वारा सूचना नहीं दी गई है।

विवरण-II

सितम्बर, 1999 की स्थिति के अनुसार सरकारी बंजरभूमि का वितरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वितरित क्षेत्र (लाख एकड़ में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	42.02
2.	असम	5.89
3.	बिहार	13.21
4.	गुजरात	13.81
5.	हरियाणा	0.00
6.	हिमाचल प्रदेश	0.17
7.	कर्नाटक	13.72

1	2	3
8.	केरल	4.57
9.	मध्य प्रदेश	0.79
10.	महाराष्ट्र	10.23
11.	मणिपुर	0.32
12.	पंजाब	1.10
13.	उड़ीसा	7.26
14.	तमिलनाडु	2.07
15.	त्रिपुरा	1.32
16.	उत्तर प्रदेश	24.89
17.	पश्चिम बंगाल	4.32
18.	गोवा	0.05
19.	मिजोरम	0.74
20.	राजस्थान	0.93
21.	दिल्ली	0.06
	योग	147.47

विवरण-III

भूदान भूमि का वितरण (सितम्बर, 99 तक)

(क्षेत्र लाख एकड़ में)

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्र		
		दान किया गया	वितरित	शेष
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2.52	1.10	1.42
2.	असम	0.01	0.01	शून्य
3.	बिहार	21.18	7.23	13.95
4.	गुजरात	0.34	0.27	0.07
5.	हरियाणा	0.02	0.02	शून्य
6.	हिमाचल प्रदेश	नगण्य	नगण्य	नगण्य
7.	जम्मू और कश्मीर	नगण्य	नगण्य	नगण्य
8.	कर्नाटक	0.11	0.05	0.06
9.	केरल	0.02	0.02	शून्य
10.	मध्य प्रदेश	1.72	1.41	0.31
11.	महाराष्ट्र	1.04	0.27	0.77
12.	उड़ीसा	6.39	5.80	0.59

1	2	3	4	5
13.	पंजाब	0.05	0.01	0.04*
14.	राजस्थान	1.15	1.14	0.01
15.	तमिलनाडु	0.24	0.21	0.03
16.	उत्तर प्रदेश	4.37	4.21	0.16
17.	पश्चिम बंगाल	नगण्य	नगण्य	नगण्य
	योग	39.16	21.75	17.41

*कब्जे में नहीं लिया गया क्षेत्र।

विवरण-IV

स्वामित्व अधिकार (या अधिकारों का संरक्षण) प्रदत्त काश्तकारों की संख्या और उनको दिया गया भूमि क्षेत्र

क्रम सं.	राज्य	काश्तकारों की संख्या (लाख में)	दिया गया क्षेत्र (लाख एकड़ में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1.07	5.95
2.	अरूणाचल प्रदेश	प्रणाली लागू नहीं है।	
3.	असम	29.08	31.75
4.	बिहार	असूचित	असूचित
5.	गुजरात	12.76	25.92
6.	गोवा	असूचित	असूचित
7.	हरियाणा	काश्तकारी विद्यमान नहीं है।	
8.	हिमाचल प्रदेश	4.01	असूचित
9.	जम्मू और कश्मीर	6.10	असूचित
10.	कर्नाटक	6.05	26.32
11.	केरल	28.42	14.50
12.	मध्य प्रदेश	काश्तकारी विद्यमान नहीं है।	
13.	महाराष्ट्र	14.92	42.90
14.	मणिपुर	असूचित	असूचित
15.	मेघालय	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	शून्य	शून्य
17.	नागालैंड	असूचित	असूचित
18.	उड़ीसा	1.65	0.98
19.	पंजाब	असूचित	असूचित
20.	राजस्थान	0.18	असूचित
21.	सिक्किम	असूचित	असूचित
22.	तमिलनाडु	4.98	6.95
23.	त्रिपुरा	0.14	0.39
24.	उत्तर प्रदेश	असूचित	असूचित
25.	पश्चिम बंगाल	14.60	असूचित
	संघ राज्य क्षेत्र		
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य
27.	चंडीगढ़	असूचित	असूचित
28.	दादरा और नगर हवेली	0.26	0.64
29.	दिल्ली	असूचित	असूचित
30.	दमन और द्वीव	असूचित	असूचित
31.	लक्षद्वीप	नगण्य	नगण्य
32.	पांडिचेरी	नगण्य	नगण्य
	समग्र भारत	124.22	156.30

विवरण-V

हस्तांतरित आदिवासी भूमि और वापस की गई भूमि के क्षेत्रफल को दर्शाने वाला विवरण

(नवम्बर, 1999 की स्थिति के अनुसार)

(क्षेत्र एकड़ में)

क्र. सं.	राज्य	न्यायालय में दायर किये गये मामलों की संख्या	क्षेत्र	न्यायालय द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या	क्षेत्र	रद्द किये गये मामलों की संख्या	क्षेत्र	आदिवासियों के पक्ष में निर्णय दिये गये मामलों की संख्या	क्षेत्र	उक्त मामलों की संख्या जिनमें आदिवासियों को भूमि वापस की गई है	क्षेत्र	न्यायालय में लंबित पड़े मामलों की संख्या	क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				(7+9)	(8+10)							(3-5)	(4-6)
1.	आंध्र प्रदेश	65875	287776	58212	256452	31737	150227	26475	106225	23383	94312	7663	31324
2.	असम	2042	4211	50	19	—	—	50	19	50	19	1992	4192
3.	बिहार	86291	104893	76518	95151	31884	49730	44634	45421	44634	45421	9773	9742
4.	गुजरात	47926	140324	40400	120691	119	497	40281	120194	39503	118259	7526	19633
5.	कर्नाटक	42582	130373	38521	115021	16687	47159	21834	67862	21834	67862	4061	15352
6.	मध्य प्रदेश	53806	158398	29596	97123	29596	97123	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित	24210	61275
7.	महाराष्ट्र	45634	असूचित	44624	*99486	24681	असूचित	19943	99486	19943	99486	1010	असूचित
8.	उड़ीसा	1431	1712	594	816	152	204	442	612	212	455	837	896
9.	राजस्थान	651	2300	240	774	53	187	187	587	187	587	411	1526
10.	त्रिपुरा	28926	25295	28888	25274	20084	18366	8804	6908	8551	6732	38	21
	योग	375164	855282	317643	810807	154993	363493	162650	447314	158297	433133	57521	**143961

*में शामिल हैं आंकड़ें।
**में दिए गए।

विवरण VI

भूमि जोतों की चकबंदी-राज्य-वार

(क्षेत्रफल लाख एकड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चकबंदी किया गया क्षेत्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	8.18*
2.	बिहार	96.05*
3.	गुजरात	69.88
4.	हरियाणा	104.38
5.	हिमाचल प्रदेश	29.91
6.	जम्मू और कश्मीर	1.37*
7.	कर्नाटक	26.76**
8.	मध्य प्रदेश	95.53
9.	महाराष्ट्र	526.50***
10.	उड़ीसा	26.74

1	2	3
11.	पंजाब	103.74
12.	राजस्थान	42.30****
13.	उत्तर प्रदेश	481.63
14.	दिल्ली	2.33
	योग	1615.30

* योजना बंद कर दी गई है (बिहार में जुलाई, 1992 से)
** जोतों की चकबंदी अधिनियम, 1966 को, 1991 में निरस्त कर दिया गया है।
*** योजना का कार्यान्वयन 1.4.93 से रोक दिया गया।
**** 1965 से योजना समाप्त कर दी गई है।

निजी क्षेत्र से रक्षा संबंधी खरीद

*14. **श्री अजय सिंह चौटाला** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जनवरी, 2000 के 'दी ट्रिब्यून' में "प्राइवेट सेक्टर स्लो इन मीटिंग डिफेंस नीड्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कारगिल संघर्ष के दौरान और उसके बाद कितनी मात्रा में हार्डवेयर उपकरणों का आयात किया गया और उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरलिखित उपरोक्त आयातित उपकरणों का देश में उत्पादन करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) इस अवधि के दौरान 2414.00 करोड़ रुपए मूल्य के उपस्करों के आयात के लिए संविदा की गई थी।

(ग) तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा विकसित इसी प्रकार की मदों के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए चुनिंदा आयातित उपस्करों की प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के जरिए स्वदेश में उत्पादन किया गया है। स्वदेश में उत्पादन की प्रगति के साथ-साथ ऐसी मदों का आयात धीरे-धीरे कम कर दिया जाता है।

प्रमुख प्रतिरक्षा सौदों की जांच

*15. **श्री राम मोहन गाड्डे** :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1985-86 से आज तक हुए सभी रक्षा सौदों की केन्द्रीय सतर्कता आयोग और भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से कोई जांच कराने का आदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और किन-किन सौदों की जांच की जानी है;

(ग) क्या कारगिल कार्रवाई संबंधी मदों की आपातकालीन खरीद की भी विशेष लेखा परीक्षा कराने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) (1) राज्य सभा में दिनांक 23 दिसंबर, 1999 को रक्षा खरीददारी प्रक्रियाओं पर एक अल्पकालिक चर्चा हुई थी। राज्य सभा में इस चर्चा के दौरान कई माननीय संसद सदस्यों ने अनेक रक्षा खरीददारियों में अनियमितताओं का उल्लेख किया था। इस चर्चा का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री ने सदन को बताया था कि इन चर्चाओं में से जो मुद्दे सामने आए हैं उनकी आवश्यक जांच की जाएगी और जॉच के निष्कर्षों से सदन को अवगत कराया जाएगा। विभिन्न रक्षा सौदों में अनियमितताओं संबंधी ऐसे ही आरोपों की चर्चा विभिन्न प्रचार माध्यमों में और अन्यत्र भी होती रही है।

(2) रक्षा खरीददारियों में पूरी ईमानदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से और माननीय संसद सदस्यों के सुझावों का सम्मान करते हुए अब सरकार ने नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से निम्नलिखित मामलों से जुड़े आरोपों की पुनरीक्षा/विशेष लेखापरीक्षा करने का अनुरोध किया है:-

(1) अत्यधिक हिस्से-पुर्जे जिनकी अनुचित रूप से खरीददारी की गई और जो कथित रूप से विभिन्न डिपुओं में जंक के रूप में पड़े हुए हैं;

(2) कारगिल संहिता के लिए आपात खरीददारियों में कथित अनियमितताएं; और

(3) संविदा होने और भुगतान कर दिए जाने के बावजूद प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण न होना।

(3) इन्हीं कारणों से, सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग से भी अनुरोध किया है कि वह केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा किसी अन्य उपयुक्त एजेंसी से निम्नलिखित आरोपों की जांच कराएं:

(1) बड़ रक्षा सौदों में एजेंटों/बिचौलियों की संलिप्तता;

(2) राज्य सभा में अल्पकालिक चर्चा के दौरान रक्षा खरीददारियों में अनियमितताओं के संबंध में लगाए गए आरोप; और

(3) एक सेवारत रियर एडमिरल द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई रिट याचिका में लगाए गए आरोप।

(4) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा क्रमश: विशेष लेखापरीक्षा तफतीश पूरी करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

कार्यावधि पूरी कर चुके सिगनल

*16. **श्री रघुनाथ झा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1500 से भी अधिक रेलवे स्टेशनों पर सिगनलों के सिगनल गेयर अपनी कार्यावधि पूरी कर चुके हैं;

(ख) क्या खन्ना समिति ने इन सिगनलों को बदलने की सिफारिश की थी;

(ग) यदि हां, तो इन सिगनल गेयरों को न बदलने के क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान अब तक देश में खराब सिगनलों के कारण कितनी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) जी हां, भारतीय रेलों पर 1500 से अधिक स्टेशन (ब.ला. एवं मी.ला.) ऐसे हैं जहां सिगनल गियर अपनी निर्धारित आयु पूरी कर चुके हैं।

(ख) न्यायाधीश खन्ना की अध्यक्षता में गठित रेलवे संरक्षा समीक्षा समिति (आर.एस.आर.सी.) 1998 ने अपनी रिपोर्ट में "ए" और "सी" मार्गों के ऐसे सिगनल गियरों को जो 25 वर्ष से अधिक पुराने हों तथा शेष मार्गों के सिगनल गियरों को आयु-एवं-हालत के आधार पर कार्यक्रमानुसार बदलने की सिफारिश की है।

(ग) गतायु सिगनल गियरों को बदलने में मुख्य बाधा पर्याप्त धनराशि का उपलब्ध न होना है। बहरहाल, उपलब्ध संसाधनों के भीतर रेलों के सिगनल गियरों को उत्तरोत्तर बदला जा रहा है। 487 स्टेशनों पर सिगनल प्रणाली के बदलाव का कार्य स्वीकृत है और यह कार्य समाप्ति के विभिन्न चरणों में है। पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने पर शेष स्टेशनों पर सिगनल प्रणाली को आने वाले वर्षों में बदला जा सकता है।

(घ) जहां तक 1997-98, 1998-99 और अभी तक 1999-2000 के दौरान क्रमश: 3, 4 तथा 3 दुर्घटनाओं, सिगनल एवं दूरसंचार के कारण हुई हैं। बहरहाल, इनमें से किसी भी दुर्घटना का कारण सिगनल गियरों को न बदला जाना, नहीं था।

[हिन्दी]

रेलवे में तोड़फोड़

*17. **श्री रामदास आठवले** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जनवरी, 2000 के "हिंदुस्तान", नई दिल्ली संस्करण, में "रेल हादसों के पीछे हरकत-उल-अंसार" और "रेल कर्मचारियों को खरीदे जाने का भी पता चला" शीर्षकों से प्रकाशित समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच की है अथवा करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में रेल कर्मचारियों को धन का लालच दिए जाने के बारे में कोई जानकारी मिली है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) जी हां।

(ख) जी हां। रेल संरक्षा आयुक्त, उत्तरी सर्किल ने जांच की थी।

(ग) रेल संरक्षा आयुक्त, उत्तरी सर्किल ने यह मत व्यक्त किया है कि 2801अप पुरूषोत्तम एक्सप्रेस की 4023अप कालिन्दी एक्सप्रेस के पिछले हिस्से से इसलिए टक्कर हुई थी क्योंकि कालिन्दी एक्सप्रेस को अप मेन होम सिगनल से गुजारने के लिए

जो स्टार्टर सिगनल दिया गया था उसे वापस किए बिना इसके पीछे आ रही पुरूषोत्तम एक्सप्रेस को गुजारने के लिए अनुमति दे दी गई जबकि इसके आगे चलने वाली कालिन्दी एक्सप्रेस रूक गई थी और एडवांस स्टार्टर पर पहुंचने से थोड़ा पहले खड़ी हो गई थी। श्री गोरे लाल स्विचमैन, वेस्ट केबिन, फिरोजाबाद को दुर्घटना के लिए मुख्यत: दोषी ठहराया गया था। श्री गोरे लाल को सेवा से हटा दिया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) दुर्घटनाओं में मानवीय भूल की संभावनाओं को कम से कम करने के लिए सिगनल सर्किटरी का आशोधन किया जा रहा है।

(2) मुंबई उपनगरीय खंडों पर चलती गाड़ी के ड्राइवर को खतरे के सिगनल के बारे में अग्रिम चेतावनी देने के लिए सहायक चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है।

(3) रेलवे बोर्ड ने मध्य रेलवे के तुगलकाबाद-मथुरा खंड के लिए परीक्षण के आधार पर सहायक चेतावनी प्रणाली की एक पायलट परियोजना स्वीकृत की है।

(4) सभी यात्री गाड़ियों के ड्राइवरों तथा गार्डों को वाकी टाकी सेट दिए गए है। इस समय ये मालगाड़ियों के ड्राइवरों तथा गार्डों को भी दिए जा रहे हैं तथा सप्लाई किए जाने का कार्य 31 मार्च, 2000 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(5) रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाई टेम्पिंग और गिट्टी छनाई मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है।

(6) रेलपथ ज्यामिती और रेलपथ की चालन संबंधी विशेषताओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखी यान, दोलनलेखी यान और सुबाह्य एक्सलोमीटरों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(7) पटरियों की टूट-फूट तथा झलाई संबंधी त्रुटियों का पता लगाने के लिए 96 और डबल रेल अल्ट्रा सॉनिक फ्लॉ डिटेक्टरों की खरीद की जा रही है।

(8) कई डिपुओं में सवारी और मालडिब्बों के अनुरक्षण की सुविधाओं को आधुनिक बनाया गया है और उन्हें अपग्रेड किया गया है।

(9) एक्सलों के कोल्ड ब्रीकेज के मामलों की रोकथाम के लिए नेमी ओवर हालिंग डिपुओं में घरों में दोषों का पता लगाने हेतु अल्ट्रासानिक टेसटिंग उपकरण मौजूद है।

(10) बिना चौकीदार वाले समपारों पर सी.टी. बोर्डों/गतिरोधकों और सड़क चिह्नों की व्यवस्था की गई है और ड्राइवरों के लिए दृश्यता में सुधार किया गया है।

(11) सड़क उपयोगकर्ताओं को यह समझाने के लिए कि समपारों को सुरक्षित ढंग से कैसे पार किया जाए, दृश्य-श्रव्य प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

(12) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील तथा विस्फोटक सामग्री ले जाने पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(13) क्षेत्रीय मुख्यालयों से अंतर्विभागीय दलों द्वारा विभिन्न मंडलों का आवधिक संरक्षा आडिट करना भी शुरू किया गया है।

(14) ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी परिचालन के काम में लगे कर्मचारियों की प्रशिक्षण संबंधी सुविधाओं को आधुनिक बनाया गया है। इसमें ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों का उपयोग भी शामिल है।

(15) समय-समय पर नियमित रूप से पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री की जापान यात्रा

***18. श्री जी.एस. बसवराज :**
श्री आर.एल. भाटिया :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने हाल ही में जापान की यात्रा की है; और

(ख) यदि हां, तो वहां उठाए गए मुद्दों तथा व्यापक परमाणु निषेध संधि (सी.टी.बी.टी.) पर हस्ताक्षर किए जाने सहित, हुए अन्य समझौतों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां। मैंने 11-14 जनवरी, 2000 के दौरान जापान का सरकारी दौरा किया था।

(ख) इस क्षेत्र की सुरक्षा संबंधी घटनाओं पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया था और दोनों देशों की रक्षा नीतियों तथा सुरक्षा संबंधी चिन्ताओं के बारे में विचार-विमर्श किया गया था। दोनों पक्षों ने भारत और जापान की रक्षा स्थापनाओं के बीच सुरक्षा तथा रक्षा से संबंधित एक नियमित संवाद शुरू किए जाने का निर्णय लिया। भारत और जापान दोनों ने ही यह महसूस किया कि हमारे संबंध इतने अधिक महत्वपूर्ण एवं जटिल हैं कि उनका निर्धारण किसी अकेले मुद्दे से नहीं किया जा सकता। जापानी पक्ष ने भारत द्वारा व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए जाने का मुद्दा उठाया। मैंने यह सूचित किया है कि भारत सरकार इस मुद्दे पर राष्ट्रीय आम सहमति बनाए जाने के लिए वचनबद्ध है और वह इस दिशा में कदम उठा रही है। मैंने यह भी सूचित किया कि एक सकारात्मक अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश इस प्रक्रिया के लिए अनुकूल रहेगा।

जापानी नेताओं के साथ हुई मेरी बातचीत के परिणामस्वरूप भारत की सुरक्षा संबंधी चिन्ताओं को बेहतर ढंग से समझा गया। हमारे संवादों में सुरक्षा संबंधी एक नए आयाम के जोड़े जाने से, इस दौरे ने हमारे द्विपक्षीय संबंध को एक अधिक पूर्ण रूप प्रदान करके भारत-जापानी रिश्ते को और अधिक बढ़ाने में मदद दी।

तेज गति वाली रेलगाड़ियों के रेल मार्ग

***19. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :**
श्री मनीभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में तेज गति वाली रेलगाड़ियों के लिए रेल-मार्ग बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्य सरकार ने ऐसे तेज गति वाले नेटवर्क में रुचि दिखाई है; और

(घ) ऐसे तेज गति वाले नेटवर्क स्थापित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) से (घ) रेल मंत्रालय ने इंटरनेशनल यूनियन आफ रेलवेज, पेरिस के सहयोग से 21.1.2000 को हाई स्पीड रेल के क्षेत्र में फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन और जापान जैसे देशों के अनुभव से सीखने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया। यू.आई.सी., जापान, फ्रांस, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम के विशेषज्ञों ने इस सेमिनार में भाग लिया और उन्होंने अपने अनुभव भारतीय सहभागियों को बताए। इस सेमिनार में तमिलनाडु, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। कुछ बड़े शहरों के बीच यात्री यातायात को संभालने के लिए देश में उच्च रफ्तार वाली गाड़ियां चलाने की अवधारणा के बारे में राइट्स ने एक पेपर प्रस्तुत किया। बहरहाल, कोई विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया गया है। तेज रफ्तार वाली गाड़ियों के बारे में किसी भी राज्य सरकार से कोई आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ है।

मिट्टी के तेल की कालाबाजारी

***20. श्री रामजी माझी : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1999 के दौरान मिट्टी के तेल की कालाबाजारी के कितने मामले प्रकाश में आए और उन पर क्या कार्रवाई की गई;

(ख) क्या नागरिक आपूर्ति कर्मचारियों और मिट्टी के तेल के डीलरों के बीच कोई सांठगांठ है; और

(ग) यदि हां, तो मिट्टी के तेल की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) से (ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत चोर बाजारी तथा अन्य अनियमितताओं/अपराधों का पता लगाने और उन पर कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से 31.1.2000 तक प्राप्त सूचना के अनुसार कुल 1,96,939 छापों में 6457 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। जब्त की गई विभिन्न आवश्यक वस्तुओं का मूल्य 2317.91 लाख रु. है। तथापि, वर्ष 1999 के दौरान पता लगाए गए मिट्टी के तेल की चोर बाजारी के मामलों की संख्या, इस प्रकार की चोर बाजारी को रोकने के लिए किए गए उपायों के बारे में सूचना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है। नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों और मिट्टी के तेल के विक्रेताओं के बीच सांठ-गांठ यदि कोई हो, के संबंध में भी सूचना एकत्र की जा रही है।

सशस्त्र बलों में अधिकारियों की कमी

1. श्री पवन कुमार बंसल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र बलों में वर्तमान में बड़ी संख्या में अधिकारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तीनों सेवाओं में से प्रत्येक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए यदि कोई कदम उठाए गए हैं, तो वे क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) तीनों रक्षा सेनाओं में अधिकारियों की मौजूदा कमी इस प्रकार है:-

सेना	13336
नौसेना	965
वायुसेना	546

2. वर्ष 1997-98 के दौरान एक व्यावसायिक प्रचार एजेंसी की सहायता से सेना का एक छवि निर्माण अभियान आरम्भ किया गया था। इस अभियान का सकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि सेना को अपने कैरियर के रूप में अपनाने वाले योग्य युवकों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह अभियान जारी रखा गया है। नौसेना और वायुसेना के मामले में भी युवकों को इन सेनाओं के प्रति आकर्षित करने के लिए समाचार-पत्रों और अन्य प्रचार माध्यमों द्वारा प्रचार करने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

कालीनारायणपुर जंक्शन-कृष्णनगर रेल-लाइन का दोहरीकरण

2. श्री मोइनुल हसन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व-रेलवे के सियालदह-लालगोला खण्ड पर कालीनारायणपुर जंक्शन से कृष्णनगर रेल-लाइन के दोहरीकरण का सर्वेक्षण-कार्य, जिसे 1997-98 में शुरू किया गया था, अब तक पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसे कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है और सर्वेक्षण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार का, इस खंड के शेष हिस्से अर्थात् कृष्णनगर से लालगोला तक के मार्ग के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण-कार्य शुरू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कृष्णनगर-लालगोला खंड के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण शुरू किया जा चुका है। सर्वेक्षण के परिणाम प्राप्त होने के पश्चात् इस परियोजना पर आगे विचार किया जाएगा।

त्रिवेन्द्रम स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से विमान प्रचालन

3. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से चौबीसों घंटे विमानों के प्रचालन के लिए केरल सरकार तथा अन्य संगठनों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे से चौबीसों घंटे विमान प्रचालन करने में कठिनाइयों का सामना कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, हां।

(ख) त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर 24 घंटे प्रचालन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को किसी भी एयरलाइन से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। विमानपत्तन से होकर प्रचालन करने वाली एयरलाइनों में से किसी ने रात्रि में अतिरिक्त उड़ानों के प्रचालन हेतु कोई अनुरोध नहीं किया है सिर्फ सिलकैर एयरलाइन ने 2155 बजे से 2255 बजे के बीच सप्ताह में दो दिन रात्रि प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है। इस कारण त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर 24 घंटे प्रचालन करना वित्तीय दृष्टिकोण से व्यवहार्य नहीं है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। त्रिवेन्द्रम विमानपत्तन पर 24 घंटे प्रचालन के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयरलाइनों से रात्रि के समय प्रचालन के लिए मांग आने पर सभी एजेंसियों से अपेक्षित जनशक्ति प्रदान करनी होगी।

पादीनहारेकारा समुद्रतट का विकास

4. श्री जी.एम. बनातवाला: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पोन्नई के समीप और केरल के मालापुरम जिले में टीपू सुल्तान रोड के आखिरी छोर पर स्थित पादीनहारेकारा समुद्र तट का पूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में विकास करने का है जहां से अरब सागर के साथ तिरूर पूजा और भारत पूजा नदी का मनोहारी दृश्य दिखायी पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में कौन से कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) पर्यटक स्थलों का विकास मूलत: राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके पर्यटन परियोजनाओं के लिए प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। पादीनहारेकारा के विकास के लिए किसी भी प्रस्ताव को केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु प्राथमिकता प्रदान नहीं की गई है।

[हिन्दी]

उपयोग में न आने वाले हवाई अड्डों से संबंधित नीति

5. श्री राजो सिंह : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय अप्रयुक्त पड़े हवाई अड्डों के संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या बिहार सरकार ने पटना हवाई अड्डे की जमीन के सार्वजनिक उपयोग से संबंधी कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने देश के छोटे अप्रचालनात्मक हवाई अड्डों को विकास तथा सिविल विमानन प्रयोजनार्थ पारस्परिक सहमत शर्तों एवं निबंधों पर राज्य सरकार को सौंपने का निर्णय लिया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

चीनी उद्योग की स्थिति

6. श्री मोहन रावले : क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वदेशी चीनी उद्योग वर्तमान में संकट के दौर से गुजर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग को इस स्थिति में लाने के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष चीनी के उत्पादन, खपत और आयात का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चीनी उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन चीनी मौसमों (1 अक्तूबर से 30 सितम्बर तक) के दौरान चीनी का उत्पादन, उपभोग और आयात निम्नलिखित हैं:-

चीनी का उत्पादन और उपभोग

(लाख टन में)

चीनी मौसम	उत्पादन	उपभोग*
1996-97	129.05	136.75
1997-98	128.44	139.78
1998-99	155.20	141.45

*आयातित चीनी का उपभोग शामिल नहीं है।

चीनी का आयात

(टन में)

वर्ष	चीनी का आयात
1996-97	2,131
1997-98	3,46,905
1998-99	8,57,691

(स्रोत : डी.जी.सी.आई. एण्ड एस. कलकत्ता)

(घ) सरकार ने हाल ही में चीनी उद्योग के हित को सुरक्षित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जो निम्नानुसार हैं:-

(1) सरकार ने चीनी के आयातकों पर विनियमित रिलीज प्रक्रिया लागू की है दिनांक 22.11.99 की अधिसूचना देखें जिसे दिनांक 29.12.99 की अधिसूचना के साथ पढ़ा जाए।

(2) सरकार ने चीनी के आयातकों पर 30 प्रतिशत की लेवी बाध्यता लागू की है दिनांक 17.2.2000 की अधिसूचना देखें।

(3) सरकार ने 1.1.2000 से चीनी के घरेलू उत्पादकों पर लेवी बाध्यता में 40 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत तक कमी की है।

(4) सरकार ने 30.12.99 को चीनी के आयात पर सीमा शुल्क को 25 प्रतिशत जमा 10 प्रतिशत अधिशुल्क से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया है इसे 9.2.2000 को और बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया, जिसमें 850/- रुपये प्रति टन का प्रतिशुल्क भी बरकरार रखा गया है।

[हिन्दी]

सतना में रेलवे अन्डरब्रिज का निर्माण

7. श्री रामानन्द सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सतना नगर में कोतवाली के निकट रेलवे अन्डरब्रिज के निर्माण के संबंध में कितनी प्रगति हुई है और इस पर अब तक कितना व्यय हुआ है;

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान इस हेतु क्या बजटीय प्रावधान किया गया है और इसकी कुल लागत क्या है; और

(ग) निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) नवम्बर, 1998 में प्रस्तुत संशोधित अनुमान का राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण रेलवे के हिस्से का कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान रेलवे द्वारा 37.53 लाख रु. आबंटित किए गए हैं। कार्य की कुल लागत 447.46 लाख रु. है जिसमें रेलवे का हिस्सा 124.72 लाख रु. तथा राज्य सरकार का हिस्सा 322.74 लाख रु. है।

(ग) कार्य को पूरा करने का अनंतिम लक्ष्य दिसम्बर, 2000 निर्धारित किया गया है। बहरहाल, यह राज्य सरकार से अनुमान की स्वीकृति प्राप्त होने और उनके द्वारा पहुंच मार्गों पर कार्य शुरू करने पर निर्भर करेगा।

राजस्थान में रेल-लाइन बिछाना

8. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अजमेर-पुष्कर-मेड़ता रेल-लाइन का निर्माण करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे तथा इसकी अनुमानित लागत कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा पुष्कर को रेल संपर्क कब तक उपलब्ध कराने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी हां। कुछ संसद सदस्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि 96.57 कि.मी. लम्बी लाइन की लागत 0.79% की प्रतिफल की दर सहित 208.76 करोड़ रुपये होगी। रिपोर्ट विचाराधीन है।

[अनुवाद]

अरूणाचल प्रदेश को आवश्यक वस्तुओं का कोटा

9. श्री जारबोम गामलिन : क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अरूणाचल प्रदेश हेतु लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत इस समय मिट्टी के तेल, चावल, चीनी, खाद्य तेल इत्यादि के संबंध में कितना कोटा निर्धारित है;

(ख) क्या इन वस्तुओं का आवंटन राज्य के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो अरूणाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान आवंटन में वृद्धि किए जाने की यथा मांग के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अरूणाचल प्रदेश के लिए निर्धारित चावल और गेहूं का मासिक कोटा तथा चीनी, मिट्टी का तेल और खाद्य तेल के मासिक आवंटन निम्नानुसार हैं:-

(आंकड़े टन में)

जिन्स	मात्रा
चावल	6560 (ग.रे.नी.-700, ग.रे.ऊ.-5860)
गेहूं	600 (ग.रे.नी.-70, ग.रे.ऊ.-530)
चीनी	602
मिट्टी का तेल	858
खाद्य तेल (पामोलिन)	शून्य

(ख) चूंकि खाद्यान्न, चीनी और मिट्टी का तेल उच्च राजसहायता प्राप्त होते हैं इसलिए राज्यों से ऐसी मांगें की जाती हैं जिन्हें केन्द्रीय पूल में उपलब्धता और राजसहायता संबंधी बाधाओं के कारण हमेशा पूरा नहीं किया जा सकता है।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अरूणाचल प्रदेश में खाद्य तेल की कोई मांग नहीं है। अत: 1999-2000 के दौरान अरूणाचल प्रदेश को खाद्य तेलों का कोई आवंटन नहीं किया गया है।

(ग) चावल के मासिक कोटे के अलावा अरूणाचल प्रदेश को प्रतिमाह 2540 टन चावल का अतिरिक्त आवंटन भी किया जाता है।

दिसम्बर, 1999 तक अरूणाचल प्रदेश का लेवी चीनी का कोटा 366 टन था जो 1991 की जनगणना के अनुसार 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह पर आधारित था। इस पहाड़ी राज्य की विशेष जरूरत को ध्यान में रखते हुए जनवरी, 2000 से 1991 की जनगणना के अनुसार प्रति व्यक्ति के मासिक मापदण्ड को 425 ग्राम से बढ़ाकर 700 ग्राम कर दिया गया है और इस प्रकार इसका मासिक कोटा 602 टन बैठता है।

1993-94 से 1998-99 तक प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय सरकार ने मिट्टी के तेल के आवंटन में तीन प्रतिशत की वृद्धि की है। विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति उपलब्धता में असमानता को न्यूनतम किया गया है।

रेलवे क्वार्टरों की कमी

10. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर रेलवे में विशेषकर दिल्ली में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को आवंटन के लिए रेलवे क्वार्टरों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रत्येक वर्ष में और क्वार्टरों का निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कर्मचारी क्वार्टरों का अन्य सरकारी संगठनों के साथ अच्छा तालमेल है। बहरहाल, अतिरिक्त क्वार्टरों का निर्माण एक सतत् प्रकिया है जिसे वार्षिक निर्माण कार्यक्रम में शामिल करके धन की उपलब्धता और अन्य सापेक्ष प्राथमिकताओं के आधार पर शुरू किया जाता है।

दामोदर नदी रेल परियोजना के लिए धनराशि का आवंटन

11. श्री सुनील खां : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि:

(क) दामोदर नदी रेल परियोजना की कुल लागत कितनी है, और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) इस परियोजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इस पर कितना व्यय किया गया है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक पूरा किए जाने को संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) परियोजना की अनुमानित लागत 100 करोड़ रुपए है। 1999-2000

के दौरान इस परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी।

(ख) परियोजना (बांकुरा से बेलियाटोर: 20 कि.मी. कार्य के निष्पादन के लिए) के लिए आंशिक अनुमान 36.07 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है। अब इस चरण के कार्य के लिए मिट्टी संबंधी कार्यों और छोटे पुलों के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) पूरी परियोजना का कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति करेगा और इसे आगामी वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा।

तट रक्षकों द्वारा थाईलैंड की मछली पकड़ने वाली नौका का पकड़ा जाना

12. श्री ए. नरेन्द्र : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तटरक्षकों ने, भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में गैर कानूनी रूप से मछली पकड़ने पर थाईलैंड की एक मछली पकड़ने वाली नौका को भारत-थाईलैंड अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के भीतर पकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(ग) भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) तटरक्षक पोत गंगा देवी ने अनन्य आर्थिक क्षेत्र में गश्त करते हुए, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में स्थित कारनिकोबार के निकट कीटिंग प्वाइंट से 45 समुद्री मील की दूरी पर भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में गैरकानूनी रूप से मछली पकड़ने के कार्य में लगे थाईलैंड के मछली पकड़ने वाले एक जलयान को दिनांक 11.1.2000 को 16.40 बजे पकड़ा। यह अनन्य आर्थिक क्षेत्र में 115 समुद्री मील भीतर था चालक-दल और पकड़ी गई मछलियों सहित यह जलयान पोर्ट ब्लेयर स्थित स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

(ग) तटरक्षक और भारतीय नौसेना भारत के सामुद्रिक क्षेत्र में रोजमर्रा की निगरानी के तौर पर नियमित रूप से गश्त लगाते हैं। हमारे अनन्य आर्थिक क्षेत्र का अतिक्रमण करते पाए गए संदिग्ध विदेशी ट्रॉलर या जलयान को गिरफ्तार करके निकटतम बंदरगाह पर ले जाया जाता है और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए उन्हें निकटतम पुलिस प्राधिकारियों के हवाले किया जाता है।

कन्नूर हवाई अड्डे के संबंध में केरल सरकार से रिपोर्ट

13. श्री टी. गोविन्दन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कन्नूर, केरल से विमान सेवाएं शुरू करने के संबंध में केरल सरकार से तकनीकी और वित्तीय सुविधा संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान विमानपत्तन नीति के अनुसार, किसी विद्यमान विमानपत्तन के 150 किलोमीटर के दायरे के अन्दर एक ग्रीनफील्ड विमानपत्तन के निर्माण की अनुमति नहीं है। कन्नूर कालीकट से केवल 60 किलोमीटर की दूरी पर है। कालीकट के इतने नजदीक कोई अन्य विमानपत्तन वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं हैं तथा इससे अन्य विमानपत्तनों की अर्थ-व्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ेगा।

[हिन्दी]

एअर इंडिया द्वारा किराए में छूट

14. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया खाड़ी देशों की एयरलाइनों द्वारा दी जा रही भारी रियायतों की वजह से गहरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या एअर इंडिया की विचार विमान किराए में ऐसी ही रियायतें देने का है; और

(ग) यदि हां, तो विमान यात्रा करने वाले यात्रियों को दी जाने वाली संभावित रियायतों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) कुछ गल्फ कैरियर्स द्वारा भारी छूट दी जाने के परिणामस्वरूप एअर इंडिया की आय प्रभावित हुई है उसे भी छूट किरायों को समनुरूप बनाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है।

[अनुवाद]

फर्रुखनगर-दिल्ली सेक्शन पर रेल सेवा

15. डा. (श्रीमती) सुधा यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार फर्रुखनगर-गढ़ी हरसरू-दिल्ली सेक्शन में रेलगाड़ियों की जोड़ी के संबंध में यथास्थिति बहाल करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस खंड में 1993 तक विद्यमान रेल सेवाओं का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी नहीं। दिल्ली-रिवाड़ी खंड पर दो मीटर लाइनों में से एक का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन कर दिया गया है और दिल्ली सराय रोहिला में मीटर लाइन क्षमता और मीटर लाइन की अनुरक्षण सुविधाओं की अनुवर्ती कटौती के कारण यथास्थिति को बहाल नहीं किया जा सकता।

(ग) 1993 तक निम्नलिखित गाड़ियां उपलब्ध थी:-

1. 1डी एफ/2डी एफ सदर बाजार-फर्रुखनगर पैसेंजर
2. (क) 3डी एफ सदर बाजार-फर्रुखनगर (शनिवार को छोड़कर)

   (ख) ए3डी एफ सदर बाजार-फर्रुखनगर पैसेंजर (शनिवार को)
3. 4डी एफ सदर बाजार-फर्रुखनगर पैसेंजर
4. 6डी एफ सदर बाजार-फर्रुखनगर पैसेंजर
5. 1जी एफ गढ़ी हरसरू-फर्रुखनगर पैसेंजर

[हिन्दी]

बिहार में जवाहर रोजगार योजना के तहत धन का उपयोग न किया जाना

16. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने बिहार में जवाहर रोजगार योजना का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या यह पता चला है कि कुछ ग्राम पंचायतों ने जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उन्हें उपलब्ध कराए गए धन का उपयोग नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने 1992 में जवाहर रोजगार योजना पर एक शीघ्र अध्ययन करवाया था जिसमें बिहार को भी शामिल किया गया था।

(ख) से (घ) बिहार में पूर्णिया एवं सीवान जिलों को नमूने के रूप में शामिल किया गया था जिसमें प्रत्येक जिले की दो ग्राम पंचायत सम्मिलित थीं। अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान क्रमश: 4.06 लाख रुपये 13.61 लाख रुपये तथा 7.58 लाख रुपये उपयोग किए गए जबकि नमूनेवाले ग्राम पंचायतों के लिए इन वर्षों के दौरान कुल उपलब्ध निधि क्रमश: 8.20 लाख रुपये 16.99 लाख रुपये तथा 8.56 लाख रुपये की थी। इन ग्राम पंचायतों में सृजित रोजगार (श्रमदिन हजार में) वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान क्रमश: 17.52, 39.78 एवं 14.72 थे जो लक्ष्य से बहुत ज्यादा थे। जवाहर रोजगार योजना को 1.4.99 से सुप्रवाही, पुनर्गठित किया गया है तथा इसका नया नाम जवाहर ग्राम समृद्धि योजना रखा गया है। मंत्रालय द्वारा एक क्षेत्र अधिकारी योजना शुरू की गई है जिसके तहत मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को किसी खास राज्य/राज्यों के लिए क्षेत्र अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे आबंटित राज्यों का एक तिमाही में कम से कम एक बार दौरा करेंगे तथा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना समेत विभिन्न योजनाओं के संबंध में अपनी रिपोर्ट दें। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निष्पादन की समीक्षा के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रभारी राज्य सचिवों के साथ समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। जुलाई, 1999 से ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक निष्पादन समीक्षा समिति गठित की गई है जो योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभावी निष्पादन की मॉनिटरिंग के लिए विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र की केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के निष्पादन की तिमाही आधार पर समीक्षा करेगी। इस मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के निरीक्षण के लिए गठित खंड, जिला, तथा राज्य स्तर की निगरानी तथा सतर्कता समितियों द्वारा जवाहर ग्राम

समृद्धि योजना के अंतर्गत आने वाले कार्यों की भी निगरानी की जाएगी। कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य मुख्यालयों में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की देख-रेख करने वाले अधिकारियों द्वारा नियमित क्षेत्र निरीक्षण के माध्यम से वास्तविक निगरानी को आवश्यक बनाया गया है। कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में यह भी प्रावधान किया गया है कि कार्यक्रम के प्रत्येक कार्य के कार्यान्वयन के निरीक्षण, पर्यवेक्षण तथा निगरानी के लिए ग्राम सभा की एक सतर्कता समिति नियुक्त करे। ग्राम सभा द्वारा योजना के कार्यों की सामाजिक लेखापरीक्षा का भी प्रावधान है।

[अनुवाद]

रेल पटरियों में टूट-फूट का पता लगाना

17. श्री एम.के. सुब्बा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे टूटी-फूटी रेल पटरियों से भरी पड़ी है और ये पटरियां तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ियों के लिए उपयुक्त नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इससे पहले कि रेल पटरियों में टूट-फूट चलती रेलगाड़ियों के लिए खतरा पैदा करें, उनका पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में प्रति 100 किलोमीटर रेल पटरी पर टूट-फूट के कितने मामलों का पता लगाया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1.4.1999 से 31.1.2000 की अवधि के दौरान 3951 कि.मी. के रेलपथ पर पटरी और झलाई की 221 दरारें हैं जो प्रति 100 कि.मी. पर 5.593 दरारें बनती है।

राउरकेला से भुवनेश्वर और कलकत्ता तक हवाई सेवाएं

18. श्री अनन्त नायक : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास सिलुसुआन (क्योंझर) होकर राउरकेला-कलकत्ता और राउरकेला-भुवनेश्वर मार्ग पर प्रतिदिन हवाई सेवाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रतिदिन कौन-कौन सी विमान सेवाओं को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) विमान कंपनियां अपने वाणिज्यिक विवेकानुसार किन्हीं मार्गों पर प्रचालन करने हेतु स्वतंत्र हैं बशर्ते वे उन मार्ग संवितरण मार्गदर्शी-सिद्धांतों का अनुपालन करे जिनके अनुसार मार्गों की विशिष्ट श्रेणी में कतिपय न्यूनतम प्रचालन संबंधी व्यवस्था की गई है।

रूस से घटिया किस्म के लड़ाकू जेट विमानों की खरीद

19. श्री अनादि साहू : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 1985-90 के बीच रूस से घटिया किस्म के लड़ाकू जेट विमानों की खरीद की गई;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई विस्तृत जांच करवाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है;

(घ) क्या इन घटिया किस्म के विमानों की खरीद करने की वजह से रक्षा संबंधी तैयारी में काफी उथल-पुथल हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निवारक कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नांन्डीज): (क) 1985-90 के बीच रूस से खरीदे गए लड़ाकू विमान घटिया किस्म के नहीं हैं बल्कि भारतीय वायु सेना की अग्रिम पंक्ति के विमान हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

रेलवे द्वारा मुम्बई में प्रदर्शनी का आयोजन

20. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल-प्राधिकारियों ने मुम्बईस्थ पश्चिम रेलवे मुख्यालय की सौवीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक प्रदर्शनी "सैटेनेरी ओडेसी" आयोजित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना खर्च आने का अनुमान है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) पश्चिम रेल प्रशासन ने 28.12.1999 से 10.1.2000 तक मुंबई में चर्चगेट स्थित पश्चिम रेलवे के मुख्यालय इमारत की मौवीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह के एक भाग के रूप में "सेटेनेरी ओडेसी 2000", प्रदर्शनी का आयोजन करने की योजना बनाई थी। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य संरक्षा यात्री सुविधा और मुंबई उपनगरीय सेवाओं पर विशेष जोर देने सहित रेल संचालन की विशेषताओं की ओर विशेष ध्यान दिलाना था। इस प्रदर्शनी के लिए रेलों की ओर से किसी प्रकार की वित्तीय वचनबद्धता के बिना इसे पूर्णत: प्रायोजित कराए जाने की योजना थी। बहरहाल, प्रायोजक एजेंसियों की अपनी कठिनाईयों के कारण इस प्रदर्शनी को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है।

सैन्य अभ्यास

21. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आज की स्थिति के अनुसार किसी दूसरे देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निकट भविष्य के लिए प्रस्तावित अन्य संयुक्त सैन्य अभ्यासों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) संयुक्त अभ्यास, जोकि नेमी प्रकृति के होते हैं, के कार्यक्रम भारतीय नौसेना द्वारा निम्न प्रकार से बनाए गए हैं:-

(1) 28/29 फरवरी 2000 को पश्चिमी तट के अपतटीय क्षेत्र में तीन फ्रांसीसी नौसेना जलपोतों के साथ,

(2) 6 मार्च 200 को पूर्वी तट के अपतटीय क्षेत्र में तीन फ्रांसीसी नौसेना जलपोतों के साथ,

(3) 28 फरवरी से 9 मार्च, 2000 तक अण्डमान समुद्र में चार सिंगापुरी नौसेना जलपोतों के साथ।

"कपार्ट" के माध्यम से बिहार में स्वैच्छिक संगठनों को दी गई सहायता

22. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान "कपार्ट" के माध्यम से बिहार में अनेक स्वैच्छिक संगठनों को सहायता उपलब्ध करायी गई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार और संगठन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक किस सीमा तक कपार्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हुई है; और

(घ) "कपार्ट" योजना के अन्तर्गत कितने महिला संगठन लाभान्वित हुए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दरलाल पटवा): (क) जी, हां।

(ख) बिहार के स्वैच्छिक संगठनों के नाम और पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान कपार्ट द्वारा उनको स्वीकृत की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कपार्ट द्वारा बिहार के जिन 307 स्वैच्छिक संगठनों को सहायता दी गई उनमें से 16 स्वैच्छिक संगठनों ने 16 परियोजनाएं पूरी कर ली हैं और शेष कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्था में हैं।

(घ) महिला संगठनों के संबंध में कपार्ट अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखता है।

विवरण

बिहार (1996-97)

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम	स्वीकृत राशि (रु.)
1	2	3
1.	ग्रामीण औद्योगिक विकास संस्थान दबन बिगहा रोड, मधुपुर, देवघर	2,46,750
2.	बिहार शिशु नारी कल्याण संघ रोड न. 14, पूरब अशोक नगर, कंकड़बाग, पटना	3,37,050

1	2	3
3.	भारतीय सेवा सदन, नारी निकेतन, अबुंलास लेन, मछुआटोली, पटना	4,28,475
4.	समग्र विकास आंत्योदय सेवा केन्द्र गांव-नीरपुरा, पो.-राजगीर, नालंदा	2,70,900
5.	विद्या श्री निकेतन गांव-मिथिला कालोनी, पो.-बाटागंज, पटना-18	3,36,175
6.	सुलभ पर्यावरण एवं जल संस्थान एम.आई.जी.एच.-35. ककंड़बाग कालोनी, पटना	6,77,750
7.	महिला सूची शिल्प कला मंदिर एवं कल्याण संस्थान, बंगाली पाडा, नालंदा	76,650
8.	विशाल सेवा सदन बक्शी मुहल्ला-खाजीकला, पटना	60,087
9.	रांची जिला बनबासी खादी ग्रामोद्योग विकास संस्थान आर्यापुरी, रातू रोड, पो.-रांची	2,02,400
10.	श्री त्रिदंद देव सेवा आश्रम औरंगाबाद	2,28,966
11.	फ्रांटलिनर इन फ्रांट ऑफ पाटलीपुत्र एच.एस. जगतनारायण रोड, कदम कुआं, पटना	2,02,400
12.	बिहार जन कल्याण परिषद, शाहगंज नगर रोड, महेन्द्र-800006, पटना	2,02,400
13.	महिला हरिजन पिछड़ा वर्ग उत्थान समिति गांव व पो.-मझौली, पचदाबी, वाया सिलौप्ट मुज्जफरपुर	2,42,880
14.	चंपारण विकास लोक गांव व पो.-छायैत, पूर्वी चंपारण	2,02,400
15.	इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस गांव व पो.-महंत नानीआरी, वाया सिलौट मुज्जफरपुर	2,02,400
16.	श्री राम कृपाल शिक्षण एवं सांस्कृतिक मंदिर, गांव-बिजालपुरा पो.-लोहा, मधुबनी	1,01,200
17.	सूत्र धार सैदपुर, खगौल, पटना	2,02,400
18.	ग्राम प्रौद्योगिकी विकास संस्थान चिरैयाटांड, पटना	1,01,200
19.	रामवती प्रशिक्षण केन्द्र गांव व पो.-खैरा, जमुई	1,01,200
20.	सेवा भारती सेवापुरी भागलपुर, सेवापुरी, पो. बौंसी, बैंक	1,01,200
21.	संयुक्त समाज सेवा आश्रयहीन अनाथालय, घासीयारी टोला (रिषीपुर) पो.-बेगमपुर, पटना-9, पटना	96,140
22.	बख्तियारपुर खादी ग्रामोद्योग संस्थान गांव व पो.-सलीमपुर वाया, खुसरूपुर, पटना	1,12,585
23.	ओम महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ब्रह्मपुरी थाना चौक, पो.-मुज्जफरपुर	1,01,200
24.	राम पुकार पशुपति संगीत साहित्य खेल संध्या, प्रभुनाथ नगर कालोनी, पो.-टारी छपरा, सारण	1,01,200
25.	रूकमणि प्रशिक्षण सेवा संस्थान गांव व पो.-बकतपुर वाया मोतीपुर, अंचद कांती, मुज्जफरपुर	1,02,200
26.	पुस्तकालय सेवा संस्थान श्री नंदन पथ, छपरा, सारण	2,02,400
27.	कर्रा सोसायटी फॉर रूरल एक्शन अनीस मेंशन, तीसरा तल, पी.बी. न.-231, मेन रोड, रांची	2,02,400
28.	जनहित विकास परिषद गांव-कल्याणपुर, पो.-फतुहा, पटना	2,02,400
29.	गोदावरी महिला प्रशिक्षण केन्द्र गांव व पो. पुरानी बाढ़, पटना	2,02,400

1	2	3
30.	भारतीय बढ़ीजन आदिवासी विकास प्रशिक्षण, गांव व पो.-दनिबा, पटना	1,11,826
31.	नंदनी महिला समाज कल्याण वनमंखी, पुर्णिया	1,20,174
32.	समाज कल्याण सेवा, निकेतन, जवाहर लाल रोड, मुज्जफरपुर	1,01,200
33.	दीपा देवी मानव कल्याण संस्थान अजय भवन महादेवा, सीवान	1,02,200
34.	नवयुवक समाज कल्याण समिति, गांव व पो.-संग्रामपुर, मुंगेर	1,10,687
35.	बिहार जन विकास मंच 113/70 बी लाल बहादुर शास्त्रीनगर, पटना	3,12,960
36.	जन कल्याण समिति, गांव-लखीरी विद्या नगर, पालिका रोड, पो.-खगौल दानापुर, पटना	2,02,400
37.	सर्वोदय वाहिनी प्रतिष्ठान करबिगहिया, जी.पी.ओ., पटना, पटना	1,01,200
38.	सर्वोदय समाज मंडल तरीयौती बजीदपुर मैगाछी, दरभंगा	1,51,800
39.	महिला शिल्पी प्रशिक्षण संस्थान गांव सुमाहाटी, पो.-सलेमपुर, शिवहर	1,01,200
40.	बहुद्देशीय प्रविधि संस्थान गांव व पो.-कारीपुर सराय, नालंदा	1,01,200
41.	जयप्रकाश सेवा संस्थान गांव व पो.-मसौढ़ी मेन रोड, पटना	1,01,200
42.	चेतना, कालेज रोज, पो.-मधुपुर, देवघर	2,02,400
43.	नेशनल हेल्प कमिटि, बांका	2,02,400
44.	मिथिला संस्कृत संघ गांव व पो.-झांझरपुर बाजार, मधुबनी	1,58,200
45.	महेश्वरी ग्रामीण विकास कल्याण समिति गांव व पो.-परजुआर भाया, कोलुआबी, मधुबनी	1,07,750
46.	शकर होजियरी एंड गारमेंट सी/6, शेड औद्योगिक क्षेत्र, बक्सर	2,85,667
47.	साइंटिफिक एजुकेशनल प्रमोशन एंड ऐड फाउंडेशन 1- नीति बाग, पटना	
48.	बिहार ग्रामीण विकास संस्थान फतुहा, पटना	27,500
49.	सतलोक सेवा आश्रम, मधुबनी	27,500
50.	वैशाली ग्रामोद्योग संस्थान, वैशाली	27,500
51.	चेतना विकास परिषद, समस्तीपुर	27,500
52.	दरोगा प्रसाद राय महिला प्रशिक्षण एवं औद्योगिक केन्द्र सुथीहार, नवादा, पो.-सुतीहार, सारण	27,500
53.	ग्रामीण महिला विकास केन्द्र गांव व पो.-हरनौत, नालंदा	27,500
54.	पंडित श्री राम शर्मा सेवा संस्थान गांव रसूलपुर, पो.-हथुआ, गोपालंगज	27,500
55.	साहेबगंज प्रखंड समग्र विकास परियोजना गांव साहेबगंज, पो.-कुरमुव, मुज्जफरपुर	27,500
56.	जय प्रभा समाज कल्याण संस्थान मानपुर, पो.-जूनियर, वाया एकंगरसराय, नालंदा	27,500
57.	विकास भारती, मालवीय नगर, नागादेवा, सीवान	27,500
58.	संजय गांधी पंच सूत्री अनाथ शिशु सामाजिक संघ गांव व पो.-अमरपुर, बांका	27,500
59.	तिलौथू रूरल अपलिफ्ट क्लक गाव व पो.-तिलौथू, रोहतास	27,500
60.	ग्रामीण बाल महिला प्रशिक्षण संस्थान पो.-चांदी, नालंदा	27,500
61.	मगध शिल्प कला केन्द्र नालंदा	27,500

1	2	3
62.	आदर्श प्रगतिशील शिशी निकेतन व महिला शिल्प राज अबू पटना, पटना	27,500
63.	महीउद्दीन नगर प्रखंड खादी ग्रामोद्योग विकास मानट्रीयर भवन, काशीपुर, समस्तीपुर	3,02,728
64.	माल्ती महिला शिशू कल्याण संस्थान, पटना	2,76,600
65.	बापू बाल महिला विकास केन्द्र बोरिंग केनाल रोड, नियर-ललीता होटल पटना	3,20,000
66.	महिला शिशु केन्द्र नई बाजार-842001, मुज्जफरपुर	2,66,000
67.	पर्यावरण संरक्षण संस्थान पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड, पटना	3,46,000
68.	ग्रामीण विकास संस्थान गांव-हसनपुर, पो.-शाहजहांपुर, फतुहा, पटना	57,120
69.	रचनात्मक सेवा समिति बिरसा आदिवासी कालोनी, गुलजारबाग, पटना	3,27,250
70.	भारतीय जन कल्याण सेवा समिति गांव-मुगल कुआं, बिहार शरीफ, सोहसराय, नालंदा	75,000
71.	छोटानागपुर विकास केन्द्र बरकाठा, हजारीबाग	25,000
72.	पटना विकास संस्थान श्रीकृष्णा नगर, पटना	25,000
73.	पर्वतीय दुर्गम शिक्षा विकास रांची कोर्ट, रांची	25,000
74.	भारती सेवा सदन श्रीनिकेतन, अबुलास लेन, मछुआ टोली, पटना	2,00,000
75.	ग्राम स्वराज आश्रम लोक यात्रा धाम, धमोली, नालंदा	2,00,000
76.	नव भारत जागृति केन्द्र बेहरा, वृंदावन, चंपारण, हजारीबाग	25,000
77.	जनहित विकास समिति हरिशचन्द्र स्टेडियम रोड, नवादा	25,000
78.	भारतीय जनोत्थान परिषद गांव व पो.-कमरूद्दीनगंज, नालंदा	25,000
79.	ग्रामीण विकास परिषद कासटेअर टाऊन, देवघर	2,00,000
80.	अखिल भारतीय लोकतांत्रिक संस्थान मीर बिगहा, चकवा, नवादा	25,000
81.	हरिजन महिला अवाम बाल विकास संस्थान साही निकेतन, जनकपुर रोड, सीतामढ़ी	50,000
82.	परोपकार लोक विकास संस्थान, नवादा	50,000
83.	ग्रामीण सेवा, मधुबनी	10,69,829
84.	सोसायटी फॉर रूरल इंडस्ट्रीलाइजेशन, रांची	23,76,060
85.	बाल एवं महिला ग्रामीण विकास संस्थान, वैशाली	4,19,920
86.	बिहार रिलीफ कमिटि, पटना	12,41,730
87.	ग्रामोदोया, पटना	5,02,040
88.	हरिजन सेवा समिति, नालंदा	5,92,126
89.	पर्यावरण संरक्षण संस्थान, पटना	9,93,300
90.	संथाल परगना ग्राम रचना संस्थान, संथाल परगना	5,24,680
91.	यूथ मोबाइलेशन फॉर नेशनल एडवासमेंट देवघर	15,67,000
92.	हरिजन महिला एवं बाल विकास संस्थान शाही निकेतन, जनकपुर रोड, पुपरी, जिला-सीतामढ़ी	3,56,619
93.	ग्राम भारती जमुई	10,12,000
94.	घोगरडोहा प्रखंड स्वराज विकास संघ, मधुबनी	8,24,780

1	2	3
95.	स्वावलंबन शिक्षा केन्द्र पश्चिम सिंहभूम	5,15,000
96.	दरभंगा जिला खादी ग्रामोद्योग संघ दरभंगा	3,97,250
97.	सर्वोदय आश्रम, मदचक, भागलपुर	37,500
98.	शिल्प उद्योग शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान हहियावान, सारण	2,02,400
99.	समन्वय तीर्थ, रानीगंज गया	55,000
100.	हरिजन आदिवासी कल्याण परिषद, रांची	27,500
	कुल	2,46,09,654

बिहार (1997-98)

1	2	3
1.	नवजागरण संघ कुतुब चेक, गांव कुतुब चेक, पो.आ. रामजनपुर, बारबीघा सेखपुरा, मुंगेर	1,44,900
2.	महिला कला केंद्र नजदीक ललिता होटल, पुराई चाक, पटना	3,18,000
3.	जनयोदाई विकास परिषद् लखीबाग बुनियादगंज, गया	2,75,625
4.	भारतीय मानव विकास सेवा संस्थान शहीद आश्रम रोड, देवघर	2,13,000
5.	पहल स्थान/पो.आ. कोअलवार, भोजपुर	2,27,495
6.	ग्रामीण विकास समिति स्थान/पो.आ. सिलर, औरंगाबाद	2,62,500
7.	श्री अमर शंकर कल्याण केंद्र स्थान/पो.आ. जैनमोर, भुचुंग दिह रोड, बोकारो	4,50,450
8.	धनराज महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र राष्ट्रीय गंज, फुलवाड़ी शरीफ, पटना	2,21,374
9.	समन्वय तीर्थ प्रभावती ग्राम (पांडबीघा, पी.ओ. रानीगंज, गया	2,02,400
10.	वैशाली शान्ती कल्याण संस्थान एस.डी.ओ. रोड, हाजीपुर, वैशाली	1,20,175
11.	अंतयोद्या सेवा संस्थान गांव शोकपुरा, पो.आ. बद्रावली, वाया हरनोट, नालंदा	3,40,000
12.	गीतांजलि हरिजन महिला विकास समिति जी.बी. लेन, मुंडीचौक भागलपुर	1,10,687
13.	अखिल भारतीय हरिजन आदिवासी विकास संघ गांव खोरमपुर, पो.आ. हिल्सा, नालंदा	1,10,687
14.	वसुंधरा सेवा संस्थान भगवानपुर छत्ती कुरहानी, मुजफ्फरपुर	1,10,687
15.	बहुमुखी विकास सेवा आश्रम गांव और पो.आ. साईन, पी.एस. खांती, मुजफ्फरपुर	1,10,687
16.	ज्ञान सागर छोटा बरियारपुर सर्वोदय नगर, हवाई अड्डा, मोतीहरी, मोतीहरी	1,10,687
17.	सुलभ संस्थान नार्थ मोनदिरी, पटना	1,20,174
18.	सर्वोदय ग्रामीण कुटीर उद्योग विकास समिति, वीवीपुर पो.आ. सरसी पालीगंज, पटना	1,01,200
19.	मधु महिला शिल्पकला केन्द्र गांव डकोना बाजार, नावादा	1,20,174
20.	समाज कल्याण परिषद गंगा महल फ्लेट नं. 2, नार्थ मंदिर, पटना	1,01,200
21.	सेवा मानव विकास परिषद गांव मनुआ पो.आ. इस्माइलपुर, वैशाली	1,08,790

1	2	3
22.	मसौधी समाग्रह महिला विकास समिति गांव और पो.आ. नंदनमा, लखीसराई	1,10,687
23.	महिला विकास समिति गांव दातापुरी, बसंतपुर पत्ती, मुजफ्फरपुर	1,10,687
24.	आर्थिक आत्म निवभर्ता सामाजिक विकास अभिकरण स्वामी साहजनंद स्मारक भवन, विद्यापीठ मार्ग, पटना	1,04,944
25.	अभ्युथान समाज कल्याण समिति स्थान और पो.आ. रासीयारी ब्लाक, घनश्यामपुर दरभंगा	1,20,174
26.	मगध लोक कल्याण परिषद् हवानपुरा पो.आ. भंडारी, नालंदा	1,01,200
27.	राजेन्द्र सेवा संस्थान सारहंचिया निवास बाल्घाट, मुजफ्फरपुर	1,01,200
28.	मगध विकास लोक स्थान और पा.आ. कासूट वाया मासौही, पटना	2,17,580
29.	ज्ञान सरोवर इवाम् शिशी कल्याण केंद्र गांव मधोपुर पो.आ. थाहर, वाया रुनिसाइदपुर, सीतामारही	1,06,891
30.	संजय गांधी पंच सूत्री अनाथ शिशु सामाजिक गांव और पो.आ., अमरपुर, बंका	1,20,174
31.	अम्बेडकर विकास परिषद रविन्द्र पथ गुड्देओ ताला, मोकामा, पटना	1,20,174
32.	भूमिहीन किसान मजदूर सेवा संस्थान मुशाहरी, मुजफ्फरपुर	1,01,200
33.	ग्राम नियोजन केन्द्र गांव बस्ती पो.ओ. हरनोट, नालंदा	1,01,200
34.	कौशिक समाग्राह ग्रामीण विकास संस्थान झुंठी पो.आर. कारपी, जहानाबाद	1,20,174
35.	जन चेतना केन्द्र गांव खामपुर, पो.आ. खानपुर, सारन	1,01,200
36.	प्रभात विकास मंडल गांव सोनबरसा दीह पो.आ. सोनबारसादी, मुजफ्फरपुर	1,01,200
37.	मिथिला सेवा समिति नवातली पो.आ. मधुबनी, मधुबनी	1,20,874
38.	रूरल डिव. सोसाइटी गांव और पो.आ. अमनौर सुल्तान (जाने) चपरा, सरन	1,10,687
39.	नव बिहार ग्रामीण विकास समिति गांव सराय बीगाहा, पो.आ. केशोपुर, नालंदा	2,02,400
40.	अजाज़ खान मुस्लिम एजुकेशन एंड वेल्फेयर सोसाइटी, आगारावारा मोतीहर, ईस्ट चम्पारन	1,01,200
41.	सोना महिला प्रशिक्षण संस्थान नानकीपुर गोरख फतूहा, पटना	1,20,174
42.	ग्राम सभा समिति गांव और पो.आ. मल्टी, नालंदा	1,10,687
43.	बिहार सामाजिक एवम् सांस्कृतिक सेवा केन्द्र गांव एवं पो.आ. लगमा रंभद्रापुर, वाया लोहना रोड, दरभंगा	1,10,687
44.	नालंदा सेवा संस्थान महलपुर, बिहार शरीफ, नालंदा	2,20,000
45.	समाज कल्याण संघ स्थान/पो.आ. सिंघीघाट, समस्तीपुर	2,20,000
46.	चतुर्भुज मेमोरियल विकास मंच स्थान बरवा, पो.आ. अरीराज, ईस्ट चम्पारन	2,20,000
47.	गंगा हेमलता महिला समाज कल्याण संस्थान गांव निघामा, पो.आ. श्रुति, घोघरदिहा, मधुबनी	2,20,000
48.	मातादीन महिला मनदाली राम नगर, मुजफ्फरपुर	1,95,800

1	2	3
49.	बाल महिला सेवा आश्रम स्थान झींकती, पो.आ. कीरमा, मुजफ्फरपुर	1,10,000
50.	कस्तूरबा सेवा केन्द्र गांव जगदिहा, पो.आ. सोन्धिहा, बंका	2,20,000
51.	पाटलिपुत्र विकास परिषद मोहरम मंजिल, चित्रगुप्त नगर वार्ड नं. 11, एरारिया	2,20,000
52.	बिहार हस्त करघा हस्त शिल्प टाटा रेशम उद्योगिक विकास संस्थान, मोमिन मंजिल, होसपिरल रोड, मधुबनी	2,20,000
53.	सरन खादी सिल्क उद्योग सोसाइटी रहीमपुर, सरन	1,10,000
54.	गौतम बुद्ध शिक्षण समिति स्थान/पो.आ. परशुराय, नालंदा	2,20,000
55.	सर्वोदय गांधी सेवा आश्रम स्थान सैयदा बाजार, पो.ओ. हिल्सा, नालंदा	2,20,000
56.	ग्राम कल्याण समिति पोखारिया, गिधा, मुजफ्फरपुर	1,73,800
57.	जन कल्याण विकास परिषद गांव दीह मझौली, पा.ओ. मझौली, पटना	2,20,000
58.	लोक प्रिया कल्याण संस्थान गांव/पो.आ. सारे, नालंदा	2,20,000
59.	श्री जगदम्बा महिला बाल निकेतन भूतनाथ आश्रम रोड, बहादुरपुर हाऊसिंग कालोनी, पटना	2,20,000
60.	वैशाली जन सेवा संस्थान स्थान प्रसिद्ध नगर, पो.आ. अमृतपुर, ब्लॉक वैशाली, वैशाली	2,20,000
61.	आलुआ आध्यात्मिक अनुसंधान केन्द्र स्थान/पो.आ. पौनी हसनपुर, वैशाली	2,20,000
62.	श्री नारायण समाज कल्याण केंद्र गांव लोकदीहरी, पो.आ. करूपइंद्राहियान रोहतास	2,20,000
63.	आशादीप महिला सेवा संस्थान पामपुकल रोड, पो.आ. नावादा, नावादा	2,20,000
64.	पिछड़ा वर्ग विकास संस्थान गांव साहपुर पत्ती, पो.आ. साहपुर, भोजपुर	2,20,000
65.	डा. अम्बेडकर स्मारक एवम् शोध संस्थान अलीनगर कालोनी, पो.आ. अनिसाबाद-80002, पटना	2,20,000
66.	ग्रामीण विकास एवम् समाज कल्याण समिति स्थान/पो.आ. शाहपुर, भोजपुर	2,20,000
67.	नालंदा जिला खादी ग्रामोद्योग संघ स्थान/पो.आ. बिहारशरीफ, नालंदा	2,20,000
68.	गौतम बुद्ध शैक्षणिक विकास संस्थान गांव/पो.आ. सिरदल्ला, नावादा	2,20,000
69.	मानव कल्याण संघ गांव बालामिचल, पो.आ. अनीशाबाद-800002, पटना	2,20,000
70.	भंगी मुक्ति संस्थान रोड नं. 6, ईस्ट पटेल नगर-800023	2,20,000
71.	ज्ञान दीप महिला सिलाई बुनाई कढ़ाई केंद्र, कचहरी रोड, नावादा	2,20,000
72.	हरिजन बहुमुखी विकास संस्थान स्थान रीवा दीह, पो.आ. रीवा, बसंतपुर, मुजफ्फरपुर	2,20,000
73.	सीवान जिला विकास संस्थान गांव/पो.आ. धनवती, सीवान	2,20,000
74.	आकाश गंगा ग्रामीण विकास संस्थान गांव लक्ष्मीपुर, पो.आ. गुरु बाजार, कटिहार	1,10,000
75.	अल-हेलाल एजुकेशन ट्रस्ट के.मे.आई.बी. स्ट्रीट, टिंकोठिया, पक्कीसराई, मुजफ्फरपुर	1,10,000

1	2	3
76.	बिहार मुस्लिम अल्पसंख्यक हरिजन विकास परिषद मालीघाट, खंडौली दीह, संस्कृति कालेज रोड, मुजफ्फरपुर	2,20,000
77.	बिहार अल्पसंख्यक पहाड़ी आदिवासी हरिजन कल्याण परिषद, स्थान/पो.आ. नरबिया बाजार, लौकाही, मधुबनी	2,20,000
78.	मुन्शी प्रेमचंद विकास एवम् अध्ययन संस्थान बाबू साहिब कालोनी, पो.आ. लाहेरीआसराई, दरभंगा	2,20,000
79.	यशोदा ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान गांव लीबा बनवारिया, पो.आ. चंदोरिया, गिरदीह	2,20,000
80.	हरिजन महिला एवम् बाल विकास संस्थान शाही निकेतन, पुपारी, जनकपुर रोड, सीतामढ़ी	4,40,000
81.	जिला समाग्राह विकास संस्थान गांव/पो.आ. बनुछपरा, वेस्ट चम्पारन	1,10,687
82.	अखिल ग्रामीण युवा विकास समिति मनी फुलखान, पो.आ. राकन कान्ती, मुजफ्फरपुर	2,11,887
83.	मगध ग्राम सवोथान संस्थान गांव कानियावान, पो.आ. भाथू थरथानी, नालंदा	1,01,200
84.	ग्रामोद्योग खादी विकास सेवा संस्थान गांव घोसवारी, पो.ओ. धनकडोट, पटना	1,10,000
85.	आधारशिला ग्रामीण विकास संस्थान कैलाशपुरी, हनुमान नगर, पटना-20	1,05,600
86.	गौत्तम बुद्ध शैक्षिक तथा समाज सेवा संघ गांव बेला पो.आ. रतनपुरबेलो, समस्तीपुर	1,10,000
87.	डा. भीम राव अम्बेडकर कल्याण समिति गांव कीर्तनपुर, पो.आ. भगवानपुर वैशाली	1,10,000
88.	भारतीय जन मंच गांव चकबंटानी, वाया सराय, वैशाली	1,10,000
89.	पुष्पा सेवा संस्थान खिरौना, पो.आ. राचूर, नालंदा	1,10,000
90.	विद्यावती महिला कल्याण केन्द्र गांव पो.आ. पारसागोपी, साहिबगंज, मुजफ्फरपुर	1,10,000
91.	सेवा भारती श्री अवधेश सिंह भवन, संजय गांधी निर्गम रोड नं. 2, पो.आ. लोहियानगर, पटना	1,10,000
92.	नारी कल्याण सेवा संघ मसूमपुर कुरथा, फतुहा, पटना	1,10,000
93.	रितुरार हरिजन महिला एवं बाल विकास संस्थान गांव/डाक बसंतपुर पट्टी, मुज्जफरपुर	1,10,000
94.	महिला शिल्प कला केन्द्र गांव/पो.आ. सयाल, हजारीबाग	1,10,000
95.	राजेन्द्र आश्रम वार्ड नं. 28, कटीहार	1,10,000
96.	21 सेन्चूरी रूरल डवलेपमेंट इन्स्टीट्यूट गांव/डाक सुखेल, वाया झाझरपुर, मधुबनी	1,10,000
97.	लक्ष्मी महिला विकास संस्थान गांव भागोई तोला, डाक मथुरापुर, खागरिया	1,10,000
98.	अमयोध्या जन कल्याण प्रतिष्ठान डाक राजगीर, एम.ओ. गंजपुर, नालंदा	1,10,000
99.	ग्रामीण विकास के पट्टी डाक बारागांव, प. चम्पारन	1,10,000
100.	स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य संस्थान पाखांहा बाजार, प. चम्पारन	1,10,000
101.	बिहार ग्रामीण महिला कल्याण परिषद् गांव फतेहपुर, डाक सुहादनगर, बेगुसराय	1,10,000

1	2	3
102.	त्रिगुन सेवा संस्थान गांव/डाक ककरहाट, सारन	1,10,000
103.	नारी शिल्प कला केन्द्र गांव गरियापार, डाक चांदी, नालंदा	1,10,000
104.	लोक सेवा समिति गांव धमौली, डाक बेना, नालंदा	1,64,930
105.	विश्व मानव सेवा संस्थान गांव झाकरा टैंक, डाक रातु, रांची	2,69,750
106.	ग्रामीण बाल वनीता विकास निकेतन कोरिलियन, वाया हिल्सा, नालंदा	27,500
107.	दाउद नगर ओर्ग्रेनाइजर फार रूरल डवलपमेंट बीडी मस्जिद, ओल्ड टाउन, दाउदनगर, औरंगाबाद	27,500
108.	ग्रामीण मार्गदर्शन केन्द्र, गांव/डाक जालपा (दादरी) मूंगेर	27,500
109.	परिबेस मुक्ती संघ डाक निगदीह, वाया चांदिल, प. सिंहभूम	27,500
110.	गौतम बुध हरिजन आदिवासी पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति एन-38/1, प्रो. कालोनी, कंकरबाग, पटना	27,500
111.	आर्य समाज शिक्षा विकास परिषद शाहुगढ़ निवास, मधेपूरा-5, मधेपूरा	27,500
112.	नेशनल मल्टीपर्पज डवलपमेंट सोसायटी रामा निवास, इंद्रा पथ, शुक्का कालोनी, डाक हिन्दु, रांची	27,500
113.	ग्राम प्रौद्योगिकी विकास संस्थान पृथ्वीपुर पहली लेन, चिरायातर, पटना	27,500
114.	प्रमीला ग्रामीण महिला विकास संस्थान गांव करमाली चाक, डाक बेगमपुर, पटना	27,500
115.	राम ताहाल सिंह जन चेतना	27,500
116.	इण्डियन इन्सटीट्यूट आफ इन्डस्ट्रीयल डवलपमेंट पटना, राष्ट्रीयगंज, पटना	
117.	जनता कराह कल्याण समाज कमरूद्दीनगंज, बिहार शरीफ, नालंदा	27,500
118.	विश्व भारती जन उत्थान केन्द्र गांव/डाक बेना, कमरूद्दीनगंज, बिहार शरीफ, नालंदा	27,500
119.	अल कदर एजूकेशनल ट्रस्ट गांव मुरली, डाक पचपकरी, वाया ढाका, पू. चम्पारन	27,500
120.	शहीद भगत सिंह क्लब गांव/डाक कन्हौली, महुआ, वैशाली	
121.	विकल्प महिला विकास संघ शेरपुर, मोड़, वरीसालगंज, नावादा	27,500
122.	हरिजन आदिवासी कल्याण परिषद् स्ट्रीट अपोजिट छुटिया, पुलिस स्टेशन, स्थान गोसाई, डाक छुटिया, रांची	27,500
123.	समग्र सेवा केन्द्र स्थान/डाकघर बरचाटी, गया	27,500
124.	ग्राम विकास संघ गांव/डाकघर-करसी पारसराय, नालंदा	27,500
125.	ग्राम निर्माण परिषद गांव खारवा, डाकघर-सिरखारिया, वाया- तुलापती बाजार, मधुबनी	27,500
126.	आधारशिला ग्रामीण विकास संस्थान पंजाबी कालोनी, चितकोहरा, पटना सदर, पटना	27,500
127.	मिथिला सेवा सदन गारोयर ठाकुर टोली डाकघर-पुसा, समस्तीपुर	27,500
128.	राज लक्ष्मी राष्ट्र सेवा संस्थान कीर्तन भवन रोड़, मधुबनी	27,500

1	2	3
129.	नालंदा विकास संस्थान नूर सराय, एच.ओ. नूर सराय, नालंदा	27,500
130.	ग्रामीण हरिजन महिला विकास संस्थान गांव व डाकघर रामपुर, भेरियाही, मुज्जफरपुर	27,500
131.	नारी कल्याण निकेतन तिलक नगर, बेगूसराय	27,500
132.	ग्रामोद्योग विकास ज्योति गोबिंदपुर, लक्षमण टोला, फुलवारी, सरीफ, पटना	27,500
133.	भारतीय जन कल्याण समिति गांव और डाकघर-कोनाड, नालंदा	27,500
134.	शहीद बछान स्मारक पुस्तकालय महादेवा, डाकघर-सिवान, सिवान	27,500
135.	भालभूम कृषक उमार्यन समिति बाहारगोरा, पूर्वी सिंहभूम	27,500
136.	विकलांग सर्वोदय संस्थान स्थान व डाकघर-महुआ, वाया-चिराया, पूर्वी चम्पारन	27,500
137.	भारतीय जन कल्याण परिषद एच.ओ. सलीमपुर अहरा, दमदली रोड, डाकघर कदम पटना	27,500
138.	महालक्ष्मी सिलाई बुनाई कटाई उद्योग चोऊभांडियर, बिहार सरीफ, नालंदा	27,500
139.	करपुरी ठाकुर ग्रामीण विकास संस्थान स्थान व डाकघर-पटना, जी.पी.ओ. देश रत्ना मार्ग, पटना	27,500
140.	सेंटर फार रूरल एडवांसमेंट गांव व डाकघर-शमशेर नगर, पी.एस. दाउद नगर, औरंगाबाद	27,500
141.	लोक चेतन अभिकर्म केन्द्र स्थान व डाकघर सारण, सारण	27,500
142.	भागलपुर विकलांग सेवा केन्द्र स्थान व डाक-अमरपुर, बांका	27,500
143.	अभियान रामकृष्णन कालोनी, संदलपुर; डाक महेन्द्रु, पटना	27,500
144.	अंजुमन उरदू हिन्दी साहित्य सुपोल टोली, सिवान	27,500
145.	आदर्श रहनूमा विकास संस्थान स्थान-यमुना पथ, डाक नवादा, नवादा	27,500
146.	दीन सेवा आश्रम गांव झुनाथी, डाक असारी, नवादा	27,500
147.	मिथला प्रभा जन कल्याण सेवा संस्थान गांव व डाक कोरथू, वाया बेनीपुर, दरभंगा	27,500
148.	ग्रामोदेश चेतना केन्द्र गांव बभारी, डाक चातरा, चात्रा	27,500
149.	सीता ग्रामोद्योग विकास संस्थान गांव/डाक उसारी बाजार, जहानाबाद	27,500
150.	जन कल्याण संस्थान कला मंच, पटना	27,500
151.	समग्र ग्राम विकास समिति गांव/डाक-बिंद, नालंदा	27,500
152.	स्वामी विवेकानंद अनाथ सुरक्षा आश्रम गांव व डाक-पाकरी बारावान, नवादा	27,500
153.	राष्ट्र समाज कल्याण प्रतिष्ठान स्थान दरभंगा, डाक पालीगंज, पटना	27,500
154.	नॉर्थ बिहार समाज कल्याण संगठन गांव/डाक पगम्बरपुर, वाया सिलौत, मुज्जफरपुर	27,500
155.	लोक भारती सेवा आश्रम स्थान/डाक कुनौली, सुपोल	27,500
156.	ग्रामीण सह नागरिक विकास मंच योगीपुर, कंकरबाग, पटना	27,500
157.	समग्र विकास समिति सराय काली मंदिर, वार्ड सं. 1, गोपालगंज	27,500

1	2	3
158.	शिक्षा एवं संस्कृति विकास समिति पुरानी बाजार, लखीसराय	27,500
159.	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेव. आफ वूमन रूरल पूअर एंड चिल्ड्रन, स्थान/डाक गंगेया, वाया कतरा, मुज्जफरपुर	27,500
160.	महिला बाल कल्याण प्रतिष्ठान होटल पार्क कम्पुर, एफ.वी.एस. रोड, बिहाइड आजाद पार्क गया	1,29,150
161.	लोक स्वराज्य संघ गांव/डाक परवालपुर, नालंदा	2,81,895
162.	बिहार विकास संस्थान राजेन्द्र नगर रोड, नं. 11, एच सं. एम-16/24, पटना	1,05,000
163.	चकराजा ग्रामीण विकास परिषद स्थान/डाक गौरवनगर, वाया परवालपुर, नालंदा	2,67,015
164.	नव ज्योति गांव यागिदपुर, डाक कावा, वाया हिल्सा, नालंदा	2,67,015
165.	वैशाली समिति समाज कल्याण संस्थान एस.डी.ओ. रोड, हाजीपुर, वैशाली	3,40,000
166.	ग्राम स्वराज अभियान संस्थान कारिहो भीषणपुर भेजा, वैशाली	1,34,784
167.	भवानी विकास भारती मधुबनी	75,000
168.	लोक कल्याण समिति कुरकुरी फुलवारी सरीफ, पटना	45,000
169.	जन जीवन विकास केन्द्र गांव फेचपुर, डाक साबोर, भागलपुर	45,000
170.	महिला बाल युवा केन्द्र गांव कोरहर, आनंदपुर कम्प, पटना	1,35,800
171.	इण्डियन इन्सटीट्यूट आफ इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट राष्ट्रीय गंज, फुलवारी सरीफ, पटना	1,60,000
172.	पटना एजूकेशनल डेवलपमेंट ट्रस्ट रोड नं. 11 राजेन्द्र नगर, पटना	4,21,000
173.	पर्वतीय दुर्गम शिक्षा विकास रांची कोर्ट, रांची	50,00(
174.	भारती सेवा सदन श्रीनिकेतन, अबुलास लेन, मझुआ तोली, पटना	70,40,00(
175.	सुलभ पर्यावरण और जल संस्थान कंकरबाग कालोनी, पटना	50,000
176.	श्री भास्कर समाज कल्याण केन्द्र औरंगाबाद	50,000
177.	बेसी चिकित्सा विकास परिषद पटना	3,20,500
178.	सोसाइटी फॉर रूरल इन्डस्ट्रीयलाइजेशन रांची	3,76,180
179.	वनवासी सेवा केन्द्र भाबुआ	27,90,150
180.	विकलांग पुनर्वास सेवा संस्थान, रांची	2,34,700
181.	अखिल ग्रामीण युवा विकास समिति, मुज्जफरपुर	6,34,684
182.	नारी उद्यान विहार पटना	5,31,000
183.	दरोगा प्रसाद राय महिला प्रशिक्षण आवास औद्योगिक केन्द्र, सिवान	24,16,927
184.	ग्रामीण विकास परिषद कास्टेयर टाउन, बी-दियोघर-814112	10,63,752
185.	निर्माली प्राखंड स्वराज्य सभा, सहरसा	
186.	जेवियर इन्सटीट्यूट आफ सोशल सर्विस रांची	
	कुल	3,77,05,197

1	2	3
	बिहार : 1998-99	
		(राशि रुपये में)
1.	अखिल भारतीय ग्रामोभिमुख अंतोदया संस्थान गांव रूपौली, हलोआतोला, डाक शिलानाथ, रूपौली, पुरनिया	27,500
2.	प्रभु पावर्ती ग्रामीण विकास संस्थान, गांव व डाक बरहारवा लखान, पूर्वी चम्पारन	45,000
3.	नालंदा कल्याण प्रतिष्ठान, गांव व डाक बरांदी नालंदा	220200
4.	नव भारत जागृति केन्द्र, गांव बेहेरा, डाक वृंदावन चौपारन, हजारीबाग	100000
5.	कंस्लटेंसी-कम-गाइडेंस सेंटर (सीजीसी), वैशाली, स्थान व डाक बनिया, वैशाली-844128, वैशाली	100000
6.	राधिका सेवा संस्थान, गांव प्रतापुर, डाकघर मेहसीम, पूर्वी चम्पारन	254100
7.	नालंदा ग्रामोथ प्रतिष्ठिान इंदौरा, सरबहंदी, मानपुर, नालंदा	132000
8.	टाटा स्टील रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, ई. रोड जमशेदपुर, पिन-831001, जमशेदपुर	500000
9.	लोहिया जय प्रकाश खादी ग्रामोद्योग मानव विकास संस्था, स्थान व डाक बाघरा-848506	27500
10.	काशफरका, कामतालिया, डाकघर बालूकरम, वैशाली	308000
11.	भागलपुर अम्बेडकर सेवा केन्द्र, गांव व डाक अमरपुर, बांका	220000
12.	समग्र लोक सेवा संस्थान, डाक मोहिद्दीनपुर वाया. फातुहा, जिला पटना	220000
13.	पटना एजूकेशनल डवलपमेंट ट्रस्ट, रोड सं. 11, राजेन्द्र नगर-800716, पटना	279950
14.	ग्राम भारती सर्वोदया आश्रम, स्थान व डाक सिमुलतला, जिला जुमई (मुंगेर)	200000
15.	सोसायटी फार रूरल इन्डस्ट्रीयलाइजेशन रूपकोन डिवीजन, बारियातु जिला रांची	2000000
16.	ग्राम विकास केन्द्र, के-3, 57, हंस, टेल्को टाउन जमशेदपुर	100000
17.	चौटानागपुर विकास केन्द्र, बरकथा हजारीबाग, बिहार	200000
18.	नव भारत जागृति केन्द्र, बेहरा, वृंदावन, चौपारन, हजारीबाग, बिहार	4500000
19.	परोपकार लोक विकास संस्था, नवादा, बिहार	6664000
20.	स्मारक कल्याण संस्थान, बेकार आंध्र, धनबाद, बिहार	100000
21.	सुलभ बाल और नारी ग्रामोथान संस्थान, जिला पटना, बिहार	100000
	कुल	16298250

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में रेल दुर्घटना

23. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में 10 फरवरी, 2000 को एक रेल दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसमें हुई जान-माल की क्षति का ब्यौरा क्या है;

(घ) मृत हुए यात्रियों के परिवारों तथा घायल हुए यात्रियों को कितने मुआवजे का भुगतान किया गया है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(च) यदि हां तो इसके क्या परिणाम रहे तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) 3152 डाउन जम्मूतवी-सियालदह एक्सप्रेस में बम विस्फोट हुआ जिसके परिणामस्वरूप गाड़ी का इंजन और सात सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए।

(ग) इस दुर्घटना में 5 व्यक्ति मारे गए और 7 व्यक्ति घायल हुए। इस दुर्घटना में अनंतिम तौर पर 85,48,060 रुपये की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है।

(घ) दावा पेश किए जाने और रेल दावा अभिकरण द्वारा डिक्री पारित किए जाने के बाद मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। बहरहाल, मृतक व्यक्तियों के निकट संबंधियों और घायल व्यक्तियों को नियमानुसार अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया गया है।

(ङ) जी हां।

(च) जांच-पड़ताल की जा रही है।

[अनुवाद]

गोवा हवाई अड्डे पर रात में विमान उतरने की सुविधा

24. श्री श्रीपाद येसो नाईक : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोवा हवाई अड्डे पर शाम के पश्चात् विमानों के उड़ान भरने या उतरने का कोई प्रावधान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सायं और रात्रि सेवाओं के लिए कोई नया हवाई अड्डा खोलने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) गोवा स्थित हवाई अड्डा भारतीय नौसेना का है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) केवल गोवा स्थित एक सिविल एंक्लेव का रख-रखाव करता है। इस समय सिविल उड़ानों के लिए इस हवाई अड्डे पर रात्रि-उड़ान के लिए भारतीय नौसेना द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए मुफ्त टिकट योजना

25. श्री रामजी माझी :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने 1 जुलाई से 30 सितम्बर, 1999 के बीच सात घरेलू उड़ानों पर अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र के लिए एक मुफ्त टिकट और दस घरेलू उड़ानों पर ऐसे दो मुफ्त टिकट देने की योजना चलाई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इंडियन एयरलाइंस द्वारा मुफ्त टिकटों के रूप में विदेशों के लिए क्षेत्रवार कितने मुफ्त टिकट दिये गए;

(घ) क्या इस वजह से इंडियन एयरलाइंस को भारी घाटा हुआ;

(ङ) यदि हां, तो इससे हुई हानि का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस हानि को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) दिनांक 1.7.1999 से 30.9.1999 तक इंडियन एयरलाइंस ने सेवेन प्लस स्कीम शीर्षक से एक अल्पकालिक संवर्धन शुरू किया। सात घरेलू सेक्टरों में उड़ान भरने वाली यात्री एक नि:शुल्क अंतरराष्ट्रीय वापसी टिकट के पात्र थे और दस सेक्टरों में उड़ान भरने वाले यात्री इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में दो नि:शुल्क अंतरराष्ट्रीय वापसी टिकटों के हकदार थे।

(ग) इस योजना के अंतर्गत इंडियन एयरलाइंस द्वारा लगभग 17,000 नि:शुल्क टिकटें जारी की गई। इनमें अधिकांश अनुरोध सिंगापुर, कुआलालम्पुर, बैंकॉक और काठमांडु सैक्टर के लिए था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

नई दिल्ली-गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस से कुचले गये लोग

26. श्री रामजीवन सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी, 2000 के दूसरे सप्ताह में बिहार में पंडारक में नयी दिल्ली-गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस से बहुत से लोग कुचले गए थे;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस दुर्घटना की कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) 9.1.2000 को बिहार के पुनारख स्टेशन पर नई दिल्ली-गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस द्वारा 20 व्यक्ति कुचले गये (11 मारे गए और 9 घायल हुए)।

(ख) जी हां, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के तीन अधिकारियों की कमेटी द्वारा जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

(ग) जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर यात्री कर

27. श्री अमरराय प्रधान :
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के लिए इंदिरा गांधी विमानपत्तन (आई.जी.आई.) पर उतरने वाले देशी और विदेश यात्रियों पर 100 रुपये का कर लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो हवाई अड्डे पर उतरने वाले यात्रियों को प्रदान की जा रही सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य राज्यों के हवाई अड्डों पर उस विशेष शहर के निगम द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के लिए यात्रियों से इसी प्रकार का कर वसूल किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो दिल्ली सरकार को इस प्रकार का कर लगाने के लिए किस चीज ने बाध्य किया है और यह कहां तक न्यायोचित है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रेल लाइनों को बंद करना

28. श्री जी.जे. जावीया :
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुछ रेल-लाइनों को बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् बंद की गई ऐसी रेल लाइनों के संबंध में इसके कारणों सहित जोन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रेल लाइनों को पुन: शुरू करने के लिए सरकार ने क्या योजना तैयार की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) रेलों पर बड़ी संख्या में अलाभप्रद शाखा लाइनें हैं, जिनके परिचालन और अनुरक्षण में काफी नुकसान वहन किया जा रहा है। विभिन्न समितियों, जिन्होंने इस समस्या का अध्ययन किया है, की सिफारिशों के आधार पर रेलवे ने ऐसी कुछ लाइनों को बंद करने के लिए कार्रवाई की है। अभी तक 21 ऐसी लाइनें बंद कर दी गई हैं। जोनवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

चूंकि इन लाइनों को अलाभप्रद होने के कारण और सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए बंद किया गया है इसलिए इन लाइनों पर गाड़ी सेवाओं को पुन: आरंभ करने की योजना नहीं है।

विवरण

स्थाई रूप से बंद अलाभप्रद शाखा लाइनों का जोन-वार ब्यौरा

क्र.सं.	खंड	रेलवे
1.	साहेबपुर-कमाल-मुंगेरघाट	पूर्वोत्तर रेलवे
2.	दुधवा-गौरी फांटा	पूर्वोत्तर
3.	दुधवा-चांदन चौकी	पूर्वोत्तर
4.	सेनचोआ-सिलघाट	पूर्वोत्तर सीमा
5.	हैबरगांव-मैराबारी	पूर्वोत्तर सीमा
6.	नीडमंगलम-मन्नारगुडी	दक्षिण
7.	मूरवी-तनकारा	पश्चिम रेल
8.	हदमतिया-जोदिया	प.रे.
9.	खम्वालिया-सलाया	प.रे.
10.	थान-छोटीला	प.रे.
11.	निगांला-गोधाधा स्वामीनारायण	प.रे.
12.	भावनगर-महुवा	प.रे.
13.	शापुर-सरदिया	प.रे.
14.	पिपलोड-देवगढ़ बरिया	प.रे.
15.	कुनकावाव-भागसरा	प.रे.
16.	बोताड-जसदन	प.रे.
17.	छासमा-हरिज	प.रे.
18.	मूरवी-घांटीला	प.रे.
19.	जोरावरनगर-सयाला	प.रे.
20.	चाम्पानेर-पानी माइन्स	प.रे.
21.	गोधरा-लूनावाडा	प.रे.

अमृतसर हवाई अड्डे में सीढ़ी (लैडर) की उपलब्धता

29. डा. एस. वेणुगोपाल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमृतसर हवाई अड्डे पर विमान में ईंधन भरने के लिए अपेक्षित सीढ़ी (लैडर) उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रकार के उपकरणों के संबंध में हवाई अड्डे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) जी नहीं। विमान में ईंधन भरने के लिए किसी सीढ़ी की आवश्यकत नहीं हैं। विमान में ईंधन भरने का कार्य तेल कम्पनियों के पास उपलब्ध बोऊजरों की सहायता से किया जाता है।

[हिन्दी]

राज्यों की राजधानियों से जिलों को जोड़ना

30. श्री मनोज सिन्हा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानियों से जुड़े जिलों, विशेषकर पिछड़े जिलों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा शेष जिलों को इन राज्यों की राजधानियो से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) रेलों द्वारा ऐसी सूचना नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

निजी संगठनों द्वारा खाद्यान्नों का भंडारण

31. डॉ. राजेश्वरम्मा वुक्कला :
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू बनाने हेतु अनाज के भंडारण के कार्य के लिए निजी संगठनों को आमंत्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वार खाद्यान्नों के भंडारण पर प्रति किलोग्राम कितना खर्च आता है और निजी संगठनों द्वारा प्रति किलोग्राम मांगी गई राशि कितनी है; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के गोदामों में भंडारित अनाजों को क्षति और बर्बादी से बचाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) सरकार खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई के संबंध में राष्ट्रीय नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है जबकि प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी देश में खाद्यान्नों की समन्वित बल्क हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए मांगी जाएगी और प्रोत्साहित की जाएगी।

भारतीय खाद्य निगम फिलहाल अपने खाद्यान्नों के भंडारण के लिए केन्द्रीय भंडारण निगम को भंडारण प्रभारों के रूप में प्रति माह खाद्यान्न की प्रति बोरी (95 किलोग्राम) के लिए 2.10 रुपए अदा करता है।

(ग) खाद्यान्नों की प्रस्तावित समन्वित बल्क हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई से हानियां न्यून होंगी।

हवाई अड्डों पर सुरक्षा

32. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान हवाई अड्डों पर सुरक्षा के लिए विभिन्न ऐजेंसियों द्वारा क्या उपाय सुझाये गये हैं;

(ख) क्या सरकार ने इनमें से किसी सुझाव को क्रियान्वित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक हवाई अड्डे पर पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने, अन्य संबंधित एजेंसियों से परामर्श करके, भारत में सिविल उड़ानों के संबंध में आरोहण पूर्व सुरक्षा तथा तोड़फोड़ विरोधी उपायों के संबंध में मानकों को निर्धारित किया है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन किया जाता है।

(घ) देश में विमानपत्तनों की सुरक्षा को कड़ा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) यदा-कदा आधार पर सभी उड़ानों पर स्काई मार्शलों को लगाना।

(2) प्रथम चरण में सभी चालू घरेलू हवाई अड्डों पर सुरक्षा ड्यूटियों के संबंध में राज्य पुलिस के स्थान पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) कार्मिकों की तैनाती। सीआईएसएफ ने पहले ही जयपुर, गुवाहाटी, पोर्ट ब्लेयर तथा बड़ोदरा हवाई अड्डों पर सुरक्षा ड्यूटी संभाल ली है।

(3) प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश के समय, यात्रियों तथा हैंड बैगेज की बारीक जांच-पड़ताल को कड़ा कर दिया गया है। लेडर प्वाइंट पर दूसरी बार की जांच लागू कर दी गई है।

(4) फोटो-पहचान-पत्रों की व्यापक पुनरीक्षा तथा पास होल्डरों की संख्या प्रतिबंधित करने से हवाई अड्डों के पहुंच मार्ग पर कठोर नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा रहा है. तथा 28.2.2000 तक आगंतुकों के प्रवेश को प्रतिबंधित करना है।

(5) सभी चालू हवाई अड्डों पर निर्धारित ऊंचाई तक चारदीवारी को ऊंचा उठाना।

(6) पुरानी एक्सरे मशीनों को बदलना तथा जहां कहीं आवश्यक हो नई रंगीन एक्सरे मशीनों की संस्थापना करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कम से कम दो एक्सरे मशीनें प्रत्येक प्वाइंट पर उपलब्ध हैं।

(7) हवाई अड्डों की सुरक्षा से सम्बद्ध तकनीकी ढांचे का चरणबद्ध ढंग से आधुनिकीकरण तथा स्तरोन्नयन कार्य किया जा रहा है।

[हिन्दी]

"सिंधुशस्त्र" पनडुब्बी की खरीद

33. श्री तेजवीर सिंह चौधरी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "सिंधुशस्त्र" नामक पनडुब्बी किस देश से खरीदी जा रही है;

(ख) उक्त पनडुब्बी की कीमत सहित इसकी मारक-दूरी कितने किलोमीटर है तथा इसकी अन्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस पनडुब्बी को नौसेना के बेड़े में कब तक शामिल किया जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़): (क) से (ग) "सिंधुशस्त्र" नामक पनडुब्बी का अर्जन रूस से किया जा रहा है तथा वर्ष 2000 के मध्य तक इसको नौसेना बेड़े में शामिल किए जाने की संभावना है। पनडुब्बी की मारक सीमा, इसकी लागत तथा अन्य विशेषताओं के ब्यौरे उजागर करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

[अनुवाद]

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार अवसर

34. श्री होलखोमांग हौकिप :
डा. बलिराम :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों के लाभ के लिए सृजित रोजगार अवसरों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत वर्षवार और राज्यवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित कितने परिवारों को लाभ पहुंचा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के लिए वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान सृजित श्रम दिवसों की राज्यवार जानकारी क्रमश: विवरण-I, II और III में दी गई है।

(ख) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वास्तविक निष्पादन की मॉनिटरिंग सृजित श्रम दिवस के रूप में की जाती है न कि परिवारों के रूप में।

विवरण-I

वर्ष 1996-97 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वास्तविक निष्पादन

(लाख श्रम दिन)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रवार उपलब्धि		
		अनु. जाति	अनु. जनजाति	अनु.जा.+अनु.जनजाति
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	2.79	2.79
3.	असम	16.08	29.05	45.13
4.	बिहार	186.79	96.9	283.69
5.	गोवा	0.08	0	0.08
6.	गुजरात	14.61	46.13	60.74
7.	हरियाणा	7.96	0	7.96
8.	हिमाचल प्रदेश	4.74	1.93	6.67
9.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0

1	2	3	4	5
10.	कर्नाटक	69.1	24.25	93.35
11.	केरल	16.7	2.92	19.62
12.	मध्य प्रदेश	92.2	129.63	221.83
13.	महाराष्ट्र	126.99	96.92	223.91
14.	मणिपुर	0.09	2.64	2.73
15.	मेघालय	0	6.96	6.96
16.	मिजोरम	0	2.46	2.46
17.	नागालैंड	0	11.65	11.65
18.	उड़ीसा	96.65	115.09	211.74
19.	पंजाब	5.71	0	5.71
20.	राजस्थान	64.02	44.19	108.21
21.	सिक्किम	0.51	1.02	1.53
22.	तमिलनाडू	260.58	15.41	275.99
23.	त्रिपुरा	2.11	5.19	7.3
24.	उत्तर प्रदेश	347.66	7.23	354.89
25.	प. बंगाल	67.67	23.32	90.99
26.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	0	0.48	0.48
27.	दादरा व नगर हवेली		1.02	1.02
28.	दमन व द्वीव	0.03	0.29	0.32
29.	लक्षद्वीप	0	0.88	0.88
30.	पांडिचेरी	1.35	0	1.35
	कुल	1381.63	668.35	2049.98

विवरण-II

वर्ष 1997-98 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वास्तविक निष्पादन

(लाख श्रम दिन)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रवार उपलब्धि		
		अनु. जाति	अनु. जनजाति	अनु.जा.+अनु.जनजाति
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	95.65	45.09	140.74
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	2.88	2.88

1	2	3	4	5
3.	असम	18.63	31.99	50.62
4.	बिहार	212.91	113.87	326.78
5.	गोआ	0	0	0
6.	गुजरात	14.91	39.43	54.34
7.	हरियाणा	9.61	0	9.61
8.	हिमाचल प्रदेश	4.25	2.04	6.29
9.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0
10.	कर्नाटक	73.86	28.79	102.64
11.	केरल	13.84	2.22	16.06
12.	मध्य प्रदेश	87.88	134.55	222.43
13.	महाराष्ट्र	142.19	114.48	256.67
14.	मणिपुर	0.15	1.6	1.75
15.	मेघालय	0	4.54	4.54
16.	मिजोरम	0	1.91	1.91
17.	नागालैंड	0	9.21	9.21
18.	उड़ीसा	92.47	111.72	204.19
19.	पंजाब	9.73	0	9.73
20.	राजस्थान	71.61	56.19	127.8
21.	सिक्किम	0.68	1.12	1.8
22.	तमिलनाडू	191.17	8.92	200.09
23.	त्रिपुरा	1.78	3.19	4.97
24.	उत्तर प्रदेश	296.54	5.32	301.86
25.	प. बंगाल	62.77	20.72	83.49
26.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	0	0.08	0.08
27.	दादरा व नगर हवेली	0	0.86	0.86
28.	दमन व द्वीव	0.05	0.35	0.4
29.	लक्षद्वीप	0	1.46	1.46
30.	पांडिचेरी	0.28	0	0.28
	कुल	1400.95	742.53	2143.48

विवरण-III

वर्ष 1998-99 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वास्तविक निष्पादन

(लाख श्रम दिन)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रवार उपलब्धि		
		अनु. जाति	अनु. जनजाति	अनु.जा.+अनु.जनजाति
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	66.47	27.15	93.62
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	3.96	3.96
3.	असम	35.91	66.83	102.74
4.	बिहार	233.49	112.85	346.34
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	10.41	28.18	38.59
7.	हरियाणा	14.18	0.00	14.18
8.	हिमाचल प्रदेश	6.92	2.03	8.95
9.	जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	61.89	27.07	88.96
11.	केरल	11.00	1.30	12.30
12.	मध्य प्रदेश	76.97	127.92	204.89
13.	महाराष्ट्र	109.47	96.65	206.12
14.	मणिपुर	0.19	3.67	3.86
15.	मेघालय	0.25	5.66	5.91
16.	मिजोरम	0.00	4.36	4.36
17.	नागालैंड	0.00	23.73	23.73
18.	उड़ीसा	89.54	107.00	196.54
19.	पंजाब	10.27	0.00	10.27
20.	राजस्थान	52.69	39.42	92.11
21.	सिक्किम	1.38	2.40	3.78
22.	तमिलनाडू	137.18	6.40	143.58

1	2	3	4	5
23.	त्रिपुरा	8.76	17.00	25.76
24.	उत्तर प्रदेश	365.08	6.82	371.90
25.	प. बंगाल	52.71	16.33	69.04
26.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.10	0.10
27.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.67	0.67
28.	दमन व द्वीव	0.30	0.40	0.70
29.	लक्षद्वीप	0.42	0.00	0.42
30.	पांडिचेरी	0.01	0.00	0.01
	कुल	1345.49	727.90	2073.39

जम्मू एवं कश्मीर द्वारा क्षेत्रवार उपलब्धि सूचित नहीं की गई है।

नए विदेशी वायु मार्गों के लिए इंडियन एयरलाइंस का प्रस्ताव

35. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने नए विदेशी गंतव्य स्थलों को शामिल करने और मौजूदा वायु मार्गों को लाभप्रद बनाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पड़ोसी दशों को जाने वाले इंडियन एयरलाइंस के मौजूदा वायु मार्ग हानि उठा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन्हें लाभदायक बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जी, हां। इंडियन एयरलाइंस की अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क पर अपनी प्रचालन सेवाओं को बढ़ाने संबंधी योजनाएं हैं बशर्ते कि उपयुक्त विमान क्षमता का विमान-बेड़े में समावेशन हो सके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

स्थानीय संसद सदस्य को डी.आर.डी.ए. का अध्यक्ष नियुक्त करना

36. श्री पुन्नूलाल मोहले :
श्री पी.आर. खूंटे :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार, स्थानीय संसद सदस्य को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.) का अध्यक्ष नामनिर्दिष्ट करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दरलाल पटवा): (क) और (ख) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के कार्यकलाप में स्थानीय संसद सदस्यों की अधिक भागीदारी के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

रेल टेलीकॉम नेटवर्क का आधुनिकीकरण

37. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेल टेलीकॉम नेटवर्क के आधुनिकीकरण हेतु आर.आई.टी.ई.एस. और आई.आर.सी.ओ.एन. को दिए गए ठेके निरस्त कर दिए हैं;

(ख) क्या सरकार ने यह ठेका गैर-सरकारी कम्पनियों को देने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) रेल दूरसंचार नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिए इरकॉन और राइटस को कोई ठेका नहीं दिया गया था। बहरहाल, दिल्ली-जयपुर-अहमदाबाद-मुंबई और मुंबई-पुणे-चेन्नई मार्गों पर क्रमश: आप्टिकल फाईबर केबल बिछाने के लिए इरकॉन और राइट्स के साथ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। चूंकि इस योजना में केवल ये दोनों मार्ग ही शामिल हैं। इसलिए इस योजना को सभी क्षेत्रों के संपूर्ण विकास की दृष्टि से शहरी ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों, गांवों आदि को सेवित करने वाले सभी रेल मार्गों को व्यापक आधार पर शामिल किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ पर्वतीय दोनों क्षेत्रों के लिए दूरसंचार अवसंरचना मुहैया कराने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जा रही है। इसे शीघ्र अंतिम रूप देने और क्रियान्वित करने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

भारतीय वायुसेना के विमानों का दुर्घटनाग्रस्त होना

38. श्री भीम दाहाल :
श्री नरेश पुगलिया :
डा. रमेश चंद तोमर :
श्री हरीभाऊ शंकर महाले :
डा. सी. कृष्णन :
श्री वैको :
श्री सुरेश चन्देल :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999 के दौरान और जनवरी-फरवरी, 2000 में भारतीय वायुसेना के दुर्घटनाग्रस्त हुए विमानों का तिथिवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है और साथ ही इन दुर्घटनाओं के अलग-अलग क्या कारण हैं;

(ख) इनमें मारे गए चालक दल के सदस्यों और नागरिकों का दुर्घटनावार ब्यौरा क्या है और मृतकों के परिवार को कितना मुआवजा दिया गया;

(ग) दुर्घटनावार विमानों के नष्ट होने से विमानों और अन्य संपत्तियों का कितना नुकसान हुआ;

(घ) दुर्घटनाओं की जांच का यदि हुई हों, तो क्या परिणाम निकला और जांच के परिणामस्वरूप क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) विमान दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) भारतीय वायुसेना विमानों की 1999 के दौरान और 15.2.2000 तक हुई दुर्घटनाओं के तिथिवार स्थानवार, दुर्घटनाओं के कारणों सहित ब्यौरे तथा इनमें मारे गए चालक दल के सदस्यों एवं सिविलियनों के ब्यौरे, सिविलियनों को मुआवजे के रूप में दी गई राशि, सेवा संपत्तियों और अन्य संपत्तियों के नुकसान का दुर्घटनावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। दुर्घटनाओं में मारे गए चालक दल के सदस्यों को मुआवजे का भुगतान सेवा नियमों के अनुसार किया जाता है।

(घ) प्रत्येक दुर्घटना के बाद दुर्घटना के कारणों का पता लगाने और उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव देने के लिए एक जांच बोर्ड बैठाया जाता है। इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

(ङ) दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करने के लिए रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त लड़ाकू विमान दुर्घटना संबंधी समिति (सी.ओ.एफ.एफ.ए.) का गठन किया गया था जिसने सितंबर, 1997 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इसने दुर्घटना की दर को कम से कम करने

के लिए कुछ सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों के क्रियान्वयन में संगठनात्मक संरचना, प्रक्रियाओं, प्रशिक्षण, डिजाइन, प्रौद्योगिकी आदि में परिवर्तन किया जाना शामिल है। समिति की सिफारिशों पर उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित एजेंसियों/विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। अभी तक, 84 में से 55 सिफारिशें लागू कर दी गई हैं।

विवरण

क्रम सं.	तिथि	स्थान	दुर्घटना का कारण	चालक दल के मारे गए सदस्यों की संख्या	मृतक सिविलियनों की संख्या	मृतक नागरिकों को मुआवजे का भुगतान (रुपये में)	अनंतिम हानि वितरण के अनुसार संपत्ति का नुकसान (लाख रुपये में)	
							सेना	सिविलियन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1999								
1.	2.2.99	हलवारा के निकट	मान.चूक (चा.द.)	–	–	–	540.06	0.05
2.	16.2.99	पूना हवाई क्षेत्र	मान.चूक(चा.द.)	–	–	–	4113.10	–
3.	7.3.99	पालम हवाई क्षेत्र	मान.चूक(चा.द.)	04+14 वायुसेना के यात्री	03	1.24 लाख	475.39	9.04
4.	15.3.99	चाबूआ हवाई क्षेत्र	त.ख.	–	–	–	175.60	–
5.	16.3.99	नलिया हवाई क्षेत्र	मान.चूक(चा.द.)	01	–	–	325.70	–
6.	26.3.99	हलवारा हवाई क्षेत्र	त.ख.	01	–	–	540.87	0.21
7.	26.3.99	सूरतगढ़ स्थानीय उड़ान क्षेत्र	मान.चूक(चा.द.)	01	–	–	333.40	0.64
8.	7.4.99	अमृतसर हवाई क्षेत्र	प.ट.	–	–	–	441.10	–
9.	13.4.99	सिरसा हवाई क्षेत्र के निकट	त.ख.	–	02	कार्रवाई की जा रही है	159.94	–
10.	10.5.99	डंडीगुल के निकट	त.ख.	01	–	–	118.22	–
11.	13.5.99	नाल हवाई क्षेत्र के निकट	त.ख.	–	–	–	146.15	–
12.	17.6.99	तेजपुर हवाई क्षेत्र के निकट	मान.चूक(चा.द.)	01	–	–	144.15	–
13.	19.6.99	उत्तरलाई हवाई क्षेत्र के उत्तरपूर्व में गिरी राम की धानी	प.ट.	01	–	–	102.10	–
14.	23.6.99	पठानकोट हवाई क्षेत्र	मान.चूक(चा.द.)	01	–	–	334.09	8.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	30.6.99	अंबाला हवाई क्षेत्र के निकट	मान.चूक(चा.द.)	–	–	–	9400.85	–
16.	02.7.99	जैसलमेर हवाई क्षेत्र	मान.चूक(चा.द.)	01	–	–	1585.27	–
17.	04.8.99	कुरगियाक गांव के निकट	त.ख.	02	–	–	468.80	–
18.	06.8.99	चंदलगढ़ हवाई क्षेत्र के निकट	मान.चूक(चा.द.)	01	–	–	9208.68	–
19.	18.8.99	श्रीनगर हवाई क्षेत्र	मान.चूक(चा.द.)	01	–	–	1017.49	–
20.	13.9.99	उत्तरलाई हवाई क्षेत्र के निकट	त.ख.	–	–	–	332.45	–
21.	14.9.99	उधमपुर हवाई क्षेत्र के निकट	मान.चूक(चा.द.)	01	–	–	1001.48	–
22.	20.9.99	गोरखपुर हवाई क्षेत्र के निकट	मान.चूक(चा.द.)	–	–	–	640.52	3.21
23.	01.10.99	बीदर स्थानीय उड़ान क्षेत्र	त.ख.	–	–	–	111.83	–
24.	14.10.99	हाकीमपेट स्थानीय उड़ान क्षेत्र	अनि.	01	–	–	106.70	0.16
25.	4.11.95	तेजपुर हवाई क्षेत्र के निकट	त.ख.	–	–	–	उ.न.	–
26.	8.11.99	गोरखपुर हवाई क्षेत्र के निकट	मान.चूक(चा.द.)	–	–	-	6306.31	0.27
27.	3.12.99	चंडीगढ़ हवाई क्षेत्र	त.ख.	01	–	–	260.69	0.031
28.	14.12.99	जोधपुर	त.ख.	–	–	–	2178.30	0.070
*29.	15.12.99	तेजपुर हवाई क्षेत्र	त.ख.	–	–	–	उ.न.	–
	वर्ष 2000							
1.	10.1.2000	जोधपुर	मान.चूक(चा.द.)	01	–	–	2226.94	–

टिप्पणी: त.ख.–तकनीकी खराबी
मान.चूक(चा.द.)–मानवीय चूक (चालक दल)
प.ट.–पक्षी के टकराने से
अनि.–अनिर्णीत
*दो दुर्घटनाओं में हुए नुकसान की अनंतिम लागत का ब्यौरा उपलब्ध नहीं (उ.न.) है क्योंकि जांच अदालत का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

रेल की प्राथमिकताएं

39. श्री तिरुनावक्करसू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सुरक्षा की दृष्टि से अगले दशक के लिए रेलवे की क्या प्राथमिकताएं हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): रेलवे गाड़ी परिचालन में संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करती है। संरक्षा एक सतत्-प्रक्रिया है। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना की अध्यक्षता में गठित रेलवे संरक्षा समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट का भाग-1 प्रस्तुत कर दिया है। रिपोर्ट का भाग-2 अभी प्राप्त नहीं हुआ है। रिपोर्ट के भाग-1 में समिति ने 150 सिफारिशें की हैं।

सरकार द्वारा इन सिफारिशों की जांच की जा रही है। स्वीकृत सिफारिशें दीर्घकालीन (10 वर्षीय संरक्षा योजना) को अपनाने के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होंगी जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

हवाई अड्डों पर ठेका श्रमिक

40. श्री नरेश पुगलिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर लोडर, लिफ्टमेन, बर्ड पेंजर, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड, अनुरक्षण, कम्प्यूटर ऑपरेटर, आदि जैसे विभिन्न कार्यों के लिए ठेका श्रमिक काम पर लगाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में प्रत्येक हवाई अड्डे पर ठेका श्रमिकों की संख्या कितनी हैं;

(ग) क्या उन्हें काम पर लगाने से पहले उनका चरित्र और पुलिस सत्यापन किया जाता है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) हवाई अड्डों पर पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के मामले में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) किसी खास विमानपत्तन पर विद्यमान अपेक्षाओं के लिए विविध कार्यों के लिए कान्ट्रेक्ट लेबर लगाई जाती है। अत: दैनिक आधार पर लगाए गए श्रमिकों की संख्या अलग-अलग होती है और ऐसे कान्ट्रेक्ट लेबर की कोई नियत संख्या नहीं है।

(ग) से (ङ) विमानपत्तन के अहाते में कार्य कर रहे कान्ट्रेक्ट लेबर को नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के परामर्श से सत्यापन के पश्चात् पहचान पत्र अथवा प्रविष्टि परमिट जारी किये जाते हैं।

नेदुमबस्सारी हवाई अड्डा

41. श्री के. मुरलीधरन :
श्री कोडीकुनील सुरेश :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नेदुमबस्सारी हवाई अड्डे को एक अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह घोषणा कब तक की जाएगी?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रेलवे पर बकाया देय राशि

42. श्री अनंत गंगाराम गीते :
श्री राजो सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार राजकीय रेलवे पुलिस पर किये गये खर्च के कारण रेल विभाग को कतिपय राज्य सरकारों को राज्य-वार कितनी बकाया राशि देनी है;

(ख) अब तक उक्त राशि का भुगतान न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) पूर्ण भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) रा.रे.पु. पर किए गए खर्च के कारण रेलों द्वारा राज्य सरकारों को 31.1.2000 को किया जाने वाला भुगतान की बकाया राशि निम्नानुसार है:-

राज्य	आंकड़े करोड़ रुपयों में 31.1.2000 को बकाया राशि
1	2
आंध्र प्रदेश	2.61
बिहार	3.46

1	2
गुजरात	2.98
हरियाणा	0.37
कर्नाटक	5.57
केरल	0.25
महाराष्ट्र	25.69
मध्य प्रदेश	11.37
उड़ीसा	9.96
राजस्थान	1.27
तमिलनाडु	8.80
उत्तर प्रदेश	2.05
पश्चिम बंगाल	11.13
जोड़	85.51

(ख) बकाया राशि का भुगतान न होने का मुख्य कारण राज्य सरकारों द्वारा लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना है।

(ग) रेलों को ऐसे सभी दावों जो सही हों और जिनके साथ अपेक्षित लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र लगे हों, को तत्काल निपटान करने के लिए स्थायी अनुदेश दिए गए हैं।

सलेम हवाई अड्डे पर विमान प्रचालन

43. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सलेम (तमिलनाडु) स्थित हवाई अड्डा गत अनेक वर्षों से घरेलू यात्रियों के आगमन और प्रस्थान के लिए कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सलेम हवाई अड्डे से प्रचालन शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) यात्री तथा विमान प्रचालन की सुविधाएं सलेम विमानपत्तन पर उपलब्ध है परन्तु कोई भी एयरलाइन इस समय सलेम के लिए/से प्रचालन नहीं कर रही है।

''कपिलाज'' का पर्यटन स्थल के रूप में विकास

44. श्री के.पी. सिंह देव : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खूबसूरत पहाड़ियों तथा सात प्रमुख चोटियों से घिरा और धेंकानाल, उड़ीसा के पूर्वोत्तर में स्थित ''कपिलाज'', भगवान चन्द्रशेखर, जिन्हें उड़ीसा के ''पिताओं'' में से एक माना जाता है, के प्रसिद्ध मन्दिर के कारण श्रद्धालु भक्तों का एक प्रमुख आकर्षण है;

(ख) क्या श्रद्धालु भक्तों के अतिरिक्त अन्य पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक हिरण पार्क, एक विज्ञान केन्द्र तथा एक सराय भी वहां स्थापित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार भक्तों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान कर, मन्दिर के मार्ग को चौड़ा कर और सुरक्षा पहलुओं को मजबूत बनाकर ''कपिलाज'' को उड़ीसा में पर्यटकों के स्वर्ग के रूप में विकसित करने हेतु किसी विशेष योजना पर विचार कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ङ) पर्यटक स्थलों की पहचान और विकास मुख्यतया राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यटक परियोजनाओं के लिए, राज्य सरकारों के परामर्श से राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 1996-97 में, कपिलाज में पर्यटक परिसर के निर्माण के लिए मंत्रालय ने 18.00 लाख रुपयों की राशि स्वीकृत की थी।

गोदामों का निर्माण

45. श्री पी. मोहन : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा मदुरई में रेल परिसर में लगे हुए भारतीय खाद्य निगम के 25000 मीट्रिक टन क्षमता वाले एक यथापूर्व-संस्वीकृत गोदाम जिसे 1998-99 वार्षिक योजना में शामिल किया गया था, का निर्माण करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस गोदाम का निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने का अनुमान है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (ग) मदुरै के निकट विलांगुडी में 25000 टन क्षमता के गोदाम के निर्माण को जून, 1996 में भारतीय खाद्य निगम के निदेशक मंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी। इस केन्द्र पर 5000 टन क्षमता के गोदाम के निर्माण को शुरू में भारतीय खाद्य निगम की वार्षिक योजना, 1998-99 में शामिल किया गया था। तथापि, जनवरी, 1999 में भारतीय खाद्य निगम के निदेशक मंडल ने समीक्षा करने पर यह पाया कि केन्द्रीय भंडारण निगम के पास मदुरै क्षेत्र में पहले से ही पर्याप्त भण्डारण क्षमता उपलब्ध है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए विलांगुडी में गोदाम का निर्माण करने संबंधी प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई न करने का निर्णय किया गया था।

खाद्यान्नों की नीलामी

46. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में रखे हुए खाद्यान्नों की नीलामी गैर-सरकारी बोली लगाने वाले लोगों को की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी नीलामियों के लिए क्या मानदंड निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या खाद्यान्न के लिए कुछ बिक्री मूल्य निर्धारित करके भी इसे बेचा जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस वर्ष गेहूं और चावल का क्या मूल्य निर्धारित किया गया है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, हां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जारी करने के लिए अनुपयुक्त खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम खुली निविदा के माध्यम से बेचता है जिसमें प्राइवेट बोली दाता भी भाग ले सकते हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान चावल (दो वर्ष से अधिक पुराना श्रेणी 'घ' का) की निम्नलिखित मात्रा का निपटान किया गया है:-

क्र.सं.	वर्ष	बेची गई मात्रा (लाख टन में) (अनंतिम)
1.	1996-97	4.51
2.	1997-98	0.13
3.	1998-99	1.32
4.	1999-2000 (जनवरी 2000 तक)	0.67

(ग) 'घ' श्रेणी का चावल, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जारी करने योग्य नहीं होता उसे निविदा के माध्यम से बेचा जाता है।

(घ) और (ङ) भारतीय खाद्य निगम पूर्व निर्धारित मूल्यों पर खुले बाजार में बिक्री योजना के अधीन अधिशेष खाद्यान्न भी बेचता है। फिलहाल, भारतीय खाद्य निगम द्वारा नीचे दिए गए मूल्यों पर खुले बाजार में बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन केवल गेहूं बेचा जा रहा है।

उत्तरी जोन	688 रुपये
दक्षिणी जोन	705 रुपये
पश्चिमी जोन	697 रुपये
पूर्वी जोन	699 रुपये

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जारी करने योग्य 'घ' श्रेणी का चावल निविदा के माध्यम से बेचा जाता है।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा पट्टे पर हवाई जहाज लेना

47. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने सभी बोइंग 737 और एयरबस 300 विमानों को बदल दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए पहले ही कोई लाभ-लागत विश्लेषण किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्तमान विमानों को बदलने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सीधे नये विमान खरीदने की अपेक्षा इंडियन एयरलाइन्स द्वारा विमान पट्टे पर लेने का विकल्प भी रखा गया है; और

(छ) यदि हां, तो इस कम खर्चीले विकल्प को न अपनाने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) इंडियन एयरलाइन्स में बी-737 तथा ए-300 विमानों वाले पुराने विमान बेड़े के प्रतिस्थापन के लिए इस समय एक तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन अध्ययन पर विचार किया जा रहा है।

(च) और (छ) इंडियन एयरलाइन्स का अपनी भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पट्टे पर तथा खरीद दोनों के आधार पर विमान प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का रक्षित भंडार

48. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1999-2000 के दौरान घरेलू और विदेशी बाजार में कितना गेहूं और चावल बेचा गया और ये किस मूल्य पर बेचे गए?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): 1. वर्ष 1999-2000 (दिसम्बर, 1999 तक) के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खुले बाजार में बिक्री योजना (घरेलू) और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन गेहूं और चावल का उठान निम्नानुसार हुआ है:

लाख टन में

योजना	गेहूं का उठान	चावल का उठान
सार्वजनिक वितरण प्रणाली	39.93	83.65
खुले बाजार में बिक्री योजना (घरेलू)	17.02	1.06
अन्य कल्याण योजनाएं	2.96	7.14

2. गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य निम्नानुसार हैं:

(रुपए प्रति क्विंटल)

गेहूं	दर	निम्न तारीख से प्रभावी
गरीबी रेखा से ऊपर को आबादी के लिए	682	1.4.1999
गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए	250	1.6.1997

चावल	साधारण	ग्रेड "ए"	
गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए	–	905	29.01.99
जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्वी राज्यों, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र	700	–	29.01.99
गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए	350	350	1.6.97

3. खुले बाजार में बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन नीचे दी गई दरों पर अप्रैल, 1999 से जनवरी, 2000 तक गेहूं की 25.61 लाख टन मात्रा (अनन्तिम) बेची गई है:

(रुपए प्रति क्विंटल)

अवधि	उत्तरी जोन	दक्षिणी जोन	पश्चिमी जोन	पूर्वी जोन
3.2.99 से 15.4.99	653	724	697	716
16.4.99 से 13.5.99	690	747	725	748
14.5.99 से 2.12.99	690	747	725	748
3.12.99 से आज तक	688	705	697	699

*मध्य प्रदेश राज्य को 4.8.99 से पश्चिमी जोन के अधीन रखा गया है।

4. खुले बाजार में बिक्री योजना के अधीन घरेलू बाजार में कोई चावल नहीं बेचा जा रहा है। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जारी न करने योग्य चावल की कुछ मात्रा निविदाएं आमंत्रित करके बेची गई है। जहां तक 1999-2000 के दौरान विदेशी बाजार में बिक्री करने का संबंध है, भारतीय खाद्य निगम द्वारा विदेशी बाजार में कोई चावल नहीं भेजा गया है। तथापि, नेपाल सरकार को उत्तर प्रदेश और बिहार स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में सुपुर्दगी के समय खुली बिक्री के लिए लागू दर पर 50,000 टन गेहूं का निर्यात किया जाना है। दिसम्बर, 1999 से मार्च, 2000 के बीच गेहूं का उठान करने के लिए नेपाल सरकार के प्राधिकृत नामिति मैसर्स साल्ट ट्रेडिंग कार्पोरेशन के साथ 31.12.99 को एक ठेका किया गया है। इस ठेके के प्रति 16.2.2000 तक 759 टन मात्रा का उठान किया गया है।

अप्रैल, 1999 से जनवरी, 2000 तक गरीबी रेखा से ऊपर की दरों पर भूटान सरकार को 12,300 टन गेहूं और 10,640 टन चावल भी बेचा गया है।

नये रेलवे जोन/मण्डल बनाना

49. श्री नेपाल चन्द्र दास :
श्री टी. गोविन्दन :
श्री पोन राधाकृष्णन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में नये रेलवे मण्डल विशेषत: असम में बदरपुर, तमिलनाडु में नगरकुईल में बनाने संबंधी अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) नवनिर्मित जोनों/मण्डलों की वर्तमान स्थिति क्या है और इनके अंतर्गत कौन-कौन से क्षेत्र आते हैं और इन पर मंडलवार/जोनवार कितनी राशि खर्च की गई; और

(ङ) इन्हें कब तक चालू कर दिया जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी, हां। असम में बदरपुर में एक नया मंडल बनाने के लिए कुछ अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) प्रस्ताव की जांच की गई थी लेकिन परिचालनिक रूप से व्यावहारिक नहीं पाया गया।

(घ) नए जोन/मंडल चरणबद्ध रूप में स्थापित किए जा रहे हैं। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर और उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर को प्रादेशिक क्षेत्राधिकार और 8 नए मंडलों को अंतिम रूप दे दिया गया है, नए जोन और मंडलों को स्थापित करने से जुड़ी प्रारंभिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए आंशिक अनुमान पहले ही स्वीकृत हो चुका है। इन गतिविधियों में अवसंरचनात्मक आवश्यकताएं शामिल हैं। भूमि अधिग्रहण, कार्यालय, कर्मचारियों के लिए कुछ क्वार्टर, संचार सुविधाएं और अन्य नए जोनों के प्रशासन द्वारा एक/दो मंडलों की कतिपय गतिविधियों को शुरू किया गया है। 31.3.1999 तक नए मंडलों पर 9.66 करोड़ रु. तथा नए जोनों पर 61 करोड़ रु. खर्च किए जा चुके हैं। चरणबद्ध योजना के आधार पर आवश्यकतानुसार और आबंटन किया जा रहा है।

(ङ) नए जोनों का विकास चरणबद्ध आधार पर पूरा किया जाएगा।

कारगिल के शहीदों के आश्रितों का पुनर्वास

50. **श्री बृजलाल खाबरी :**
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :
श्री साहिब सिंह :
श्री आर.एस. पाटिल :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक कितने मामलों में कारगिल शहीदों के आश्रितों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान करने की घोषणा की गई है;

(ख) अब तक कितने मामलों में सहायता प्रदान किया जाना है और विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में बाकी आश्रितों को कब तक वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) आवश्यक औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद सभी कारगिल शहीदों के परिवारों को वित्तीय तथा अन्य लाभ, जिनके वे हकदार हैं, दे दिए गए हैं।

[अनुवाद]

सरकारी एजेंसियों और अन्य एजेंसियों पर बकाया धनराशि

51. **श्री ए. वेंकटेश नायक :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **पर्यटन मंत्री** सरकारी एजेन्सियों और अन्य एजेन्सियों पर बकाया धनराशि के बारे में 23.12.1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3732 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने मामलों में धन की वसूली कर ली गई है;

(ख) शेष व्यक्तियों से धनराशि वसूल न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बकाया धनराशि में और बढ़ोत्तरी करने वाली कौन-कौन सी सरकारी एजेंसियां, राजनेता और अन्य व्यक्ति हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) राजनेताओं तथा राजनीतिक दलों के 4 मामलों के संबंध में बकाया धनराशि प्राप्त हो गई है।

(ख) बकाया राशि की वसूली एक निरन्तर प्रक्रिया है। कम्पनी द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद कई पार्टियों ने अपनी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है।

(ग) दिनांक 31.1.2000 तक, सरकारी एजेंसियों, राजनेताओं, राजनीतिक दलों और अन्यों सहित विभिन्न एजेंसियों से लगभग 50.45 करोड़ रुपए की राशि बकाया है।

हवाई जहाज की खरीद

52. **श्री अजय चक्रवर्ती :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स के हवाई जहाज खरीद कार्यक्रम के लिए 125 करोड़ रुपए की पूंजी लगाने और अतिरिक्त पूंजी के रूप में 325 करोड़ रुपए प्रदान करने का निर्णय लिया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स को विमानों की खरीद/प्रतिस्थापन के लिए उपांत धन के रूप में 325 करोड़ रुपये की इक्विटी की वित्त व्यवस्था संबंधी निर्णय ले लिया है।

[हिन्दी]

भारत-पाकिस्तान के बीच रेल-सेवा रोकना

53. **डा. अशोक पटेल :**
श्री रामपाल सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही "समझौता एक्सप्रेस" को रोक देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

चौकीदार वाले समपार का खोला जाना

54. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजस्थान के बाड़मेर जिले में बैटू से 4 किलोमीटर दूर भीमरलाई रेलवे स्टेशन की ओर चौकीदार वाले समपार खोलने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी हां। बैतू और भीमरालाई रेलवे स्टेशनों के बीच 784/11-12 कि.मी. पर चौकीदार वाले एक नए समपार के निर्माण के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। मौजूदा नीति के अनुसार, ''निक्षेप'' शर्तों पर इस समपार को मुहैया कराया जा सकता है बशर्ते राज्य सरकार/स्थानीय निकाय सभी लागतों, यथा प्रारंभिक पूंजी के साथ-साथ वार्षिक आवर्ती अनुरक्षण एवं परिचालनिक प्रभारों को वहन करने की सहमति देते हुए प्रस्ताव प्रायोजित करे। रेलवे को ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक न तो राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है और न ही स्थानीय निकाय से।

[हिन्दी]

लन्दन से यात्री लेने हेतु अनुमति

55. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 फरवरी, 2000 के ''नवभारत टाइम्स'' में ''भारतीय विमानों को लन्दन से सवारी लेने की अनुमति'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के लिए यह कितना लाभप्रद रहेगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 1-2 फरवरी, 2000 को हुई नागर विमानन संबंधी द्विपक्षीय वार्ता के दौरान यूनाइटेड किंगडम सरकार के साथ लन्दन से होकर पारगमन उड़ानों पर लन्दन और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के कुछ स्थानों से एअर इंडिया पर से यातयात अधिकारों के प्रयोग हेतु लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त करने के बारे में एक समझौता हुआ था।

(ग) इस समझौते से एअर इंडिया को अटलांटिक से बाहर अपने प्रचालनों को युक्तिसंगत बनाने में बढ़ावा मिलेगा।

[अनुवाद]

मुम्बई विकास निगम का कार्यकरण

56. श्री किरीट सोमैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई रेलवे विकास निगम का कार्यकरण शुरू करने की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो मुम्बई रेलवे विकास निगम (एमआरवीसी) के कार्यकरण में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या विश्व बैंक मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना दो (एमयूटीपी) के वित्तपोषण के लिए सहमत हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) एमआरवीसी और एमयूटीपी दो का वास्तविक कार्य कब तक शुरू हो जाएगा;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने एमआरवीसी और एमयूटीपी के लिए अंशदान करने हेतु प्रस्ताव बजट में रखा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार एम.यू.टी.पी. परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए समवेत रूप से विश्व बैंक से संपर्क करने के लिए समहत हो गए हैं। इस संबंध ने चर्चा जारी है। जुलाई, 1999 में विश्व बैंक का शिष्टमंडल भारत आया था और भारतीय रेल तथा महाराष्ट्र सरकार के साथ लंबी चर्चा की थी। परिणामत: निष्पादित की जाने वाली परियोजनाओं

की पहचान की गयी है। इन्हें दो चरणों में शुरू किया जाएगा। प्रथम चरण में निम्नलिखित शामिल है:-

1. सांताक्रूज-बोरिवली 5वीं लाइन
2. कुर्ला-थाणे 5वीं और 6ठी लाइन
3. बोरिवली-भयंदर चौहरी लाइन
4. भयंदर-विरार चौहरी लाइन
5. पश्चिम रेलवे का इष्टतम उपयोग
6. मध्य रेलवे का इष्टतम उपयोग
7. डी.सी. से ए.सी. में परिवर्तन
8. ई.एम.यू. पुनर्निर्माण

द्वितीय चरण की परियोजनाएं, नीचे दिए अनुसार है:-

(1) पांचवीं लाइन कुर्ला-छ.शि.ट.

(2) छठी लाइन बोरिवली-सांताक्रुज

(3) पश्चिम रेलवे पर 12 कार लोकल लाइन

(4) पत्तन लाइन का इष्टतम उपयोग

(5) मध्य रेलवे पर 12 कार लोकल लाइन

(6) नई पूर्व पश्चिम लाइन

चरण 1 और चरण 2 में परियोजनाओं का निष्पादन अतिव्यापी होगा। परियोजना प्रभावी व्यक्तियों और पुनर्वास और पुनर्स्थापन दोनों चरणों का एक भाग होगा।

अगला विश्व बैंक शिष्टमंडल अप्रैल, 2000 में आने की संभावना है।

(ङ) एम.आर.वी.सी. को पहले ही कंपनी रजिस्ट्रार के पास सरकारी कंपनी के रूप में रजिस्टर किया जा चुका है। निदेशक मंडल की नियुक्ति, जिसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है, के तुरंत बाद एम.आर.वी.सी. कार्य करना आरंभ कर देगी। एम.यू.टी.पी. (II) के तहत चुनी गई कुछ रेल परियोजनाओं पर पहले ही कार्य चल रहा है।

(च) और (छ) 1999-2000 के बजट में रेल मंत्रालय के अंशदान के रूप में एम.आर.वी.सी. के लिए 15.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। एम.यू.टी.पी. के निम्नलिखित निर्माण कार्य (1999-2000 के लिए बजट प्रावधान के साथ) प्रगति पर हैं:-

(1) कुर्ला-थाणे चरण-1 (25 करोड़ रु.)

(2) कुर्ला-थाणे चरण-2 (15 करोड़ रु.)

(3) पांचवीं लाइन सांताक्रुज-बोरिवली (20 करोड़ रु.)

(4) बोरिवली-विरार चौहरी लाइन (40 करोड़ रु.)

रेल डिब्बों की उपयोग अवधि

57. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने बड़ी संख्या में बेकार पड़े रेल डिब्बों के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) रेल डिब्बे बनाने वाली उन फैक्ट्रियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है जो खराब डिब्बों की आपूर्ति कर रही है;

(घ) क्या मरम्मत के तीन माह के भीतर बड़ी संख्या में डिब्बे खराब हो जाते हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस शिल्प में सुधार करने और डिब्बों के अधिक समय तक चलते रहने को सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) सवारी डिब्बों के अनुरक्षण की गुणवत्ता के संबंध में रिपोर्ट में अभिव्यक्त संदेह को दूर करने के लिए सरकार ने अपना उत्तर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भेज दिया है। इस तथ्य के बावजूद कि मौजूदा सवारी डिब्बा प्रौद्योगिकी पचास के दशक के आरंभिक वर्षों की है और इसमें अधिक अनुरक्षण अपेक्षित है, निष्क्रिय सवारी डिब्बे, जो चलाए जाने के लिए उपलब्ध नहीं हैं, को 10% के अनुमेय मानदंड के काफी नीचे रखा जाता है, और इस प्रकार निरंतर 90% से अधिक उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। प्रणाली में सुधार लाने संबंधी विभिन्न उपायों के परिणाम स्वरूप हाल ही के वर्षों के दौरान सवारी डिब्बा विश्वसनीयता में भी सुधार हुआ है। "ओवरहाल के 100 दिन के भीतर सिक चिह्नित किए गए सवारी-डिब्बों के पैरामीटर के वर्ष 1996-97 में

विश्वसनीयता निगरानी योजना में शामिल किया गया था और इस पैरामीटर से पिछले तीन वर्षों में इसमें लगभग 11% की कमी आई है। पिछले 4 वर्षों में मार्ग में सवारी डिब्बों के गाड़ी से अलग होने की घटनाओं में भी 54.5% और सवारी डिब्बों के अलग होने की गौण घटनाओं में 48% की कमी हुई है।

(ग) विश्लेषण के दौरान विनिर्माण और मरम्मत दोनों स्तरों पर पाई गई कमियों को दूर करने के लिए नियमित तौर पर कार्रवाई की जाती है। इन उपायों के परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में काफी सुधार हुआ है।

(घ) और (ङ) सवारी डिब्बों को "सिक" चिह्नित करना अनुरक्षण का एक सहज भाग है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टूट-फूट, दुरूपयोग, गुंडागर्दी, सामग्री की खराबी अथवा घटिया कारीगरी के कारण दोषपूर्ण और खराब सवारी डिब्बों को किसी भी चलती गाड़ी के साथ न जोड़ा जाए। रेल सवारी डिब्बों के संदर्भ में "सिका" शब्द का इस्तेमाल सवारी डिब्बे को चिह्नित करने के लिए किया जाता है ताकि अनुरक्षण के दौरान गाड़ी/ट्रेक से उसे अलग किया जा सके और सवारी डिब्बा मरम्मत डिपो जो "सिक लाइन" कहलाता है वहां इस पर ध्यान दिया जाए। विभिन्न कारखानों में कार्य की सापेक्ष गुणवत्ता पर निगरानी रखने में सहायता प्रदान करने के प्रयोजन से "ओवरहालिंग के 100 दिन के भीतर सवारी डिब्बों को सिक चिह्नित करने" का पैरामीटर अपनाया गया था। पिछले 3 वर्षों में इन पैरामीटरों में धीरे-धीरे हुए सुधार से पता चलता है कि यह प्रबंधन नीति उपयोगी सिद्ध हुई है।

(च) सवारी डिब्बों की कारीगरी और उनके सेवाकाल में सुधार करने के लिए रेलों ने कुछ विशेष उपाय किए हैं जो निम्नानुसार हैं:-

(1) सवारी डिब्बा उत्पादन इकाइयों और महत्वपूर्ण आवधिक ओवरहालिंग कारखानों का आई.एस.ओ. प्रमाणीकरण।

(2) आवधिक ओवरहालिंग कारखानों और अनुरक्षण डिपुओं का गुणवत्ता लेखा परीक्षण।

(3) तटस्थ परीक्षकों की व्यवस्था के माध्यम से सवारी डिब्बा आवधिक ओवरहालिंग कारखानों से बाहर निकलने वाले सवारी डिब्बों की गुणवत्ता पर कड़ा नियंत्रण।

(4) मौजूदा सवारी डिब्बा अनुरक्षण अवसंरचना की पुनरीक्षा और सुधार तथा अतिरिक्त गाड़ियों के लिए नई सुविधाओं की व्यवस्था।

(5) बोगी माउंटिड ब्रेकों, मिश्रित ब्रेक ब्लाकों, उच्च क्षमता कपलिंग आदि जैसे सवारी डिब्बों की विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए अभिकल्प में सुधार और बेहतर सामग्री लगाना।

(6) खराब प्रणालियों, डिपुओं, कारखानों और इन्हें दूर करने के लिए प्रत्यक्ष प्रयासों और संसाधनों का पता लगाने के लिए विश्वसनीयता पैरामीटरों का व्यापक विश्लेषण।

(7) मौजूदा सवारी डिब्बों और अनुरक्षण प्रणाली में उपर्युक्त सुधारों के अलावा, रेलवे अत्याधुनिक सवारी डिब्बों को लगाकर तथा उनकी डिजाइन और निर्माण की प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से सवारी डिब्बा प्रौद्योगिकी उन्नयन की ओर अग्रसर हो रही है।

ग्लेशियरों पर तैनात सैनिकों के लिए डी.आर.डी.ओ. द्वारा विशेष दस्ताने प्रदान किया जाना

58. श्री चाडा सुरेश रेड्डी :
श्री बी.वी.एन. रेड्डी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ग्लेशियरों पर तैनात सैनिकों के लिए विशेष दस्ताने बनाने का वायदा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे दस्ताने कारगिल में सैनिकों को उपलब्ध कराए थे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ग्लेशियरों पर पाला पड़ने जैसी परिस्थितियों का सामना करने वाले सैनिकों के लिए विशेष दस्तानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने प्रयोक्ताओं की आवश्यकतानुसार हिम-दस्ताने का विकास किया था, जिसे सेना में इस्तेमाल किए जाने के लिए स्वीकार कर लिया गया। किंतु बाद में प्रयोक्ता ने अत्यधिक ठंड में बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसमें कतिपय सुधार करने के सुझाव दिए। ये उन्नत हिम-दस्ताने विकास के अंतिम चरण में हैं।

(ख) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा विकसित हिम-दस्ताने कुछ अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के साथ कारगिल में सैनिकों को मुहैया कराए गए थे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत-उत्पादन की लम्बित परियोजनाएं

59. श्री पी.सी. थामस : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल और तमिलनाडु में विद्युत-उत्पादन के लिए पवन-ऊर्जा का उपयोग करने वाली सेवा परियोजनाएं मंजूरी हेतु लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) से (ग) सरकार द्वारा पवन विद्युत परियोजनाओं को आम तौर पर प्रदर्शन परियोजनाओं या निजी निवेशों के माध्यम से वाणिज्यिक परियोजनाओं के रूप में प्रारंभ किया जाता है। देश में अब तक 1080 मेगावाट की कुल पवन विद्युत क्षमता स्थापित की जा चुकी है, 55 मेगावाट क्षमता प्रदर्शन परियोजनाओं से है और शेष 1025 मेगावाट वाणिज्यिक परियोजनाओं से है।

प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए तमिलनाडु से कोई भी प्रस्ताव अनुमोदन के लिए लम्बित नहीं है। तथापि, रामकलमेडु, केरल में 2 मेगावाट की एक पवन विद्युत प्रदर्शन परियोजना के लिए एक प्रस्ताव मंत्रालय में प्राप्त हुआ था। यह मंत्रालय राज्य सरकार से, विद्युत निकासी की सुविधाओं, राज्य सरकार द्वारा लागत साझेदारी तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए राज्य नीति की घोषणा के बारे में और सूचना की इन्तजार कर रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का शहरों में प्रव्रजन

60. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेरोजगारी के कारण गांवों से शहरों की ओर प्रव्रजन होता रहता है और शहरों में झुग्गी झोपड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लोग दिल्ली और कलकत्ता जैसे शहरों में जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रजनन को रोकने हेतु कोई योजना बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुंदरलाल पटवा): (क) से (घ) गांवों में रोजगार के पर्याप्त अवसरों की अनुपलब्धता शहरी क्षेत्रों की ओर प्रव्रजन का एक मुख्य कारण है। बिहार तथा उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना तथा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नामक तीन रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विशेषतया सुनिश्चित रोजगार योजना मजदूरी रोजगार की अत्यधिक कमी की अवधि के दौरान गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण गरीबों के लिए शारीरिक श्रम के रूप में मजदूरी रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने के लिए विशेषरूप से चलाई गई है।

[अनुवाद]

जिला स्तर पर उपभोक्ता न्यायालय

61. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी जिलों में उपभोक्ता न्यायालयों की स्थापना हो गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपभोक्ता मंच बनाने वाले स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार नए बनाए गए जिलों को छोड़कर सभी जिलों में उपभोक्ता प्रतितोष मंच स्थापित किए गए हैं।

(ग) और (घ) उपभोक्ताओं के कल्याण और देश में स्वैच्छिक उपभोक्ता आन्दोलन को मजबूत करने के लिए उपयुक्त मामलों में स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को सहायता दी जाती है।

सौर जल-ऊष्मक के प्रयोग को अनिवार्य करना

62. श्री सी.के. जाफर शरीफ : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एक निश्चित आकार से अधिक के आवासीय और होटल-भवनों के लिए सौर जल-ऊष्मक के प्रयोग को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) वाणिज्यिक क्षेत्र के होटलों व अस्पतालों में सौर जल तापन प्रणालियों की स्थापना को अनिवार्य बनाने के उद्देश्य से शहरी विकास मंत्रालय ने अप्रैल, 1994 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से भवन उप-नियमों में संशोधन करने के लिए उनके नियंत्रणाधीन स्थानीय निकायों को उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार करने का अनुरोध किया। स्थानीय निकायों के भवन उप-नियमों के संशोधन कार्य में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से, शहरी विकास विभाग, शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय ने मॉडल नियमन/उप-नियम का प्रारूप तैयार किया जिसे अप्रैल, 1999 में सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को शहरी स्थानीय निकायों के बीच परिचालित करने के लिए भेजा गया है। स्थानीय निकायों द्वारा इन मॉडल नियमन/उप-नियमों को अपने वर्तमान भवन-उपनियमों में शामिल कर लेने के बाद निम्नलिखित श्रेणियों के भवनों में सौर चालित जल तापन प्रणालियों को लगाना अनिवार्य हो जाएगा:-

(1) अस्पताल व नर्सिंग होम

(2) होटल, लॉज तथा गैस्ट हाऊस

(3) स्कूल, महाविद्यालय, प्रशिक्षण केन्द्रों के होस्टल

(4) सशस्त्र सेना, अर्ध-सैनिक बलों व पुलिस के बैरकस्

(5) व्यक्तिगत आवासीय भवन जिनका प्लिंथ क्षेत्रफल 150 वर्गमीटर से अधिक हो

(6) रेलवें स्टेशनों और हवाई अड्डों के कार्यात्मक भवन जैसे-प्रतीक्षालय, विश्रामालय, आराम गृह, निरीक्षण बंगले और कैटरिंग यूनिट।

(7) सामुदायिक केन्द्र, भोज-कक्ष, बारात घर, कल्याण मंडप और इसी प्रकार के उपयोगों हेतु अन्य भवन।

इस बीच, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान राज्यों तथा दादर और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों ने राज्य क्षेत्र में कार्यात्मक भवनों में सौर जल तापकों की स्थापना को अनिवार्य कर दिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रांची हवाई अड्डे पर नाइट लेडिंग सुविधा

63. श्री राम टहल चौधरी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रांची हवाई अड्डे पर नाइट लेडिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है और हवाई जहाजों को कलकत्ता हवाई अड्डे पर उतरना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने रांची हवाई अड्डे पर नाइट लेडिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) रांची विमानपत्तन पर रात्रि अवतरण सुविधाएं उपलब्ध हैं।

इलाहाबाद-दिल्ली मार्ग पर उड़ान

64. श्री धर्म राज सिंह पटेल : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इलाहाबाद-दिल्ली मार्ग पर वायुदूत सेवा बहुत पहले बन्द कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार वायुदूत सेवा को बहाल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जी, हां। कम सीट उपयोगिता तथा विमान क्षमता की कमी की वजह से अप्रैल, 1990 में इलाहाबाद के लिए/वहां से प्रचालन सेवाएं बंद कर दी गई थी।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइन्स की विमान क्षमता तथा वाणिज्यिक कठिनाइयों के कारण इलाहाबाद के लिए/वहां से प्रचालन सेवा करने संबंधी कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

रेलवे के होटलों का निजीकरण

65. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए. नरेन्द्र :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे द्वारा चलाए जा रहे होटलों तथा रेल यात्री निवासों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय रेल खानपान तथा पर्यटन निगम ने रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं के लिए विपणन व्यवहार्यता तथा निजीकरण संबंधी अध्ययन कराने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) निजीकरण सूची में शामिल किए जाने वाले रेलवे होटलों/यात्री निवासों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) भारतीय रेल पर 2 रेलवे होटल, एक रांची में और एक पुरी में और नई-दिल्ली, हवड़ा तथा गोरखपुर स्टेशनों पर एक-एक रेल यात्री निवास हैं।

(ख) और (ग) जी हां। खानपान सेवाओं के व्यावसायीकरण और रेल पर्यटन के क्षेत्र के विस्तार के उद्देश्य से भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम बजट होटलों, पर्यटन पैकेज, गाड़ियों और स्टेशनों आदि पर खानपान सेवाओं के विकास जैसी विभिन्न परियोजनाएं आरंभ करेगा।

(घ) और (ङ) मौजूदा रेलवे होटल और यात्री निवास का प्रबंधन निजी क्षेत्र की भागीदारी से किए जाने का प्रस्ताव है और इस पर निगम का नियंत्रण रहेगा। इस संबंध में निश्चित समय अवधि बताना फिलहाल संभव नहीं है।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आवश्यक वस्तुएं

66. श्री राधा मोहन सिंह : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों को कम कीमत पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने का विचार छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन केन्द्रीय सरकार आवश्यक जिन्सों अर्थात् गेहूं, चावल, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल और मिट्टी का तेल की वसूली करने और इन्हें जनता को उचित मूल्य पर वितरित करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को इनकी आपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार है। जून, 1997 में शुरू की गई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन परिवारों की पहचान कर और उन्हें विशेष राशन कार्ड जारी कर 10 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति मास की दर से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनता को जारी करने के लिए विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न मुहैया किए जाते हैं।

गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या और गरीबी रेखा से नीचे के राशन कार्डधारकों (राज्यवार) की संख्या से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

परिवारों, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों, उचित दर दुकानों और राशन कार्डों की राज्यवार संख्या बताने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबादी (1999) (लाख में)	1999 में परिवारों की संख्या (लाख में)	1995 में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सं. (लाख में)	उचित दर दुकान			राशन कार्ड (लाख में)			
				ग्रामीण	शहरी	जोड़	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	जोड़	निम्न तारीख को सूचित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	746.17	156.43	37.78	32813	7040	39853	113.25	51.53	164.78	अक्तूबर 99
अरूणाचल प्रदेश	11.55	2.34	0.77	842	103	945	0.82	2.43	3.25	अक्तूबर 99
असम	258.78	44.39	19.06	28678	3660	32347	18.81	23.69	42.50	दिसम्बर 99
बिहार	981.22	159.29	85.90	47293	10242	57335	84.26	88.74	173.00	नवम्बर 97
गोवा	15.47	3.10	0.38	429	161	590	0.07	2.98	3.05	दिसम्बर 99
गुजरात	475.51	86.30	19.95	10358	3766	14124	33.84	71.10	104.94	नवम्बर 99
हरियाणा	195.46	31.03	7.33	5247	2664	7911	5.43	37.72	43.15	दिसम्बर 99
हिमाचल प्रदेश	65.45	12.26	4.26	3564	279	3843	2.86	8.92	11.78	सितम्बर 99
जम्मू व कश्मीर	97.09	18.42	6.17	2237	689	2926	3.36	10.12	13.48	सितम्बर 97
कर्नाटक	514.36	93.18	28.87	14547	5353	19893	64.79	46.73	111.52	नवम्बर 99
केरल	319.82	60.57	15.35	12279	1982	14261	20.58	41.00	61.58	दिसम्बर 99
मध्य प्रदेश	783.46	138.37	53.34	20489	3652	24141	43.65	90.13	133.78	दिसम्बर 99
महाराष्ट्र	901.22	175.33	60.45	32400	10346	42746	58.29	135.82	194.11	अक्तूबर 99
मणिपुर	24.41	4.70	1.30	1753	175	1928	0.67	1.13	1.80	जून 97
मेघालय	23.59	4.35	1.44	3257	572	3829	0.97	0.98	1.95	मार्च 97
मिजोरम	9.22	1.62	0.53	886	195	1081	उ.न.	1.73	1.73	जून 99
नागालैंड	16.29	2.92	0.95	138	213	351	0.96	1.05	2.01	मार्च 99
उड़ीसा	355.35	67.30	31.82	20824	3841	24665	41.12	39.81	80.93	सितम्बर 99
पंजाब	232.76	39.32	4.30	9557	3896	13453	4.89	47.31	52.20	सितम्बर 99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
राजस्थान	526.39	87.15	21.66	14041	4551	18592	21.15	76.92	98.07	जनवरी 99
सिक्किम	5.41	1.02	0.34	519	359	878	उ.न.	उ.न.	0.66	अक्तूबर 97
तमिलनाडु	612.55	137.65	45.79	20060	6220	26280	55.00	100.67	155.67	दिसम्बर 99
त्रिपुरा	36.65	6.99	2.31	1185	174	1359	2.31	4.55	6.86	नवम्बर 99
उत्तर प्रदेश	1663.64	267.47	95.48	64393	12326	76719	95.48	159.96	255.44	जुलाई 98
पश्चिम बंगाल	779.72	143.33	46.59	15673	4842	20515	46.11	109.13	155.24	अक्तूबर 98
अंडमान व निकोबार	3.74	0.79	0.22	286	118	404	0.12	0.73	0.85	नवम्बर 99
चंडीगढ़	8.60	1.96	0.18	46	201	247	0.00	2.06	2.06	नवम्बर 99
दादरा व नगर हवेली	1.84	0.35	0.14	78	उ.न.	78	0.16	0.16	0.32	दिसम्बर 99
दमन व दीव	1.35	0.25	0.03	7	6	13	0.02	0.27	0.29	नवम्बर 99
दिल्ली	134.18	26.23	2.96	428	2739	3167	उ.न.	34.45	34.45	जून, 99
लक्षद्वीप	0.69	0.11	0.02	21	14	35	उ.न.	0.12	0.12	दिसम्बर 99
पांडिचेरी	10.76	2.16	0.65	163	233	396	0.90	1.63	2.53	दिसम्बर 99
जोड़	9812.70	1777.48	596.20	364493	90612	455105	719.87	1193.57	1914.10	

[अनुवाद]

रेल-सेवा को फिर से शुरू करना

67. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को, उत्तर रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद खण्ड के राजा-का-सहसपुर जंक्शन से संभल तक अप्रयुक्त एक रेल पथ के होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को रेल-सेवाओं के बन्द हो जाने से यात्रियों को होने वाली असुविधा और अपनी सामग्री के अप्रयुक्त पड़े रहने व उसके चोरी हो जाने से भी रेलवे को होने वाले घाटे की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का, उक्त रेल-मार्ग पर रेल-सेवाएं फिर से शुरू करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) राजा-का-सहसपुर-संभल हतिम सराय खंड पर एक जोड़ी पैसेंजर गाड़ी अर्थात् 1 एसआरएम/2 एसआरएम संभल हतिम सराय-मुरादाबाद पैसेंजर पहले से ही चल रही है।

(ग) इस खंड पर किसी गाड़ी को रद्द नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रेल परियोजनाएं

68. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान उत्तर प्रदेश से अब तक प्राप्त हुई रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसमें से प्रत्येक परियोजना पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान किए गए सर्वेक्षणों का विवरण क्या है;

(घ) चालू रेल परियोजनाओं की परियोजना-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) इन पर परियोजना-वार कुल कितना व्यय किया गया;

(च) इन परियोजनाओं को पूरा करने में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं; और

(छ) इटावा-ग्वालियर के बीच स्वीकृत परियोजना पर कब तक कार्य शुरू हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) रेलवे परियोजनाओं पर प्रस्ताव तैयार करते समय राष्ट्रीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए प्रणाली संबंधी आवश्यकताओं के एकीकृत दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाता है। राज्यों की भौगोलिक सीमाएं निवेश संबंधी निर्णय लेने के मानदंड के आधार नहीं होते हैं। विशेषकर जब तक कई रेलवे परियोजनाएं एक से अधिक राज्यो में पड़ती हैं।

बहरहाल, उत्तर प्रदेश में स्थित रेलवे परियोजनाओं से संबंधित मांगें हाल ही में प्राप्त हुई हैं और उन पर की गई कार्रवाई संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 में किए गए सर्वेक्षणों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) से (च) उत्तर प्रदेश में चालू रेल परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति, उन पर किए गए व्यय का ब्यौरा तथा विलंब यदि कोई हों के लिए कारण विवरण-II में दिए गए हैं।

(छ) ग्वालियर-नोनेरा खंड पहले ही पूरा कर दिया गया है। नोनेरा और भिंड के बीच अगले चरण का आमान परिवर्तन कार्य प्रगति पर है और नोनेरा-सोनी खंड 1999-2000 में शुरू कर दिया जाएगा और सोनी-भिंड (23 कि.मी.) 2000-2001 में शुरू किया जाएगा। भिंड से इटावा तक इस परियोजना के अंतिम चरण के कार्य में चंबल, कुनवरी तथा यमुना नदियों पर 3 बड़े पुलों का निर्माण कार्य शामिल है। यमुना पुल पर कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है।

विवरण-I

उत्तर प्रदेश में रेल परियोजनाओं से संबंधित मांगें तथा उन पर की गई कार्रवाई

1.	मेरठ और कलागढ़ के बीच रेलवे लाइन	इस परियोजना पर कार्य शुरू करना इस स्तर पर आवश्यक नहीं समझा गया है।
2.	कप्तानगंज-छपरा का आमान परिवर्तन	कार्य स्वीकृत कर दिया गया है।
3.	सुल्तानपुर-शाहगंज के बीच नई लाइन	इस स्तर पर परियोजना पर कार्य शुरू करना आवश्यक नहीं समझा गया है।
4.	पानीपत-मेरठ के बीच नई लाइन	सर्वेक्षण किया गया है।
5.	अलीगढ़-दिल्ली के बीच चार लाइनें	इस स्तर पर परियोजना पर कार्य शुरू करना आवश्यक नहीं समझा गया है।
6.	आगरा-भूतेश्वर लाइन का दोहरीकरण	इस स्तर पर परियोजना पर कार्य शुरू करना आवश्यक नहीं समझा गया है।
7.	चोला-बुलंदशहर के बीच नई लाइन	इस स्तर पर परियोजना पर कार्य शुरू करना आवश्यक नहीं समझा गया है।
8.	औडिहार-जौनपुर का आमान परिवर्तन	सर्वेक्षण पूरा हो गया है। परियोजना को रोक दिया गया है।
9.	पूरनपुर के रास्ते पीलीभीत-मैलानी का आमान परिवर्तन	सर्वेक्षण किया जा रहा है।
10.	टनकपुर-बागेश्वर तक नई लाइन	टनकपुर से पूर्णागिरी तक सर्वेक्षण किया जा रहा है।
11.	लेहानपुर-टमबोर के रास्ते सीतापुर-बहराइच तक नई लाइन	सर्वेक्षण पूरा कर दिया गया है।

12.	बरेली जंक्शन-पीलीभीत-भोजीपुरा-लालकुआं, भोजीपुरा-पीलीभीत-टनकपुर तथा पीलीभीत शाहजहांपुर का आमान परिवर्तन	सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के बाद परियोजना को रोक दिया गया है।
13.	गोंडा-बहराइच का आमान परिवर्तन	कार्य स्वीकृत कर दिया गया है।
14.	ऋषिकेश-देहरादून नई लाइन	सर्वेक्षण किया जा रहा है।
15.	फतेहाबाद के लिए रेल लिंक	फतेहाबाद के रास्ते आगरा से इटावा तक नई लाइन स्वीकृत कर दी गई है।
16.	इटावा-मैनपुरी नई लाइन	परियोजना स्वीकृत कर दी गई है।

विवरण-II

वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा

1.	फर्रूखाबाद-गोला-गोकरन नाथ के बीच नई लाइन	सर्वेक्षण पूरा कर दिया गया और परियोजना रोक दी गई है।
2.	महाराजगंज के रास्ते आनंदनगर से घूंघली तक नई लाइन	सर्वेक्षण पूरा कर दिया गया और परियोजना रोक दी गई।
3.	लहरपुर-टमबोर तथा मिहिरपुर के रास्ते सीतापुर-बहराइच	सर्वेक्षण पूरा कर दिया गया और परियोजना रोक दी गई।
4.	पीलीभीत-शाहजहांपुर आमान परिवर्तन	सर्वेक्षण पूरा कर दिया गया है।
5.	औंडिहार-जौनपुर आमान परिवर्तन कार्य	सर्वेक्षण पूरा कर दिया गया है।
6.	गोंडा-बहराइच-मैलानी आमान परिवर्तन कार्य	सर्वेक्षण पूरा कर दिया गया है। गोंडा+बहराइच आमान परिवर्तन स्वीकृत।
7.	बरेली-लालकुआं आमान परिवर्तन कार्य	सर्वेक्षण पूरा कर दिया गया गोंडा-बहराइच आमान परिवर्तन स्वीकृत।
8.	गोरखपुर-गोंडा लूप लाइन	कार्य स्वीकृत कर दिया गया।
9.	देहरादून-सहारनपुर नई लाइन	सर्वेक्षण पूरा कर दिया गया है।
10.	मेरठ सिटी-सहारनपुर का दोहरीकरण	सर्वेक्षण पूरा कर दिया गया है।
11.	उत्तरोतिया-सुल्तानपुर जाफराबाद का दोहरीकरण	सर्वेक्षण पूरा कर दिया गया। परियोजना आंशिक रूप से स्वीकृत कर दी गई।
12.	ललितपुत-रीवा-सिंगरौली (उत्तर प्रदेश में 30 कि.मी.) नई लाइन	परियोजना स्वीकृत कर दी गई।
13.	फतेहाबाद-बाह के रास्ते आगरा-इटावा नई लाइन	परियोजना स्वीकृत कर दी गई।

14.	आगरा सिटी-बिलोच पूरा बाई पास लाइन	सर्वेक्षण पूरा कर दिया गया तथा परियोजना रोक दी गई।
15.	आगरा क्षेत्र तीन बाई पास लाइन	सर्वेक्षण पूरा कर दिया गया।
16.	ईदगाह से फतेहपुर तक बाई पास लाइनों की व्यवस्था	सर्वेक्षण पूरा कर दिया गया।
17.	इटावा-मैनपुर नई लाइन	परियोजना स्वीकृत कर दी गई।
18.	नौएडा तक रेल लिंक	सर्वेक्षण पूरा कर दिया गया है।

विवरण-III

उत्तर प्रदेश में परियोजनाएं

(करोड़ रुपयों में)

शीर्ष	परियोजना शीर्ष	राज्य	रेलवे	मार्च, 1999 तक व्यय	1999-2000 के लिए परिव्यय	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
दोहरी लाइन	मथुरा-भूतेश्वर	उ. प्र.	मध्य	0	0.5	
दोहरी लाइन	मुरादनगर-मेरठ	उ. प्र.	उत्तर	18.54	0	मिट्टी और छोटे पुल संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया है। बड़े पुलों पर कार्य प्रगति पर है। मुरादनगर से परतापुर तक 15 कि.मी. में कार्य दिस. 2000 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।
दोहरी लाइन	कानपुर-पनकी तीसरी लाइन	उ. प्र.	उत्तर	8.12	8.5	मिट्टी संबंधी कार्य प्रगति पर है तथा फ्लाई ओवर के लिए 76.2 मीटर के गर्डर का निर्माण मनमाड कारखाने में किया जा रहा है। इस कार्य को दिसंबर, 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।
दोहरी लाइन	टूंडला-यमुना ब्रज	उ. प्र.	उत्तर	13.11	4.91	टूंडला-इतमादपुर और फ्लाई ओवर पर कार्य प्रगति पर है। मिट्टी संबंधी कार्य तथा छोटे पुलों का कार्य पूरा कर लिया गया है। फ्लाई ओवर सहित टूंडला-इतमादपुर का कार्य दिसम्बर, 2000 तक पूरा हो जाएगा बशर्ते की संसाधन उपलब्ध हों।

1	2	3	4	5	6	7
दोहरी लाइन	गाजियाबाद-(हापुड़) मुरादाबाद चरण-1	उ. प्र.	उत्तर	20.35	10	गाजियाबाद-मेहरोली (7 कि.मी.) का पहला ब्लॉक डांड पूरा कर दिया गया है और चालू कर दिया गया है। पूरे खंड पर कार्य प्रगति पर है। मेहरौली-दासना (8 कि.मी.) का कार्य मार्च, 2000 तक तथा शेष कार्य मार्च, 2001 तक पूरा कर दिया जाएगा।
दोहरी लाइन	उतरतिया-चंदरौली और दोहरी लाइन सुल्तानपुर-बंधवा खां	उ. प्र.	उत्तर	0.005	5	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और विस्तृत अनुमान तैयार कर लिए गए है। नक्शों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्य शुरू किया जा रहा है।
दोहरी लाइन	गोरखपुर-सहजनवां	उ. प्र.	पूर्वोत्तर	1.11	0.001	कार्य अस्थाई रूप से रोक दिया गया है।
दोहरी लाइन	गोंडा-जरवल रोड	उ. प्र.	पूर्वोत्तर	7.02	15	कार्य प्रगति पर है। 85% मिट्टी संबंधी कार्य तथा 33 पुलों में से 31 छोटे पुलों का कार्य पूरा कर दिया गया है और दो पुलों पर कार्य प्रगति पर है। आठ बड़े पुलों का कार्य प्रगति पर है। 18 कि.मी. का खंड जून, 2000 तक खोल दिए जाने की संभावना है।
दोहरी लाइन	अमरोहा-मुरादाबाद	उ. प्र.	उत्तर	0	1	1999-2000 का नया कार्य है। नक्शे तथा अनुमान तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।
आमान परिवर्तन	छपरा-औडिहार	उ. प्र., बिहार	पूर्वोत्तर	164.57	1	कार्य पूरा कर दिया गया है और चालू कर दिया गया है। वित्तीय समायोजन किया जा रहा है।
आमान परिवर्तन	काशीपुर-लालकुआं	उ. प्र.	पूर्वोत्तर	4.35	20	कार्य अच्छी प्रगति पर है और इसे मार्च, 2000 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।
आमान परिवर्तन	आगरा-बांदीकुई	उ. प्र., राजस्थान	पश्चिम	10.06	10	यह कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति पर है अभी तक कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।
आमान परिवर्तन	मऊ-शाहगंज	उ. प्र.	पूर्वोत्तर	55.01	1	यह कार्य पूरा कर दिया गया तथा चालू कर दिया गया है। वित्तीय समायोजन किए जा रहे है।

1	2	3	4	5	6	7
आमान परिवर्तन	खड्डा गोरखपुर	उ. प्र.	पूर्वोत्तर	58.46	2.5	यह कार्य पूरा कर दिया गया है। अवशिष्ट कार्य प्रगति पर है।
आमान परिवर्तन	आनन्दनगर-नौतनवा सहित गौंडा-गोरखपुर लूप लाइन	उ. प्र.	पूर्वोत्तर	0.001	0.001	आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
आमान परिवर्तन	कप्तानगंज-थावे-सिवान-छपरा	उ. प्र.	पूर्वोत्तर	0	0.001	1999-2000 का नया कार्य है। आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
आमान परिवर्तन	मथुरा-भूतेश्वर	उ. प्र.	मध्य	0	0.5	यह कार्य 1999-2000 का नया कार्य है। विस्तृत अनुमानों को स्वीकृति दे दी गई है। मिट्टी संबंधी कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है।
आमान परिवर्तन	आगरा-बांदीकुई	उ. प्र., राजस्थान	पश्चिम	10.06	10	
आमान परिवर्तन	मथुरा-अछनेरा	उ. प्र.	पूर्वोत्तर	0.11	0.001	कानपुर-कासगंज-मथुरा सहित इस कार्य को आगामी वर्षों में पूरा करने की योजना बनाई गई है।
आमान परिवर्तन	गौंडा-बहराइच-सीतापुर-लखनऊ फेज-1	उ.प्र.	पूर्वोत्तर	0.001	0.001	आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर लिए जाने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
आमान परिवर्तन	कानपुर-कासगंज-मथुरा	उ. प्र.	पूर्वोत्तर	39.65	26	आंशिक मिट्टी संबंधी कार्य पूरा कर दिया गया है। 460 में से 160 छोटे पुलों पर कार्य पूरा कर दिया गया है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार यह कार्य आगामी वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा।
आमान परिवर्तन	इन्दारा-फेफना	उ. प्र.	पूर्वोत्तर	6.25	1	यह पूरा कर दिया गया तथा चालू कर दिया गया है। शेष अवशिष्ट कार्य शीघ्र पूरे हो जाएंगे।
नई लाइन	गुना-इटावा	मध्य प्रदेश, उ.प्र.	मध्य	225.35	18	गुना-ग्वालियर यथा ग्वालियर नोनेरा खंड पहले ही पूरे कर दिए गए है। नोनेरा तथा भिंड के बीच आमान परिवर्तन के अगले चरण का कार्य प्रगति पर है तथा

1	2	3	4	5	6	7
						नोनेरा-सोनी (27 कि.मी.) का कार्य 2000-2001 में शुरू किया जाएगा। भिंड से (23 कि.मी.) इस परियोजना के अंतिम चरण का कार्य 2000-2001 में शुरू किया जाएगा। भिंड से इटावा तक परियोजना के अंतिम चरण के कार्य में चबा कुवारी तथा यमुना नदी पर 3 बड़े पुलों का निर्माण शामिल है। यमुना पुल का कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है। यह कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में पूरा किया जाएगा।
नई लाइन	बगहा-छितौनी (मी. लाइन)	उ.प्र.	पूर्वोत्तर	0	0	आमान परिवर्तन का कार्य पूरा कर दिया गया है और इसे चालू कर दिया गया है। गडक नदी पर रेल एवं सड़क पुल (200 फुट के 14 स्पैन) का कार्य मैसर्स इरकॉन को सौंप दिया गया है जो प्रगति पर है। यह कार्य लगभग दो वर्ष में पूरा कर दिया जाएगा।
नई लाइन	राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामपुर-लालकुआं काठगोदाम ऊपरी सड़क	उ.प्र.	पूर्वोत्तर	5.03	1	संशोधित योजना अनुमोदन के लिए भूतल परिवहन मंत्रालय को भेज दी गई है। राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से का कार्य शुरू करने पर रेलवे अपने हिस्से का कार्य शुरू कर देगी।
नई लाइन	इटावा-मैनपुरी	उ.प्र.	उत्तर	0.0011	0.001	आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर लिए जाने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
नई लाइन	कटरा-फैजाबाद	उत्तर	पूर्वोत्तर	17.6	10	कुल 142.49 एकड़ भूमि में से 116 एकड़ भूमि प्राप्त कर ली गई है। 6.64 लाख घनमीटर मिट्टी संबंधी कार्य हो गया है। सूर्य पुल का कार्य शुरू कर दिया गया है और उसका पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
नई लाइन	ललितपुर-सतना तथा रीवा-सिंगरौली	म.प्र., उ.प्र.	मध्य	1	5	आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। ललितपुर छोर से 70 कि.मी. तथा महोबा से 45 कि.मी. के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर दिया गया है। शेष खंड के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6	7
नई लाइन	फतेहाबाद तथा बाह के रास्ते आगरा-इटावा	उ.प्र.	मध्य	0	2	मंडी छोर से 49 कि.मी. के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। नक्शे तथा अनुमान तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
रेलवे-विद्युतीकरण	मुगलसराय-जाफराबाद	उ.प्र.	उत्तर	0	0.1	परियोजना बोर्ड के विचाराधीन है।
रेलवे विद्युतीकरण	कानपुर-लखनऊ	उ.प्र.	उत्तर	3.69	29.43	इस खंड को मार्च, 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
रेलवे विद्युतीकरण	खुर्जा-मेरठ सहारनपुर	उ.प्र.	उत्तर	0	0.001	निम्न परिचालनिक प्राथमिकता के कारण यह कार्य फिलहाल लंबित रखा गया है।
रेलवे विद्युतीकरण	अंबाला-मुरादाबाद	उ.प्र., हरियाणा, राजस्थान	उत्तर	64.02	12.63	अंबाला से राहारपुर तक कार्य पूरा कर दिया गया है। सहारनपुर से मुरादाबाद तक का खंड जिस पर पहले कार्य रोक दिया गया था, नवंबर, 1998 में पूरे खंड पर मार्च, 2003 तक कार्य पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
रेलवे विद्युतीकरण	सीतारामपुर-दानापुर-मुगलसराय	बिहार, उ.प्र., प.बं.	पूर्व	203.8	68.53	286 कि.मी. लंबे मार्ग को मार्च, 1999 तक अर्जित कर दिया गया। कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा कन्ट्रावेक्टर के विफल हो जाने के कारण इसकी प्रगति धीमी हो गई। अब इस कार्य को दिस., 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

[अनुवाद]

सौर-ऊर्जा आधारित घरेलू उपकरण को प्रोत्साहन

69. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार, राज्य सरकारों को सौर-ऊर्जा पर आधारित विविध घरेलू उपकरणों को प्रोत्साहन देने के लिए आर्थिक सहायता दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, सौर लालटेन, सौर घरेलू रोशनी प्रणाली और सौर कुकर जैसे कुछ और घरेलू उपकरणों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों/नोडल एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। इस सहायता में, सौर लालटेनों और सौर घरेलू रोशनी प्रणालियों के प्रयोगकर्त्ताओं के लिए आर्थिक राज सहायता (सब्सिडी) तथा सौर कुकरों से संबंधित जैसे प्रचार, प्रशिक्षण, विपणन नेटवर्क का विकास और संस्थानों के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहक क्रियाकलापों को आयोजित करने हेतु अनुदान देना शामिल है। मंत्रालय की ब्याज आर्थिक राज सहायता योजना के

अंतर्गत, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था तथा कुछ बैंकों के माध्यम से घरों के लिए सौर जल तापकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जनता के लिए अक्षय ऊर्जा उत्पादों को आसानी से उपलब्ध कराने और साथ ही बिक्री पश्चात् सेवा उपलब्ध कराने के लिए देश के प्रमुख शहरों में आदित्य सौर दुकानों की स्थापना करने के लिए भी राज्य सरकारों/नोडल एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इन क्रियाकलापों के लिए वर्ष 1998-99 के दौरान जारी की गई राज्यवार निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1998-99 के दौरान विभिन्न और घरेलू उपकरणों के प्रोत्साहन के लिए राज्यों को जारी की गई निधियां

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	21.53
2.	अरूणाचल प्रदेश	31.90
3.	असम	67.90
4.	बिहार	227.54
5.	दिल्ली	–
6.	गोवा	0.85
7.	गुजरात	111.48
8.	हरियाणा	194.61
9.	हिमाचल प्रदेश	66.00
10.	जम्मू व कश्मीर	163.13
11.	कर्नाटक	64.67
12.	केरल	114.72
13.	मध्य प्रदेश	87.00
14.	महाराष्ट्र	15.00
15.	मणिपुर	30.80
16.	मेघालय	12.10
17.	मिजोरम	24.03
18.	नागालैंड	2.95
19.	उड़ीसा	86.70
20.	पंजाब	82.66
21.	राजस्थान	454.16
22.	सिक्किम	6.21
23.	तमिलनाडु	28.10
24.	त्रिपुरा	83.37
25.	उत्तर प्रदेश	841.55
26.	पश्चिम बंगाल	171.85
27.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	–
28.	चंडीगढ़	22.11
29.	दादरा व नगर हवेली	–
30.	दमन व दीव	–
31.	लक्षद्वीप समूह	4.00
32.	पांडिचेरी	4.50

[हिन्दी]

अनाज की घटिया क्वालिटी

70. डा. बलिराम : क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से घटिया किस्म के अनाज की सप्लाई करने से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) उस क्षेत्रीय कार्यालय अथवा गोदाम का नाम क्या है जिसकी अधिकतम शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान

घटिया किस्म के खाद्यान्नों की सप्लाई करने के बारे में इस मंत्रालय में प्राप्त शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	शिकायतों की संख्या
1997-98	4
1998-99	5
1999-2000	8
जोड़	17

(ख) इन शिकायतों में से अधिकांश शिकायतें पंजाब क्षेत्र से वसूल किए गए और प्रेषित किए गए चावल की सप्लाई के संबंध में हैं।

(ग) भारतीय खाद्य निगम को निदेश दिया गया है कि ये लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण के लिए कीट जन्तुबाधा से मुक्त और खाद्य अपमिश्रण निवारण मानकों के अनुरूप केवल अच्छी किस्म के खाद्यान्नों की सप्लाई सुनिश्चित करें।

[अनुवाद]

धरोहर होटल

71. श्री सुबोध मोहिते : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को उन धरोहर भवनों का पता लगाने के लिए कहा है जिन्हें धरोहर होटल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) जिन धरोहर भवनों को होटल का दर्जा दिया गया है उनका स्थलवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार पर्यटन विकास कोष स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) जी, हां। पुरानी हेरीटेज इमारतों, हवेलियों, शिकार-गृहों, किलों, महलों आदि के परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने पुरानी इमारतों, जिन्हें हेरिटेज होटलों में परिवर्तित किया जा सकता है, के अनुमोदन और वर्गीकरण के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। पर्यटन मंत्रालय ने हेरिटेज इमारतों को हेरिटेज होटलों मे अभिनिर्धारित करने और परिवर्तित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को कहा है, जो न केवल आवास की अत्यधिक आवश्यकता को पूरा करते हैं बल्कि इमारतों का संरक्षण भी करते हैं जो पर्यटक आकर्षण के रूप में भी सहायक होते हैं। इस समय, कुल 1916 कमरों के साथ पर्यटन मंत्रालय की अनुमोदित सूची में 62 हेरिटेज होटल हैं। इसके अलावा, 53 हेरिटेज होटल परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं, जिनके पूरा होने पर, हेरिटेज श्रेणी के अंतर्गत 1188 कमरे जुड़ जाएंगे।

(घ) और (ङ) जी हां। प्रस्तावित पर्यटन विकास निधि अन्य बातों के साथ-साथ पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय और अन्य सहायता मुहैया कराएगी। विस्तृत योजना तैयार की जा रही है।

पूर्णा-अकोला रेल मार्ग का आमान परिवर्तन

72. श्री शिवाजी माने : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्णा-अकोला रेल मार्ग के आमान परिवर्तन हेतु एक सर्वेक्षण कराया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या उक्त परियोजना हेतु कोई धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त परियोजना के लिए कब तक धनराशि आबंटित किए जाने की संभावना है और आमान परिवर्तन कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) से (ङ) सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि पूर्णा-अकोला तक 209 कि.मी. लंबी लाइन के आमान परिवर्तन की लागत 16.42% की दर सहित 228 करोड़ रुपये है। रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

अन्तरराष्ट्रीय एअरलाइनों में सीटों की अग्रिम बुकिंग

73. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकांश अन्तरराष्ट्रीय यात्रियों को भारत से लंदन और विश्व के प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए अन्तरराष्ट्रीय एअरलाइनों में कम-से-कम छह महीने पहले सीट बुक करानी होती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) सामान्यतया अत्यधिक आवाजाही के दिनों में विमान सीट क्षमता की कमी महसूस की जाती है। भारत सरकार सीजनल आवाजाही की देखभाल हेतु अतिरिक्त सेक्शन उड़ानों के प्रचालन संबंधी अनुमति देती है। सरकार ने एक उदार पर्यटक चार्टर नीति भी निरूपित की है जिसकी खूब सराहना हुई है। अनुरोध पर, सरकार द्विपक्षीय वार्ताएं भी कर रही है और वह उदारतापूर्वक क्षमता संबंधी अपेक्षाओं की पुनरीक्षा करती है।

यात्री किराये में छूट

74. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :
श्री मोहन रावले :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यात्री किराये में रियायत से रेलवे को प्रति माह औसतन 120 करोड़ रु. और प्रतिवर्ष 1440 करोड़ रु. की लागत आती है;

(ख) यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के व्यक्तियों को यह रियायत दी जाती है;

(ग) क्या रेलवे का अपने घाटे को देखते हुए विभिन्न श्रेणियों के लिए दी जा रही सभी वर्तमान रियायतों की समीक्षा का विचार है;

(घ) यदि हां, तो क्या दो हजार रु. से कम मासिक आय वाले लोगों के लिए रेल परिवहन सुगम बनाने हेतु एक अलग किराया व्यवस्था प्रस्तावित है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे कम आय वाले लोगों की पहचान करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जाएंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) *सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।*

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर रियायतों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारतीय रेल द्वारा निम्नलिखित कोटियों में आने वाले व्यक्तियों को रियायत दी जा रही है:-

शारीरिक रूप से विकलांग/अधरंग, नेत्रहीन, मानसिक रूप से अविकसित और मूक एवं बधिर व्यक्ति; कैंसर, क्षयरोग/लुप्स वल्गारिक, असंक्रमक कुष्ठ रोग, थालसेमिया, हृदय और अस्थि-विच्छेदन के रोगी, वरिष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, अध्यापक, 60 वर्ष की आयु के बाद, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को श्रम पुरस्कार प्राप्त औद्योगिक श्रमिक, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक, बहादुरी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त बच्चों के माता-पिता में से एक, युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाएं, श्रीलंका में कार्रवाई के दौरान शहीद भारतीय शांति सेना की विधवाएं, आतंकवादियों और उग्रवादियों के विरूद्ध कार्रवाई में मारे गए पुलिसकर्मियों की विधवाएं, राष्ट्रीय एकता शिविर, कार्य शिविरों में भाग लेने वाले विद्यार्थी तथा गैर-विद्यार्थी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरी के लिए साक्षात्कार में भाग लेने वाले बेरोजगार युवा, कैडेट और मेरिन इंजीनियर प्रशिक्षु, भारत स्काउट और गाइड, किसान, औद्योगिक मजदूर, कतिपय संगठन के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने वाले शिष्टमंडल, नर्सें और दाइयां, सेंट जॉन एम्बुलेंस, रिलीफ वेलफेयर एंबुलेंस कार्प्स कलकत्ता, भारत सेवा दल, बेंगलुरु, अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवा के स्वयं सेवक, कलाकार, खिलाड़ी, प्रेस संवाददाता, असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत और 400 रु. प्रतिमाह से कम आय वाले व्यक्ति।

अपहरण के खतरों के कारण काठमांडू की उड़ानों को बन्द करना

75. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पायलटों को अभी तक यह भय है कि अपहरण का खतरा टला नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय पायलट यह चाहते हैं कि नेपाल से आतंकवादी गतिविधियां समाप्त होने के बाद काठमांडू के लिए उड़ाने शुरू की जाएं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) सरकार को इस प्रकार का कोई पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एन्टी बेलिस्टिक मिसाइल प्रणाली का डिजाइन तैयार किया जाना

76. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार, अमेरिकी 'स्टार वार्स' की तर्ज पर आधुनिकत एंटी बेलिस्टिक मिसाइल प्रणाली का डिजाइन तैयार करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त डिजाइन को कब तक तैयार किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु निधियां उपलब्ध करने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं। सरकार अमरीकी 'स्टारवार्स' सिस्टम की तर्ज पर किसी प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का डिजाइन तैयार करने का विचार नहीं कर रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अमेरिका के साथ 'ओपन स्काई' समझौता

77. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 'ओपन स्काई' समझौते के बारे में अमेरिका से बातचीत कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के लिए 'ओपन स्काई' नीति स्वीकार करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके लाभ क्या हैं; और

(ङ) विदेशी विमान सेवाओं के बारे में सरकार की नीति क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (घ) नवम्बर, 1999 के दौरान अन्तर-सरकारी वार्ता के दौरान, अमेरिकी सरकार ने भारत के साथ ओपन स्काई करार का प्रस्ताव किया था। चूंकि कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचारों में मतभेद थे, अत: कोई समझौता नहीं किया जा सका।

(ङ) भारत में कारगो प्रचालनों के लिए एक ओपन स्काई नीति है। यात्री सेवाओं के संबंध में सरकार की नीति सभी मार्गों पर पर्याप्त क्षमता सुनिश्चित करने की है। सरकार अपनी राष्ट्रीय विमान कंपनी को संयुक्त उड़ानों तथा कोड शेयरिंग प्रबन्धों के माध्यम से अप्रयुक्त हकदारी को उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है।

हाल्ट स्टेशन का निर्माण

78. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर रेलवे के अंतर्गत पखना और मोता रेलवे स्टेशनों के बीच एक हाल्ट स्टेशन का निर्माण किए जाने की मांग लम्बे समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे को इस संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) पखना और मोता रेलवे स्टेशनों के बीच हाल्ट स्टेशन खोलने के लिए हाल ही में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। मामले की जांच की जा रही है।

बंजरभूमि का विकास

79. श्री आर.एस. पाटिल : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान बंजरभूमि के विकास हेतु कर्नाटक से गडग और बागलकोट जिलों के विशेष संदर्भ में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इनमें से प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) गत वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभाग को कर्नाटक राज्य के गडग और बागलकोट जिलों से बंजरभूमि के विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठते।

विजयवाड़ा में एक्सप्रेस रेलगाड़ी का पटरी से उतरना

80. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विजयवाड़ा में एक्सप्रेस रेलगाड़ी का एक वातानुकूलित डिब्बा जनवरी, 2000 में पटरी से उतर गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस दुर्घटना की कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे और इस पर क्या कार्रवाई हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी हां। 27.1.2000 को लगभग 10.50 बजे दक्षिण मध्य रेल के विजयवाडा स्टेशन के प्लेटफार्म में प्रवेश करते समय 2841 कोरोमंडल एक्सप्रेस का एक वातानुकूल सवारी डिब्बा पटरी से उतर गया।

(ग) और (घ) दुर्घटना के संबंध में अधिकारियों की एक समिति द्वारा जांच पड़ताल की गई थी जो इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह दुर्घटना रेलपथ के घटिया अनुरक्षण के कारण हुई जिसके लिए सीनियर सेक्शन इंजीनियर (रेलपथ) विजयवाडा को मुख्यत: जिम्मेदार ठहराया गया है।

विरूधनगर-कोल्लम रेलमार्ग का आमान परिवर्तन

81. डा. सी. कृष्णन :
श्री वैको :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विरूधनगर-कोल्लम मीटर गेज लाइन के आमान परिवर्तन का शिलान्यास किस तिथि को किया गया था और अब तक कितना काम पूरा हो चुका है;

(ख) आबंटित निधि में से अब तक इस पर कितनी राशि व्यय की जा चुकी है;

(ग) इस परियोजना को पूरा करने हेतु मूल्यवृद्धि सहित कितने धन की आवश्यकता है; और

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) इसका शिलान्यास 17.6.1999 को किया गया था। इस परियोजना के दो खण्डों अर्थात् विरूद्धनगर-तेनकासी और तिरूनेलवेलि तिरूचेंदूर में कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ख) 230 लाख रुपये।

(ग) अनुमानित लागत 332.18 करोड़ रु. (लगभग) है। सही लागत वृद्धि अब और पूरा होने की तारीख के बीच मुद्रास्फीति पर निर्भर करेगी।

(घ) इस परियोजना को पूरा करने के लिए अभी कोई निश्चित लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इस कार्य में तेजी लायी जाएगी और पूरा किया जाएगा।

कालीकट हवाई अड्डे का विकास

82. श्री ई. अहमद : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कालीकट हवाई अड्डे का विकास कार्य अर्थात् धावन पट्टी का विस्तार कर उसे 7,500 फुट से 9,000 फुट करने का काम बहुत धीमा पड़ गया है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण समझौता ज्ञापन की शर्तों का पालन नहीं कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, हां। असामयिक वर्षा की वजह से प्रगति कार्य धीमा रहा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

लखनऊ-गोरखपुर रेल मार्ग का दोहरीकरण

83. श्री ब्रजभूषण शरण सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार, लखनऊ-गोरखपुर रेल मार्ग को दोहरा करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) लखनऊ और बाराबंकी के बीच दोहरी लाइन मौजूद है। गोंडा और गोरखपुर के बीच जरवल से गोंडा तक स्वीकृत कार्य है और दोहरीकरण का कार्य गोरखपुर-गोंडा लूप का आमान परिवर्तन करके किया जाएगा जिसे स्वीकृत कर दिया गया है। इस खंड पर कार्य आवश्यक स्वीकृति मिलने के बाद शुरू किया जाएगा जिसके लिए कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है।

जेट एयरवेज द्वारा सेवाओं का विस्तार

84. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जेट-एयरवेज को उसकी सेवाओं का विस्तार करने हेतु अनुमति प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो यह अनुमति किस तारीख को दी गई; और

(ग) इसका इंडियन एयरलाइन्स के कारोबार पर क्या प्रभाव होगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) पिछले एक वर्ष के दौरान, 10.5.99 को पांच एटीआर-72-500 टर्बो-प्राप विमानों तथा 7.2.2000 को दो बोइंग-737-800 विमानों के आयात के माध्यम से अपने नेटवर्क में विस्तार के लिए मैसर्स जेट एयरवेज को अनुमति प्रदान की गई है।

(ग) चूंकि स्वीकृत क्षमता के अधिकांश भाग को अभी लगाया जाना है, इसलिए इस समय इंडियन एयरलाइन्स के कारोबार पर इसके प्रभाव को विशेष रूप से अभी नहीं बताया जा सकता।

[अनुवाद]

शस्त्र विक्रेताओं के एजेंट के रूप में काम कर रहे सेवानिवृत्त सेवा कर्मी

85. श्री रमेश चेन्नितला : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रक्षा सेवाओं के कई अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र विक्रेताओं के एजेंट बन गये हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान जानकारी में आये ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रचलन की वांछनीयता का कभी परीक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रचलन को प्रभावी ढंग से रोकने के लिये सैन्य अधिकारियों के सेवा संबंधी नियमों में कठोर प्रावधान सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (ङ) सरकार ने रक्षा सेनाओं के अफसरों द्वारा सेवानिवृत्त होने के बाद अंतरराष्ट्रीय शस्त्र डीलरों के एजेंट के रूप में कार्य करने के बारे में संसद, प्रचार माध्यमों तथा अन्य माध्यमों में लगाए गए आरोपों पर ध्यान दिया है। मौजूदा सरकारी अनुदेशों में सशस्त्र सेनाओं के लिए शस्त्र तथा शस्त्र प्रणाली की खरीदारी में एजेंटों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा निष्पादित संविदाओं में एजेंटों पर प्रतिबंध संबंधी शर्त रखी गई है, जिसमें कहा गया है

कि यदि बाद में यह पाया जाता है कि किसी संविदा में एजेंटों की भूमिका रही है तो संविदा को निरस्त कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गई राशि ब्याज समेत वापस ले ली जाएगी तथा कम से कम पांच वर्ष तक उक्त कंपनी के साथ कोई संविदा नहीं की जाएंगी। एजेंट को कमीशन के रूप में दी गई राशि भी वापस करनी होगी। सरकार ने रक्षा संबंधी सभी बड़ी खरीदारियों से संबंधित निर्णयों में कथित अनियमितताओं की गहन जांच करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग से कहा है, क्योंकि सरकार ने शस्त्रों तथा शस्त्र प्रणाली की खरीद में एजेंटों को शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था।

सेना में कर्नल तथा उससे ऊपर के रैंक के तथा अन्य रक्षा सेवाओं में इनके समकक्ष अफसर को रक्षा सेवाओं से उसके कार्यमुक्त होने की तारीख से दो वर्ष व्यतीत होने तक निजी क्षेत्र में व्यावसायिक रोजगार स्वीकार करने से पहले सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होती है। इस संबंध में मौजूदा प्रावधान यह हैं कि उपर्युक्त अनुदेशों का उल्लंघन करके रोजगार स्वीकार करने वाले किसी भी अफसर को सेवा अथवा निशक्तता पेंशन या अन्य आवर्ती लाभ नहीं दिए जाएंगे।

समेकित परिवहन नीति

86. डा. एस. जगतरक्षकन :
श्री पी.एस. गढ़वी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समेकित परिवहन नीति बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या नीति को अंतिम रूप देने से पहले सड़क परिवहन विशेषज्ञों से परामर्श किया जाएगा ताकि यह नीति रेल, सड़क दोनों क्षेत्रों के लिए परस्पर लाभदायक हो;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे कब तक तैयार कर लिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) अवसंरचना पर कृतिक बल का गठन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय महत्ता की विशिष्ट परियोजनाओं में निवेश आकर्षित करने और उनका समय पर समापन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार तथा उद्योग दोनों के प्रतिनिधियों को शामिल करके योजना आयोग की अध्यक्षता में किया गया था। परिवहन अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दृष्टि से कृतिक बल के कार्य क्षेत्र का दायरा बाद में राष्ट्रीय परिवहन नीति तैयार और एकीकृत करने के लिए बढ़ा दिया गया था। एकीकृत परिवहन नीति के मसौदे पर कृतिक बल द्वारा अभी विचार किया जाना है।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रदत्त धनराशि

87. श्री अकबर अली खांदोकर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार गत तीन वर्षों के दौरान जवाहर रोजगार योजना के वित्तीय और वास्तविक दोनों लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत बाद के वर्षों में आबंटन से पहले प्रत्येक राज्य सरकार के कार्यनिष्पादन पर विचार किया जाता है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) राज्य में जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन के संबंध में वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान निधियों की उपलब्धता और उपयोग तथा वास्तविक निष्पादन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	लाख रुपये		(लाख श्रम दिन)	
	कुल उपलब्धता	प्रयुक्त राशि	प्रतिशत उपयोग	सृजित रोजगार
1996-97	18441.70	12837.59	69.61	178.53
1997-98	17260.69	12404.99	71.87	154.62
1998-99	18311.38	12372.19	67.57	अनुपलब्ध

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

देश में उचित दर की दुकानें

88. श्री दिनशा पटेल : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और इस वर्ष के दौरान देश में राज्यवार कुल कितनी उचित दर दुकानें खोली गईं;

(ख) क्या ऐसी दुकानें खोलने के लिए कोई मानदण्ड विद्यमान है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार देश में उचित दर दुकानों की कुल मौजूदा संख्या संलग्न विवरण-I में दिखाई गई है। पिछले तीन वर्षों के संबंध में राज्यवार सूचना संलग्न विवरण II, III और IV में दिखाई गई है।

(ख) और (ग) उचित दर दुकानों को खोलने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को क्रियान्वित करने की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों की होती है। राज्य सरकारें उचित दर दुकान को मंजूरी देने से पहले जनता की आवश्यकताओं और दुकान की आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखती हैं। केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श दिया है कि उचित दर की दुकानें ऐसे स्थानों पर खोली जाएं जहां पर उपभोक्ता आसानी से पहुंच सकें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक 2000 व्यक्तियों के लिए एक उचित दर दुकान खोलने संबंधी मानदण्ड को अपनाने का सुझाव दिया गया था। भू-भाग और जनसंख्या घनत्व की भिन्नता को देखते हुए अपवाद-स्वरूप उक्त मानदण्ड में परिवर्तन किया जा सकता है।

विवरण-I

वर्तमान में उचित दर दुकानों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उचित दर दुकानों की संख्या		जोड़
		ग्रामीण	शहरी	
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	32813	7040	39853
2.	अरूणाचल प्रदेश	842	103	945
3.	असम	26687	3660	32347
4.	बिहार	47293	10242	57535
5.	गोवा	429	161	590
6.	गुजरात	10358	3766	14124
7.	हरियाणा	5214	2660	7874
8.	हिमाचल प्रदेश	3564	279	3843
9.	जम्मू व कश्मीर	2237	689	2926
10.	कर्नाटक	14540	5353	19893
11.	केरल	12279	1982	14261

1	2	3	4	5
12.	मध्य प्रदेश	20489	3652	24141
13.	महाराष्ट्र	32400	10346	42746
14.	मणिपुर	1753	175	1928
15.	मेघालय	3257	572	3829
16.	मिजोरम	886	195	1081
17.	नागालैंड	138	213	351
18.	उड़ीसा	20824	3841	24665
19.	पंजाब	9557	3896	13453
20.	राजस्थान	14041	4551	18592
21.	सिक्किम	519	359	878
22.	तमिलनाडु	20060	6220	26280
23.	त्रिपुरा	1185	174	1359
24.	उत्तर प्रदेश	64393	12326	76719
25.	पश्चिम बंगाल	15639	4918	20557
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	286	118	404
27.	चंडीगढ़	46	201	247
28.	दादरा और नगर हवेली	78	उपलब्ध नहीं	78
29.	दमन और दीव	7	6	13
30.	दिल्ली	428	2739	3167
31.	लक्षद्वीप	21	14	35
32.	पांडिचेरी	163	233	396
	जोड़	364426	90684	455110

विवरण-II

31.12.1999 की स्थिति के अनुसार उचित दर दुकानों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उचित दर दुकानों की संख्या		जोड़
		ग्रामीण	शहरी	
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	32813	7040	39853
2.	अरूणाचल प्रदेश	842	103	945

1	2	3	4	5
3.	असम	28687	3660	32347
4.	बिहार	47293	10242	57535
5.	गोवा	429	161	590
6.	गुजरात	10358	3766	14124
7.	हरियाणा	5289	2648	7837
8.	हिमाचल प्रदेश	3548	277	3825
9.	जम्मू व कश्मीर	2237	689	2926
10.	कर्नाटक	14540	5353	19893
11.	केरल	12279	1982	14261
12.	मध्य प्रदेश	20489	3652	24141
13.	महाराष्ट्र	32400	10346	42746
14.	मणिपुर	1753	175	1928
15.	मेघालय	3257	572	3829
16.	मिजोरम	886	195	1081
17.	नागालैंड	138	213	351
18.	उड़ीसा	20824	3841	24665
19.	पंजाब	9557	3896	13453
20.	राजस्थान	14041	4551	18592
21.	सिक्किम	519	359	878
22.	तमिलनाडु	20060	6220	26280
23.	त्रिपुरा	1185	174	1359
24.	उत्तर प्रदेश	64393	12326	76719
25.	पश्चिम बंगाल	15639	4918	20557
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	286	118	404
27.	चंडीगढ़	46	201	247

1	2	3	4	5
28.	दादरा और नगर हवेली	78	उपलब्ध नहीं	78
29.	दमन और दीव	7	6	13
30.	दिल्ली	428	2739	3167
31.	लक्षद्वीप	21	14	35
32.	पांडिचेरी	163	233	396
	जोड़	364385	90670	455055

विवरण-III

31.12.1998 की स्थिति के अनुसार उचित दर दुकानों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उचित दर दुकानों की संख्या		जोड़
		ग्रामीण	शहरी	
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	32813	7040	39853
2.	अरुणाचल प्रदेश	842	103	945
3.	असम	27466	3753	31219
4.	बिहार	47293	10242	57535
5.	गोवा	429	161	590
6.	गुजरात	10358	3766	14124
7.	हरियाणा	5078	2617	7695
8.	हिमाचल प्रदेश	3418	240	3658
9.	जम्मू व कश्मीर	2237	689	2926
10.	कर्नाटक	14540	5353	19893
11.	केरल	12279	1982	14261
12.	मध्य प्रदेश	20489	3652	24141
13.	महाराष्ट्र	32400	10346	42746
14.	मणिपुर	1742	186	1928
15.	मेघालय	3257	572	3829

1	2	3	4	5
16.	मिजोरम	874	193	1067
17.	नागालैंड	138	213	351
18.	उड़ीसा	20980	3620	24600
19.	पंजाब	8680	3072	11752
20.	राजस्थान	14041	4551	18592
21.	सिक्किम	519	359	878
22.	तमिलनाडु	19872	6196	26068
23.	त्रिपुरा	1185	174	1359
24.	उत्तर प्रदेश	64393	12326	76719
25.	पश्चिम बंगाल	15628	4790	20418
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	286	118	404
27.	चंडीगढ़	46	201	247
28.	दादरा और नगर हवेली	78	उपलब्ध नहीं	78
29.	दमन और दीव	7	6	13
30.	दिल्ली	428	2739	3167
31.	लक्षद्वीप	21	14	35
32.	पांडिचेरी	153	208	361
	जोड़	361970	89482	451452

विवरण-IV

31.12.1997 की स्थिति के अनुसार उचित दर दुकानों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उचित दर दुकानों की संख्या		जोड़
		ग्रामीण	शहरी	
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	32674	6974	39646
2.	अरूणाचल प्रदेश	842	103	945
3.	असम	27466	3753	31219

1	2	3	4	5
4.	बिहार	47293	10242	57535
5.	गोवा	428	155	584
6.	गुजरात	10127	3809	13936
7.	हरियाणा	5033	2629	7662
8.	हिमाचल प्रदेश	3418	240	3658
9.	जम्मू व कश्मीर	2237	689	2926
10.	कर्नाटक	14523	5343	19872
11.	केरल	12254	2029	14283
12.	मध्य प्रदेश	20453	3640	24090
13.	महाराष्ट्र	31752	10856	42608
14.	मणिपुर	1742	186	1928
15.	मेघालय	3262	574	3836
16.	मिजोरम	740	335	1075
17.	नागालैंड	136	212	348
18.	उड़ासा	20873	3621	24494
19.	पंजाब	8680	3072	11752
20.	राजस्थान	13994	4494	18488
21.	सिक्किम	519	359	878
22.	तमिलनाडु	20656	4235	24891
23.	त्रिपुरा	1172	180	1352
24.	उत्तर प्रदेश	64393	12326	76719
25.	पश्चिम बंगाल	15607	4832	20439
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	290	114	404
27.	चंडीगढ़	46	203	249
28.	दादरा और नगर हवेली	72	उपलब्ध नहीं	72
29.	दमन और दीव	7	6	13
30.	दिल्ली	428	2739	3167
31.	लक्षद्वीप	21	14	35
32.	पांडिचेरी	153	208	361
	जोड़	339890	109586	449476

अरासिकेरे-हसन-मंगलौर रेल लाइन का आमान परिवर्तन

89. श्री जी. पुट्टा स्वामी गौड़ा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अरासिकेरे-हसन-मंगलौर रेल लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य किस तिथि को शुरू किया गया था;

(ख) उक्त परियोजना की अनुमानित लागत क्या है और अब तक उस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान उक्त परियोजना को कितनी निधियां आबंटित की गई; और

(घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान उक्त परियोजना के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) कार्य 1994-95 में शुरू किया गया था।

(ख) परियोजना की लागत 217.82 करोड़ रुपये है और अभी तक 115.01 करोड़ रु. की राशि खर्च की जा चुकी है।

(ग) 1999-2000 में बजट आबंटन 28 करोड़ रुपये था।

(घ) अरसीकेरे-हसन (46.66 कि.मी.) 23.8.96 को चालू कर दिया गया था और हसन-सकलेशपुर (42.06 कि.मी.) 26.01.98 को चालू कर दिया था। सकलेशपुर-कनकोडि (142 कि.मी.) पर कार्य अच्छी प्रगति पर है और इसे चरणबद्ध आधार पर पूरा कर लिया जाएगा। परियोजना को पूरा करने की लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है।

उपभोक्ता मदों पर राजसहायता

90. श्री सुनील खां : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले चावल, गेहूं तथा मिट्टी के तेल पर राजसहायता बंद करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चावल, गेहूं और मिट्टी के तेल पर राजसहायता रोकने संबंधी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। नवम्बर, 1997 में सरकार ने निर्णय लिया था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आपूर्ति किए गए मिट्टी के तेल पर राजसहायता को 2001-2002 तक आयात-सम (इम्पोर्ट-पैरिटी) मूल्य के 33.33 प्रतिशत के स्तर तक लाने के लिए चरणबद्ध आधार पर कम किया जाएगा। वर्ष 2002 और इसके बाद से मिट्टी के तेल से संबंधित राजसहायता को राजकोषीय बजट में अन्तरित कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करना

91. श्री राम शकल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकरण न्यायालय ने रेलवे में काम कर रहे नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने के बारे में कोई आदेश पारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेल विभाग ने उक्त आदेशों को क्रियान्वित कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान कितने नैमत्तिक श्रमिकों को नियमित किया गया; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ङ) रजिस्टर में दर्ज सभी नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने का निर्णय किसी न्यायालय के आदेश के आधार पर नहीं, अपितु 1996-97 के लिए रेल बजट पर अपने उत्तर में तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा की गई इस घोषणा के आधार पर था कि 30.4.96 को रजिस्टर में दर्ज लगभग सभी 56000 नैमित्तिक श्रमिकों को 30.4.98 तक नियमित कर दिया जाएगा। इस निर्णय के अनुसार 1996-97, 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान क्रमश: 26993, 28031, 492 तथा 71 (कुल 55587) नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित किया गया था। शेष बचे कुछ श्रमिकों को उनके विरुद्ध न्यायालय में चल रहे मामलों, सतर्कता संबंधी मामलों और तैनाती के स्थान जाने में आनाकानी करने के कारण नियमित नहीं किया जा सका।

[अनुवाद]

एयर इंडिया द्वारा एयरक्राफ्ट का बेचा जाना

92. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वाहक बोइंग 747-200 एयरक्राफ्ट की बिक्री हेतु अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो कितने कोटेशन प्राप्त हुए और इन एयरक्राफ्टों को बेचकर एयर इंडिया द्वारा कितनी धनराशि अर्जित की गई; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) एअर इंडिया ने अपने तीन बी-747-200 विमानों को बेचने का प्रस्ताव किया है जिनके पंजीकरण संख्या वीटी-ईबीई, वीटी-ईबीएन तथा वीटी-ईडीयू है जिसके लिए प्रसिद्ध विमानन पत्रिकाओं में विज्ञापन दिए गए थे। केवल मैसर्स कैरी एयर लीजिंग लिमिटेड से ही एक बोली प्राप्त हुई थी जो दो विमानों, वीटी-ईबीई तथा वीटी-ईबीएन के लिए प्रति विमान 1.1 मिलियन डालर की थी। तीसरे बी-747-200 विमान वीटी-ईडीयू के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी। सरकार ने पंजीकरण संख्या वीटी-ईबीई तथा वीटी-ईबीएन वाले दो बी-737-200 विमानों की बिक्री के लिए एअर इंडिया के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। एअर इंडिया ने इन बी-747-200 विमानों को जिन्हें अब बेचा जा रहा है, बदलने के लिए पहले ही बी-747-400 विमान लगा दिए हैं।

कश्मीर में आतंकवाद

93. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सेना ने कश्मीर में और अन्यत्र स्थानों में पाकिस्तान द्वारा समर्थित बढ़ते आतंकवाद से प्रभावी रूप से निपटने के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उन कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं जिनकी वजह से कारगिल में घुसपैठ हुई थी?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) जम्मू तथा कश्मीर में सुरक्षा संबंधी स्थिति की लगातार समीक्षा की गई है और वहां उग्रवाद व आतंकवाद पर अंकुश लगाए जाने हेतु विभिन्न कदम उठाए गए हैं, ताकि नियंत्रण रेखा के आर-पार की घुसपैठ पर अधिक कारगर ढंग से रोक लगाई जा सके, आंतरिक सुरक्षा संबंधी स्थिति में सुधार किया जा सके और विभिन्न अंतर्ग्रस्त एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सके तथा इस राज्य में विकास परियोजनाओं को तेजी से कार्यान्वित किया जा सके। सेना ने नियंत्रण रेखा और वास्तविक भू-स्थिति रेखा के साथ-साथ अपनी निगरानी बढ़ा दी है। पाकिस्तान द्वारा की जाने वाली किसी भी दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का तुरंत जवाब देने के लिए उपयुक्त रूप से गठित बलों को नियत किया गया है और उन्हें तैयार रखा गया है।

शताब्दी एक्सप्रेस में आग

94. श्री मोहन रावले : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस के चार डिब्बों में 4 दिसम्बर, 1999 को आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके परिणामस्वरूप कुल कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या आग लगने के कारणों का पता लगाने हेतु कोई जांच करायी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे और उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी नहीं। एक सवारी डिब्बे के ए.सी. डक्ट से मामूली सा धुआं उठा था।

(ग) जी हां।

(घ) जांच-पड़ताल से पता चला है कि आग नहीं लगी थी। धुएं से यात्रियों को चिंता हो गई थी। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए केबलों के ले-आउट को उपयुक्त रूप से आशोधित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

राजस्थान में आमान परिवर्तन

95. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में एकल आमान कार्यान्वित करने का विचार त्याग दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) राजस्थान में कितने किलोमीटर लम्बी मीटर लाइन का अभी आमान परिवर्तन किया जाना है और इन लाइनों का आमान परिवर्तन, विशेषरूप से अजमेर-चित्तौड़-उदयपुर, रिंगस-रेवाड़ी-फुलेरा और बांदीकुई-आगरा फोर्ट सेक्शनों पर कब तक कर दिये जाने की संभावना है;

(घ) क्या राजस्थान सरकार ने इस संबंध में कोई अभ्यावेदन केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कौन-सी कार्य योजना तैयार की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) सम्पूर्ण देश में पूरा एक आमान करने की कोई योजना नहीं थी। रेलवे ने बड़े पैमाने पर मी.ला./छो.ला. लाइनों के आमान परिवर्तन का कार्य शुरू किया था जिससे वैकल्पिक मार्गों अथवा मुहैया कराई गई अनुपलब्ध कड़ियों को सेवित करने के लिए अतिरिक्त क्षमता सृजित हो सकी। अधिकांश महत्वपूर्ण मार्गों पर शुरू किया गया कार्य पूरा हो गया है। राजस्थान क्षेत्र में चालू कार्यों को अपेक्षित प्राथमिकता दी जा रही है।

(ग) राजस्थान में 3081 कि.मी. मी.ला. शेष है जिसमें से फिलहाल 1138 कि.मी. का आमान परिवर्तन कार्य स्वीकृत हो गया है। अजमेर-चित्तौड़गढ़-उदयपुर और बांदीकुई-आगरा फोर्ट सहित इन कार्यों को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य तिथि अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा का आमान परिवर्तन कार्य अभी स्वीकृत नहीं किया गया है।

(घ) जी हां।

(ङ) इस प्रस्ताव पर समुचित विचार किया गया है और अभ्यावेदन में उल्लिखित परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

[अनुवाद]

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार

96. श्री जारबोम गामलिन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर अरूणाचल प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सृजित रोजगार के श्रम दिवस राज्य-वार कितने थे;

(ख) सरकार द्वारा इस अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितना बजट आबंटन किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा रोजगार के श्रम दिवसों का सृजन करने के लिए क्या ठोस उपाय किए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान अरूणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत सृजित रोजगार का ब्यौरा संलग्न विवरण-I के अनुसार है।

(ख) 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा किया गया बजट आबंटन विवरण-II के अनुसार है।

(ग) 1.4.1999 से जवाहर रोजगार योजना को पुनर्गठित, सरल तथा प्रभावी बनाया गया है और नाम बदलकर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किया गया है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता आधारित ढांचागत सुविधाओं का सृजन करना है। नये कार्यक्रम में स्थाई कम लागत वाली प्रौद्योगिकी से यथासंभव श्रम गहन कार्यों को शुरू करके ग्रामीण गरीबों को अनुपूरक मजदूरी रोजगार के प्रावधान की परिकल्पना भी की गई है।

विवरण-I

जवाहर रोजगार योजना/जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान सृजित श्रमदिन

(लाख में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99		1999-2000 नवम्बर, 99 तक उपलब्धि
		वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	
1.	अरूणाचल प्रदेश	7.97	3.96	1.78
2.	असम	144.36	199.57	187.55
3.	मणिपुर	6.92	5.59	0.54
4.	मेघालय	10.22	5.91	2.76
5.	मिजोरम	1.84	4.36	1.00
6.	नागालैंड	9.82	23.73	2.03
7.	सिक्किम	2.29	6.13	0.82
8.	त्रिपुरा	18.02	34.72	12.11

विवरण-II

1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान जवाहर रोजगार योजना/जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अन्तर्गत आबंटन

(रुपये लाख में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन 1998-99			आबंटन 1999-2000		
		केन्द्र	राज्य	कुल	केन्द्र	राज्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अरूणाचल प्रदेश	257.32	64.33	321.65	204.90	68.30	273.20
2.	असम	6686.18	1671.55	8357.73	5324.02	1774.67	7098.69
3.	मणिपुर	448.24	112.06	560.30	356.92	118.97	475.89
4.	मेघालय	502.19	125.55	627.74	399.98	133.29	533.17
5.	मिजोरम	116.21	29.05	145.26	92.53	30.84	123.38
6.	नागालैंड	344.48	86.12	430.60	274.30	91.43	365.73
7.	सिक्किम	128.66	32.17	160.83	102.45	34.15	136.60
8.	त्रिपुरा	809.31	202.33	1011.64	644.43	214.81	859.24

माल डिब्बों का निर्माण

97. **श्री सुनील खां :**
श्री जसवन्त सिंह बिश्नोई :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा माल डिब्बे बनाने वाले सभी कारखानों को एक समान आधार पर क्रयादेश दिए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 के दौरान विभिन्न कारखानों को कारखाना-वार कितने माल डिब्बों के निर्माण का क्रयादेश दिया गया है;

(ग) क्या भरतपुर माल डिब्बा निर्माण कारखाने को भी कोई आदेश दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के माल डिब्बा उद्योग को माल डिब्बों के आदेश में कटौती की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) मालडिब्बों के निर्माण का आदेश निर्धारित नीति के अनुसार विभिन्न तथ्यों को ध्यान रखकर जैसे: प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव, क्षमता, योग्यता तथा सार्वजनिक उपक्रम को कतिपय खरीद को तरजीह देते हुए निविदित फर्मों को उनके पिछले कार्य निष्पादन के आधार पर दिए जाते हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं। वर्ष 1999-2000 के लिए मालडिब्बों की खरीद के ठेकों पर कोई कटौती नहीं की गई।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1999-2000 के लिए मालडिब्बा आदेश निर्माता वार

मालडिब्बा निर्माता	1999-2000 की निविदा के संबंध में आदेश (आंकड़े चौपहिया यूनिटों में)
भारत वैगन एण्ड इंजी. कम्पनी लिमिटेड, मुजफ्फरपुर	972.5
भारत वैगन एंड इंजी. कम्पनी लिमिटेड, मोकामा.	500
ब्रेटवेट एंड कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता	1747.5
बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी, बर्नपुर	1005
बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड, हावडा	942.5
जेस्सफ कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	330
सदर्न स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, चेन्नै	275
सिम्मको बिरला लिमिटेड, भरतपुर, राजस्थान	762.5
टैक्समैको लिमिटेड, कलकत्ता	1447.5
माडर्न इंडस्ट्रीज, साहिबाबाद, उत्तर प्रदेश	305
हिन्दुस्तान डेवलेपमेंट कार्पो., कलकत्ता	1455
तितागढ़ स्टील लिमिटेड, कलकत्ता	195
त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, इलाहाबाद	62.5
कुल उद्योग	10000

(1) उपर्युक्त के अलावा इन फर्मों के पास 1.4.99 को चौपहिया यूनिटों के 6917.5 आदेश बकाया हैं।

(2) इसके अलावा, मैसर्स बेसको तथा तितागढ़ को क्रमश: 200 चौपहियों तथा 165 चौपहियों के आदेश दिए गए हैं।

पुट्टापरथी-बंगलौर रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण

98. **श्री सुरेश रामराम जाधव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने पुट्टापरथी और बंगलौर के बीच नई रेल लाइन को बिछाने हेतु सर्वेक्षण शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस रेल लाइन को बिछाने का कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(ग) अब तक कितने प्रतिशत कार्य किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

रेलवे की भूमि पर टर्मिनलों और भांडागारों का निर्माण

99. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रेलवे की भूमि पर टर्मिनलों और भांडागारों का निर्माण करने के कार्य में गैर-सरकारी क्षेत्र को शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे सामान की आसानी से ढुलाई करने में किस हद तक मदद मिलेगी;

(घ) क्या केन्द्रीय भंडागार निगम का विचार बंगलौर में रेलवे की भूमि पर भांडागारों का निर्माण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ङ) सरकार ने (1) पायलट परियोजना के रूप में पट्टे की शर्तों तथा राजस्व की भागीदारी के आधार पर व्हाइट फील्ड, बंगलूरु में एक गोदाम की स्थापना, तथा (2) पायलट परियोजना के आधार पर निजी स्वामित्व वाले माल टर्मिनलों की स्थापना संबंधी केन्द्रीय भंडार निगम (सी.डब्ल्यू.सी.) के प्रस्ताव को सिद्धान्तत: अनुमोदित कर दिया है। इन उपायों से रेल परिवहन सेवा में सुधार होने की आशा है।

[अनुवाद]

दिल्ली-रेवाड़ी मार्ग पर मासिक पास धारक

100. डा. (श्रीमती) सुधा यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली रेवाड़ी खण्ड पर स्टेशनवार कितने मासिक पास धारक यात्री यात्रा करते हैं;

(ख) क्या इन यात्रियों को ले जाने वाली रेलें समय पर चलती हैं;

(ग) इन रेलों में रेल की छतों पर और खड़े होकर यात्रा करने के सन्दर्भ में भीड़ की स्थिति क्या है;

(घ) क्या रेलवे के मानकों और औसत के अनुसार ये रेलें इन दैनिक यात्रियों/अन्य यात्रियों के लिए पर्याप्त है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस खण्ड पर डी.एम.यू. जैसी रेलें शुरू न करने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) दिल्ली-रेवाड़ी खंड पर गाड़ियों का समयपालन निष्पादन कुल मिलाकर संतोषजनक है।

(ग) इस तरह की कोई गणना नहीं की गई है। छत पर यात्रा करने की अनुमति नहीं है और इसे रोकने के लिए नियमित जांच की जाती है।

(घ) रेवाड़ी-दिल्ली खंड के बीच मौजूदा गाड़ियां यातायात के मौजूदा स्तर को संभालने के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं।

(ङ) दिल्ली-रेवाड़ी खंड पर डी.एम.यू. सेवाओं सहित अतिरिक्त गाड़ियां चलाना परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

विवरण

(क)

क्र.सं.	स्टेशन का नाम	मासिक सीजन टिकट धारकों की संख्या
1	2	3
1.	नई दिल्ली	52
2.	दिल्ली-किशनगंज	7
3.	दिल्ली	484
4.	रेवाड़ी	3170
5.	खलीलपुर	518
6.	इछापुरी	746

1	2	3
7.	पटौदी रोड	2219
8.	जटौला जोड़ी सापका	401
9.	पातली	514
10.	फरुखनगर	191
11.	चौखण्डी	950
12.	बसई धनकोट	290
13.	चिरगांव	4042
14.	बिजवासन	278
15..	शाहाबाद-मुहम्मदपुर	149
16.	पालम	1416
17.	दिल्ली छावनी	1761
18.	पटेल नगर	127
19.	दिल्ली-सराय रोहिल्ला	37
20.	सुल्तानपुर कालियावास	191

[हिन्दी]

ग्रामीण स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम

101. श्री हरिभाई चौधरी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान गुजरात सरकार द्वारा स्वीकृति के लिए ग्रामीण स्वच्छता के संबंध में कितने प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए;

(ख) इनमें से कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है; और

(ग) गुजरात में ग्रामीण स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आवश्यक सुविधायें

102. डा. संजय पासवान : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जनवरी, 2000 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'मेन ऐट वर्क पेरालाइज एयरपोर्ट' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिनांक 24.1.2000 को मरम्मत कार्यों के लिए 1100 बजे से 1220 बजे तक योजनाबद्ध शट डाउन था। यह समयाविधि विमानपत्तन के संबंध में एक लीन पीरियड है। विमानपत्तन पर सभी एजेंसियों को पहले ही इस बारे में सूचित कर दिया गया था और अनिवार्य सेवाओं को संभव सीमा तक चालू रखा गया था।

भारत और बंग्लादेश के बीच रेल सेवा शुरू करना

103. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारत और बंग्लादेश के बीच यात्री रेल सेवा पुन: शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई समझौता किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत और बंग्लादेश के बीच रेल सेवा कब तक पुन: शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गेहूं पर आयात उपकर में वृद्धि

104. श्री नवल किशोर राय : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ महीनों के दौरान आयात उपकर में वृद्धि होने से गेहूं का आयात कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त उपायों से देश में उपलब्ध अतिरिक्त खाद्यान्नों का निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार ने केन्द्रीय पूल में गेहूं के अधिशेष स्टाक का निपटान करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं।

[अनुवाद]

रेल सुरक्षा

105. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999 के अंतिम नौ महीनों के दौरान पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट की कितनी घटनाएं हुईं;

(ख) क्या सरकार ने सभी संवेदनशील रेलों में कमांडो तैनात करने की घोषणा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन मार्गों पर कमांडो तैनात किये जाने हैं;

(घ) इस पर कुल कितना खर्चा किया जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो क्या रेल सुरक्षा बल को सुदृढ़ बनाना भी सरकार के विचाराधीन है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने सभी राज्य सरकारों को उनकी पुलिस की मदद से बम बिस्फोटों की रोकथाम करने में रेलवे अधिकारियों की मदद करने के लिए कहा है;

(छ) यदि हां, तो राज्य सरकारों के साथ मिलकर कोई व्यवहार्य सूत्र तैयार किया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) वर्ष 1999 (1.4.1999 से 31.12.1999) के पिछले नौ महीने के दौरान पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट की कोई घटना नहीं हुई थी। बहरहाल, 6.1.2000 को विस्फोट की घटना हुई थी।

(ख) जी नहीं। बहरहाल, चुनिंदा रे.सु.ब. कर्मियों को कमांडो प्रशिक्षण देना शुरू किया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्रस्ताव आरंभिक स्तर पर है।

(ङ) जी नहीं।

(च) जी हां।

(छ) जी हां।

(ज) निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) रेल प्रबंधकों, रे.सु.ब. के अधिकारियों और राज्य पुलिस अधिकारियों के बीच क्षेत्रीय और मंडल स्तर पर समन्वय बैठकें आयोजित की जा रही हैं। रेलवे बोर्ड स्तर पर भी बैठकें आयोजित की जा रही हैं। बम विस्फोट रोकने के लिए निवारक उपाय करने हेतु राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है।

(2) रे.सु.ब. अधिकारी रा.रे.पु. और स्थानीय पुलिस के अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ नियमित समन्वय बैठकें कर रहे हैं।

(3) सभी स्तरों पर रे.सु.ब. और रा.रे.पु. के बीच विशेष आसूचना और अपराध आसूचना का आदान-प्रदान किया जा रहा है।

(4) रेलों पर सक्रिय असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए रा.रे.पु. और रे.सु.ब. द्वारा संयुक्त रणनीति तैयार की गई है।

(5) विस्फोटक सामग्रियों का पता लगाने के लिए रेलवे प्लेटफार्मों, यार्डों आदि में रे.सु.ब. के खोजी कुत्ते, जहां उपलब्ध हैं, लगाए जा रहे हैं। विस्फोटक सामग्रियों की पहचान करने और पता लगाने में रे.सु.ब. कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

तमिलनाडु द्वारा प्रस्तुत रेल परियोजनाएं

106. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रस्तुत की गई रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लगभग कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु के जन प्रतिनिधियों से प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु सरकार से प्राप्त रेल परियोजनाओं का ब्यौरा, उनकी अनुमानित लागत और इनके संबंध में की गई कार्रवाई नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	परियोजना	अनुमानित लागत और की-गई-कार्रवाई
1.	मदुरै-रामेश्वरम (आमान परिवर्तन)	इस कार्य को वर्ष 1997-98 के रेल बजट में स्वीकृत कर दिया गया है। मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 240 करोड़ रुपये है।
2.	विरूदनगर-तेनकासी-कोल्लम-तिरूनेलवेली-तिरूचेन्दुर (आमान परिवर्तन)	कार्य को वर्ष 1997-98 के रेल बजट में स्वीकृत कर दिया गया है। कार्य को आरंभ करने के लिए प्रारंभिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस परियोजना की अनुमानित लागत 280 करोड़ रुपये है।
3.	विषुपुरम-थंजावूर (आमान परिवर्तन)	कार्य को वर्ष 1998-99 के रेलवे बजट में शामिल कर लिया गया है जो स्वीकृति पर निर्भर करता है। आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद ही कार्य आरंभ किया जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत 223 करोड़ रुपये है।
4.	सलेम-कुड्डालोर (आमान परिवर्तन)	इस कार्य को वर्ष 1999-2000 के रेलवे बजट में शामिल कर लिया गया है जो स्वीकृति पर निर्भर करता है। आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही कार्य आरंभ किया जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत 198.68 करोड़ रुपये होगी।
5.	व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली चरण-2 जिसे इस समय तिरूमलै और वालाचेरी के बीच कार्यान्वित किया जा रहा है, का सेंट थामस माउंट तक विस्तार	राइट्स द्वारा तमिलनाडु सरकार की ओर से व्यवहार्यता अध्ययन आरंभ शुरू किया गया है। अध्ययन कार्य पूरा हो जाने के बाद लागत के संबंध में जानकारी प्राप्त होगी।

(घ) रेल परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय राष्ट्रीय संदर्भ में प्रणाली की आवश्यकताओं के संबंध में एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाता है। निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए राज्यों की भौगोलिक सीमाएं कोई मानदंड नहीं होती हैं विशेषकर तब जब कई रेल परियोजनाएं एक से अधिक राज्यों में फैली होती हैं। विगत में जन प्रतिनिधियों से प्राप्त

हुई प्रस्तावों और तत्संबंध में की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

1.	कांचीपुरम-तिंडिवनम नई लाइन	इस परियोजना को आरंभ करना फिलहाल आवश्यक नहीं समझा जाता है।
2.	पलानी-सत्यमंगलम नई लाइन	इस परियोजना को आरंभ करना फिलहाल आवश्यक नहीं समझा जाता है।
3.	तिरूपति-काटपाडी का आमान परिवर्तन	दोनों परियोजनाएं स्वीकृत हैं।
4.	थंजावूर-नागोर आमान परिवर्तन	यह एक स्वीकृत कार्य है और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इसकी प्रगति होगी।
5.	चेन्नै-कन्याकुमारी लाइन का दोहरीकरण	इस परियोजना को आरंभ करना फिलहाल आवश्यक नहीं समझा जाता है।

इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्रेणी-II लैंडिंग प्रणाली

107. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री शिवाजी माने :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्रेणी-II लैंडिंग प्रणाली का "लोकलाइजर" 5 जनवरी, 2000 को विफल हो गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उस समय कितनी उड़ानें धावन पट्टी संख्या 10 पर ले जाई गईं;

(घ) क्या कुछ विदेशी पायलटों को इस धावन पट्टी पर हवाई जहाज उतारने में कड़ी आपत्ति है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जी, हां। लोकलाइजर के संवेदनशील क्षेत्र में रिमोट लाइन की संचार व्यवस्था के फेल हो जाने के कारण, दिनांक 5.1.2000 को 1105 बजे से 1143 बजे के बीच लोकलाइजर सेवा-योग्य नहीं रहा था। जिसके फलस्वरूप उपकरण ने काम करना बन्द कर दिया।

(ग) उस समय नौ उड़ानों को रनवे 10 की ओर मोड़ दिया गया था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेल कार्यशालाओं का नवीनीकरण

108. श्री रामदास आठवले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार विभिन्न रेल जोनों में रेल कार्यशालाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि माटुंगा, परेल, खुर्दवाडी कार्यशालाएं बन्द होने के कगार पर हैं;

(ग) क्या अन्य रेल कार्यशालाओं की भी यही स्थिति है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा रेल कार्यशालाओं, विशेष रूप से खुर्दवाड़ी, माटुंगा तथा परेल कार्यशालाओं के नवीनीकरण हेतु कौन सी कार्य-योजना तैयार की जा रही है/तैयार किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं। ये कारखाने बंद होने के कगार पर नहीं हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारतीय रेल प्रणाली नौ जोनों में बंटी है। इन रेलवे जोनों पर स्थित कारखानों की सूची इस प्रकार है:-

यांत्रिक मरम्मत कारखाने

मध्य रेलवे	—	परेल, कुर्डुवाडी, माटुंगा, कुर्ला, झांसी तथा भोपाल।
पूर्व रेलवे	—	जमालपुर, कांचरापाड़ा (लोको), कांचरापाडा (सवारी डिब्बा) तथा लिलुआ।
उत्तर रेलवे	—	चारबाग, आलमबाग, जगाधरी, अमृतसर, कालका, जोधपुर और बीकानेर।
पूर्वोत्तर रेलवे	—	गोरखपुर, इज्जतनगर तथा समस्तीपुर।
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	—	डिब्रूगढ़, न्यू बोंगईगांव तथा तिनधारिया।
दक्षिण रेलवे	—	पैरम्बूर (लोको), पेरम्बूर (सवारी तथा मालडिब्बा), गोल्डन रॉक तथा मैसूर।
दक्षिण मध्य रेलवे	—	लालागुडा, हुबली तुंगपल्ली तथा तिरुपति।
दक्षिण पूर्व रेलवे	—	खडगपुर, नागपुर, रायपुर तथा मंचेश्वर।
पश्चिम रेलवे	—	दहोद, परेल तथा महालक्ष्मी, अजमेर (लोको), अजमेर (सवारी डिब्बा), कोटा, जूनागढ़, भावनगर तथा प्रतापनगर।

सिविल इंजीनियरिंग कारखाने

मध्य रेलवे	—	मनमाड
पूर्व रेलवे	—	मुगलसराय
उत्तर रेलवे	—	जालंधर, लखनऊ
पूर्वोत्तर रेलवे	—	गोरखपुर
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	—	बोंगईगांव
दक्षिण रेलवे	—	अरक्कोणम
दक्षिण मध्य रेलवे	—	सिनी
दक्षिण पूर्व रेलवे	—	लालागुडा
पश्चिम रेलवे	—	साबरमती

सिगनल एवं दूरसंचार कारखाने

मध्य रेलवे	—	भायखला
पूर्व रेलवे	—	हवडा
उत्तर रेलवे	—	गाजियाबाद
पूर्वोत्तर रेलवे	—	गोरखपुर
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	—	पांडू
दक्षिण रेलवे	—	पोडणूर
दक्षिण मध्य रेलवे	—	मेट्टिगुडा
दक्षिण पूर्व रेलवे	—	खड़गपुर
पश्चिम रेलवे	—	साबरमती, अजमेर

बिजली इंजीनियरिंग कारखाने

मध्य रेलवे	—	भुसावल, नासिक
उत्तर रेलवे	—	दयाबस्ती (नई दिल्ली)

[अनुवाद]

वडसा-गडचिरौली रेल लाइन का निर्माण

109. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वडसा-गड़चिरौली नई रेल लाईन का सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का निष्कर्ष क्या है·

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है/किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले में देरी के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां। दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) और (ग) सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही सर्वेक्षण के निष्कर्ष और परियोजना पर आगे विचार किया जाना संभव होगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेल-लाइनों के विस्तार संबंधी नीति

110. श्री रामजीवन सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की नई रेल-लाईनें बिछाने और उनका विस्तार करने संबंधी कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस उद्देश्य हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) नई लाइन परियोजनाओं को शुरू करने की नीति, 1980 में राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इस नीति के अनुसार नई लाइनों का निर्माण निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा।

(1) खनिज दोहन और अन्य संसाधनों के लिए नए उद्योगों को सेवित करने वाली परियोजनोमुखी लाइनें।

(2) मौजूदा संतृप्त मार्गों पर भीड़-भाड़ को कम करने के लिए वैकल्पिक मार्गों को पूरा करने के लिए मिसिंग लिंक।

(3) सामरिक महत्व के लिए अपेक्षित लाइनें, तथा

(4) नए विकसित केंद्र स्थापित करने या दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने के लिए लाइनें। रेलवे ने उपर्युक्त नीति अपनाई है।

[अनुवाद]

असम में ग्रामीण विकास के लिए केन्द्रीय कोष का जारी किया जाना

111. श्रीमती रानी नरह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान असम के अनेक ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए राज्य से संबंधित अपना शेयर जारी नहीं किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और प्रत्येक योजना हेतु केन्द्रीय कोष जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में विभिन्न प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए असम को केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए असम राज्य को वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान आबंटित और रिलीज की गई निधियां

(लाख रुपये)

कार्यक्रम	1996-97		1997-98		1998-99	
	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज
जवाहर रोजगार योजना	4574.54	3186.93	5111.22	5524.15	6686.18	15112.28
इंदिरा आवास योजना	2919.68	1459.84	2952.83	2931.07	4781.82	5004.32
सुनिश्चित रोजगार योजना*	—	10820.00	—	8592.00	—	11018.00
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1371.75	1304.00	1417.12	1728.48	5246.36	5246.36
त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	2026.00	2353.57	2438.00	2376.52	6120.00	6417.00

*सुनिश्चित रोजगार योजना 31.3.99 तक मांग आधारित थी इसलिए राज्यों को कोई आबंटन नहीं किया गया।

सुपर बाजार द्वारा दालों की खरीद

112. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुपर बाजार की वित्तीय स्थिति उसे नकदी पर दालों आदि की खरीद करने की अनुमति नहीं देती है अपितु उसे उधार पर इनकी खरीद करनी पड़ती है जिसकी वजह से उसे अधिक मूल्य देना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सुपर बाजार में वर्तमान वित्तीय स्थिति के आने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने सुपर बाजार में निवेश किया है और इसके कार्यकलापों पर नजदीकी से नियंत्रण रखा है; और

(घ) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने और स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) सुपर बाजार एक स्वायतशासी सहकारी संगठन है। व्यापारिक व अन्य प्रशासनिक मामलों पर निर्णय करने के लिए इसका अपना निदेशक मंडल है। सुपर बाजार ने सूचित किया है कि इसकी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि वह दालों आदि की नकद खरीद कर सके। सुपर बाजार की मौजूदा वित्तीय स्थिति के कुछ क़ारण निम्नलिखित हैं:

(1) गत वर्षों के दौरान सुपर बाजार की कुल बिक्री में गिरावट आना, जिसके कारण क्षति हुई।

(2) पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के कारण कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होना।

(3) 1996-97 से लगातार हो रही हानि के कारण कार्यशील पूंजी में कमी आना।

(ग) सरकार ने सुपर बाजार की प्रदत्त अंशपूंजी में अंशदान देकर सुपर बाजार में निवेश किया है। एक स्वायत्तशासी सहकारी संगठन होने के कारण सुपर बाजार का अपना निदेशक मंडल है जिसमें सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। सुपर बाजार का मुख्य कार्यपालक अधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

(घ) सुपर बाजार का प्रबंधन स्थिति में सुधार लाने के हर संभव प्रयास कर रहा है। दोषी कर्मचारियों को दंडित करने के लिए सुपर बाजार के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा नियमों और विनियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाती है। यह मंत्रालय सतर्कता संबंधी मामलों पर निगरानी रखता है तथा साक्ष्य और गुणदोष के आधार पर उपयुक्त कार्रवाई करता है।

[हिन्दी]

रेल मार्गों का विद्युतीकरण

113. **श्री मनोज सिन्हा :**
श्री बृजलाल खाबरी :
श्री अनन्त नायक :
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील :
श्री हरीभाऊ शंकर महाले :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार जोनवार और राज्यवार कुल कितना कि.मी. रेल मार्ग विद्युतीकृत है;

(ख) उन मार्गों का ब्यौरा क्या है जिन पर इस समय विद्युतीकरण का काम चल रहा है तथा इसके पूरा होने की लक्षित तिथि जोनवार और राज्यवार क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न रेल मार्गों के चल रहे विद्युतीकरण कार्य प्रगति की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष रहे तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितने किमी. रेल मार्ग का विद्युतीकरण जोनवार/राज्यवार किया जाना है; और

(च) इस संबंध में जोनवार/राज्यवार अभी तक क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार 14,579 मार्ग किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया था। राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

विद्युतीकरण का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	जोन	विद्युतीकृत मार्ग कि.मी.
1	2	3
1.	मध्य	2947
2.	पूर्व	2053

1	2	3
3.	उत्तर	1387
4.	दक्षिण	1266
5.	दक्षिण पूर्व	3615
6.	दक्षिण मध्य	1518
7.	पश्चिम	1703
8.	पूर्वोत्तर	0
9.	पूर्वोत्तर सीमा	0
	जोड़	14579

विद्युतीकरण का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	विद्युतीकृत मार्ग कि.मी.
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1940
2.	बिहार	1800
3.	दिल्ली	129
4.	गुजरात	651
5.	हरियाणा	341
6.	कर्नाटक	104
7.	केरल	164
8.	मध्य प्रदेश	2741
9.	महाराष्ट्र	1821
10.	उड़ीसा	551
11.	पंजाब	159
12.	राजस्थान	491
13.	तमिलनाडु	836
14.	उत्तर प्रदेश	1219
15.	पश्चिम बंगाल	1632
16.	अन्य राज्य	0
	जोड़	14579

(ख) उन मार्गों, जिन पर विद्युतीकरण कार्य चल रहा है, का राज्य-वार/रेलवे-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	मार्ग	राज्य	रेलवे	लक्ष्य
1	2	3	4	5
1.	इरोड-एर्णाकुलम	तमिलनाडु केरल	दक्षिण	मार्च, 2000
2.	आद्रा-मिदनापुर	पश्चिम बंगाल	दक्षिण मध्य	मार्च, 2000
3.	लखनऊ-कानपुर	उत्तर प्रदेश	उत्तर	मार्च, 2000
4.	सीतारामपुर-मुगलसराय	पश्चिम बंगाल बिहार उत्तर प्रदेश	पूर्व	मार्च, 2002*
5	दिल्ली-अम्बाला-लुधियाना अम्बाला-कालका तथा सरहिन्द-नांगलडैम सहित	दिल्ली हरियाणा पंजाब	उत्तर	मार्च, 2001

1	2	3	4	5
6.	बोकारो-बससुआँ	बिहार उड़ीसा पश्चिम बंगाल	दक्षिण पूर्व	मार्च, 2002*
7.	कुसुंडा-जमुनियाटांड	बिहार	पूर्व	मार्च, 2001*
8.	खड़गपुर-भुवनेश्वर	पश्चिम बंगाल उड़ीसा	दक्षिण पूर्व	मार्च, 2003*
9.	भुवनेश्वर-कोट्टावलासा	उड़ीसा आंध्र प्रदेश	दक्षिण पूर्व	मार्च, 2003*
10.	उधना-जलगांव	गुजरात महाराष्ट्र	पश्चिम	मार्च, 2003*
11.	अम्बाला-महारनपुर-मुरादाबाद	हरियाणा उत्तर प्रदेश	उत्तर	मार्च, 2003*
12.	ताम्बरम-चेंगलपट्टु-विषुपुरम और चेंगलपट्टू-अराकोणम	तमिलनाडु	दक्षिण	मार्च, 2004*
13.	लुधियाना-अमृतसर	पंजाब	उत्तर	मार्च, 2004*
14.	रेणिगुंटा-होसपेट	कर्नाटक आंध्र प्रदेश	दक्षिण मध्य	मार्च, 2006*

*अनंतिम लक्ष्य बशर्ते संसाधनों की उपलब्धता हो।

(ग) और (घ) जी हां। विद्युतीकरण परियोजनाओं की प्रगति पर आवधिक निगरानी रखी जाती है। जहां कहीं अपेक्षित होता है अपेक्षित इनपुट मुहैया कराए जाते हैं।

(ङ) और (च) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युतीकृत किए जाने वाले मार्ग कि.मी. और नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों की उपलब्धि का रेलवे वार और जोनवार ब्यौरा नीचे की तालिका में दिया गया है:-

रेलवे-वार लक्ष्य/उपलब्धि

क्र.सं.	क्षेत्रीय रेलवे	नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युतीकरण का लक्ष्य/उपलब्धि (मार्ग कि.मी.)	
		लक्ष्य	31.3.1999 तक उपलब्धि
1	2	3	4
1.	उत्तर	301	118
2.	दक्षिण पूर्व	1250	637
3.	दक्षिण	141	81
4.	पश्चिम	83	–
5.	पूर्व	521	222
6.	दक्षिण-मध्य	4	4
	जोड़	2300	1062

राज्यवार लक्ष्य/उपलब्धि

क्र.सं.	राज्य	नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युतीकरण का लक्ष्य/उपलब्धि (मार्ग कि.मी.)	
		लक्ष्य	31.3.1999 तक उपलब्धि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	231	181
2.	बिहार	717	309

1	2	3	4
3.	गुजरात	68	–
4.	हरियाणा	41	41
5.	केरल	107	77
6.	महाराष्ट्र	15	कुछ नहीं
7.	उड़ीसा	450	112
8.	पंजाब	148	41
9.	तमिलनाडु	34	4
10.	उत्तर प्रदेश	166	34
11.	पश्चिम बंगाल	323	263
	जोड़	2300	1062

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठन

114. श्री अरूण कुमार :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्रीमती रीना चौधरी :
श्री आर.एल. भाटिया :
श्री भीम दाहाल :
श्री तिरूनावकरसू :
श्री नरेश पुगलिया :
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री रामचन्द्र पासवान :
श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :
श्री एन.एन. कृष्णदास :

क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दी गई राजसहायता की राशि और गरीबों तक पहुंची वास्तविक राशि कितनी है;

(ख) क्या देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और गरीबों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्पन्न परिवारों को अलग करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सम्पन्न लोगों की पहचान के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाएंगे?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) वर्तमान वर्ष 1999-2000 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिन्सों अर्थात् खाद्यान्न, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी का तेल मुहैया करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की गई सब्सिडी की राशि (संशोधित अनुमान) निम्नानुसार है:-

जिन्स	राशि (करोड़ रुपयों में)
खाद्यान्न	8200
चीनी	235
खाद्य तेल	50
मिट्टी का तेल	5970 (1998-99)

सरकार उपभोक्ताओं को सीधे कोई सब्सिडी अदा नहीं करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वर्तमान रूप में गरीबी की रेखा के ऊपर की आबादी को भी राजसहायताप्राप्त खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक जिन्सों का लाभ दिया जाता है और सब्सिडी का लाभ केवल गरीबी की रेखा के नीचे की आबादी को ही प्राप्त नहीं होता है।

(ख) और (ग) जून, 1997 में शुरू की गई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 10 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति मास की दर से गरीबी की रेखा से नीचे की आबादी को जारी करने के लिए अत्यधिक राजसहायता प्राप्त केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न मुहैया किए जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों से यह मांग भी आई है कि गरीबी की रेखा के नीचे की आबादी को केवल 10 किलोग्राम प्रति मास प्रति परिवार का प्रावधान पर्याप्त नहीं है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों की उपलब्धता और सब्सिडी संबंधी बाधाओं को ध्यान में रखते हुए गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को अधिक खाद्यान्न मुहैया करने के लिए सहमति बनाने की आवश्यकता है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

आई.टी.डी.सी. में भ्रष्टाचार

115. श्री आर.एल. भाटिया : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आई.टी.डी.सी. में भ्रष्टाचार और कुप्रबंध के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) भारत पर्यटन विकास निगम की विभिन्न एककों/कार्यालयों में बड़ी संख्या में ट्रेड यूनियनें, एसोसिएशनें और फैडरेशनें चल रही हैं। कम्पनी में भ्रष्टाचार कुप्रबंधन के खिलाफ शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं। इन शिकायतों पर विचार किया जाता है और आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

एच.ए.एल. का विद्युत क्षेत्र में प्रवेश

116. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एच.ए.एल. ने इन्जन बनाने में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए देश के विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो मुख्यतया कौन से क्षेत्रों पर बल दिया जाना है और परियोजना कहां लगाई जाएगी तथा इसकी क्षमता कितनी होगी;

(ग) क्या एच.ए.एल. द्वारा सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) जी, हां।

(ख) इलेक्ट्रिकल आल्टरनेटर्स की निचली रेंजों में गैस टर्बाइन प्राइम मूवर्स के लिए मरम्मत, ओवहरहाल तथा सहायक सेवा आदि महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इस परियोजना को बंगलूर में स्थापित किया जा चुका है। इस संयंत्र की क्षमता उपर्युक्त इंजनों की मरम्मत तथा ओवरहाल के अतिरिक्त 25 मेगावाट एअरो डेरिवेटिव एल.एम.-2500 गैस टर्बाइनों के निर्माण तथा ओवरहाल की है।

(ग) और (घ) इस परियोजना को पहले ही बेंगलूर में स्थापित किया जा चुका है।

अम्बाला में रेल कोच फैक्टरी

117. श्री रतन लाल कटारिया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अम्बाला में रेल के डिब्बे बनाने वाली फैक्टरी खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मणिपुर में यात्री निवास का निर्माण

118. श्री होलखोमांग हौकिप : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मणिपुर सरकार ने राज्य में किसी नये यात्री निवास के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) जी हां। मणिपुर सरकार ने 65.00 लाख रु. की केन्द्रीय वित्तीय सहायता से जिरीबाम में यात्री निवास के निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा है।

पर्यटन क्षेत्र में भारत-थाईलैंड सहयोग

119. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या थाईलैंड की पर्यटन क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने में गहरी रुचि है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) थाइलैण्ड को पर्यटन सेक्टर में सहयोग के लिए प्राथमिकता

वाला देश अभिनिर्धारित किया है। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन सहयोग करार का ड्राफ्ट उनके विचारार्थ भेज दिया है।

पूर्वोत्तर राज्यों में रेलवे नेटवर्क का विकास

120. श्री भीम दाहाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में रेलवे नेटवर्क के विकास हेतु रेल बजट धनराशि में से निर्धारित प्रतिशत को खर्च करने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अब तक वास्तविक रूप से खर्च की गई धनराशि कितनी है;

(घ) क्या खर्च की गई धनराशि सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में रेल नेटवर्क के विकास के लिए बजटीय समर्थन का 10% व्यय करने का विनिश्चय किया है।

(ग) वर्ष 1997-98 से पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल नेटवर्क के विकास पर निम्नानुसार राशि खर्च की गई है:-

वर्ष	कुल बजटीय समर्थन	खर्च की गई राशि	प्रतिशत
1997-98	1991.83	236.41	12%
1998-99	2200.00	207.28	9%
1999-2000 (ब.अ.)	2440.00*	250.43	10%

*इसमें ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला नई लाइन के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि शामिल नहीं है।

(घ) जी हां। आगामी वर्षों में व्यय की जाने वाली अपेक्षित राशि में कमी को पूरा कर लिया जाएगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश की ग्रामीण विकास योजनाएं

121. श्री के. येरननायडू : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान मंजूरी के लिए अनेक ग्रामीण विकास योजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तुत की गई और मंजूर की गई योजनाओं/परियोजनाओं का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेष योजनाओं को कब तक मंजूरी दी जाएगी?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) से (ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने 1996-97 और 1997-98 के दौरान उप मिशन परियोजनाओं के अंतर्गत स्वच्छ पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए 33 परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं। 1.4.98 से उप-मिशन परियोजनाओं को मंजूर करने की सभी शक्तियां राज्य सरकार को प्रत्यायोजित की गई हैं। इसके अलावा क्षेत्र सुधारों के कार्यान्वयन के लिए 5 प्रायोगिक परियोजनाओं के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये परियोजनाएं ग्रामीण विकास मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

एकीकृत बंजरभूमि विकास परियोजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान 21 परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से 13 परियोजनाएं स्वीकृत कर दी गई हैं और 8 पर स्वीकृति के कार्रवाई की जा रही है। परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है क्योंकि यह परियोजनाओं की लाभप्रदता और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। आंध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से एकीकृत बंजरभूमि विकास परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए प्राथमिकता निश्चित की गई है।

दो विशेष परियोजना प्रस्ताव अर्थात् (1) आंध्र प्रदेश में प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण विकास केन्द्रों की स्थापना, और (2) स्थाई विपणन केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रस्ताव आंध्र प्रदेश सरकार से स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं और वे इस मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत 32 करोड़ रुपए और 126.03 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छ शौचालयों के निर्माण के लिए दो प्रस्ताव और 259.97 करोड़ रुपए की लागत से एक एकीकृत ग्रामीण स्वच्छता परियोजना के प्रस्ताव पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुए थे जिनके लिए राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया और उसकी प्रतीक्षा की जा रही है। दो परियोजनाएं अर्थात् (क) पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा और गूंटूर के चार जिलों में एकीकृत स्वच्छता सुविधाओं जिनकी लागत 2908.82 लाख रुपए है, और (ख) 1462.59 लाख रुपए की कुल लागत से खम्मान जिले में ग्रामीण स्वच्छता सुविधाओं के लिए 1998-99 के दौरान अनुमोदित की गई थी। खम्माम जिले में पूर्ण स्वच्छता अभियान की एक और परियोजना 1999-2000 के दौरान 918.80 लाख रुपए की लागत से अनुमोदित की गई थी।

अरांतांगी-रामेश्वरम् रेल मार्ग बनाना

122. श्री तिरूनावक्करसू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे यात्रा के समय को बचाने हेतु "अरांतांगी-रामेश्वरम" जैसी नई रेल लाइनें बनाने को महत्व देता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं। नई लाइनें बिछाने के लिए मानदंड यह है कि उसमें यातायात अथवा विकासात्मक संभावनाएं हों। अरांतांगी से रामेश्वरम् तक जो पहले ही बरास्ता मानामदुरै से जुड़ा हुआ है, नई लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मिग लड़ाकू विमानों का उन्नयन

123. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मिग-29 लड़ाकू जेट विमान सहित कुछ मिग विमानों का उन्नयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अनुमानत: कितना व्यय आएगा; और

(ग) इन विमानों का उन्नयन संबंधी कार्य तब तक पूरा होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) मिग-21 बिस तथा मिग-27 विमानों का उन्नयन किया जा रहा है।

125 मिग-21 बिस विमानों के उन्नयन के लिए रूस के साथ मार्च 1996 में एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस उन्नयन कार्य पर कुल 626 मिलियन अमरीकी डालर लागत आएगी।

दो मिग-21 बिस विमानों पर डिजायन और विकास कार्य रूस में किया जा रहा है जो कि पूरा होने के अंतिम चरण में है। इसके साथ-साथ शेष 123 विमानों का उन्नयन कार्य हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, नासिक में आरंभ हो चुका है और इसके वर्ष 2004 तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

जहां तक मिग-27 विमानों के उन्नयन कार्य का संबंध है, 430 करोड़ रुपये की अधिकतम लागत पर 40 विमानों के उन्नयन के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है।

यह उन्नयन कार्य हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा एयरोनॉटिक्स विकास स्थापना द्वारा देश में ही किया जाएगा और इसके वर्ष 2005 तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

केरल में सड़क ऊपरि-पुलों का निर्माण

124. श्री के. मुरलीधरन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में कालीकट और कासरगोड के बीच सात समपारों पर सड़क उपरि-पुलों के निर्माण के संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस पर अब तक कितना व्यय हुआ है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) केरल में कालीकट और कासरागोड के बीच ग्यारह में से सात उपरि सड़क पुलों के निर्माण को मंजूरी दी गई है जिनमें से छ: के लिए सामान्य प्रबंध ड्राइंग को राज्य सरकार ने अनुमोदित कर दिया है और अनुमान तैयार किए जा रहे हैं। यह ऊपरि सड़क पुल पदनक्काड, पल्लिक्करा, मुझुपल्लीयंगड़ी, चेरोड-एन एच-17, वेगंलम तथा वेंगाली में हैं। चावा, नादल और चेंगोथुकावा में तीन निर्माण कार्यों के लिए "सामान्य प्रबंध ड्राइंग" राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजी गई हैं तथा शेष दो प्रस्तावों, अर्थात् पहला नांडी और दूसरा कालीकट और वेस्ट हिल्स के बीच, के लिए उनकी "सामान्य प्रबंध ड्राइंग" तैयार करने के लिए राज्य सरकार से ब्यौरों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) निर्माण कार्य अभी योजना स्तर पर है अत: कोई खर्च नहीं हुआ है।

राशन की वस्तुओं की कीमतें

125. श्री टी. गोविन्दन : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बेचे जाने वाले चावल, चीनी और गेहूं की कीमतों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कीमतों को बढ़ाने से पहले राज्य सरकारों को विश्वास में लिया गया था;

(घ) इन वस्तुओं की खरीद, संचालन और परिवहन संबंधी लागतों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार कहां तक प्रभावित होंगे?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(रु. प्रति क्विंटल)

	गेहूं	चावल
वसूली लागत	682.12	1007.33
हैंडलिंग	20.94	23.36
परिवहन	53.99	61.92

यद्यपि गेहूं और चावल की वसूली केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है, तथापि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चीनी की आवश्यकता की पूर्ति चीनी फैक्ट्रियों से की जाती है। यद्यपि चीनी फैक्ट्रियों को सरकार द्वारा निर्धारित लेवी चीनी के निकासी मूल्य अदा किए जाते हैं तथापि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चीनी की सुपुर्दगी लागत की गणना करने के लिए लेवी चीनी के निकासी मूल्य में 200 रु. प्रति क्विंटल की राशि जोड़ी जाती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलवे का आधुनिकीकरण

126. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग ने रेल दुर्घटनाओं को रोकने की दृष्टि से हाल ही में आधुनिकीकरण संबंधी प्रक्रिया को शीघ्रता से करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस कार्य के लिए कितनी राशि निर्धारित की जायेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) जी हां, रेलें गाड़ी परिचालन में संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। गाड़ी परिचालन में संरक्षा एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। धन की उपलब्धता के आधार पर उत्तरोत्तर संरक्षा प्रणाली और उपस्कर उपलब्ध कराए जाते हैं।

उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त जज न्यायमूर्ति श्री एच.आर. खन्ना की अध्यक्षता में गठित रेल संरक्षा समीक्षा समिति ने अपनी रपट के भाग-1 में अन्य सिफारिशों जिनके लिए कोई वित्तीय फलितार्थ नहीं है, के अलावा 2727 करोड़ रुपये लागत की तकनीकी सहायता के प्रावधान तथा 15,000 करोड़ रु. लागत की परिसम्पत्तियों के नवीनीकरण की सिफारिश की हैं, जिन सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार किया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी और संरक्षा उपस्कर तथा प्रणाली का प्रावधान धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

कूडल नगर रेलवे स्टेशन का उन्नयन

127. श्री पी. मोहन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान मदुरै मंडल के अंतर्गत कूडल नगर रेलवे स्टेशन का दिल्ली मंडल के अंतर्गत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जैसे एक प्रमुख टर्मिनस के रूप में उन्नयन करने संबंधी बार-बार उठ रही मांगों की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन मांगों को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) मदुरै जंक्शन स्टेशन की संभावना का अभी तक पूरा विकास अथवा इस्तेमाल नहीं किया गया है। दक्षिण रेलवे के मीटर आमान प्रणाली के व्यापक आमान परिवर्तन से वहां काफी बड़ी भूमि रिलीज की गई है जो प्रमुख मीटर लाइन लोको शेड के पास थी। उस स्थान पर बड़ी लाइन कोचिंग टर्मिनल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। मदुरै-रामेश्वरम खंड के आमान परिवर्तन होने से मदुरै के लिए भी अतिरिक्त बड़ी लाइन प्लेटफार्म की योजना बनाई जा रही है। जब ये नियोजित कार्य पूरे कर दिए जाएंगे, तब मदुरै जंक्शन अतिरिक्त थ्रू तथा टर्मिनेटिंग यात्री सेवाएं संभालने में समर्थ होगा। अत: मदुरै के लिए कूडल नगर में दूसरा कोचिंग टर्मिनल

फिलहाल आवश्यक नहीं समझा जाता है। कूडल नगर का मदुरै गुड्स टर्मिनल के रूप में पहले ही विकास हो गया है। हाल ही में कनकॉर ने भी इस गुड्स टर्मिनल से परिचालन शुरू कर दिया है। यातायात की मात्रा के आधार पर जब कभी आवश्यक होगा कूडल नगर में अतिरिक्त सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

पुन:प्रयोज्य ऊर्जा शिक्षा संबंधी पार्क स्थापित करना

128. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश भर में ''पुन: प्रयोज्य ऊर्जा शिक्षा पार्कों'' की स्थापना को प्रोत्साहित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की सहायता से ऐसे पार्कों को किन-किन राज्यों में खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस प्रकार के कार्यों को खोलने के लिए राज्यों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) जी हां। सरकार, विशेष क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना के लिए मंजूरी देती रही है।

(ख) 27 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों अर्थात् आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ और पांडिचेरी के लिए अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्वीकृति पहले ही प्रदान की जा चुकी है।

(ग) प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश स्वीकृत की गई अक्षय ऊर्जा प्रणालियों तथा अधिकतम 10.00 लाख रुपये प्रति पार्क तक की युक्तियों की पूंजी लागत पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ ऐसे पार्कों की स्थापना के लिए दस महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थाओं और सार्वजनिक स्थानों का चयन कर सकेंगे।

तीव्र गति रेल संयोजक

129. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मुंबई और अहमदाबाद, दिल्ली और लखनऊ तथा चेन्नई और बेंगलूर के बीच तीव्र-गति रेल-संयोजक स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार, अंतर्राष्ट्रीय रेल संघ (आई.यू.आर.) के सदस्य देशों के साथ संयुक्त उद्यम लगाने के बारे में रुचि दिखा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त संयुक्त उद्यम कब तक लगाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

रक्षा अधिकारियों द्वारा समय से पहले सेवानिवृत्ति लिया जाना

130. श्री पवन कुमार बंसल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने वाले रक्षा अधिकारियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तीनों सशस्त्र सेनाओं में से प्रत्येक में प्रति वर्ष और चालू वर्ष में अब तक कितने अधिकारियों और 'एन.सी.सी.' कर्मियों ने समय से पहले सेवानिवृत्ति ली और इसके लिए क्या-क्या कारण बतलाए;

(ग) ऐसे रवैये के लिए कौन से आधार की पहचान की गई है और आमतौर पर किस रैंक स्तर पर सेवानिवृत्ति ली गई है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने वाले रक्षा अफसरों की संख्या में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) समय से पहले सेवानिवृत्ति सामान्यत: या तो अनुकंपा या अधिक्रमण के आधार पर ली जाती है। समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने वाले अफसरों की बड़ी संख्या लेफ्टिनेंट कर्नल या अन्य सेवाओं में उसके समकक्ष रैंक के अफसरों की होती है।

(घ) सशस्त्र सेनाओं में महिला अफसरों सहित अफसरों तथा अन्य रैंकों की श्रेणियों, दोनों के लिए अवसरों तथा चुनौतियों के बारे में हमारे देश के युवाओं को और अधिक जागरूक बनाने के लिए उपाय किए गए हैं। सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि करने जैसे निर्णयों के अलावा, सशस्त्र सेना कार्मिकों की जीवन शैली में सुधार किए जाने की प्रक्रिया को जारी रखा गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान रक्षा सेनाओं में समय से पूर्व सेवानिवृत्ति लेने वाले कमीशन प्राप्त और गैर-कमीशन प्राप्त अफसरों की संख्या इस प्रकार है

सेना

रैंक	1997	1998	1999	2000 (जनवरी तक)
लेफ्टि. जनरल	1	–	–	–
मेजर जनरल	3	2	4	–
ब्रिगेडियर	24	26	21	2
कर्नल	76	80	88	5
लेफ्टि. कर्नल (टी.एस. सहित)	248	294	213	12
मेजर	70	110	92	4
कैप्टन और उससे नीचे	13	30	18	–
योग	435	542	436	23

नौसेना

रैंक	1997	1998	1999	2000
कैप्टन/कमोडोर	17	59	41	लागू नहीं
कमांडर	28	70	74	लागू नहीं
लेफ्टि. कमांडर/और उससे नीचे	12	68	66	लागू नहीं
योग	57	197	181	

वायु सेना

रैंक	1997	1998	1999	2000 (जनवरी तक)
ग्रुप कैप्टन और उससे ऊपर	31	23	26	6
विंग कमांडर और उससे नीचे	160	200	135	8
योग	191	223	161	14

सशस्त्र सेनाओं में समय-पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले अफसर रैंक से नीचे के कार्मिक

सेनाएं	1997	1998	1999	2000
सेना (सितंबर 99 की स्थिति के अनुसार)	11,300	14,800	21,900	2,000
वायु सेना (जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार)	329	559	491	50
नौसेना	–	–	–	–

संसाधनों का जुटाया जाना

131. श्री पी.सी. थामस : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने किसी बाह्य अथवा आंतरिक बजटीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा पर और अधिक व्यय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन तथा जर्मनी द्वारा इस संबंध में आनुपातिक रूप से कितनी धनराशि व्यय की जाती है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां। सामान्य राजकोष से बजटीय सहायता के मामले पर योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श करने के बाद निर्णय किया जाता है।

(ख) चालू वर्ष में 2540 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गई है।

(ग) भारतीय रेलों पर संरक्षा संबंधी निवेश एक सतत् और आवश्यकताओं पर आधारित प्रक्रिया है। संरक्षा के लिए धन और यात्री सुविधा संबंधी उपाय आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किए जा रहे हैं।

(घ) विदेशी रेलों में संरक्षा और यात्रियों की सुविधाओं पर खर्च की जाने वाली अनुपातिक धनराशि के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के जरिए उत्पादित विद्युत

132. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के जरिए उत्पादित की जाने वाली विद्युत की मेगावाट में राज्यवार कुल मात्रा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से राज्यवार विद्युत उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से राज्यवार विद्युत उत्पादन (31.12.99 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	स्थापित क्षमता (मेवा.)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	128
2.	अरूणाचल प्रदेश	21
3.	असम	2
4.	गुजरात	174
5.	हरियाणा	5
6.	हिमाचल प्रदेश	12
7.	जम्मू व कश्मीर	9
8.	कर्नाटक	94
9.	केरल	8

1	2	3
10.	मध्य प्रदेश	37
11.	महाराष्ट्र	52
12.	मणिपुर	4
13.	मेघालय	2
14.	मिजोरम	12
15.	नागालैंड	4
16.	उड़ीसा	4
17.	पंजाब	21
18.	राजस्थान	8
19.	सिक्किम	9
20.	तमिलनाडु	860
21.	त्रिपुरा	1
22.	उत्तर प्रदेश	83
23.	पश्चिम बंगाल	9
	कुल	1559

[अनुवाद]

तकनीकी पैरामीटरों को लागू करना

133. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बड़ी रेल लाइन मार्गों के संबंध में रेलवे के चल स्टाक को प्रचालनात्मक गति प्रमाण पत्र देने के लिए भारतीय रेल पर कौन-कौन से तकनीकी पैरामीटर लागू होते हैं;

(ख) क्या सामान्य मार्ग/रेल पटरियों के संबंध में चल स्टाक के भिन्न-भिन्न प्रकार के कोई अलग-अलग पैरामीटर हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) भारतीय रेल अधिनियम 1989 की धारा 27 के अनुसार संरक्षा आयुक्त से प्रचालनात्मक गति देने के लिए 140 एम.टी. क्रेन किस पैरामीटर में आती हैं;

(ङ) क्या सुरक्षा आयुक्त ने भारतीय रेल अधिनियम की धारा 27 और पैरामीटर के अनुसार 1984-85 और 1997-98 में की गई संविदा के माध्यम से प्राप्त की गई क्रेनों के लिए स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) विस्तृत दोलन परीक्षणों के दौरान चल स्टाक को जारी किए गए गति प्रमाण पत्र 10% से अधिक गति पर अपेक्षित मानदंड को पूरा करना चाहिए।

(ख) और (ग) अंतिम गति प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया सभी किस्म के चल स्टॉक के लिए एक समान है। बहरहाल, भिन्न-भिन्न चल स्टॉकों यथा सवारी डिब्बों, मालडिब्बों, रेल इंजनों, क्रेनों आदि के लिए निर्धारित किए जाने वाले मानदंड भिन्न-भिन्न होते हैं। स्वीकार्य मानदंड भिन्न-भिन्न होते हैं क्योंकि विभिन्न चल स्टाकों से प्रत्याशित निष्पादन एक समान नहीं होते हैं अर्थात् जो स्टाक यात्री नहीं ढोते हैं उनके लिए स्थायित्व का महत्व है जबकि यात्री ले जाने वाले स्टॉक आदि के लिए स्थायित्व और आराम दोनों पहलू महत्व रखते हैं।

(घ) 140 एम.टी. क्रेनों के लिए स्वीकार्य मानदंड 'ब्रेक डाउन क्रेनों' के लिए निर्धारित स्वीकार्य मानदंड के अंतर्गत आते हैं।

(ङ) और (च) मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त के जरिये रेल संरक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर क्षेत्रीय रेलवे पर नये अभिकल्प की क्रेन पहली बार आरंभ करने के लिए रेलवे बोर्ड की मंजूरी की आवश्यकता है। अन्य क्षेत्रीय रेलों पर इसी तरह की क्रेनें चलाने के लिए प्रत्येक रेलवे को रेलवे बोर्ड की मंजूरी तथा रेलों पर वास्तव में विद्यमान परिस्थितियों के आधार पर रेल संरक्षा आयुक्त की अनुमति लेनी होती है।

1984-85 की संविदा के तहत प्राप्त की गई क्रेनों के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा और भारतीय रेल अधिनियम 1989 की धारा 27 के अंतर्गत संबंधित रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा आवश्यक मंजूरी जारी की गई थी।

1997-98 की संविदा के अंतर्गत प्राप्त क्रेनों को चलाने के लिए भी अंतरिम प्रमाणपत्र जारी किया गया है। अ.अ.मा.सं. द्वारा दोलन परीक्षण पूरा करने के बाद क्रेनों के लिए भारतीय रेल अधिनियम 1989 की धारा 27 के अंतर्गत अंतिम गति प्रमाण जारी करने की प्रक्रिया जारी है।

बांसपानी-जाखापुर रेल मार्ग का निर्माण

134. श्री अनन्त नायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बांसपानी-जाखापुर रेल मार्ग के निर्माण हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) उपरोक्त रेलमार्ग के शेष भाग के निर्माण पर कितना अनुमानित व्यय होगा; और

(ग) निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां। फिलहाल लक्ष्य तिथि दिसंबर, 2003 है।

(ख) लागत 375 करोड़ रुपये है।

(ग) यह परिचालनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना है जिसे उच्च प्राथमिकता दी गई है और तदनुसार वित्त की व्यवस्था की जा रही है।

[हिन्दी]

ललितपुर-सिंगरौली रेल मार्ग का निर्माण

135. श्री रामानन्द सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ललितपुर-सिंगरौली रेल मार्ग के निर्माण पर कितनी प्रगति हुई है और अब तक इस पर कितना व्यय हुआ है;

(ख) इस पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(ग) उक्त रेल मार्ग को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है। इस कार्य पर अब तक 97.49 लाख रुपये खर्च हुए हैं।

(ख) 925 करोड़ रुपये।

(ग) इस लाइन को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में रेल समपार और सड़क ऊपरिपुलों का निर्माण

136. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में रेल समपार और सड़क-उपरिपुलों के निर्माण के लिए कुछ प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र के विशेषकर रायगढ़ जिले में सड़क-उपरिपुलों और रेल-समपारों के निर्माण के संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी हां। हवड़ा-नागपुर खंड पर चांद सूरज गांव के निकट कि.मी. 946/5-7 पर चौकीदार वाले नए समपार के निर्माण के लिए जिला समाहर्ता भंडारा से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उपरि सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों के मामले में चालू वर्ष के दौरान लागत में भागीदारी के आधार पर महाराष्ट्र की राज्य सरकार से कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) रेलवे ने चांद-सूरज गांव के निकट कि.मी. 946/5-7 पर निक्षेप शर्तों पर चौकीदार वाले नए समपार का निर्माण करने के लिए सहमति दे दी है जिसके लिए जिला समाहर्ता को नक्शे, आकलन तैयार करने और सर्वेक्षण आदि के लिए प्रभार जमा कराने के लिए 16.8.1999 को कह दिया गया है।

[हिन्दी]

बिहार तथा मध्य प्रदेश में चल रही रेल परियोजनाएं

137. श्री राधा मोहन सिंह :
श्री राजो सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार तथा मध्य प्रदेश में चल रही तथा प्रस्तावित रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी लागत आयेगी;

(ख) इसमें क्या प्रगति हुई है और प्रत्येक परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) रेल परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय राष्ट्रीय संदर्भ में प्रणाली की आवश्यकताओं के संबंध में एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाता है। निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए राज्यों की भौगोलिक सीमाएं कोई मनदंड नहीं होती हैं विशेषकर तब जब कई रेल परियोजनाएं एक से अधिक राज्यों में फैली होती हैं। बहरहाल, बिहार और मध्य प्रदेश में चालू रेल परियोजनाओं का ब्यौरा तथा उन पर आने वाली लागत, खर्च की गई राशि, उनकी प्रगति और उनके पूरे होने की संभावित तिथियों के बारे में ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

बिहार और मध्य प्रदेश में निम्नलिखित सर्वेक्षण चल रहे हैं:-

1. शेनगाटी के रास्ते डाल्टनगंज से गया तक नई लाइन
2. चुनार-सासाराम नई लाइन
3. धानीवार-शेखपुरा नई लाइन
4. धानीवार-दानापुर-फतेवाह (पटना बाईपास) नई लाइन
5. धानीवार-बिहार शरीफ नई लाइन
6. वैशाली के रास्ते हाजीपुर से सगौली तक नई लाइन
7. शिवपुर के रास्ते मोतिहारी से सीतामढ़ी तक नई लाइन
8. मधुवन के रास्ते जनकपुर रोड से जयनगर तक नई लाइन
9. सकरी-निर्मली आमान परिवर्तन
10. सकरी-झंझारपुर-लोहका बाजार आमान परिवर्तन
11. पूर्णा-अकोला-खंडवा आमान परिवर्तन
12. रामपुर-धमतारी आमान परिवर्तन
13. टीटलागढ़-झारसुगुडा दोहरीकरण
14. मऊ-रतलाम आमान परिवर्तन
15. खारगोन के रास्ते खंडवा से नरदाना तक नई लाइन
16. जबलपुर-पन्ना नई लाइन
17. डेहरी-ऑन-सोन से बरवाइडीह नई लाइन
18. पीरपैंती से मुंगेर नई लाइन
19. कोडरमा-तिलैया नई लाइन
20. भरवाडीह से चिरीमिरी रेल लाइन का पुनर्स्थापन
21. हजारीबाग से गढ़वा रोड नई लाइन
22. त्रिवेणीगंज के रास्ते सुपौल-अरनिया नई लाइन
23. मुरलीगंज के रास्ते बिहारगंज-छत्तरपुर नई लाइन
24. सौबरसा के रास्ते सीतामढ़ी से जयनगर नई लाइन
25. प्रतापनगर-भीमनगर-बाथनाह नई लाइन
26. भवानीपुर-जारलाही के रास्ते कुर्सेला-मनिहार नई लाइन
27. सलोना (बकरी से अलौली) नई लाइन
28. मधेपुरा-प्रतापगंज नई लाइन
29. महुवा के रास्ते हाजीपुर-समस्तीपुर नई लाइन
30. कुर्सेला-रुपाली-सहरसा नई लाइन
31. मानसी-सहरसा-बानमनक्खी-कटिहार आमान परिवर्तन
32. निर्मली-भापतियार खंड का पुनर्स्थापन
33. खवासा के रास्ते रामटेक से गोटेगांव तक नई लाइन
34. राजनंदगांव-जबलपुर नई लाइन
35. कटंगी से तिरोडी तक नई लाइन
36. पेंडरा रोड-कोरबा/गेरवा रोड नई लाइन
37. बिश्रामपुर-जबलपुर नई लाइन
38. चक्रधरपुर-बोंडामुंडा तीसरी लाइन
39. बिलासपुर-जबलपुर नई लाइन
40. बिलासपुर-अनुपपुर दोहरीकरण
41. टिटलागढ़-रायपुर दोहरीकरण
42. आगर, सुसवेर, झालावाड के रास्ते उज्जैन-रामगंज मंडी
43. इंदौर-बुदनी नई लाइन

विवरण-1

बिहार में रेल परियोजनाएं

शीर्ष	परियोजना	रेलवे	लागत	31.3.99 तक व्यय	परिव्यय 1999-2000	टिप्पणी
			(राशि करोड़ रुपयों में)			
1	2	3	4	5	6	7
दोहरीकरण	सोननगर-मुगलसराय	पूर्व	241.00	173.00	30.00	इस परियोजना का आंशिक वित्तपोषण एशिया विकास बैंक के ऋण से किया जा रहा है। कार्य अच्छी प्रगति पर है। 16 ब्लाक खण्डों में से 46 कि.मी. लम्बे 8 ब्लाक खण्डों को चालू कर दिया गया है। यह पूरा कार्य जून, 2000 तक पूरा कर लिया जाएगा।
दोहरीकरण	पटना-परसा बाजार (पटना-गया, चरण-1)	पूर्व	9.97	7.97	2.00	मिट्टी संबंधी कार्य पूरा होने के निकट है और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। यह कार्य इस वित्त वर्ष के दौरान पूरा कर लिए जाने की संभावना है।
दोहरीकरण	परसा बाजार-पुनपुन (पटना-गया, चरण-2)	पूर्व	7.00	0.00	7.00	नक्शें और अनुमान तैयार कर लिए गए हैं और इस कार्य को शुरू किया जा रहा है।
दोहरीकरण	गोयलकेरा-मनोहरपुर तीसरी लाइन (चक्रधरपुर-बोंडामुंडा खण्ड)	दक्षिण-पूर्व	186.91	4.01	10.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण और भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शों तथा दस्तावेजों की तैयारी शुरू की गई है। मनोहरपुर में रेलवे भूमि पर कार्य शुरू कर दिया गया है। अन्य खंडों पर कार्य राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराए जाने के पश्चात् शुरू किया जाएगा।
दोहरीकरण	साहिबगंज-न्यू फरक्का-मालदा	पूर्व	62.35	61.20	0.15	कार्य पूरा हो गया है और इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है।
दोहरीकरण	किशनगंज-दालकोलहा	पूर्वो. सीमा	43.73	20.47	15.00	किशनगंज-हटवार-कनकी (14 कि.मी.) तक के दो ब्लाक खंडों को चालू कर दिया गया है और शेष भाग को दिसंबर, 2000 तक पूरा कर लिया जाएगा।
दोहरीकरण	पुनपुन-तरेगना (पटना-गया, चरण-3)	पूर्व	42.35	0.00	5.00	1999-2000 के बजट में शामिल नया कार्य है। इस कार्य को शुरू करने के लिए आरंभिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

1	2	3	4	5	6	7
दोहरीकरण	छपरा-हाजीपुर	पूर्वोत्तर	49.64	0.00	1.00	1999-2000 का नया कार्य है। आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद इस कार्य को शुरू किया जाएगा।
दोहरीकरण	करपूरीग्राम-सिओ	पूर्वोत्तर	32.67	0.00	1.00	1999-2000 का नया कार्य है। इस कार्य को शुरू करने के लिए आरंभिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
आमान परिवर्तन	नरकटियागंज-बाल्मीकि नगर	पूर्वोत्तर	55.04	42.93	1.50	कार्य पूरा हो चुका है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। शेष कार्य प्रगति पर है।
आमान परिवर्तन	हाजीपुर-बचवाड़ा	पूर्वोत्तर	71.17	67.38	1.00	कार्य पूरा हो चुका है और यातायात के लिए खोल दिया गया है।
आमान परिवर्तन	मानसी-सहरसा-फारबिसगंज फेज-1	पूर्वोत्तर	210.00	19.50	10.00	23 कि.मी. में मिट्टी संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया है। 13 छोटे पुलों में से 9 पुल तैयार हो चुके हैं। 10 बड़े पुलों में से एक पुल तैयार हो चुका है। बागमती नदी पर बनाए जा रहे दो पुलों पर कार्य चल रहा है। 3 बड़े पुलों के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन पुलों को तैयार करने में 2-3 वर्ष का समय लगेगा।
आमान परिवर्तन	रांची-लोहारडगा, तोरी तक विस्तार सहित	दक्षिण पूर्व	193.19	11.45	10.00	चरण-1 अर्थात् रांची-लोहारदगा खंड पर मिट्टी संबंधी कार्य और छोटे पुलों का कार्य शुरू किया गया है। लोहारदगा-तोरी (चरण-2) पर अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है और जून, 2000 तक पूरा कर लिया जाएगा।
आमान परिवर्तन	जयनगर-दरभंगा-नरकटियागंज	पूर्वोत्तर	233.00	0.00	10.00	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी हैं। 3 कि.मी. के लिए मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो चुका है। जयनगर-दरभंगा के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।
आमान परिवर्तन	समस्तीपुर-खगड़िया	पूर्वोत्तर	70.00	0.00	0.00	यह कार्य अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त होने के पश्चात् शुरू किया जाएगा।
आमान परिवर्तन	कटिहार-जोगबनी (कटिहार-राधिकापुर सहित)	पूर्वोत्तर सीमा	137.24	0.00	0.00	यह कार्य अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त होने के पश्चात् शुरू किया जाएगा।

1	2	3	4	5	6	7
आमान परिवर्तन	छपरा-औंडिहार	पूर्वोत्तर	165.57	164.57	1.00	कार्य पूरा हो चुका है और यातायात के लिए चालू कर दिया गया है। वित्तीय समायोजन किए जा रहे हैं।
आमान परिवर्तन	मुजफ्फरपुर-रक्सौल	पूर्वोत्तर	94.55	90.55	4.00	यह कार्य पूरा हो चुका है और इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। वीरगंज से रक्सौल तक का कार्य जिसे महत्वपूर्ण आशोधन के रूप में स्वीकृत किया गया है, प्रगति पर है और इसे जून, 2000 तक पूरा कर लिया जाएगा।
आमान परिवर्तन	कटिहार मंडल-मी.ला. से ब.ला.	पूर्वोत्तर	1.11	0.88	0.00	कार्य प्रगति पर है।
आमान परिवर्तन	कैप्टनगंज-थावे-सिवान-छपरा	पूर्वोत्तर	268.00	0.00	0.00	1999-2000 का नया कार्य है। आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद इस कार्य को शुरू किया जाएगा।
नई लाइन	मंदारहिल-रामपुर हाट बरास्ता दुमका	पूर्व	170.47	6.47	4.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे और दस्तावेजों की तैयारी प्रगति पर है। मंदार हिल छोर से 20 कि.मी. तक के भूखंड के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करा दिए जाने के पश्चात कार्य शुरू किया जाएगा।
नई लाइन	सकरी-हसनपुर	पूर्वोत्तर	89.70	14.00	5.00	पूरे भूखण्ड के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं और 667 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। सकरी छोर से 7 कि.मी. तक मिट्टी संबंधी कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।
नई लाइन	खगड़िया-कुशेश्वरस्थान	पूर्वोत्तर	78.00	1.50	1.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है और भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे तथा दस्तावेजों की तैयारी शुरू की गई है। 18.5 कि.मी. लम्बी भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किए गए हैं। खगड़िया यार्ड में मिट्टी संबंधी कार्य शुरू किया गया है। राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराने के बाद कार्य को शुरू किया जाएगा।

1	2	3	4	5	6	7
नई लाइन	पटना-गंगा पुल	पूर्व	600.00	2.01	5.00	राइट्स द्वारा विस्तृत जांच और अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमण्डल समिति का अनुमोदन अभी प्राप्त किया जाना है। उत्तर प्रदेश सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की द्वारा मॉडल अध्ययन शुरू किए गए हैं और इसे जून, 2000 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है जिसके बाद पुल के संगरूपण और संरेखण को अंतिम रूप दिया जाएगा। पुल के अभिकल्प और संरेखण को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् लागत अनुमानों की पुष्टि की जाएगी और प्रस्ताव अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।
नई लाइन	आरा-सासाराम	पूर्व	120.00	5.01	10.00	20 कि.मी. तक की लंबाई के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और 206 एकड़ भूमि वाले सासाराम और नोखा के बीच के भूखंड के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। शेष बाकी बचे भाग में अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण चल रहा है। दोनों छोरों पर जहां कहीं भी भूमि उपलब्ध है वहां कार्य शुरू कर दिया गया है।
नई लाइन	गिरीडीह-कोडरमा	पूर्व	145.00	0.51	5.00	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त की जा चुकी हैं। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है इसके बाद भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्रवाई की जाएगी और भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् कार्य शुरू किया जाएगा।
नई लाइन	मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी	पूर्वोत्तर	100.00	2.01	2.00	32 कि.मी. के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे तथा दस्तावेज और अन्य प्रारंभिक कार्य चल रहे हैं। सीतामढ़ी यार्ड में मिट्टी संबंधी कार्य 1 कि.मी. तक पूरा कर लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराने के पश्चात् इस कार्य को शुरू किया जाएगा। 67.55 एकड़ भूमि के अधिग्रहण संबंधी कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

1	2	3	4	5	6	7
नई लाइन	मुंगेर में गंगा पर रेलवे पुल	पूर्व	6.00	1.00	2.00	यह कार्य अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के पश्चात शुरू किया जाएगा। सर्वेक्षण और विस्तृत जांच शुरू की गई है।
नई लाइन	दुर्गौधा-महाराजगंज	पूर्वोत्तर	3.57	0.34	2.00	यह कार्य अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के पश्चात शुरू किया जाएगा।
नई लाइन	फतुआ-इस्लामपुर की बहाली	पूर्व	49.50	1.00	14.00	इस्लामपुर और हिलसा के बीच मिट्टी संबंधी कार्य एवं पुलों का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस खंड के शेष भाग के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है और भूमि उपलब्ध होते ही इस कार्य को शुरू कर दिया जाएगा।
नई लाइन	राजगीर-हिसुआ-तिलैया	पूर्व	49.05	1.00	14.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और 70 हेक्टेयर भूमि वाले 20 कि.मी. के भूखंड के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत किए गए हैं। इस कार्य को इरकॉन द्वारा किया जाएगा। आस-पास पुरातन स्मारक होने के कारण राजगीर क्षेत्र के संरेखण पर पुनर्विचार किया जा रहा है।
नई लाइन	कोडरमा-रांची	पूर्व	491.20	0.50	14.00	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी हैं। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है और इसके बाद भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्रवाई पूरी की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध होने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
नई लाइन	देवगढ़-दुमका	पूर्व	180.00	0.50	2.00	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी हैं। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे एवं कागजात तैयार किए जा रहे हैं।
नई लाइन	बागहा-छितौनी-मी.ला.	पूर्वोत्तर	93.42	93.41	0.00	आमान परिवर्तन का कार्य पूरा हो चुका है और इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। गंडक नदी पर रेल एवं सड़क पुल का कार्य मैसर्स इरकॉन द्वारा शुरू किया गया है जिसका कार्य प्रगति पर है। इस कार्य को पूरा करने में लगभग 2 वर्ष का समय लगेगा।

1	2	3	4	5	6	7
विद्युतीकरण	सीतारामपुर-दानापुर-मुगलसराय	पूर्व	330.75	259.05	50.07	286 आरकेएम को मार्च, 1999 तक उर्जित कर दिया गया है। कानून व्यवस्था संबंधी कठिनाइयों और ठेकेदार की विफलता के कारण कार्य धीमी गति पर है। इस कार्य को दिसम्बर, 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
विद्युतीकरण	चांडिल-मूरी-बरकाकाना	दक्षिण पूर्व	45.06	41.50	2.55	कार्य पूरा कर लिया गया है।
विद्युतीकरण	पतरातू-सोननगर	पूर्व	172.26	168.12	4.14	कार्य पूरा हो चुका है।
विद्युतीकरण	बोकारो स्टील सिटी-मूरी-हटिया-बोंडामुंडा-बिमलगढ़-किरीबुरू-बारसुआन जिसमें पुरुलिया-कोटशिला शामिल है।	दक्षिण पूर्व	214.55	193.42	20.00	221 आरकेएम को मार्च, 1999 तक उर्जित कर लिया जाएगा। इस पूरे खंड को मार्च, 2002 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
विद्युतीकरण	पटना-गया	पूर्व	36.80	0.00	0.10	परियोजना रिपोर्ट की पुनर्जांच की जा रही है। प्रतिफल की दर ऋणात्मक है।
विद्युतीकरण	कुसुन्दा-जमुनयानिटांड	पूर्व	16.42	4.00	7.00	इस कार्य को मार्च, 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

विवरण-II

मध्य प्रदेश की परियोजनाएं

शीर्ष	परियोजना	रेलवे	लागत	31.3.99 तक व्यय	परिव्यय 1999-2000	टिप्पणी
			(राशि करोड़ रुपयों में)			
1	2	3	4	5	6	7
दोहरी लाइन	हटेमपुर-घेर-इकहरी लाइन	मध्य	44	42.61	1	कार्य पूरा हो चुका है।
दोहरी लाइन	निपादपुरा क एवं घ केबिन	मध्य	3.97	3.53	0.001	यह कार्य पूरा हो चुका है और इसे यातायात के लिए चालू कर दिया गया है।
दोहरी लाइन	अक्कलतारा-चंपा	दक्षिण पूर्व	44.2	42.2	2	अकलतारा-नैला (16 कि.मी.) पूरा हो गया है। हसदेव पुल, जिसे जून, 2001 तक पूरा कर लिया जाएगा को छोड़कर नैला-हसदेव (7 कि.मी.) का कार्य पूरा हो चुका है। इसे चालू करने के लिए सीआरएस की मंजूरी की प्रतीक्षा है जो बोर्ड से ग्रेड उल्लंघन की माफी के बाद चालू किया जाएगा।

1	2	3	4	5	6	7
दोहरी लाइन	उरकुरा-रायपुर-सरोना	दक्षिण पूर्व	22.82	0.	0.001	यह कार्य पूरा हो चुका है और इसे यातायात के लिए चालू कर दिया गया है।
दोहरी लाइन	कोरबा-सरगबुंदिया	दक्षिण पूर्व	27.59	23.59	4	कोरबा-उर्गा (6.5 कि.मी.) पूरा हो चुका है। शेष भाग पर कार्य चल रहा है और मार्च, 2000 तक पूरा हो जाएगा।
दोहरी लाइन	सरोना-भिलाई तीसरी लाइन	दक्षिण पूर्व	33.29	6.5	17	मिट्टी संबंधी कार्य एवं छोटे पुलों का कार्य चल रहा है। महत्वपूर्ण खरम बड़े पुल के लिए स्थल की जांच की जा रही है।
दोहरी लाइन	बिलासपुर-उरकुरा	क्षिण पूर्व	151.53	0.5	10	कार्य शुरू करने के लिए प्रारंभिक प्रबंध शुरू कर दिए गए हैं।
दोहरी लाइन	चंपा-सरगबुंदिया	दक्षिण पूर्व	39.74	18.06	20	कार्य प्रगति पर है। सरगबोंदिया-कोठारी रोड-बोलपुर (15 कि.मी.) से 15 कि.मी. तक के खंड वाले तीन ब्लाक खंडों को 1999-2000 के दौरान पूरा कर लिया जाएगा।
दोहरी लाइन	कोरबा-गेवरा रोड	दक्षिण पूर्व	29.39	0.2	5	पुल और नींव संबंधी कार्य शुरू किया गया है।
दोहरी लाइन	कालापीपल-फांडा/ मक्सी-भोपाल	पश्चिम	53	0.01	0.01	निम्न परिचालनिक प्राथमिकता और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल यह कार्य स्थायी रूप से रोक दिया गया है।
दोहरी लाइन	बुलई-कालीसिंध-किशोनी-बेरछा	पश्चिम	49.29	22.43	10	4 ब्लाक खंडों में कार्य प्रगति पर है और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार विनियमित किया जा रहा है। मक्सी-पीर उमरोद और बोलाई-काली सिंध का कार्य पूरा हो चुका है।
आमान परिवर्तन	जबलपुर-गोंदिया, बालाघाट-कटंगी सहित	दक्षिण पूर्व	386.3	20.4	22	बालाघाट-कटंगी सहित गोंदिया से बालाघाट के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है जिसमें बड़े पुलों की भू-तकनीकी जांच शामिल है। बालाघाट-जबलपुर के बीच सर्वेक्षण चल रहा है। गोंदिया और बालाघाट के बीच नींव, पुल और ब्लास्ट सप्लाई संबंधी कार्य प्रगति पर है।
आमान परिवर्तन	नीमच-रतलाम	पश्चिम	116.74	4.57	5	दीर्घकालिक मदों पर कार्य शुरू कर दिया गया है।
नई लाइन	गुना-इटावा	मध्य	337.32	225.35	18	गुना-ग्वालियर और ग्वालियर-नोनेरा खंडों को पहले ही पूरा कर लिया गया है। नोनेरा तथा भिंड के बीच आमान परिवर्तन के अगले चरण का कार्य चल रहा है तथा नोनेरा-सोनी (27 कि.मी.) लाइन को 2000-2001 में पूरा किया जाएगा। भिंड (23 कि.मी.) के इस परियोजना

1	2	3	4	5	6	7
						के अंतिम चरण को 2000-2001 में पूरा किया जाएगा। भिंड से इटावा तक इस परियोजना के अंतिम चरण में चंबा, कुंवारी तथा यमुना नदी पर तीन बड़े पुलों का निर्माण कार्य शामिल है। यमुना पुल पर कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है और इस कार्य को संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आने वाले वर्षों में पूरा किया जाएगा।
नई लाइन	ललितपुर-सतना एवं रीवा-सिंगरौली	मध्य	925	1	5	आवश्यक क्लीयरेंस प्राप्त हो गई है। ललितपुर छोर से 70 कि.मी. के लिए और महोबा छोर से 45 कि.मी. के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और शेष खंड के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण चल रहा है।
नई लाइन	बिश्रामपुर-अम्बिकापुर	दक्षिण पूर्व	40	0.05	5	आवश्यक क्लीयरेंस प्राप्त हो गई है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण और भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य पूरे हो चुके हैं। कार्य शुरू किया जा रहा है।
नई लाइन	गोधरा-इंदौरा-देवास मक्सी	पश्चिम	297.1	17.12	4	यह कार्य चरणों में कियाा जा रहा है। देवास और मक्सी के बीच के पहले चरण का कार्य अब प्रगति पर है। सभी 8 बड़े पुलों पर कार्य चल रहा है। सभी 49 छोटे पुल तैयार हो चुके हैं। मिट्टी संबंधी एवं ब्लास्ट सप्लाई जैसे अन्य कार्य प्रगति पर हैं। इस खंड के 9वीं योजना तक पूरा किए जाने की संभावना है, बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों।
नई लाइन	दल्लीराजहरा-जगदलपुर	दक्षिण पूर्व	369	4.02	1	इस कार्य को 1995-96 के रेलवे बजट में शामिल किया गया है। बहरहाल, इस लाइन को इस्पात मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार के साथ लागत में भागीदारी के आधार पर शुरू किया जाना है। दिल्ली राजहरा से रोहघाट तक के पहले चरण के कार्य की संपूर्ण लागत इस्पात मंत्रालय द्वारा वहन की जाएगी। शेष लाइन के लिए सेल 7% की ब्याज दर पर 75 करोड़ रु. की वित्त व्यवस्था मुहैया करा रहा है। जिसे भाड़े में रियायत देकर समायोजित किया जाना है। मध्य प्रदेश सरकार 25 करोड़

1	2	3	4	5	6	7
						रु. की भूमि निःशुल्क मुहैया कराएगी और शेष धनराशि रेलवे द्वारा मुहैया करायी जानी है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए हैं और अनुमान स्वीकृत किए जा चुके हैं। दल्लीराजहरा-रोहघाट खंड पर कार्य शुरू करने के लिए सेल से 50 करोड़ रुपए की धनराशि रेलवे के पास जमा कराने का अनुरोध किया गया है। 140 कि.मी. में से 130 कि.मी. पूरा हो चुका है।
विद्युतीकरण	कटनी-अनूपपुर-बिलासपुर	दक्षिण पूर्व	355.5	295.8	5	कार्य पूरा हो चुका है।

लक्ष्य, संसाधनों की समग्र उपलब्धता के अनुसार वार्षिक आधार पर निर्धारित किए गए हैं। निर्धारित की गई प्रत्येक परियोजना के संबंध में प्रत्याशित लक्ष्य दर्शाए गए हैं, संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आगामी वर्षों में इन परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा।

[अनुवाद]

हवाई अड्डों पर सुरक्षा एजेंसियां

138. श्री कोडीकुनील सुरेश :
श्री मोहन रावले :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विभिन्न सुरक्षा व्यवस्थाओं में अलग सरकारी एजेंसियों के होने से सरकार को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अभेद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह जिम्मेदारी किसी एक एजेंसी को सौंपने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश के सभी प्रचालनात्मक घरेलू हवाई अड्डों पर प्रथम चरण में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को सुरक्षा ड्यूटियां सौंपे जाने संबंधी निर्णय ले लिया गया है। सीआईएसएफ ने पहले ही जयपुर, बडोदरा, गुवाहाटी तथा पोर्ट ब्लेयर विमानपत्तनों पर सुरक्षा ड्यूटियां संभाल ली हैं।

रेल-व्हील इंटरएक्शन अध्ययन प्रकोष्ठ

139. श्री सुबोध मोहिते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल सुरक्षा आयोग की रेल व्हील इंटरएक्शन अध्ययन प्रकोष्ठ स्थापित करने की सिफारिश को वर्ष 1994-95 से लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे ने वर्ष 1999-2000 के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो दुर्घटनाओं के कारण सामग्री-वार और राजस्व-वार कितना घाटा हुआ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) भारतीय रेल ने हाल ही में रुड़की विश्वविद्यालय में दो प्रोफेसेरियल चेयर की स्थापना की है जिनमें से एक रेल वाहन प्रणाली के आयाम विषय पर है। इस चेयर का मुख्य उद्देश्य रेल व्हील इंटरएक्शन पर अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अप्रैल, 1999 से जनवरी, 2000 के दौरान 387 परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। सामान और राजस्व की दृष्टि से नुकसान का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। बहरहाल, दिसंबर, 1999 तक 64.31 करोड़ रु. (अनंतिम) की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है।

माल डिब्बों की कीमत

140. श्री मोइनुल हसन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.बी.यू.एन.एल. के अधिकारियों की एसोसिएशन ने माल डिब्बों की कीमत में कटौती करने के रेलवे बोर्ड के आदेशों पर आपत्ति प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार अभी भी वैगन विनिर्माण करने वाले सरकारी उपक्रमों को 60% क्रयादेश देने की नीति को लागू करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) 7.12.1999 को खोली गई नई निविदा में मालडिब्बों के निर्माण के लिए निम्न दरें प्राप्त हुई थीं। इस कम दर के कारण रेलवे बोर्ड ने ठेकों की शर्तों के अनुसार नकारात्मक विकल्प खंड लगा दिया। 7.12.99 को खोली गई नई निविदा में लागू निम्न दरों की पेशकश विकल्प खंड के अंतर्गत कम की गई मात्रा के आधार पर मालडिब्बा निर्माताओं को विकल्प के रूप में की गई थी ताकि मालडिब्बा उद्योग को निरन्तर उत्पादन में मदद मिल सकें। मालडिब्बा के कम किए गए मूल्य के लिए कोई विशेष अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र की सभी फर्मों के निम्न दरों को स्वीकार किया है।

(ग) मालडिब्बों के लिए आर्डर, मालडिब्बा निर्माताओं की क्षमता एवं निष्पादन तथा नीति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को कतिपय खरीद में तरजीह के अनुसार विधिवत रूप से प्रस्तावों की प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हल्के लड़ाकू विमानों का उड़ान परीक्षण

141. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हल्के लड़ाकू विमानों का उड़ान परीक्षण करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त उड़ान परीक्षण के संबंध में योजना कब तक तैयार होने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में धनराशि मुहैया कराने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) हल्के लड़ाकू वायुयान की प्रथम परीक्षण उड़ान मार्च/अप्रैल, 2000 के अंत में किए जाने की संभावना है।

(ग) इस परियोजना के चरण-1 के लिए 2188 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की जा चुकी है।

रेल दुर्घटना सहायता क्रेन

142. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय जोन-वार कितनी रेल दुर्घटना सहायता क्रेनें काम कर रही हैं;

(ख) क्या ये सभी क्रेनें आयातित हैं या स्वदेशी हैं; और

(ग) सरकार का इस कमी को किस तरह पूरा करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) इस समय भारतीय रेल के पास बड़ी लाइन प्रणाली पर 79 अदद दुर्घटना राहत क्रेनें और मीटर लाइन प्रणाली पर 47 अदद भाप क्रेनें हैं। इसमें कोंकण रेलवे निगम के पास उपलब्ध 140 टन क्रेन शामिल नहीं है। विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर विभिन्न क्षमताओं वाली क्रेनों, जो इस समय परिचालन में हैं, की संख्या दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है:

भारतीय रेलों पर उपलब्ध दुर्घटना राहत क्रेनों की संख्या

रेलवे	क्रेनें			
	140 टन डीज़ल	120 टन डीज़ल	बड़ी लाइन भाप	मी. लाइन भाप
मध्य	4	0	6	0
पूर्व	5	2	2	0
उत्तर	4	1	7	5
पूर्वोत्तर	1	0	1	10
पूर्वोत्तर सीमा	3	0	3	7
दक्षिण	2	0	4	8
दक्षिण मध्य	4	0	6	6
दक्षिण पूर्व	6	3	5	0
पश्चिम	4	–	6	11
जोड़	33	6	40	47

(ख) 126 क्रेनों में से 140 टन वाली 31 अदद और 120 टन वाली 6 अदद डीज़ल हाइड्रोलिक ब्रेक डाउन क्रेनें आयातित हैं जबकि अधिकांश भाप क्रेनें और 140 टन की 2 अदद डीज़ल हाइड्रालिक ब्रेक डाउन क्रेनें स्वदेशी हैं।

(ग) इस समय, भारतीय रेलों पर क्रेनों की कोई कमी नहीं है। बहरहाल, आवश्यकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर कम क्षमता वाली भाप क्रेनों को सेवा से हटाने के लिए उत्तरोत्तर 140 टन उच्च क्षमता वाली और अधिक क्रेनें सेवा में लगाई जा रही हैं।

लघु जल विद्युत परियोजनाएं

143. डा. सी. कृष्णन : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोई लघु जल विद्युत परियोजनाएं सरकार के पास मंजूरी हेतु लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश भर में लघु जल ऊर्जा की विशाल क्षमता को काम में लाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) लघु पन बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए अनुमोदन, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दिए जाते हैं। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय केवल अनुमोदित योजनाओं और उनकी शर्तों पर आधारित ऐसी परियोजनाओं के लिए लागू वित्तीय प्रोत्साहनों को ही उपलब्ध कराता है।

(ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय लघु पन बिजली (एस.एच.पी.) परियोजनाओं के विकास के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध करा रहा है जिनमें विस्तृत सर्वेक्षण एवं अन्वेषण करने, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने के लिए सहायता, प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए पूंजीगत आर्थिक राजसहायता, वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए ब्याज आर्थिक राजसहायता तथा पुरानी एस.एच.पी. परियोजनाओं के जीर्णोद्धार आधुनिकीकरण के लिए सहायता प्रदान करना शामिल है। वर्तमान में ये प्रोत्साहन 3 मेगावाट क्षमता तक की एस.एच.पी. परियोजनाओं के लिए उपलब्ध हैं।

रेल नेटवर्क के विस्तार में निजी निवेश

144. श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने रेल प्रचालन/नेटवर्क के विस्तार और इसे सुदृढ़ बनाने हेतु विकास संबंधी गतिविधियों में निजी भागीदारी और निवेश के लिए क्षेत्रों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अगले पांच वर्षों के दौरान रेलवे की विकास गतिविधियों में निजी भागीदारी से कितनी धनराशि के आने का अनुमान है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) जी हां, निजी भागीदारी और निवेश हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की गई है:

1. *बिल्ड ऑन लीज ट्रांसफर (बी.ओ.एल.टी.):* बोल्ट योजना के तहत भारतीय रेलवे के साथ पट्टे करार के द्वारा रेलवे परिसंपत्तियों के निर्माण में भागीदारी की व्यवस्था है। इस योजना के तहत, रेलवे उद्यमियों को एक पूर्व विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रेल परिसंपत्ति हेतु किराया देती है। तदुपरांत, इस परिसंपत्ति को उसके शेष आर्थिक जीवन के लिए रेलवे द्वारा ले लिया जाता है।

   मुदखेड़-आदिलाबाद खंड का आमान परिवर्तन बोल्ट योजना के तहत किया जा रहा है और इसमें 132 करोड़ रुपए के निवेश की आशा है।

2. *अपने मालडिब्बे के मालिक बनें:* इस योजना के तहत, कोई कंपनी अथवा फर्म अनुमोदित मालडिब्बा विनिर्माताओं या भारतीय रेलवे से सीधे ही मालडिब्बे की खरीद कर सकती है, मालिक भारतीय रेलवे से प्रथम 10 वर्ष के लिए और अगले 10 वर्षों के लिए एक प्रतिशत की दर पर निवेश की गई पूंजी पर निर्धारित प्रतिफल प्राप्त करता है। मालडिब्बे का अनुरक्षण भारतीय रेलवे द्वारा निःशुल्क किया जाता है। भारतीय रेल यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी के परेषण का परिवहन प्राथमिकता के आधार पर हो।

   चूंकि यह एक स्वैच्छिक योजना है, इसलिए इसके बारे में कोई निश्चित प्रक्षेपण नहीं किया जा सकता।

3. संचार चैनलों के लिए मार्गाधिकार देना है।

4. फिलहाल रेलों द्वारा पर्यटक रेलगाड़ियों के निजी स्वामित्व यात्री निवासों और होटलों का निजीकरण तथा खान-पान में निजी भागीदारी की व्यवस्था रेलों द्वारा की जाती है। चूंकि यह प्रस्ताव तैयार किए जाने के प्रारंभिक स्तर पर है। अत: इसमें प्राप्त होने वाले अतिरिक्त राजस्व का आकलन कर पाना कठिन होगा।

5. पार्सल स्पेस को पट्टे पर देना।

6. भूमि और ऊपरी स्थान का व्यावसायिक उपयोग चूंकि रेलवे भूमि का व्यावसायिक विकास रेलवे के लिए एक नया विषय है, इसलिए भूमि पर रेलवे के मार्गाधिकार तथा हक के बारे में सावधानीपूर्वक कदम बढ़ाने का प्रस्ताव है; इसके अतिरिक्त प्रॉपर्टी बाजार में अनिश्चितता और अस्थिरता है। अत: इस समय इससे प्राप्त होने वाली धनराशि का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

7. *रेलवे परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी:-* संसाधनों को बढ़ाने तथा रेल परियोजनाओं के निष्पादन में पत्तनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राज्य सरकारों जैसे उपयोगकर्त्ता एजेंसियों को शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। चूंकि ये प्रयास प्रारंभिक अवस्था में है अत: कोई निश्चित प्रक्षेपण नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

कानपुर आयुध कारखाने में बेकार पड़ी आयातित मशीनें

145. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ मशीनें जिनका आयात आयुध कारखाना कानपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा लम्बे समय से किया जा रहा है, बेकार पड़ी हैं और परिणामस्वरूप ये मशीनें अप्रचालनीय हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कौन-सी उपचारात्मक कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) और (ख) आयुध निर्माणी, कानपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा आयात की गई सभी मशीनों का सक्रिय उत्पादन में उपयोग किया जा रहा है।

[अनुवाद]

मडिकेरे-चन्नारायपटना रेलमार्ग का सर्वेक्षण

146. श्री जी. पुट्टा स्वामी गौड़ा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने कर्नाटक में होलनरसीपुरा के रास्ते मडिकेरे और चन्नारायपटना के बीच रेलमार्ग हेतु सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने उपरोक्त परियोजना को स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो क्या उपरोक्त कार्य शुरू कर दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) 212 करोड़ रुपये।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) संसाधनों की तंगी और लाइन का अलाभप्रद स्वरूप होने के कारण परियोजना को स्वीकृत नहीं किया गया है।

दिल्ली-रेवाड़ी मीटर-लाइन का आमान परिवर्तन

147. डा. (श्रीमती) सुधा यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे द्वारा दिल्ली-रेवाड़ी वर्तमान मीटर लाइन को कब तक बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): दिल्ली-रेवाड़ी खंड की दो लाइनों में से एक लाइन को पहले ही बड़ी लाइन में बदला जा चुका है। दूसरी लाइन का कार्य शुरू किया गया है। इस कार्य को पूरा करने की कोई लक्ष्य सुस्पष्ट तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

राज्यों को खाद्य वस्तुओं का आवंटन

148. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :
श्री थावरचन्द गेहलोत :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों को वर्ष 2000 के पहले चार महीनों के लिए मिट्टी के तेल, चीनी सहित खाद्य पदार्थ जारी कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और मासवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार उचित दर की दुकानों द्वारा खाद्य पदार्थों, मिट्टी के तेल और चीनी की कितनी मांग की गई, गरीबों और पिछड़े लोगों को वास्तव में इन वस्तुओं की कितनी मात्रा की आपूर्ति की गई है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, हां। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित करने के लिए वर्ष 2000 की पहली तिमाही के लिए विभिन्न राज्यों को चावल, गेहूं, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी का तेल आवंटित किया है।

(ख) जनवरी-मार्च, 2000 की अवधि के लिए चावल, गेहूं, चीनी और खाद्य तेल का राज्यवार और मासवार आवंटन संलग्न विवरण-I, II और III में दिया गया है। जनवरी और फरवरी, 2000 के महीनों के लिए मिट्टी के तेल का राज्यवार और मासवार आवंटन विवरण-IV में दिया गया है।

(ग) वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र को आवंटित गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी के तेल की मात्रा और उनका वास्तविक उठान संलग्न विवरण V, VI और VII में दिया गया है।

जून, 1999 में शुरू की गई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 10 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति मास की दर से गरीबी की रेखा से नीचे की आबादी को जारी करने के लिए विशेषरूप से राजसहायताप्राप्त केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर खाद्यान्न मुहैया किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान चावल और गेहूं के गरीबी की रेखा के नीचे के कोटे के आवंटन और उठान के ब्यौरे संलग्न विवरण VIII और IX में दिए गए हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिन्सों, जो राजसहायता प्राप्त होती हैं, की मांग सामान्यतया अधिक होती है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उनके कोटे में वृद्धि करने के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं।

विवरण-I

जनवरी-मार्च, 2000 के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किया जाने वाला खाद्यान्नों का माह-वार और राज्य-वार आवंटन

(आंकड़े टन में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जनवरी		फरवरी		मार्च	
		चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	191700	13000	191700	13000	191700	13000
2.	अरूणाचल प्रदेश	9100	600	9100	600	9100	600
3.	असम	60000	10300	60000	10300	60000	10300
4.	बिहार	42280	63420	42280	63420	42280	63420
5.	गोवा	6330	2810	6330	2810	6330	2810
6.	गुजरात	26000	61500	26000	61500	4500	65000
7.	हरियाणा	0	13050	0	13050	0	13050
8.	हिमाचल प्रदेश	12230	11870	12230	11870	12230	11870
9.	जम्मू और कश्मीर	40000	30379	40000	30379	32230	30379
10.	कर्नाटक	75000	35000	75000	35000	75000	35000
11.	केरल	145320	37720	145320	37720	145320	37720
12.	मध्य प्रदेश	34350	41990	34350	41990	34350	41990
13.	महाराष्ट्र	63540	100680	63540	100680	6000	115840
14.	मणिपुर	10000	1710	10000	1710	10000	1710
15.	मेघालय	17298	1000	17298	1000	17298	1000
16.	मिजोरम	10423	1010	10423	1010	10423	1010
17.	नागालैण्ड	10400	1730	10400	1730	10400	1730
18.	उड़ीसा	71226	30000	156074	30000	71226	30000
19.	पंजाब	960	5130	960	5130	960	5130
20.	राजस्थान	1030	54130	1030	54130	1030	54130
21.	सिक्किम	7310	100	7310	100	7310	100

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	तमिलनाडु	165230	30000	165230	30000	165230	30000
23.	त्रिपुरा	16200	1280	16200	1280	16200	1280
24.	उत्तर प्रदेश	62200	127570	62000	127570	62000	127570
25.	पश्चिम बंगाल	42800	88350	42800	88350	42800	88350
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2500	750	2500	750	2500	750
27.	चण्डीगढ़	300	1800	300	1800	300	1800
28.	दादर और नगर हवेली	550	250	550	250	550	250
29.	दमन और दीव	600	200	600	200	600	200
30.	दिल्ली	12890	60400	12890	60400	12890	60400
31.	लक्षद्वीप	525	42	525	42	525	42
32.	पांडिचेरी	2000	750	2000	750	2000	750

विवरण-II

जनवरी-मार्च, 2000 के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किया जाने वाला चीनी का माह-वार और राज्य-वार आवंटन

(आंकड़े टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जनवरी	फरवरी	मार्च
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	28267	28267	28267
2.	अरूणाचल प्रदेश	602	602	602
3.	असम	16411	15687	15687
4.	बिहार	36707	39707	36707
5.	गोवा	508	508	508
6.	गुजरात	17557	17557	17557
7.	हरियाणा	6996	6996	6996
8.	हिमाचल प्रदेश	3619	3619	3619

1	2	3	4	5
9.	जम्मू और कश्मीर	5404	5838	5404
10.	कर्नाटक	19170	19170	19170
11.	केरल	12368	12368	12368
12.	मध्य प्रदेश	28127	28127	28127
13.	महाराष्ट्र	33550	33550	33550
14.	मणिपुर	1288	1288	1288
15.	मेघालय	1239	1239	1239
16.	मिजोरम	483	483	483
17.	नागालैण्ड	847	847	847
18.	उड़ीसा	13456	14456	13456
19.	पंजाब	8619	8619	8619
20.	राजस्थान	18704	18704	18704
21.	सिक्किम	174	174	174
22.	तमिलनाडु	23741	23741	23741
23.	त्रिपुरा	1173	1173	1173
24.	उत्तर प्रदेश	67090	59122	59122
25.	पश्चिम बंगाल	28934	28934	28934
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	282	282	282
27.	चण्डीगढ़	391	391	391
28.	दादर और नगर हवेली	60	60	60
29.	दमन और दीव	43	43	43
30.	दिल्ली	11973	11973	11973
31.	लक्षद्वीप	81	81	81
32.	पांडिचेरी	360	360	360

विवरण-III

जनवरी-मार्च, 2000 के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किया जाने वाला खाद्य तेल का माह-वार और राज्य-वार आवंटन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन (टन में)		
		जनवरी	फरवरी	मार्च
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5400	5000	5000
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0
5.	गोवा	300	300	300
6.	गुजरात	2000	3500	3500
7.	हरियाणा	0	100	100
8.	हिमाचल प्रदेश	350	0	0
9.	जम्मू और कश्मीर	125	0	0
10.	कर्नाटक	1200	1000	1000
11.	केरल	0	0	0
12.	मध्य प्रदेश	0	0	0
13.	महाराष्ट्र	3600	0	0
14.	मणिपुर	650	650	650
15.	मेघालय	100	0	0
16.	मिजोरम	60	0	0
17.	नागालैण्ड	400	400	400
18.	उड़ीसा	1200	0	0
19.	पंजाब	0	0	0
20.	राजस्थान	0	0	0
21.	सिक्किम	200	100	100
22.	तमिलनाडु	500	200	200
23.	त्रिपुरा	100	50	50

1	2	3	4	5
24.	उत्तर प्रदेश	1500	1500	0
25.	पश्चिम बंगाल	2700	1000	1000
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	25	0	0
27.	चण्डीगढ़	0	0	0
28.	दादर और नगर हवेली	80	80	80
29.	दमन और दीव	190	130	120
30.	दिल्ली	500	450	450
31.	लक्षद्वीप	30	30	30
32.	पांडिचेरी	600	500	500

विवरण-IV

जनवरी-मार्च, 2000 के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किया जाने वाला मिट्टी के तेल का माह-वार और राज्य-वार आवंटन

(आंकड़े टन में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जनवरी	फरवरी
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	55152	55051
2.	अरूणाचल प्रदेश	858	858
3.	असम	22719	22719
4.	बिहार	72503	72503
5.	गोवा	2340	2340
6.	गुजरात	69369	69369
7.	हरियाणा	14311	14311
8.	हिमाचल प्रदेश	5089	5089
9.	जम्मू और कश्मीर	9192	9192
10.	कर्नाटक	—	44264
11.	केरल	25173	25173
12.	मध्य प्रदेश	55553	55553
13.	महाराष्ट्र	131496	130008
14.	मणिपुर	1898	1898
15.	मेघालय	1747	1747
16.	मिजोरम	679	679
17.	नागालैण्ड	1190	1190
18.	उड़ीसा	26575	26575
19.	पंजाब	28594	28594
20.	राजस्थान	36939	36939
21.	सिक्किम	658	658
22.	तमिलनाडु	60006	60006
23.	त्रिपुरा	2713	2713
24.	उत्तर प्रदेश	116771	116771
25.	पश्चिम बंगाल	67692	67692
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	561	561

1	2	3	4
27.	चण्डीगढ़	1284	1284
28.	दादर और नगर हवेली	270	270
29.	दमन और दीव	203	203
30.	दिल्ली	17056	17056
31.	लक्षद्वीप	77	77
32.	पांडिचेरी	1280	1280

नोट: मार्च, 2000 के लिए आवंटन आदेश पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने हैं।

विवरण-V

वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित गेहूं, चावल, खाद्य तेल, मिट्टी के तेल और चीनी का राज्यवार आवंटन और उठान

(आंकड़े हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गेहूं		चावल		चीनी		खाद्य तेल		मिट्टी का तेल	
	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	183.00	125.29	2309.00	2000.07	348.82		28.00	11.92	655.95	620.14
अरूणाचल प्रदेश	7.11	5.76	107.85	89.38	4.57				11.06	11.21
असम	323.08	193.94	590.86	438.31	116.41				265.32	270.67
बिहार	788.40	513.74	479.80	156.31	447.36		0.30	0.06	683.86	680.58
गोवा	32.30	27.10	76.80	51.95	6.26		3.50	0.43	28.04	28.29
गुजरात	741.65	519.31	308.00	178.75	215.94		20.00		849.39	854.59
हरियाणा	178.55	98.44	5.00	4.10	86.21				165.61	165.83
हिमाचल प्रदेश	131.00	115.66	135.00	90.07	26.24		1.40	0.60	59.97	59.52
जम्मू और कश्मीर	283.32	167.74	430.75	296.56	44.62		0.40	0.02	95.48	99.13
कर्नाटक	260.00	248.84	1027.52	833.94	235.02		10.00	4.89	516.71	516.03
केरल	389.04	370.93	1827.36	1612.38	136.16				290.86	288.34
मध्य प्रदेश	584.90	308.91	463.50	297.27	346.00				540.52	541.31
महाराष्ट्र	1251.80	987.43	678.40	562.37	411.81		30.00	25.13	1564.27	1559.14
मणिपुर	25.66	27.61	101.40*	45.19	9.98		0.80	0.80	22.40	22.12
मेघालय	26.54	28.70	199.60	152.89	9.45				20.60	20.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मिजोरम	16.94	17.70	106.18	95.25	3.84		0.80	0.15	8.17	8.04
नागालैण्ड	28.73	29.24	108.97	92.22	6.86		1.60	1.04	14.06	13.98
उड़ीसा	299.00	207.19	715.40	550.84	164.38		7.30	4.28	242.37	242.32
पंजाब	91.00	14.18	12.60	1.82	107.57				338.25	335.92
राजस्थान	901.30	451.44	56.86	4.17	230.71				367.25	367.12
सिक्किम	5.68	5.32	77.38	89.85	2.14		0.88	0.54	8.05	8.02
तमिलनाडु	254.60	124.18	1359.71	1261.92	291.79		4.00	4.00	701.99	689.44
त्रिपुरा	17.96	14.49	167.33	153.49	14.81				31.64	31.71
उत्तर प्रदेश	1214.82	867.00	521.59	320.98	722.64		1.70	0.01	1189.08	1411.87
पश्चिम बंगाल	1193.20	927.66	536.90	315.98	356.90		20.00	3.22	787.96	788.68
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7.35	0.10	20.60	0.20	5.41		0.11		6.65	6.62
चण्डीगढ़	17.58	5.27	2.94	2.08	4.10				21.62	18.40
दादर और नगर हवेली	1.90	1.32	4.95	2.78	0.73		0.32	0.31	3.25	3.22
दमन और दीव	1.50	0.69	4.38	3.34	0.45		0.52	0.49	3.01	2.86
दिल्ली	661.47	532.02	174.30	100.34	147.34		2.12	1.48	246.02	242.90
लक्षद्वीप	0.86	0.89	13.14	3.11	1.00		0.40	0.20	0.88	0.70
पांडिचेरी	4.82		20.14		5.28		2.00	1.68	15.38	14.62
जोड़	9925.36	6938.39	12653.91	9807.84	4510.77		136.15	62.26	9755.73	9699.33

विवरण-VI

वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित गेहूं, चावल, खाद्य तेल, मिट्टी के तेल और चीनी का राज्य-वार आवंटन और उठान

(आंकड़े हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गेहूं		चावल		चीनी		खाद्य तेल		मिट्टी का तेल	
	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	137.00	113.88	2350.40	2116.28	347.19		56.00	42.92	678.99	618.18
अरूणाचल प्रदेश	7.80	5.74	109.20	94.18	4.56				10.20	8.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
असम	346.30	294.44	645.00	555.04	117.36				271.20	248.84
बिहार	767.62	653.12	507.36	235.77	449.16		0.80		863.76	784.25
गोवा	64.02	58.63	75.96	59.97	6.26		2.00	1.74	28.27	25.91
गुजरात	557.42	464.72	356.00	251.36	215.92		28.00	24.82	847.16	778.34
हरियाणा	156.60	75.35.			86.16		0.40		170.52	155.71
हिमाचल प्रदेश	127.81	114.57	144.87	94.00	26.91		1.30	1.19	60.72	56.83
जम्मू और कश्मीर	334.18	135.55	386.52	318.28	45.00		0.62	0.19	96.12	86.87
कर्नाटक	311.87	291.78	940.00	888.06	235.64		8.00	6.89	528.27	484.60
केरल	483.02	435.69	1788.81	1625.90	148.51				300.00	273.84
मध्य प्रदेश	503.88	319.81	417.20	305.99	345.90				661.80	604.95
महाराष्ट्र	1178.16	1093.66	722.48	666.11	411.86		40.23	40.05	1576.32	1443.81
मणिपुर	32.60	30.98	122.52	42.96	10.16		1.60	0.72	22.68	181.13
मेघालय	29.52	29.58	209.60	182.36	9.44		0.40	0.11	20.88	19.04
मिजोरम	24.06	28.75	125.04	123.15	3.82		0.27	0.13	8.09	7.46
नागालैण्ड	35.33	32.85	125.80	114.80	7.19		2.40	1.78	14.16	13.19
उड़ीसा	95.60	381.37	656.98	375.78	164.52		9.00	5.49	316.56	285.06
पंजाब	595.16	12.09	11.52	0.77	107.48				342.36	313.72
राजस्थान	805.43	450.62	47.47	5.45	230.81		2.00	0.32	440.04	400.96
सिक्किम	14.92	8.87	877.28	63.03	2.12		1.00	0.65	7.92	7.24
तमिलनाडु	404.13	222.44	1310.76	1282.72	291.86		5.00	4.54	716.88	648.08
त्रिपुरा	20.69	17.53	200.00	182.90	27.06		0.20	0.11	32.40	29.68
उत्तर प्रदेश	1222.87	957.04	632.40	462.50	719.22		5.00	1.75	1395.54	1278.21
पश्चिम बंगाल	1049.15	960.33	567.25	249.70	356.89		14.00	7.70	809.36	750.25
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	133.67	71.30	30.00		2.26		0.29		7.20	6.64
चण्डीगढ़	21.60	4.64	3.60	1.71	4.85				21.80	18.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
दादर और नगर हवेली	3.00	2.02	6.60	3.76	0.73		0.50	0.39	3.24	2.98
दमन और दीव	2.40	0.74	7.20	1.47	0.45		0.79	0.59	3.04	2.78
दिल्ली	694.80	560.16	164.68	112.67	147.25		6.41	6.03	237.39	210.64
लक्षद्वीप	0.99	0.26	3.18	2.62	0.65		0.29	0.22	0.96	0.47
पांडिचेरी	8.25	0.51	26.00	1.64	5.23		4.00	2.59	15.36	13.95
जोड़	9933.25	7824.02	12782.15	10620.93	4532.52		190.48	150.92	10509.26	9597.63

विवरण-VII

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित गेहूं, चावल, खाद्य तेल, मिट्टी के तेल और चीनी का राज्य-वार आवंटन और उठान

(आंकड़े हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गेहूं		चावल		चीनी		खाद्य तेल		मिट्टी का तेल	
	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	141.00	67.02	2108.70	1503.12	290.57		56.70	11.53	509.85	282.84
अरूणाचल प्रदेश	7.20	3.61	100.10	70.71	3.81				7.74	4.30
असम	23.60	174.68	590.00	372.33	98.86				204.48	113.32
बिहार	797.62	456.43	465.08	152.95	374.57				652.50	362.62
गोवा	30.91	8.19	69.63	33.08	5.31		2.44	0.67	21.06	11.79
गुजरात	674.50	194.89	288.00	125.62	179.12		25.40	9.93	624.91	347.19
हरियाणा	143.55	33.40			72.08		0.20		128.79	71.40
हिमाचल प्रदेश	130.57	31.98	134.53	40.69	22.29		1.92	0.62	45.81	25.30
जम्मू और कश्मीर	334.18	33.44	401.05	241.74	37.00		1.02	0.05	70.56	31.52
कर्नाटक	385.00	143.46	825.00	530.69	196.75		13.60	2.34	398.34	221.80
केरल	414.92	183.31	1598.52	912.14	127.31				226.53	125.41
मध्य प्रदेश	461.89	7.69	377.85	220.07	289.49				499.95	278.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
महाराष्ट्र	1107.48	805.95	698.94	505.19	344.72		41.80	9.35	1183.50	652.08
मणिपुर	21.51	1.29	115.00	33.96	8.41		5.22	0.06	17.10	9.22
मेघालय	13.46	1.11	190.30	137.77	7.85		0.57	0.03	15.75	8.73
मिजोरम	13.07	9.42	114.62	63.00	3.22		0.30	0.04	6.12	3.39
नागालैण्ड	21.76	15.17	114.40	83.44	5.73		3.74	1.64	10.71	5.89
उड़ीसा	390.00	111.88	971.50	409.71	125.39		9.10	0.95	239.16	131.70
पंजाब	56.43	3.04	10.56	0.27	90.20				257.31	142.28
राजस्थान	639.09	140.58	26.50	1.94	193.19				295.52	184.76
सिक्किम	1.99	0.81	80.41	49.41	1.81		1.73	0.88	5.94	3.29
तमिलनाडु	330.00	103.75	1649.53	1056.55	244.29		3.95	0.92	540.09	299.74
त्रिपुरा	15.88	5.21	181.30	112.41	12.47		0.67	0.10	24.39	13.58
उत्तर प्रदेश	1401.87	331.20	673.40	3381.66	608.69		5.00		1051.09	581.97
पश्चिम बंगाल	972.75	516.40	480.28	164.91	298.85		28.00	4.39	609.21	338.81
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8.25	4.74	27.50	16.02	4.29		0.17		5.04	2.84
चण्डीगढ़	19.80		3.30		4.06				11.52	6.33
दादर और नगर हवेली	2.75	0.006	6.05	0.05	0.61		0.81	0.35	2.43	1.33
दमन और दीव	2.20		6.60	0.20	0.42		1.56	0.43	1.80	1.00
दिल्ली	664.40	28.55	141.79	53.85	123.11		4.95	1.49	153.54	84.66
लक्षद्वीप	0.44	0.10	5.76	3.29	1.21		0.33	0.12	0.72	0.16
पांडिचेरी	8.25	5.52	22.00	13.95	3.15		6.80	0.87	11.52	6.49
जोड़	9416.32	3431.70	12478.20	7247.72	3778.83		215.92	46.77	7833.00	4353.78

1. गेहूं और चावल का आवंटन फरवरी, 2000 तक और उठान नवम्बर, 99 तक सूचित।
2. चीनी का आवंटन जनवरी, 2000 तक सूचित है।
3. लेवी चीनी का शत-प्रतिशत उठान हुआ माना जाता है।
4. खाद्य तेल का आवंटन मार्च, 2000 तक और उठान जनवरी, 2000 तक सूचित है।

विवरण-VIII

वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए किए गए चावल का आवंटन और उठान दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98 (जून, 98 से मार्च, 98)		1998-99		1999-2000 (अप्रैल 99 से दिस. 99)	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	348.84	326.00	442.79	425.46	340.02	346.83
2.	अरूणाचल प्रदेश	6.94	6.40	8.40	9.46	6.30	6.41
3.	असम	183.57	132.74	228.72	206.18	171.54	163.25
4.	बिहार	343.60	146.90	412.32	231.72	309.24	175.91
5.	दिल्ली	7.20	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	2.60	0.16	3.12	0.62	2.34	0.63
7.	गुजरात	0.00	0.96	120.00	106.79	74.00	75.85
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	1.76	0.00	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	40.19	31.40	56.41	56.41	42.31	31.15
11.	कर्नाटक	230.00	229.06	276.00	275.61	207.00	206.37
12.	केरल	153.50	177.16	184.20	223.26	138.15	164.15
13.	मध्य प्रदेश	240.00	160.98	288.00	222.45	216.00	205.27
14.	महाराष्ट्र	211.60	184.97	253.92	231.56	190.44	186.79
15.	मणिपुर	12.02	6.52	15.60	15.00	11.70	16.84
16.	मेघालय	12.78	10.52	17.16	14.25	12.87	13.86
17.	मिजोरम	4.66	3.47	6.36	6.08	4.77	5.30
18.	नागालैण्ड	7.52	6.06	9.24	8.61	6.93	7.51
19.	उड़ीसा	318.20	297.52	381.84	384.59	350.50	353.81
20.	पंजाब	6.80	1.36	8.16	0.78	6.12	0.26

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	राजस्थान	2.50	0.57	3.00	1.56	2.25	0.97
22.	सिक्किम	3.36	5.61	4.08	3.40	3.06	3.19
23.	तमिलनाडु	457.90	381.28	549.48	477.19	412.11	398.95
24.	त्रिपुरा	22.92	16.46	27.72	26.39	20.79	18.81
25.	उत्तर प्रदेश	315.00	193.66	378.00	329.87	283.50	266.76
26.	पश्चिम बंगाल	241.96	156.69	288.49	88.14	198.63	99.09
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.80	0.00	1.50	0.00	1.35	0.00
28.	चण्डीगढ़	0.20	0.00	0.24	0.04	0.18	0.00
29.	दादर और नगर हवेली	1.20	0.80	1.44	1.34	1.08	0.24
30.	दमन और दीव	0.20	0.30	0.24	0.11	0.18	0.01
31.	लक्षद्वीप	0.24	0.00	0.12	0.00	0.18	0.00
32.	पांडिचेरी	6.50	0.00	7.80	0.00	5.85	3.56
	जोड़	3183.80	2477.55	3978.67	3348.61	3019.39	2759.13

विवरण-IX

वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए किए गए गेहूं का आवंटन और उठान दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98 (जून, 97 से मार्च, 98)		1998-99		1999-2000 (अप्रैल 99 से दिस. 99)	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	3.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.67	0.00	0.84	0.00	0.63	0.00
3.	असम	7.02	0.00	0.00	8.20	0.00	0.00
4.	बिहार	515.40	382.98	618.48	576.56	463.86	499.57
5.	दिल्ली	22.40	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	गोवा	1.20	0.00	1.44	0.00	1.08	0.00
7.	गुजरात	200.00	178.59	120.00	132.20	106.00	105.89
8.	हरियाणा	73.30	37.01	87.96	44.79	65.97	35.95
9.	हिमाचल प्रदेश	38.93	21.77	50.89	26.56	38.34	17.41
10.	जम्मू और कश्मीर	14.48	10.59	17.75	17.75	13.31	12.48
11.	कर्नाटक	57.50	57.26	69.00	68.91	51.75	50.56
12.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	मध्य प्रदेश	293.40	168.83	352.08	217.69	264.06	14.80
14.	महाराष्ट्र	393.00	266.47	471.60	394.08	353.70	329.19
15.	मणिपुर	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मेघालय	1.22	1.46	0.00	0.03	0.00	0.00
17.	मिजोरम	0.04	0.05	0.00	0.62	0.00	0.00
18.	नागालैण्ड	1.87	1.78	2.28	2.17	1.71	1.73
19.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	पंजाब	36.20	5.55	43.44	8.33	32.58	4.20
21.	राजस्थान	214.50	108.99	257.40	140.56	193.05	139.91
22.	सिक्किम	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	तमिलनाडु	0.00	4.87	0.00	2.27	0.00	0.00
24.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	640.00	486.44	768.00	741.02	576.00	313.86
26.	पश्चिम बंगाल	217.00	186.68	260.15	239.93	212.85	205.05
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.84	0.00	0.70	0.00	0.63	0.18
28.	चण्डीगढ़	1.60	0.16	1.92	0.00	1.44	0.00
29.	दादर और नगर हवेली	0.30	0.19	0.36	0.24	0.27	0.09
30.	दमन और दीव	-0.10	0.01	0.12	0.15	0.09	0.00
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जोड़	2734.32	1922.50	3137.84	2622.05	2377.32	1730.86

वर्जिन एटलान्टिक और सिंगापुर एयरलाइन्स के बीच समझौता

149. श्री माधव राव सिन्धिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तरराष्ट्रीय विमान कंपनियां ''वर्जिन एटलान्टिक'' और ''सिंगापुर एअरलाइन्स'' ने एअर इंडिया को कठोर प्रतिस्पर्द्धा देने के लिए कोई बड़ा व्यावसायिक सहयोग समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो ''वर्जिन एटलान्टिक-सिंगापुर एअरलाइन्स'' के सहयोग समझौते का ब्यौरा क्या है और उससे एअर इंडिया किस प्रकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी; और

(ग) इस चुनौती का सामना करने के लिए एअर इंडिया द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) गैर सरकारी रिपोर्टों के अनुसार सिंगापुर एयरलाइन्स वर्जिन अटलांटिक में कुछ इक्विटी प्राप्त करेगी। इस समझौते के ब्यौरे भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, ऐसे सौदे से एक ओर भारत और सिंगापुर के मध्य तथा दूसरी ओर भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य यातायात अधिकारों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की खरीद, भण्डारण तथा ढुलाई

150. श्री नवल किशोर राय :
श्री सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री अजित सिंह :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्नों की खरीद, भण्डारण तथा ढुलाई आदि में लगातार हो रही वृद्धि के मद्देनजर भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य भारतीय एजेंसियों द्वारा इन पर व्यय की जा रही कुल राशि की समीक्षा करने का पिछले वर्ष कोई निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस निर्णय को क्रियान्वित करने हेतु कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (घ) जी, हां। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद को भारतीय खाद्य निगम की खाद्यान्नों की आधिग्रहण और वितरण लागत का अध्ययन करने का काम सौंपा गया है ताकि इसकी आर्थिक लागत को कम करने के तरीकों और विधियों का पता लगाया जा सके।

[अनुवाद]

मुदखेड-आदिलाबाद रेल लाइन का आमान परिवर्तन

151. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत मुदखेड-आदिलाबाद रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन का कार्य ठप्प हो गया है क्योंकि ''बी.ओ.एल.टी.'' ठेकेदार इस कार्य को समय पर पूरा करने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है; और

(ग) इस आमान परिवर्तन के कार्य को कब तक पूरा कर दिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) बोल्ट योजना के अंतर्गत कार्य करने के लिए ठेका जून 1996 में दिया गया था। ठेकेदार ने कार्य शुरू कर दिया था लेकिन परियोजना के लिए धन जुटाने में आई समस्याओं के कारण कार्य की प्रगति धीमी हो गई है। बहरहाल, ठेकेदार ने मै. हुडको से धन की व्यवस्था की है और कार्य शीघ्र ही पुन: शुरू करने की आशा है। वास्तविक लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की है।

चीनी-उद्योग के लिए समान अवसर

152. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू उद्योग को समान अवसर प्रदान करने के लिए आयातित चीनी को लेवी की सांविधिक बाध्यता तथा मासिक संदाय-तंत्र के अन्तर्गत लाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने आयातित चीनी को मासिक रिलीज प्रक्रिया के अन्तर्गत लाने और चीनी के आयातकों पर 30 प्रतिशत लेवी की बाध्यता लगाने संबंधी आवश्यक आदेश पहले ही जारी कर दिये हैं।

[हिन्दी]

निजी एयरलाइनों द्वारा घाटे में चल रहे मार्गों पर विमान चलाना

153. श्री हरिभाई चौधरी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उन कुछ मार्गों पर निजी एयरलाइंस आपरेटरों को वायु सेवाएं प्रदान करने का निर्देश देने का है जिन पर इंडियन एयरलाइंस को घाटा हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) विमान कंपनियां अपने वाणिज्यिक विवेकानुसार किन्हीं मार्गों पर प्रचालन करने हेतु स्वतंत्र हैं बशर्ते वे उन मार्ग संवितरण मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करे जिनके अनुसार मांगों की विशिष्ट श्रेणी में कतिपय न्यूनतम प्रचालन संबंधी व्यवस्था की गई है।

विमान अपहरण की घटना

154. श्री रामदास आठवले :
श्री थावरचन्द्र गेहलोत :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आतंकवादियों द्वारा अपहृत भारतीय विमानों और उनमें जान-माल के नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रत्येक मामले में जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा समिति-वार और वर्ष-वार क्या कार्रवाई की गई;

(घ) भारतीय विमानों के अपहरण की घटनाएं रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) अपहरण की घटनाओं के पीड़ितों को सरकार ने क्या मुआवजा दिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान भारतीय विमान के अपहरण की एक ही घटना घटित हुई है। इंडियन एयरलाइंस उड़ान आईसी-814 का दिनांक 24.12.1999 को उस समय अपहरण कर लिया गया था जब वह काठमांडू से दिल्ली के मार्ग पर था और उस समय यह भारतीय वायुक्षेत्र में उड़ान भर रहा था। 24.12.1999 को अमृतसर तथा लाहौर में इन्टरमीडिएट हाल्ट के पश्चात् यह दिनांक 25.12.1999 को अल-मिनाद (यूएई) में उतरा था, लेकिन अंततः इसने दिनांक 25.12.1999 को कंधार में लैंड किया। यह विमान तब तक कंधार हवाई अड्डे पर ही खड़ा रहा जब तक 31.12.1999 की शाम अपहरण कांड का पटाक्षेप न हुआ। उन तीन आतंकवादियों, जो भारतीय जेल में बंद थे और जिनके नाम (1) मौलाना मसूद अजहर, (2) अहमद उमर सैयद शेख (3) मुश्ताक अहमद जरगर हैं के बदले में, पांच अपहरणकर्त्ताओं, जो पाकिस्तानी मूल के पाए गए, द्वारा सभी यात्रियों को मुक्त कर दिया गया। इस घटनाक्रम के दौरान श्री रूपेन कत्याल नामक एक यात्री को मौत के घाट उतार दिया गया जबकि एक अन्य यात्री श्री सतनाम सिंह को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। इंडियन एयरलाइंस को काठमांडू के लिए/वहां से उड़ानों के निलंबन की वजह से अनुमानतः प्रतिदिन 25.5 लाख रुपए राजस्व की हानि हो रही है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो अपहरण के विरुद्ध पंजीकृत आपराधिक मामले के बारे में जांच कार्य कर रहा है।

(ख) विमान यात्रियों की संरक्षा के बारे में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) चरणबद्ध ढंग से सभी चालू घरेलू हवाई अड्डों पर सुरक्षा ड्यूटियों के संबंध में राज्य पुलिस के स्थान पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) कार्मिकों की तैनाती सीआईएसएफ ने पहले ही जयपुर, गुवाहाटी, बड़ोदरा तथा पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डों पर सूरक्षा ड्यूटी संभाल ली है।

(2) प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश के समय, यात्रियों तथा हैंड बैगेज की बारीक जांच-पड़ताल को कड़ा कर दिया गया है। लेडर प्वाइंट पर दूसरी बार की जांच लागू कर दी गई है।

(3) फोटो-पहचान-पत्रों की व्यापक पुनरीक्षा तथा पास होल्डरों की संख्या प्रतिबंधित करने से हवाई अड्डों के पहुंच मार्ग पर कठोर नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा रहा

है तथा 28.2.2000 तक आगंतुकों के प्रवेश को प्रतिबंधित करना है।

(4) इंडियन एयरलाइंस तथा एअर इंडिया के कुछ पहचानशुदा मार्गों पर अतिरिक्त सुरक्षा सावधानी के बतौर स्काई मार्शलों की तैनाती।

(5) सभी चालू हवाई अड्डों पर निर्धारित ऊंचाई तक चारदीवारी को ऊंचा उठाना।

(6) पुरानी एक्सरे मशीनों को बदलना तथा जहां कहीं आवश्यक हो नई रंगीन एक्सरे मशीनों की संस्थापना करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कम से कम दो एक्सरे मशीनें प्रत्येक पाइंट पर उपलब्ध हैं।

(7) हवाई अड्डों की सुरक्षा से सम्बद्ध तकनीकी ढांचे का चरणबद्ध ढंग से आधुनिकीकरण तथा स्तरोन्नयन कार्य किया जा रहा है।

(ङ) इंडियन एयरलाइंस द्वारा मृतक यात्री के नजदीकी रिश्तेदार को 8.70 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति की गई है।

[अनुवाद]

घरेलू क्षेत्र में निजी विमान कंपनियां

155. श्री रामजीवन सिंह : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) घरेलू क्षेत्र में निजी विमान कंपनियों की बढ़ती हुई भागीदारी के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र की विमान कंपनियां घरेलू यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या घरेलू क्षेत्र में निजी विमान कंपनियों की बढ़ती हुई भागीदारी के कारण इंडियन एयरलाइन्स को भारी नुकसान हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर काबू पाने हेतु कोई नीति तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ङ) अंतर्देशीय सैक्टर में निजी एयरलाइनों के प्रचालन की अनुमति का निर्णय 1994 में किया गया था। इससे विमान सेवाओं में वृद्धि तथा सुधार में सहायता हुई है। यद्यपि इंडियन एयरलाइन्स ने अपनी मार्केट हिस्सेदारी का कुछ भाग खो दिया है जिससे उनका राजस्व भी प्रभावित हुआ है, तथापि वे प्रतिस्पर्द्धात्मक वातावरण में अधिक व्यावसायिक रूप से प्रचालन कर रहे हैं तथा इन्होंने 1989-90 से हानि उठाने के पश्चात् 1997-98 से लाभ अर्जित करना आरंभ कर दिया है।

ब्रिटेन की कंपनी को हज-यात्रियों को ले जाने की अनुमति

156. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटेन की एक कंपनी (मिडोज) को 1970 के पुराने हवाई जहाज में हज यात्रियों को सऊदी अरब ले जाने की अनुमति दी गई है, जिससे यात्रियों के जीवन को खतरा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) हवाई यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित किए बिना ब्रिटेन की कंपनी मिडोज को 77,000 हज यात्रियों को ले जाने के लिए अनुबंधित किए जाने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (घ) विश्वव्यापी निविदा के माध्यम से मैसर्स मिडो एविएशन ग्रुप, यू.के. को हज चार्टर ठेका दिया गया था। दो विमानों का विनिर्माण 1970 में, एक का 1974 में, एक का 1977 में, एक का 1981 में और एक 1984 में हुआ था। इन विमानों की स्वीकृति नागर विमानन महानिदेशालय और एअर इंडिया के प्रतिनिधियों के तकनीकी दल द्वारा तकनीकी क्लियरेंस के अध्ययधीन थी। इन विमानों को हज प्रचालनों हेतु संस्तुत किया गया था क्योंकि वे नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा निर्धारित अपेक्षित उड़ान योग्यता मानकों को पूरा करते थे। वर्ष 2000 के लिए हज यात्रियों के वहन हेतु एअर इंडिया ने विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की थी और मैसर्स मिडो एविएशन ग्रुप का हज निविदा समिति द्वारा चयन किया गया था जिसमें केन्द्रीय हज समिति के अध्यक्ष और सदस्यगण तथा नागर विमानन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय और एअर इंडिया के प्रतिनिधि शामिल थे।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतें

157. श्री आर.एल. भाटिया : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खुले बाजार में गेहूं, आटे और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खुदरा उपभोक्ता कीमतें दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले बारह महीनों से प्रत्येक के दौरान तत्संबंधी मद-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आवश्यक वस्तुओं, विशेष तौर पर गेहूं की कीमतों में वृद्धि के क्या कारण हैं और इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) गत वर्ष के दौरान गेहूं के आटे सहित अधिकांश आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य उचित स्तर पर बने रहे। मार्च, 1999 से फरवरी, 2000 की अवधि के दौरान दिल्ली में आटा और अन्य 12 आवश्यक वस्तुओं के मासात खुदरा मूल्यों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर बनाए रखने के लिए उत्पादन में वृद्धि करने के कुछ दीर्घकालिक उपायों के अतिरिक्त दाल जैसी कुछ कम आपूर्ति वाली वस्तुओं के आयात को शून्य प्रतिशत आयात शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस के तहत रखा गया है। देश में दालों की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए सरकार के खाते में विभिन्न किस्म की एक लाख मी. टन दालों का आयात किया गया है। प्याज के निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगा दिया गया है। चावल, गेहूं, पामोलीन और मिट्टी के तेल जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खुदरा बिक्री केन्द्रों के जरिए भी बाजार मूल्यों से कम मूल्यों पर आपूर्ति की जा रही है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा जमाखोरों, चोरबाजारियों और अनुचित व्यापारिक व्यवहारों में लिप्त अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम और चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

मार्च, 1999 से फरवरी, 2000 के दौरान दिल्ली में चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के मासांत खुदरा मूल्य

(रु. प्रति कि.ग्रा.)

	आटा	गेहूं	चावल	चना	अरहर	चीनी	मूंगफली का तेल*	सरसों का तेल*	वनस्पति	चाय (खुली)	आलू	प्याज	नमक (पैकेट में)
मार्च, 99	9.00	8.00	11.00	19.00	29.00	16.00	77.00	61.00	45.00	110.00	4.00	8.00	6.00
अप्रैल, 99	8.00	7.00	12.00	18.00	31.00	16.00	77.00	55.00	44.00	110.00	5.00	8.00	6.00
मई, 99	8.00	7.00	12.00	19.00	36.00	17.00	77.00	49.00	44.00	115.00	6.00	8.00	6.00
जून, 99	8.50	7.50	13.00	19.00	34.00	17.00	77.00	45.00	42.00	115.00	9.00	10.00	6.00
जुलाई, 99	8.50	7.50	13.00	20.00	34.00	17.00	70.00	45.00	37.00	115.00	9.00	11.00	6.00
अगस्त, 99	8.50	7.50	13.00	18.00	33.00	17.00	68.00	53.00	42.00	115.00	9.00	10.00	6.00
सितम्बर, 99	8.50	8.00	12.00	20.00	34.00	17.00	71.00	51.00	40.00	115.00	9.00	11.00	6.00
अक्तूबर, 99	9.00	8.00	13.00	20.00	34.00	17.00	73.00	51.00	40.00	115.00	12.00	13.00	6.00
नवम्बर, 99	9.00	8.00	13.00	20.00	34.00	17.00	73.00	49.00	38.00	115.00	6.00	10.00	6.00
दिसम्बर, 99	9.00	8.00	13.00	20.00	32.00	17.00	68.00	48.00	35.00	115.00	4.00	7.00	6.00
जनवरी, 2000	9.00	8.00	13.00	20.00	30.00	17.00	69.00	47.00	35.00	115.00	4.00	7.00	6.00
फरवरी, 2000	9.00	8.00	13.00	20.00	29.00	17.00	69.00	44.00	35.00	115.00	3.50	7.00	6.00

18.2.2000 की स्थिति

*पैक किया गया रिफाइन्ड तेल

स्रोत : खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

इंडियन एयरलाइन्स के यात्री विमान के अपहरण के कारण पर्यटन उद्योग को हानि

158. **श्री ए. नरेन्द्र** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटन उद्योग ने दिसम्बर, 1999 माह के दौरान इंडियन एयरलाइन्स के यात्री विमान के अचानक अपहरण के कारण हुई या होने वाली हानियों का जायजा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अपहरण की घटना के बाद विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उपरोक्त स्थिति से निपटने तथा घरेलू और विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) पर्यटन मंत्रालय ने स्थिति की समीक्षा की है। तथापि, वास्तविक हानि का आकलन नहीं किया जा सकता।

(ख) देश के चार प्रमुख हवाई अड्डों पर तारीख-वार विदेशी पर्यटक आगमन के ब्यौरे का विश्लेषण किया गया है।

(ग) विदेशी पर्यटक आगमन में आरम्भिक मामूली कमी आयी है।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) इस सम्बन्ध में, नागर विमानन मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:-

(1) हवाई अड्डों पर सुरक्षा ड्यूटी पर राज्य पुलिस के कार्मिकों की जगह केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों की तैनाती।

(2) कड़े सुरक्षा-प्रबंध क्षेत्र में प्रविष्टि के समय यात्रियों तथा उनके द्वारा हाथ में ले जाए जा रहे सामान की पूरी तलाशी लिया जाना।

(3) दिनांक 28.2.2000 तक पर्यटकों की प्रविष्टि पर रोक लगाने के साथ-साथ फोटो पहचान-पत्रों की सम्यक जांच के द्वारा हवाई अड्डों पर अधिक आवाजाही को रोकने के कड़े इंतजाम।

(4) एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स के कुछ विनिर्दिष्ट वायुमार्गों पर स्काई मार्शलों की तैनाती।

(5) देश के समस्त व्यस्त हवाई अड्डों के चहारदीवारियों को निर्धारित ऊंचाई तक उठाना।

(6) सुरक्षा से जुड़े तकनीकी तंत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन कार्य प्रगति पर है।

विवरण

दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई से दिसम्बर, 1999 माह के लिए तारीखवार विदेशी पर्यटक आगमन

तारीख	आगमन			अन्तर	
	1997	1998	1999	1998/97	1999/98
25	6217	6744	5776	527	-968
26	5712	6137	6432	425	295
27	6718	8021	5534	1303	-2487
28	6751	6514	5842	-237	-672
29	5884	6082	5201	198	-881
30	4788	5311	4598	523	-713
31	5647	5369	3818	-278	-1551
जोड़	41717	44178	37201	2461	-6977

दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई से जनवरी, 2000 माह के लिए तारीख-वार विदेशी पर्यटक आगमन

तारीख	आगमन			अन्तर	
	1998	1999	2000	1999/98	2000/99
1	2	3	4	5	6
1	4003	5101	2980	1098	-2121
2	5493	5877	4530	384	-1347
3	6352	6528	5083	176	-1445
4	6618	6082	4793	-536	-1289
5	5779	6170	5014	391	-1156
6	5686	7166	6014	1480	-1152
7	5213	5582	5539	369	-43
8	5150	6048	5409	898	-639
9	5927	6452	6625	525	173
10	5849	7638	7573	1789	-65
11	5751	5651	5299	-100	-352
12	6410	5335	6801	-1075	1466
13	4984	6090	6599	1106	509
14	7277	5412	5513	-1865	101
15	5430	6270	6261	840	-9
16	5943	5362	7693	-581	2331
17	7509	7245	7355	-264	110
18	7138	5622	5879	-1516	257
19	6822	6180	6853	-642	673
20	5805	7000	7207	1195	207
21	6633	5994	5969	-639	-25
22	6129	5335	6023	-794	688
23	6768	6687	8129	919	1442
24	6500	7356	6179	856	-1177
25	7092	6609	5746	-483	-863

1	2	3	4	5	6
26	6273	6072	7036	-201	964
27	5804	6021	5071	217	-950
28	6467	5842	6929	-625	1087
29	5493	5514	6770	21	1256
30	6258	5434	7266	-824	1832
31	6577	7891	7258	1314	-633
जोड़	188133	191566	191396	3433	-170

चीनी-नीति में परिवर्तन

159. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी-नीतियों में बार-बार परिवर्तनों से चीनी उद्योग को काफी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और चीनी-नीति में बार-बार परिवर्तन करने के कारण क्या हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप चीनी के उत्पादन में लगातार कमी अथवा वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चीनी उद्योग को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) यद्यपि विगत में चीनी के उत्पादन ने अस्थिरता दर्शाई है, इसे चीनी-नीति में परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहाराया जा सकता है। पिछले दस चीनी मौसमों के दौरान चीनी के उत्पादन में हुई अस्थिरता को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ङ) सरकार ने हाल ही में चीनी उद्योग के हित को सुरक्षित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जो निम्नानुसार हैं:-

(1) सरकार ने 1.1.2000 से चीनी के घरेलू उत्पादकों पर लेवी बाध्यता में 40 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत तक कमी की है।

(2) सरकार ने चीनी के आयातकों पर 30 प्रतिशत की लेवी बाध्यता लागू की है, दिनांक 17.2.2000 की अधिसूचना देखें।

(3) सरकार ने चीनी के आयातकों पर विनियमित रिलीज प्रक्रिया लागू की है, दिनांक 22.11.99 की अधिसूचना देखें जिसे दिनांक 29.12.99 की अधिसूचना के साथ पढ़ा जाए।

(4) सरकार ने 30.12.99 को चीनी के आयात पर सीमा शुल्क को 25 प्रतिशत जमा 10 प्रतिशत अधिशुल्क से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया है इसे 9.2.2000 को और बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया, जिसमें 850/- रुपये प्रति टन का प्रतिशुल्क भी बरकरार रखा गया है।

विवरण

क्रम सं.	चीनी वर्ष	चीनी उत्पादन (लाख टन में)	वृद्धि अथवा कमी (लाख टन में)
1	2	3	4
1.	1989-90	109.89	–
2.	1990-91	120.47	10.58

1	2	3	4
3.	1991-92	134.11	13.64
4.	1992-93	106.09	-28.02
5.	1993-94	98.24	-7.85
6.	1994-95	146.43	48.19
7.	1995-96	164.29	17.86
8.	1996-97	129.05	-35.24
9.	1997-98	128.44	-0.61
10.	1998-99	155.2	26.76

रेल पटरियों के चटकने की समस्या

160. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तापमान कम होने से रेलवे को विशेषरूप से उत्तर भारत में रेल पटरियों के चटकने की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों से पटरियों के चटकने के कितने मामले प्रकाश में आये हैं और इनसे कितना नुकसान हुआ है;

(ग) क्या रेलवे ने इस दिशा में कोई विश्लेषण किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ङ) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण निर्मित रेलों की गुणवत्ता, इन रेल पटरियों को चटकाने वाला एक बड़ा कारण है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कौन-कौन से उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) पिछले 3 वर्षों में देश में विभिन्न भागों से पटरी की टूट-फूट के संबंध में निम्नलिखित रिपोर्ट प्राप्त हुई:

1997-98	1612 अदद
1998-99	1747 अदद
1999 से जनवरी 2000 तक	2448 अदद

पटरी की इन टूट-फूट के कारण मुख्यत: गाड़ियों के समय पालन पर दुष्प्रभाव पड़ा।

बहरहाल पटरी की टूट-फूट पर दुर्घटनाओं के भी कुछेक मामले हुए हैं। इन दुर्घटनाओं से वर्ष 1997-98 के दौरान लगभग 3.14 करोड़ रुपये, 1998-99 के दौरान 4.93 करोड़ रु. और 1999-2000 के दौरान 2.46 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

(ग) जी हां।

(घ) अ.अ.मा.सं. द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार-अकस्मात प्रभाव, उच्च आंतरिक दबाव, जंग लगना, रिपिट में निर्माण संबंधी खराबियों और उसकी श्रांति पटरी की टूट-फूट के मुख्य कारण हैं।

(ङ) जी हां।

(च) भिलाई इस्पात संयंत्र में पटरियों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए द्रव्य इस्पात में हाइड्रोजन के तत्व को कम करने के लिए वेक्यूम आर्क डोगेस्सर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पटरियों की गुणवत्ता की बेहतर ढंग से जांच करने के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र में ऑन-लाइन अल्ट्रासॉनिक फ्ला डिटेक्शन टेस्टिंग मशीन और एड्डी करंट टेस्टिंग मशीन भी स्थापित की गई हैं।

मदुरै और चेन्नई के बीच रेल सेवा के कार्य में तेजी लाना

161. श्री पी. मोहन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मदुरै तथा चेन्नई के बीच बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन हो जाने के कारण वर्तमान रेल सेवा में तेजी लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) जी हां। अप्रैल, 2000 से चेन्नै-एषम्बूर-मदुरै-तिरूनेलवेली कार्ड लाइन खंड पर गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने का प्रस्ताव है। बहरहाल, ब्यौरे को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में सिंगापुर के निवेशकों द्वारा निवेश

162. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंगापुर के निवेशकों की रुचि अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में निवेश करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) उपलब्ध रिकार्ड से ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सशस्त्र सेनाओं की कर्मचारी समिति के अध्यक्ष द्वारा मंत्रिमंडल की सुरक्षा और संकट प्रबंधन वर्ग संबंधी समिति को अभ्यावेदन

163. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना स्टाफ के प्रमुख ने मंत्रिमंडल की सुरक्षा और संकट प्रबंधन ग्रुप संबंधी समिति को कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज़): (क) और (ख) सेनाध्यक्षों की समिति के प्रमुख ने यह सुझाव दिया था कि सुरक्षा संबंधी मंत्रीमंडल समिति की बैठकों में सेनाध्यक्षों की उपस्थिति को संस्थागत बनाया जाए तथा तीन सेनाओं के उपसेनाध्यक्षों को राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का सदस्य बनाया जाए। मौजूदा संस्थागत व्यवस्थाओं को संकट प्रबंधन के लिए सशस्त्र सेनाओं के पास उपलब्ध संसाधनों सहित राष्ट्रीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान संस्थागत व्यवस्था तथा "आवश्यकता" के आधार पर सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति की बैठकों में सेना, नौसेना तथा वायुसेना के प्रमुखों तथा रक्षा सचिव की उपस्थिति पर्याप्त समझी जाती है।

अरूणाचल प्रदेश हेतु नागर विमानन योजनाएं और कार्यक्रम

164. श्री जारबोम गामलिन : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आगामी दो वर्षों के दौरान अरूणाचल प्रदेश में नागर विमानन के विकास हेतु क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस उद्देश्य के लिए सरकार ने कितनी राशि नियत की है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन.ई.आर.) के लिए प्रधानमंत्री की नयी पहल पर 50 सीटर विमानों की सेवा प्रचालित किए जाने के लिए अरूणाचल प्रदेश में ईटानगर में एक नए विमानपत्तन के निर्माण संबंधी एक प्रस्ताव है। असम प्रदेश सरकार की भी पूर्वोत्तर परिषद से प्राप्त बजटीय सहायता से पासीघाट में एक रनवे के निर्माण करने तथा तेजु में यात्री टर्मिनल सुविधाओं में सुधार करने संबंधी एक योजना है।

वृद्धावस्था-पेंशन

165. श्री सुनील खां : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एन.ओ.ए.पी.एस.), राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एन.एफ.बी.एस.), और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (एन.एम.बी.एस.) के लिए अर्हता क्या है; और

(ख) 1999-2000 के दौरान राज्यों को योजनावार और राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित तथा जारी की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की तीन योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता हेतु दावा करने के संबंध में निम्नलिखित पात्रता मानदण्ड लागू होंगे:-

1. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

(1) आवेदक (पुरुष या महिला) की उम्र 65 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

(2) आवेदक इस अर्थ में बेसहारा हो कि उसके पास आय के अपने स्रोतों या परिवार अथवा अन्य स्रोतों से मिलने वाली वित्तीय सहायता से भरण-पोषण का कोई नियमित साधन न हो/अथवा बहुत कम हो।

2. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

गरीबी रेखा से नीचे के किसी परिवार के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में एकमुश्त परिवार लाभ के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध है, इसके लिए निम्नलिखित शर्तें हैं:-

(1) मुख्य जीविकोपार्जक परिवार का वह सदस्य है जिसकी कमाई का उस परिवार की आय में पर्याप्त योगदान हो।

(2) प्राकृतिक अथवा दुर्घटना के कारण मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु 18 से 64 वर्ष तक की उम्र में हुई हो।

3. *राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना*

(1) गर्भवती महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ केवल प्रथम दो जीवित बच्चों तक सीमित है बशर्ते कि महिला की आयु 19 वर्ष या इससे अधिक हो तथा वह गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से हो।

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्यों को आबंटित तथा जारी की गई राशि का योजनावार तथा राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.)

वर्ष : 1999-2000

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	रा.वृ.पें.यो.		रा.प.ला.यो.		रा.मा.ला.यो.	
		आबंटन	रिलीज	आबंटन	रिलीज	आबंटन	रिलीज
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	4361.76	4361.76	3035.50	3035.52	1590.19	1554.06
2.	अरुणाचल प्रदेश	57.12	7.07	22.88	1.90	19.34	1.56
3.	असम	826.98	640.81	646.36	309.50	292.34	96.51
4.	बिहार	6877.24	5745.28	1700.02	1488.26	823.59	590.65
5.	गोआ	27.94	27.94	12.22	18.72	2.58	0.00
6.	गुजरात	561.60	250.83	158.76	93.01	104.00	47.54
7.	हरियाणा	535.80	461.36	54.21	41.02	64.69	31.91
8.	हिमाचल प्रदेश	236.55	210.42	30.72	23.40	19.11	7.91
9.	जम्मू व कश्मीर	317.26	2839.15	57.38	46.30	49.27	29.62
10.	कर्नाटक	2959.63	2934.52	649.22	637.66	402.66	386.42
11.	केरल	1396.31	1230.37	382.10	358.03	136.58	71.61
12.	मध्य प्रदेश	4585.46	4610.76	3957.46	4265.42	904.74	469.61
13.	महाराष्ट्र	4158.51	2761.58	1026.74	764.34	453.49	237.06
14.	मणिपुर	103.06	71.45	28.60	19.75	40.56	21.50
15.	मेघालय	111.13	79.26	34.32	17.93	39.31	7.56
16.	मिजोरम	37.44	29.2	11.44	5.73	15.91	7.96

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	नागालैंड	80.71	41.02	17.16	3.72	27.77	6.01
18.	उड़ीसा	3120.62	3277.2	1346.69	991.81	624.24	481.61
19.	पंजाब	386.79	296.73	134.16	66.76	46.98	22.22
20.	राजस्थान	1474.54	1267.82	468.16	397.59	325.34	135.07
21.	सिक्किम	29.80	14.9	5.72	2.86	5.98	2.99
22.	तमिलनाडु	3276.00	2797.82	1904.76	1468.34	906.36	123.15
23.	त्रिपुरा	178.19	178.18	72.54	26.48	81.12	14.57
24.	उत्तर प्रदेश	8264.83	6843.37	3021.90	2484.78	1713.92	517.68
25.	पश्चिम बंगाल	3312.50	3832.09	975.73	725.56	541.17	369.05
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	17.38	8.69	2.86	1.43	1.09	0.00
27.	चण्डीगढ़	13.66	13.66	2.86	2.86	2.65	1.33
28.	दा. व न. हवेली	11.80	0.00	2.86	0.00	0.47	0.00
29.	दमन व दीव	2.48	1.24	2.86	0.29	0.31	0.00
30.	दिल्ली	249.58	124.79	31.46	15.73	36.97	0.00
31.	लक्षद्वीप	1.86	0.93	2.86	1.43	0.16	0.00
32.	पांडिचेरी	49.05	49.05	2.86	1.43	5.25	2.63
	कुल	47623.58	42454.02	19803.37	17317.56	9278.11	5237.79

18.2.2000 तक सूचना

नेशनल कैडेट कोर

166. श्री अनन्त नायक :
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार, एन.सी.सी. (नेशनल कैडेट कोर) को विद्यालयों और महाविद्यालयों में अनिवार्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए बनाई गई कार्यनीति का विवरण क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य को इस संबंध में मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

दार्जिलिंग ट्वाय ट्रेन

167. श्री मोहन रावले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दार्जिलिंग-सिलीगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बढ़ने से ट्वाय ट्रेन की उपयोगिता और इसका सौंदर्य समाप्त हो गया है;

(ख) क्या यातायात से रेलमार्ग को बहुत नुकसान भी हुआ है जिससे सुरक्षागत खतरे पैदा हो गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ प्रस्तावित हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं। वस्तुत: इस खंड को हाल ही में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हैरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चालकरहित सुपरसोनिक विमान

168. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालकरहित सुपरसोनिक विमान का विकास किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त डिजाइन को कब तक तैयार किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ राशि उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं। तथापि, देश में ही विकसित एक सब-सोनिक पायलटरहित लक्ष्यभेदी विमान का सीमित संख्या में उत्पादन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि किसी सुपरसोनिक पायलटरहित विमान का विकास नहीं किया जा रहा है।

[अनुवाद]

एकीकृत और संयुक्त चक्र विद्युत परियोजनाएं

169. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में ऊर्जा के उत्पादन के लिए नैप्था-आधारित कोई 'एकीकृत सौर-संयुक्त चक्र-विद्युत परियोजना' चलाने के किसी प्रस्ताव को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो ऊर्जा के उत्पादन के लिए ऐसी कौन-कौन सी परियोजनाएं मंजूर की गई हैं जिनमें सौर और नैप्था शामिल हैं;

(ग) क्या इस तरह की परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने में कोई आर्थिक लाभ होगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सौर-ऊर्जा और नैप्था से विद्युतोत्पादन की आर्थिकता का आकलन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) जी हां। भारत सरकार ने राजस्थान में जोधपुर के मथानिया गांव में केन्द्रीय सहायता प्राप्त परियोजना के रूप में 140 मेगावाट के एकीकृत और संयुक्त चक्र विद्युत परियोजना (आईएससीसी) की स्थापना को अनुमोदित किया है जिसका कार्यान्वयन राजस्थान राज्य विद्युत निगम लि. (आरएसपीसीएल) द्वारा किया जाना है। इस परियोजना में नैप्था से चलने वाले गैस टरबाइनों सहित 105 मेगावाट क्षमता के संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र के साथ पैराबोलिक ट्रफ संग्राहकों पर आधारित 35 मेगावाट का एक सौर तापीय विद्युत संयंत्र शामिल होगा।

(ग) से (ङ) जी हां। प्रति यूनिय 3.03 रुपये की पहले वर्ष की ऊर्जा लागत सहित, विद्युत की संतुलित लागत 2.76 रुपये प्रति यूनिट बैठती है जिसकी तुलना अन्य नई संयुक्त चक्र विद्युत परियोजनाओं से की जा सकती है। सौर तापीय अवयवों द्वारा नैप्था आधारित अवयवों को उच्च स्तर पर प्रतिस्थापित करके दीर्घ अवधि में ऐसी परियोजनाओं से आर्थिक लाभ उठाया जा सकता है।

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर खराब विद्युत चालित सीढ़ियां (एस्कलेटर)

170. श्री माधव राव सिंधिया :
श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 13 दिसम्बर, 1999 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली पर सात-आठ वर्षीय बालिका की विद्युत चालित सीढ़ियां (एस्कलेटर) में हुई मौत की कोई संपूर्ण जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या रहे;

(ग) भविष्य में इस तरह की किसी भी दुर्घटना को रोकने हेतु जांच रिपोर्ट को ध्यान में रखकर क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या इस तरह की घटनाओं में विद्युत चालित सीढ़ियां (एस्कलेटर) को स्वतः रोकने हेतु विमानपत्तनों तथा अन्य स्थानों पर विद्युत चालित सीढ़ियां (एस्कलेटर) में कोई "सेन्सर" या इस तरह के अन्य उपकरण लगाये गये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, हां।

(ख) जांच समिति ने दिनांक 7.2.2000 को अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अंतिम रिपोर्ट दिनांक 31 मार्च, 2000 तक प्रस्तुत की जाएगी। अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार जांच समिति के निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:-

(1) ओटिस द्वारा किए गए रख-रखाव कार्य की गुणवत्ता संतोषप्रद नहीं थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) के कर्मचारियों द्वारा किया गया पर्यवेक्षण और मानीटरिंग भी अपर्याप्त था। परिणामस्वरूप, एस्कलेटर के कॉम्बप्लेट और फुटप्लैट ढीले रह गए थे और दबाव में पड़ गए थे जिससे एक रिक्त जगह बच गयी थी जिसके परिणामस्वरूप यह दुर्घटना हुई।

(2) एस्कलेटर का स्तरोन्नयन नहीं किया गया था।

(3) दुर्घटना स्थल पर उपस्थित विभिन्न कर्मचारियों की प्रतिक्रिया अपर्याप्त थी और उनमें संवेदनशीलता नहीं थी; और

(4) प्रभावित व्यक्तियों के साथ किया गया व्यवहार दुर्घटना की असाधारण प्रकृति के हिसाब से उचित नहीं था।

(ग) भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) एस्कलेटर और ऐसे अन्य उपस्करों को अपग्रेड किया जा रहा है।

(2) इन उपस्करों के उपयोग के लिए अनुदेशों को प्रयोगकर्ता के लाभार्थ मुख्य रूप से प्रदर्शित किया गया है; और

(3) उपस्करों के प्रयोग तथा किसी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने हेतु विमानपत्तन की सभी एजेंसियों के कर्मचारियों को परिचयात्मक प्रशिक्षण दिया गया है।

(घ) और (ङ) विमानपत्तनों पर संस्थापित किए गए एस्कलेटरों पर अपेक्षित सुरक्षा उपकरणों का प्रबंध किया गया है जिन्हें अपग्रेड किया जा रहा है।

[हिन्दी]

खोई के माध्यम से उत्पादित विद्युत

171. श्री नवल किशोर राय :
श्री अजित सिंह :

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की चीनी-मिलों में गन्ने की पिराई के बाद शेष बची खोई (बैंगास) से कितनी विद्युत उत्पादित की गई;

(ख) देश में इस प्रकार उत्पादित की जाने वाली विद्युत की राज्यवार कितनी मात्रा का अनुमान किया गया है;

(ग) क्या इस स्रोत से उत्पादित विद्युत की लागत का भी कोई मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में विद्युतोत्पादन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली बैंगास की प्रतिशत-मात्रा कितनी है जिसके लिए सरकार द्वारा योजना बनाई गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) देश में चीनी मिलों में खोई आधारित सहउत्पादन के माध्यम से उत्पादित अतिरिक्त विद्युत की कुल संभाव्यता 3500 मेगावाट आंकी गई है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) खोई आधारित सहउत्पादन परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन की लागत तकनीकी और संचालन पैरामीटर; प्रणाली विन्यास; संयंत्र भार कारक; आवधिक ऋण पर ब्याज और नई अथवा वर्तमान चीनी मिल में आरंभ की जाने वाली परियोजनाओं पर निर्भर करते हुए 1.50 रुपये से लेकर 2.75 रुपये/किवा. घं. तक भिन्न-भिन्न होती है।

(ङ) राष्ट्रीय बायोमास विद्युत तथा सहउत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत, खोई आधारित सहउत्पादन परियोजनाओं से विद्युत के ईष्टतम उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाते हैं। इनमें इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए आवधिक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी शामिल है। इन परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत के लिए संभाव्यता वाले राज्यों में आकर्षक नीतियां भी घोषित की गई हैं। खोई आधारित सहउत्पादन परियोजनाओं से देश में 184 मेगावाट की कुल अतिरिक्त विद्युत क्षमता पहले ही स्थापित की जा चुकी है।

विवरण

खोई आधारित सहउत्पादन के लिए राज्यवार संभाव्यता

क्रम सं.	राज्य	संभाव्यता मेगावाट में
1.	महाराष्ट्र	1000
2.	उत्तर प्रदेश	1000
3.	तमिलनाडु	350
4.	कर्नाटक	300
5.	आंध्र प्रदेश	200
6.	बिहार	200
7.	गुजरात	200
8.	पंजाब	150
9.	अन्य	100
	कुल	3500

[अनुवाद]

परली-बैजनाथ-अहमदनगर-कल्याण रेल लाइन का निर्माण

172. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत परली से बैजनाथ-अहमदनगर-कल्याण तक नयी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने उक्त परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु पर्याप्त धनराशि प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) अहमदनगर-बीड-पर्ली बैजनाथ से नई लाइन का निर्माण कार्य ही स्वीकृत है। आरंभिक वर्षों में अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण और भूमि अधिग्रहण कार्य किया जाता है। भूमि उपलब्ध होने के बाद ही कार्य शुरू किया जा सकता है। ये कार्य भलीभांति चल रहे हैं। अहमदनगर-कल्याण स्वीकृत कार्य नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भूमि उपलब्ध हो जाने के बाद कार्य की प्रगति के लिए धन की व्यवस्था की जाएगी, बशर्ते कि संसाधनों की समग्र उपलब्धता हो।

नयी नागर विमानन नीति

173. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री के.पी. सिंह देव :
श्री दानवे रावसाहेब पाटील :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नयी नागर विमानन नीति से एयरलाइन्स की प्रगति के नये आयाम खुलेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नयी नागर विमानन नीति का मुख्य उद्देश्य देश में सस्ती वायु यात्रा उपलब्ध कराना होगा;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार नयी नीति के तहत छोटे और गैर-महानगरीय शहरों से सस्ती वायु सेवाएं आरंभ करने को तत्पर है; और

(घ) यदि हां, तो इस नीति को कब तक क्रियान्वित कर दिये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (घ) नागर विमानन नीति के प्रारूप में, जिसे अभी प्रतिपादित किया जाना है, उचित दरों पर देश में सुरक्षित, दक्ष, भरोसेमंद तथा व्यापक उच्च गुणवत्ता वाली विमान परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए एक नीतिगत ढांचा स्थापित किया गया है। इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ छोटे (टर्बो-प्रोप) विमानों के प्रचालन को

बढ़ावा दिया गया है जिससे अपेक्षाकृत छोटे तथा जो महानगर नहीं है, ऐसे शहरों को भी इनमें शामिल किया जा सके। अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व प्रारूप नीति को विचारों/टिप्पणी के लिए व्यापक स्तर पर परिचालित किया गया है।

[हिन्दी]

होटल और मोटल विकास

174. श्री रामदास आठवले : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में राज्य द्वारा चलाए जाने वाले होटलों और मोटलों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्थानवार और राज्यवार कितनी धनराशि मंजूर की गयी और जारी की गयी?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों को होटल चलाने के लिए सहायता मुहैया नहीं कराता है। तथापि, केन्द्रीय वित्तीय सहायता पर्यटक परिसरों/पर्यटक बंगलों, मोटलों, यात्री निवासों/यात्रिकाओं को प्रदान की जाती है। जो मूलत: बजट आवास से सम्बन्धित पर्यटक अवसंरचना के विकास के लिए होता है। वर्ष 1998-99 के दौरान 3082.62 लाख रु. राशि के बजट आवास के लिए कुल 98 परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

ग्रामीण क्षेत्रों में अपारंपरिक ऊर्जा संयंत्रों की बिक्री

175. श्री रामजीवन सिंह : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपारंपरिक ऊर्जा का उत्पादन करने वाले संयंत्रों की बिक्री हेतु कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो कितने समय और किस ढंग से इस नीति का पालन किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो ग्रामीण लोग इससे किस प्रकार लाभान्वित हो रहे हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) से (ग) जी हां। अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से अपारंपरिक ऊर्जा के उपयोग के लिए विभिन्न प्रणालियों/युक्तियों अर्थात् सफरी सौर लालटेनों, स्थिर प्रकार की घरेलू रोशनी प्रणालियों, सड़क रोशनी प्रणालियों, गैर-ग्रिड सम्बद्ध सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों, सौर कुकरों, बायोमास गैसीफायरों, उन्नत चूल्हों इत्यादि का प्रचार-प्रसार करता है। इन प्रणालियों/युक्तियों के लिए राज्य नोडल एजेंसियों और राज्य सरकारों को वार्षिक लक्ष्य आवंटित किए जाते हैं तथा यह मंत्रालय उनके कार्य निष्पादन की आवधिक मानीटरिंग करता है। ये युक्तियां, ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने, तापन, बिजली, जल-पंपन आदि के लिए ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में आंशिक रूप से सहायता करती हैं।

[अनुवाद]

रेल दुर्घटनाएं

176. श्री आर.एल. भाटिया :
श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री ए. ब्रह्मनैया :
श्री चिंतामन वनगा :
श्री सुरेश चन्देल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन महीनों के दौरान मालगाड़ियों सहित ट्रेन/स्थान/राज्य-वार आज तक कितनी रेल दुर्घटनाएं/रेलगाड़ी के पटरी से उतरने की घटनाएं/रेल में आग लगने की घटनाएं हुई हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) इस तरह की प्रत्येक दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे गए/घायल हुए तथा इनमें कितने रुपये की सरकारी सम्पत्ति का नुकसान हुआ;

(ग) इस तरह की दुर्घटनाओं के कारणों की जांच हेतु कितनी समितियां नियुक्त की गई;

(घ) जांच समितियों के निष्कर्ष क्या रहे तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) सरकार द्वारा हताहतों को कितना मुआवजा दिया गया; और

(च) सरकार द्वारा इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) परिणामी रेल दुर्घटनाओं के आंकड़े जोनवार रखे जाते हैं न कि

गाड़ी/स्थान/राज्यवार। नवंबर, 1999 से जनवरी, 2000 तक की अवधि के दौरान 125 परिणामी दुर्घटनाएं हुईं जिनमें से 89 दुर्घटनाएं पटरी से उतरने की तथा 3 मामले आग लगने के थे, जोनवार स्थिति निम्नानुसार है:-

रेलवे	परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या	पटरी से उतरने की दुर्घटनाओं की संख्या	आग लगने की दुर्घटनाओं की संख्या
मध्य रेलवे	15	9	2
पूर्व रेलवे	5	4	0
उत्तर रेलवे	24	14	0
पूर्वोत्तर	5	2	0
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	21	21	0
दक्षिण रेलवे	18	13	0
दक्षिण मध्य रेलवे	11	8	0
दक्षिण पूर्व रेलवे	20	10	0
पश्चिम रेलवे	6	5	1
मेट्रो रेलवे	0	0	0
कोंकण रेलवे निगम	0	0	0
जोड़	125	86	3

(ख) इन तीन महीनों के दौरान 70 लोग मारे गए थे और 139 व्यक्ति घायल हुए थे। लगभग 21.4 करोड़ रुपए (अनंतिम) की संपत्ति की क्षति हुई।

(ग) प्रत्येक दुर्घटना की जांच दुर्घटना की गंभीरता के अनुसार रेल अधिकारियों की समितियों अथवा रेलवे संरक्षा आयुक्त अथवा मुख्य रेलवे संरक्षा आयुक्त द्वारा की जाती है।

(घ) की गई जांच पड़ताल के अनुसार दुर्घटनाएं निम्नलिखित कारणों से हुई थीं:-

कारण	दुर्घटनाओं की संख्या
रेल कर्मचारियों की विफलता	22
रेल कर्मचारियों के अलावा अन्य की विफलता	21
उपस्कर में खराबी	8
आनुषंगिक	4
जांच की जा रही है	70

(ङ) उक्त दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को आज की तारीख तक किसी क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है। रेल दावा अधिकरण से डिक्री प्राप्त होने पर पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

(च) दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

1. ट्रंक मार्गों तथा अन्य महत्वपूर्ण मुख्य लाइनों पर रेलपथ परिपथन के कार्य को तेज किया गया है।

2. मानवीय चूक के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए सिगनल सर्किटिंग का आशोधन किया जा रहा है।

3. मुंबई उपनगरीय खंडों पर चलती गाड़ी के ड्राइवर को "खतरे पर सिगनल" के बारे में अग्रिम चेतावनी देने के लिए सहायक चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है।

4. रेलवे बोर्ड ने परीक्षण के आधार पर मध्य रेलवे के तुगलकाबाद-मथुरा खंड के लिए सहायक चेतावनी प्रणाली की पायलट योजना को मंजूरी दे दी है।

5. सभी पैसेंजर गाड़ियों के ड्राइवरों तथा गार्डों को वाकी-टाकी सेट सप्लाई कर दिए गए हैं। इस समय माल गाड़ियों के ड्राइवरों तथा गार्डों को भी ये सेट सप्लाई किए जा रहे हैं और 31 मार्च 2000 तक इनकी सप्लाई पूरी हो जाने की संभावना है।

6. रेलवे अनुरक्षण के लिए टाई टेमपिंग और ब्लास्ट क्लीनिंग मशीनों के इस्तेमाल में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी हुई है।

7. रेलपथ संबंधी ज्यामितीय तथा रेलपथ की चालन संबंधी लक्षणों पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखी कारों, दोलनलेखीकारों और सुवाह्य त्वरणमापी का उत्तरोत्तर इस्तेमाल किया जा रहा है।

8. पटरी में टूट-फूट और वैल्डिंग में विफलता का पता लगाने के लिए 96 और डबल रेल अल्ट्रासोनिक फला डिटेक्टरों को खरीदा जा रहा है।

9. कई डिपुओं में सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के अनुरक्षण सुविधाओं को आधुनिक और अपग्रेड किया गया है।

10. धुरों के कोल्ड ब्रेकेज के मामलों की रोकथाम के लिए धुरों में पड़ने वाली दरारों का पता लगाने के लिए नेमी ओवरहॉल डिपुओं में पराश्रव्य परीक्षण उपस्कर लगाए गए हैं।

11. बिना चौकीदार वाले समपारों पर सीटी बोर्डों/स्पीड ब्रेकरों और सड़क चिह्नों की व्यवस्था की गई है और ड्राइवरों के लिए दृश्यता में सुधार किया गया है।

12. सड़क उपयोगकर्ताओं को, सुरक्षित क्रासिंग कैसे की जाए, इसके बारे में शिक्षित करने के लिए दृश्य-श्रव्य प्रचार अभियान आयोजित किए जाते हैं।

13. यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील एवं विस्फोटक सामग्रियों को ले जाने से रोकने के उपाय किए गए हैं।

14. क्षेत्रीय मुख्यालयों की इंटर डिस्पलनरी टीम द्वारा विभिन्न मंडलों की आवधिक संरक्षा की लेखा परीक्षा करने की कार्रवाई शुरू की गई है।

15. ड्राइवरों, गार्डों तथा गाड़ी परिचालन से जुड़े कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण संबंधी सुविधाओं को आधुनिक बनाया गया है जिसमें ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटर का इस्तेमाल भी शामिल है।

16. विनिर्दिष्ट अंतरालों पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है।

17. गाड़ी परिचालनों से जुड़े कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है और चूक करने वाले कर्मचारियों को क्रेश प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

18. कर्मचारियों को संरक्षा बोध अपने मन में बैठाने के लिए आवधिक संरक्षा संबंधी अभियान चलाए जाते हैं।

अपारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा-स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए नया विधान

177. **श्री ए. नरेन्द्र :**
श्री सी.के. जाफर शरीफ :

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पवन, सह-उत्पादन, जैव मास और सौर ऊर्जा-स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा-संरक्षण के मानक निश्चित करने हेतु नीतिक उपाय करते हुए एक विधान बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) से (ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने अक्षय ऊर्जा नीति विवरण का प्रारूप तैयार किया है। इस नीति विवरण में निम्नलिखित तीन प्रमुख अनुप्रयोग क्षेत्रों में अक्षय स्रोतों की भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास किया गया है: न्यूनतम ग्रामीण ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति; कृषि, उद्योग, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वाणिज्यिक तथा घरेलू क्षेत्रों के लिए विकेन्द्रीकृत/ऑफ-ग्रिड आपूर्ति का प्रावधान; और ग्रिड किस्म की विद्युत का उत्पादन व आपूर्ति। मंत्रालय द्वारा नीति विवरण के प्रारूप को आगे के अनुमोदनों हेतु प्रस्तुत कर दिया गया है।

टच स्क्रीन पैसेंजर इंफारमेशन कीऑस्क

178. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न पर्यटन स्थलों पर "टच स्क्रीन पैसेंजर इंफारमेशन कीआस्क" स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन "कीआस्कों" को स्थापित करने पर कितनी धनराशि व्यय होगी; और

(घ) इससे पर्यटकों को व्यापक सूचना प्रदान करने में कितनी मदद मिलेगी?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, हां।

(ख) ऐसे कुल 60 कीऑस्क चार शहरों दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चैन्नई के विभिन्न स्थानों में लगाए जाएंगे।

(ग) ऐसे कीऑस्कों को स्थापित करने पर 133.80 लाख रु. व्यय होने का अनुमान है।

(घ) ये कीऑस्क पर्यटकों के लिए व्यापक शहर आधारित सूचना तथा अन्य सूचना उपलब्ध कराएंगे।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उठाए गए सुरक्षोपाय

179. श्री सुनील खां : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कंधार में इंडियन एयरलाइंस के अपहृत विमान के पायलट द्वारा वायरलैस पर कई बार अनुसेध करने के बावजूद भी सुरक्षोपाय उठाने में असफल रहा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और कारण क्या हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एयर इंडिया द्वारा विमान चालकों की भर्ती

180. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया ने नवम्बर, 1996 में सीपीएल द्वारा 86 विमान चालकों की भर्ती की थी तथा यह सामान्यतया अंतरराष्ट्रीय विमान कंपनियों के पर्याप्त उड़ान अनुभव वाले अनुभवी विमान चालकों की नियुक्ति किए जाने से भिन्न तरीके से की गई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उड़ान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ए.एल.टी.पी. के अनुभव प्राप्त विमान चालकों को नियुक्त किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जी, नहीं। एअर इंडिया ने 12 सह-विमानचालकों की भर्ती की थी जिनके पास ए.एल.टी.पी. लाइसेंस हैं।

(ग) और (घ) फिलहाल विमानचालकों की भर्ती का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

मरम्मत के कारण हटाए गए रेल डिब्बे

181. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने घटिया रख-रखाव के कारण हटाए गए रेल डिब्बों के कारण हुए वार्षिक घाटे के संबंध में कोई आकलन कराया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में इस तरह लगभग कितने डिब्बे हटा दिए गए; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) रेलवे सवारी डिब्बों में, अन्य इंजीनियरी प्रणालियों की तरह कुछ खराबियां आ जाती हैं जिससे उन्हें अलग करना पड़ता है वास्तव

में, जांचों तथा अनुरक्षण के दौरान सवारी डिब्बों को अलग करने रेलों द्वारा अपनाई गई निवारक अनुरक्षण अनुसूची का अनिवार्य तथा अभिन्न भाग है। इस समय भारतीय रेलों पर उपलब्ध सवारी डिब्बा तकनीक पचास के दशक के प्रारंभिक वर्षों की है और इसे पहले ही अपग्रेड किया जा रहा है। पुरानी तकनीक होने के बावजूद अनुरक्षण प्रणाली के माध्यम से सवारी डिब्बों की 90% से अधिक उपलब्धता बनाए रखने के लिए विश्वसनीयता का स्तर सुनिश्चित करने का लक्ष्य रहता है ताकि बेड़े का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। चूंकि पिछले कई वर्षों से सवारी डिब्बों की उपलब्धता 90% से अधिक रही है, इसलिए सबारी डिब्बे अलग होने के कारण घाटा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। डिब्बे अलग किए जाने पर भी यात्रियों को उसी गाड़ी के किन्हीं अन्य सवारी डिब्बों में स्थान दिया जाता है।

(ख) कुल मिलाकर गाड़ियों से वर्ष 1998-99 के दौरान 197 तथा 1999-2000 के दौरान दिसंबर, 1999 तक 124 सवारी डिब्बे अलग किए गए।

(ग) हाल ही के वर्षों में सुधार की सतत् प्रक्रिया को बनाये रखने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:-

(1) सवारी डिब्बा उत्पादन इकाइयों तथा महत्वपूर्ण आवधिक मरम्मत कारखानों का आई.एस.ओ. प्रमाणन।

(2) आवधिक मरम्मत कारखानों तथा अनुरक्षण डिपों की क्वालिटी लेखा परीक्षा।

(3) तटस्थ परीक्षक प्रणाली के माध्यम से सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाने के आउटपुट की गुणवत्ता पर कड़ा नियंत्रण।

(4) मौजूदा सवारी डिब्बा अनुरक्षण अवसंरचना की समीक्षा तथा उसमें सुधार करना और अतिरिक्त गाड़ियों के लिए नई सुविधाओं की व्यवस्था।

(5) सवारी डिब्बों की विश्वसनीयता में सुधार के लिए डिजाइन में सुधार करना तथा बोगी माउंटेड ब्रेक, कम्पोजिट ब्रेक क्लाक्स, हाई कैपेसिटी कपलिंग आदि जैसी बेहतर सामग्री का उपयोग।

(6) कमजोर प्रणाली, डिपो, कारखानों की पहचान के विश्वसनीयता पैरामीटरों का ब्रॉड बैंड करने के लिए विश्लेषण तथा उन्हें दूर करने के लिए सीधे प्रयास तथा संसाधन जुटाना।

(7) मौजूदा सवारी डिब्बों तथा अनुरक्षण प्रणाली में उपरोक्त सुधारों के अतिरिक्त रेलें स्टेट-आफ-आर्ट सवारी डिब्बों तथा उनकी डिजाइन और निर्माण की प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को अपनाकर सवारी डिब्बा अपग्रेडेशन भी कर रही हैं।

रेलवे को हुए घाटे

182. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री रामजी मांझी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यात्री तथा माल यातायात में वृद्धि होने के बावजूद भी रेलवे को इस वर्ष अत्यधिक घाटा होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रेलवे द्वारा वित्तीय घाटे को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के परिणामस्वरूप कर्मचारी लागत और पेंशन में वृद्धि तथा वर्ष 1998-99 में माल भाड़ा उपार्जन में कमी के मिश्रित प्रभाव के कारण रेलवे अत्यधिक कठिनाई के दौर से गुजर रही है। मौजूदा वर्ष में हालांकि यातायात की मात्रा में वृद्धि हुई है लेकिन मालभाड़ा गमन दूरी और मिश्रित यातायात प्रत्याशा से कम रहा है। परिणामस्वरूप आमदनी में शुद्ध कमी की संभावना है। बकाया राशि की वसूली भी निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप नहीं है, डीजल तेल पर उपदान, डीजल तेल की कीमतों में वृद्धि जैसी विभिन्न बजटोपरांत वृद्धियों कतिपय राज्य बिजली बोर्डों द्वारा बिजली कर्षण की दरों में संशोधन कारखानों में प्रोत्साहन दरों में संशोधन, उड़ीसा चक्रवात के कारण पुनर्वास कार्य आदि के कारण खर्च में वृद्धि हुई है। यद्यपि कार्यप्रणाली के अन्य क्षेत्रों में किफायत और मितव्ययिता संबंधी उपायों के माध्यम से इन खर्चों को बड़े पैमाने पर पूरा किया जा रहा है, लेकिन अद्यतन अनुमानों के अनुसार पेंशन संबंधी प्रभारों में भी लागत 800 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की संभावना है। कुल मिलाकर, खर्च की तुलना में प्राप्तियों के "अधिक्य" में कतिपय कमी की संभावना है।

(ग) अपने आंतरिक संसाधनों के सृजन में वृद्धि करने के प्रयास में रेलवे ने खर्च में कटौती करने और आमदनी बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए हैं। एक समुचित मालभाड़ा नीति तैयार करने के अलावा, वह संसाधन जुटाने के लिए गैर-परंपरागत क्षेत्रों

के बारे में भी विचार कर रही है, जिनमें रेलवे भूमि, नभ क्षेत्र का उपयोग, ऑप्टिकल फाइबर केबुल का "मार्ग" का अधिकार विज्ञापन अधिकारों को पट्टे पर देना, पार्सल सेवाएं, सार्वजनिक/निजी भागीदारी योजनाएं आदि शामिल हैं।

रामावाडी रेलवे स्टेशन के निकट सड़क उपरि-पुल का निर्माण

183. श्री माधवराव सिंधिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत रामावाडी रेलवे स्टेशन के निकट रेलमार्ग पर सड़क उपरि-पुल की व्यवस्था की काफी मांग है;

(ख) क्या इस संबंध में किसी सांसद से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) जी नहीं। रामावाड़ी में किसी ऊपरी सड़क पुल के लिए राज्य सरकार से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। बहरहाल, मध्य रेलवे के रामावाडी स्टेशन के निकट निचले पुल के लिए अति विशिष्ट व्यक्तियों/चुने गए प्रतिनिधियों से मांग प्राप्त हुई थी जिसे मौजूदा पुलिया का निचले पुल के रूप में उपयोग करने की अनुमति देकर पहले ही पूरा कर लिया गया है। मौजूदा नियमों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित ठोस प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही अतिरिक्त सुविधा के संबंध में विचार किया जा सकता है।

ग्रामीण भवन केन्द्र

184. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों द्वारा ग्रामीण भवन केन्द्रों संबंधी योजना को क्रियान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन राज्यों को इससे किस सीमा तक सहायता मिली है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) ग्रामीण भवन केन्द्र स्थापित करने की योजना 1.4.1999 से शुरू की गई है। राज्यों में ऐसे केन्द्र स्थापित करने के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया गया है और कुछ प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं। चूंकि ग्रामीण भवन केन्द्रों की वास्तविक रूप में स्थापना होने और कार्य शुरू करने में कुछ समय लगेगा, अत: इससे राज्यों को कितनी सहायता मिली है उसका मूल्यांकन कुछ समय बाद ही किया जा सकता है।

[हिन्दी]

जबलपुर वाहन कारखाने द्वारा खरीदारियां

185. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वाहन कारखाना, जबलपुर द्वारा कुल कितनी खरीदारी की गई;

(ख) इस कारखाने द्वारा उक्त अवधि के दौरान जबलपुर के लघु और सम्बद्ध कारखानों द्वारा कुल कितनी खरीदारी की गई;

(ग) क्या वाहन कारखाने के प्रबंधवर्ग के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है और वह केवल टाटा एण्ड अशोक लीलैण्ड इंडस्ट्री ग्रुप्स द्वारा अनुमोदित कलपुर्जों की ही खरीद करें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) से (घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान वाहन निर्माणी, जबलपुर द्वारा की गई खरीद इस प्रकार है:

वर्ष	की गई खरीद का मूल्य (करोड़ रुपए में)
1995-96	139.92
1996-97	174.30
1997-98	187.39
1998-99	405.46
1999-2000	510.00 (प्रत्याशित)

जबलपुर क्षेत्र के उद्योगों से की गई खरीद का वर्ष-वार मूल्य इस प्रकार है:

वर्ष	की गई खरीद का मूल्य (करोड़ रुपए में)
1995-96	26.00
1996-97	23.07
1997-98	19.00
1998-99	15.40
1999-2000	10.40 (जनवरी, 2000 तक)

दोनों सहभागियों अर्थात् मैसर्स टेल्को एवं मैसर्स अशोक लेलैंड के साथ किए गए प्रौद्योगिकी अंतरण करार के अनुसार सहभागियों द्वारा गुणवत्ता के पुष्टिकरण के बाद ही नए स्रोतों से संघटकों/उप-असेम्बलियों की खरीद की जा सकती है। यह सहभागियों/मूल उपस्कर निर्माताओं के समान ही गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करने के लिए है।

वर्ष 1999-2000 के दौरान नए वाहनों के लिए स्थानीय खरीद पहले ही शुरू की गई है। सहभागियों द्वारा प्रौद्योगिकी अंतरण करार की शर्तों के अनुसार गुणवत्ता की पुष्टि करने के बाद ही जबलपुर स्थित लघु और सहायक उद्योगों से खरीद की जा रही है।

[अनुवाद]

आई.सी.ए.ओ. द्वारा अपहर्ता के विरुद्ध कार्यवाही

186. श्री पी.सी. थामस : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन समझौते (आई.सी.ए.ओ.) में किसी नागरिक विमान में हुई आतंकवाद और अपराध की गतिविधि के विरुद्ध पीड़ित देश तथा अन्य हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा कार्यवाही करने का प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समझौते के अन्तर्गत सरकार तथा अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं तथा अमेरिका द्वारा, 24-31 दिसम्बर, 1999 को आई.सी.-814 विमान में आतंकवाद और आपराधिक गतिविधि के षड्यंत्रकारी के रूप में पाकिस्तान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) टोकियो अभिसमय, 1963, हेग अभिसमय, 1970 तथा मांट्रियाल अभिसमय, 1971 में यह व्यवस्था है कि हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र दोषी के विरुद्ध मुकदमा चलायेंगे तथा दोषी के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाईयों के संबंध में एक दूसरे को अधिकतम सहयोग प्रदान करेंगे।

(ग) भारत सरकार ने अपहरणकर्ताओं को, जो सभी पाकिस्तानी नागरिक हैं, न्यायिक कार्यवाही के लिए भारत को सौंपने के लिए औपचारिक रूप से पाकिस्तान को कहा है।

मराठा लाइट इन्फैंट्री में गैर-मराठी व्यक्तियों की भर्ती

187. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजीमेंट अर्थात मराठा लाइट इन्फैंट्री में गैर-मराठी व्यक्तियों की भर्ती की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त (क) के मद्देनजर मराठी व्यक्तियों को उनकी भागीदारी के हिस्से से वंचित किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों में अपनायी जा रही भर्ती संबंधी नीति का मुख्य ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ङ) मराठा लाइट इन्फैंट्री में गैर-मराठियों की भर्ती की प्रतिशतता कम है जोकि सेना में निर्धारित वर्ग संघटन नीति के अनुसार है। मराठा लाइट इन्फैंट्री का निर्धारित वर्ग संघटन नीचे दिए अनुसार है:-

(1) मराठा	–	86.13%
(2) मैसूर निवासी	–	4.16%
(3) दक्षिण के मुसलमान	–	4.16%
(4) किसी निर्धारित प्रतिशतता के बिना सभी वर्ग जिसमें कर्नाटक, गोवा, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के व्यक्ति भी शामिल हैं।	–	5.55%

ट्रेड्समैन अर्थात् क्लर्क, सफाईवाला, नाई आदि की भर्ती, अखिल भारत में से सभी वर्गों से की जाती है।

2. अतएव मराठियों को मराठा लाईट इन्फैंट्री में भर्ती में उनके हिस्से से वंचित नहीं किया जा रहा है।

3. अपनाई जा रही भर्ती नीति के अनुसार मोटे तौर पर सेना में भर्ती राज्य-वार की जाती है। नौसेना और वायु सेना में भर्ती अखिल भारतीय आधार पर की जाती है और उसमें राज्य-वार कोटा नहीं है।

फ्लैट मालडिब्बों की उपलब्धता

188. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास ट्रेकिंग उद्योग में फ्लैट मालडिब्बों की संख्या और उपलब्धता में वृद्धि करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे के पास इस समय उपलब्ध माल ढोने वाले फ्लैट डिब्बों का ब्यौरा और संख्या क्या है; और

(ग) ट्रेकिंग उद्योग को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) पहले रेलवे ने वाणिज्य ट्रक नहीं चलाए थे। हाल ही में, रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, कोंकण रेल कारपोरेशन लि. (के.आर.सी.) ने ऐसी सेवा प्रारंभ की है जिसके अंतर्गत भरे हुए ट्रकों को फ्लैट मालडिब्बों पर चढ़ा दिया जाता है तथा उन्हें गंतव्य तक पहुंचाया जाता है जहां फ्लैट मालडिब्बों से इन्हें उतार दिया जाता है। कोंकण रेल कारपोरेशन इस सेवा का पायलट सेवाओं से अनुभव प्राप्त कर लेने के पश्चात् और आगे विस्तार करेगा।

इसी प्रकार का एक प्रस्ताव रेल मंत्रालय को एक निजी कम्पनी से प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव के अनुसार ट्रकों आदि सहित मार्केटिंग, प्रमोटर द्वारा की जाएगी। रेलवे को केवल हॉलेज सेवा उपलब्ध करानी होगी।

एअर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस तथा पवन हंस आदि विमान कंपनियों की आय और व्यय

189. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री कोडीकुनील सुरेश :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान इंडियन एयरलाइंस, एअर इंडिया और पवन हंस, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा मंत्रालय के अधीन अन्य सरकारी उपक्रमों की कुल आय और व्यय कितना-कितना था;

(ख) उन्होंने प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए प्रत्येक वर्ष विज्ञापनों पर कुल कितना व्यय किया;

(ग) विज्ञापनों, यात्री सेवाओं और आधारभूत सुविधाओं को जुटाने पर उन्होंने अपने कुल खर्च का कितना-कितना प्रतिशत व्यय किया है; और

(घ) उक्त राष्ट्रीय विमान कपनियों को वित्तीय संकट से उबारने के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के संबंध में विज्ञापनों पर किए गए खर्च सहित कुल आय तथा व्यय का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इन संगठनों द्वारा 1996-1999 के दौरान विज्ञापनों पर किए गए खर्च का प्रतिशत निम्न प्रकार निकाला गया है:

संगठन	1996-97	1997-98	1998-99
इंडियन एयरलाइन्स	0.4	0.4	0.5
एअर इंडिया	0.21	0.19	0.09
पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड	0.17	0.39	0.49
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	0.46	0.36	0.41

तथापि, यात्रियों की सेवाओं तथा आधार संरचना पर किए गए व्यय को ठीक प्रकार से बताना संभव नहीं है क्योंकि इस प्रकार का व्यय प्रत्येक संगठन द्वारा विभिन्न शीर्षों के अधीन किया जाता है।

(घ) इस समय केवल एअर इंडिया को घाटा हो रहा है तथा खर्च में कमी करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) गैर-सरकारी मार्गों में कमी करके तथा कोर मार्गों पर ध्यान केन्द्रित करके मार्ग युक्तिकरण।

(2) गैर-किफायती स्टेशनों को बंद करना तथा कार्यालयों में अधिकारियों की संख्या हटाना।

(3) भारतीय/विदेशी स्टेशनों पर कर्मचारियों की संख्या तथा स्थापना लागत में कमी करना।

(4) गैर-प्रचालनात्मक श्रेणियों में बाहरी भर्ती पर रोक।

(5) सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से घटाकर पुन: 58 वर्ष तक करना।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

	1996-97	1997-98	1998-99
इंडियन एयरलाइंस			
(आय)	2914.38	3268.25	3445.61
(व्यय)	2928.97	3220.98	3431.44
विज्ञापन पर व्यय	11.72	12.65	17.50
एअर इंडिया			
(आय)	3817.78	4174.16	4236.07
(व्यय)	4114.72	4355.17	4411.20
विज्ञापन पर व्यय	8.63	7.96	3.68
पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड			
(आय)	185.87	180.78	200.92
(व्यय)	130.49	105.67	113.98
विज्ञापन पर व्यय	0.22	0.41	0.56
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण			
(आय)	1142.12	1279.64	1591.27
(व्यय)	896.42	963.45	1255.49
विज्ञापन पर व्यय	4.08	3.43	5.16

इंडियन एयरलाइंस द्वारा यात्रियों की संख्या में वृद्धि के लिये उठाये गये कदम

190. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स वे वर्ष 2000-2001 में यात्रियों की संख्या में 3 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइंस द्वारा वर्ष 1999-2000 के दौरान अनुमानित यातायात कितना था और इसकी वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां क्या रहीं;

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान अनुमानित वृद्धि प्राप्त करने के लिये किन विशेष उपायों पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान इंडियन एयरलाइंस को अनुमानत: कितना लाभ/हानि होने की संभावना है और 2000-2001 के लिये निर्धारित लक्ष्य क्या हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) इंडियन एयरलाइंस ने 2000-2001 में यात्री वहन में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है।

(ख) 1999-2000 में इंडियन एयरलाइंस द्वारा यात्री वहन का संशोधित अनुमान 58.31 लाख यात्री है। 1999-2000 के संशोधित बजट अनुमान के अनुसार, कम्पनी को 3537 करोड़ रुपए के प्रचालन राजस्व की प्राप्ति की आशा है।

(ग) इंडियन एयरलाइंस ने मार्केटिंग उपाय उपभोक्ता सेवाओं में सुधार तथा आर्थिक स्थिति और यातायात मांग के मानदण्डों पर क्षमता लगाये जाने के क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं।

(घ) वर्ष 1999-2000 के लिए संशोधित बजट अनुमानों में इंडियन एयरलाइंस ने 39.25 करोड़ रुपए (कर पूर्व) के निवल लाभ का अनुमान लगाया है जबकि वर्ष 2000-2001 के लिए 28.75 करोड़ रुपए (कर पूर्व) के निवल लाभ का अनुमान लगाया गया है।

[हिन्दी]

रक्षा उत्पादन इकाईयों, जबलपुर में मूल्य प्राथमिकता और विक्रेता (वेंडर) रेटिंग प्रणाली

191. श्रीमती जयश्री बनर्जी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जबलपुर के स्थानीय लघु और सहयोगी उद्योगों को मूल्य प्राथमिकता और विक्रेता (वेन्डर) रेटिंग प्रणाली की सुविधायें प्रदान की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) और (ख) आयुध निर्माणियां लघु क्षेत्र की इकाइयों के मामले में सरकार द्वारा समय-समय पर तैयार की गई मूल्य प्राथमिकता की नीति का अनुसरण करती हैं तथा यह नीति किसी स्थान विशेष से सम्बद्ध नहीं है। ये आयुध निर्माणियां गुणवत्ता, समय पर सुपुर्दगी, सेवा आदि जैसे कार्य निष्पादन मानदंडों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा आपूर्तिकर्त्ताओं को श्रेणीकृत करके विक्रेता रेटिंग प्रणाली का भी अनुसरण करती हैं। यह प्रणाली स्थान निरपेक्ष है और सभी आपूर्तिकर्त्ताओं पर लागू होती है।

[अनुवाद]

राशन कार्ड धारकों को मिट्टी के तेल की आपूर्ति

192. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रसोई गैस के दो सिलिण्डर कनैक्शन रखने वाले राशन कार्ड धारकों को मिट्टी के तेल की आपूर्ति नहीं करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो मिट्टी के तेल की कितनी मात्रा की बचत होगी; और

(ग) इससे राजसहायता में कितनी बचत अपेक्षित है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (ग) मिट्टी का तेल एक आवंटित उत्पाद है और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वार्षिक आवंटन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाता है। राज्य के अन्दर मिट्टी के तेल का वितरण करना और इसकी मानीटरिंग करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। चूंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मिट्टी का तेल और एल.पी.जी. (घरेलू) सब्सिडी प्राप्त मदें हैं इसलिए मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे एल.पी.जी. कनेक्शन रखने वाले राशन कार्ड धारकों की पहचान करें और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उन्हें मिट्टी के तेल की आपूर्ति बंद करें।

नागर विमानन द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

193. श्री सुशील कुमार शिन्दे : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान नागर विमानन द्वारा कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान एअर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा भारतीय होटल निगम लिमिटेड द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

(करोड़ रुपयों में)

संगठन	वर्ष 1997-98	वर्ष 1998-99
एअर इंडिया	2233.84	2597.43
इंडियन एयरलाइंस	1256.48	1400.88
पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड	6.93	6.35
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	385.54	474.55
भारतीय होटल निगम	13.68	11.73

वित्त वर्ष 1999-2000 के संबंध में ब्यौरे अभी उपलब्ध नहीं हैं।

काठमांडू में इंडियन एयरलाइंस के विमानों की सुरक्षा

194. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अंतरराष्ट्रीय हवाई नक्शे पर काठमांडू की संवेदनशीलता के बारे में जानकारी है कि काठमांडू आतंकवादियों के लिए स्वर्ग है; और

(ख) यदि हां, तो काठमांडू की ओर जाने वाली और वहां से आने वाली भारतीय उड़ानों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) काठमांडू में त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर सुरक्षा बढ़ाने तथा आव्रजन नियंत्रण की आवश्यकता पर विभिन्न अवसरों पर भारत सरकार द्वारा नेपाल सरकार के साथ विचार-विमर्श किया गया है। भारत सरकार को त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन से नेपाल में प्रवेश पाने वाले तीसरे देशों से भारत विरोधी आतंकवादी तत्वों की संभावनाओं की जानकारी है तथा नेपाली सरकार को इस मुद्दे पर चौकस कर दिया गया है। नेपाल सरकार ने भारत सरकार को आश्वासन दिया है कि वे अग्रता के आधार पर त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कदम उठा रहे हैं। त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर इंडियन एयरलाइंस द्वारा अपेक्षित सुरक्षा उपाय भी विचाराधीन हैं।

एचएमजीएन को कई बार इंडियन एयरलाइंस को अपने स्वयं के सुरक्षा अधिकारी तैनात करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है तथा त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर लेडर प्वाइंट तलाशी व्यवस्था करने के लिए कहा गया है नेपाल सरकार ने यह कहते हुए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया कि इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों सहित उड़ानों की सुरक्षा तथा प्रचालनात्मक क्षेत्र का संपूर्ण उत्तरदायित्व एचएमजीएन का है।

नई नागर विमानन नीति

195. श्री सुबोध मोहिते :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नई नागर विमानन नीति लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या-क्या मुख्य विशेषताएं हैं;

(ग) नई नीति कब से लागू कर दी जायेगी;

(घ) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी घरेलू विमान कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय मार्गों में प्रचालन की अनुमति प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) नीति सरकार के विचाराधीन है और इस पर अन्तिम निर्णय लिए जाने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।

पश्चिमी तटों पर नौ सैनिक अभ्यास

196. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौ सेना ने देश के पश्चिमी तटों पर नौ-सैनिक अभ्यास आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय नौ-सैनिक बेड़े की समीक्षा करने का भी है;

(घ) यदि हां, तो यह समीक्षा कब तक पूरी कर दिये जाने की संभावना है; और

(ङ) उक्त नौ-सैनिक अभ्यास में भाग लेने के इच्छुक देशों के नाम क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) "स्प्रिंगेक्स" नामक नौसेना अभ्यास पश्चिमी तट के किनारे किए जा रहे हैं। नौसेना तथा वायुसेना के वायुयानों के साथ-साथ लगभग 40 पोत तथा पनडुब्बियां इन अभ्यासों में हिस्सा ले रही हैं।

(ग) से (ङ) 17 फरवरी 2001 को मुंबई में एक अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा के आयोजित किए जाने की योजना है। अभी तक, बांग्लादेश, फ्रांस, मलेशिया, सऊदी अरब, कतर, यूनाइटेड किंग्डम, इराक तथा श्रीलंका ने इस आयोजन में भाग लेने की पुष्टि की है।

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.12 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बलवंत सिंह मेहता की सौंवीं वर्षगांठ के बारे में उल्लेख के संबंध में एक छोटी सी घोषणा की जानी है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, आर.एस.एस. पर बैन लगाया जाए।

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव के लिए एक नोटिस दिया है *...(व्यवधान)*

अपराह्न 2.01 बजे

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

श्री बलवंत सिंह मेहता की जन्म शताब्दी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सदस्यों को यह सूचित करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है कि श्री बलवंत सिंह मेहता ने 8 फरवरी, 2000 को विविध उतार-चढ़ाव के भरे अपने जीवन के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं, वह उन कुछ जीवित महिला एवं पुरुष सदस्यों में से एक हैं जिन्होंने संविधान सभा में हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों और आकांक्षाओं को मूर्तरूप देने के लिए अथक परिश्रम किया।

श्री मेहता पहली लोक सभा के सदस्य भी थे।

मैं आशा करता हूं कि यह सभा इस अवसर पर उन्हें बधाई देने तथा श्री मेहता के लम्बे और स्वस्थ जीवन की कामना करने में मेरा साथ देगी।

अपराह्न 2.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(1) कारगिल समीक्षा समिति (सुब्रहमण्यम समिति) के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कारगिल समीक्षा समिति के कार्यकारी सारांश की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कारगिल समीक्षा समिति के संबंध में सरकार द्वारा शुरू की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1292/2000]

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय मानक ब्यूरो (महानिदेशक की नियुक्ति और सेवा शर्तें) (दूसरा संशोधन) नियम, 1999 जो 11 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 404 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा शर्तें) संशोधन विनियम, 2000 जो 11 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 31(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए संख्या** एल.टी. 1293/2000]

अपराह्न 2,03 बजे

(इस समय श्री रामदास आठवले और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.03¼ बजे

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं 23 दिसम्बर, 1999 को सभा को दी गई सूचना के बाद चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित आठ विधेयक सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 1999;

(2) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1999;

(3) विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 1999;

(4) उपराष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1999;

(5) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1999;

(6) व्यापार चिह्न विधेयक, 1999;

(7) माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रेशन और संरक्षण) विधेयक, 1999; और

(8) प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक, 1999 ।

मैं, राज्य सभा के महासचिव द्वारा अधिप्रमाणित और संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित सात विधेयकों की प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं:

(1) प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 1999;

(2) प्रतिभूति विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक 1999;

(3) खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 1999;

(4) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 1999;

(5) विदेशी मुद्रा प्रबंध विधेयक, 1999;

(6) राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास विधेयक, 1999; और

(7) संविधान (उनासीवां संशोधन) विधेयक, 1999 ।

अपराह्न 2.03½ बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) राजभाषा संबंधी समिति

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अनुसार संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए, हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की पुनरीक्षा करने और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देने संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अनुसार संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए, हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की पुनरीक्षा करने और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देने संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(ज) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(ज) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.04 बजे

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[हिन्दी]

श्री साहिब सिंह (बाहरी दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं:

"कि यह सभा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण विधेयक, 1999 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय बजट सत्र, 2000 के अंतिम सप्ताह के अंतिम दिन तक बढ़ाए।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण विधेयक, 1999 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय बजट सत्र, 2000 के अंतिम सप्ताह के अंतिम दिन तक बढ़ाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया (जूनागढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करती हूं:

"कि यह सभा केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बजट सत्र, 2000 के अंतिम सप्ताह के अंतिम दिन तक बढ़ाये।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बजट सत्र, 2000 के अंतिम सप्ताह के अंतिम दिन तक बढ़ायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.05¼ बजे

ऊर्जा संरक्षण विधेयक*

[अनुवाद]

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवन्ती मेहता): महोदय, श्री पी.आर. कुमारमंगलम की ओर से मैं प्रस्ताव करती हूं कि ऊर्जा के दक्षतापूर्ण उपयोग तथा उसके संरक्षण का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि ऊर्जा के दक्षतापूर्ण उपयोग तथा उसके संरक्षण का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती जयवन्ती मेहता : मैं विधेयक पुर:स्थापित** करती हूं।

...(व्यवधान)

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 2, दिनांक 24.2.2000 को प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 2.05½ बजे

याचिका संबंधी समिति

पहला प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): महोदय, मैं याचिका संबंधी समिति (तेरहवीं लोक सभा) का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह सभा इस बात से सहमत होगी कि नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा गया समझा जाए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.06 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) तिलैया ढाढर सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए बिहार राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. संजय पासवान (नवादा): अध्यक्ष महोदय, मध्य बिहार की एक महत्वपूर्ण परियोजना तिलैया ढाढर परियोजना विगत 30 वर्षों से लंबित है। इस परियोजना के पूरा होने से न केवल लगभग 38000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी बल्कि 12 मेगावाट विद्युत का उत्पादन भी हो सकेगा। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इस परियोजना की रिपोर्ट की जांच पड़ताल भी की जा चुकी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 301.79 करोड़ आंकी गई है, जिसमें लगभग 27.92 करोड़ रुपया व्यय भी किया जा चुका है। यद्यपि सिंचाई राज्य का विषय है किन्तु केन्द्र सरकार की सहायता के बगैर इतनी बड़ी परियोजना का पूरा होना संदिग्ध है। इसलिये केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इतने बड़े महत्वपूर्ण परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु केन्द्रीय सहायता के रूप में शीघ्र सहायता दी जाये।

बिहार सरकार के स्रोतों से विदित हुआ है कि उन लोगों ने संबंधित जल विद्युत परियोजना का प्रतिवेदन केन्द्र सरकार को भेज दिया है।

अतएव कोई भी संचिका प्रतीक्षित एवं लंबित नहीं है। 21.2.2000 को पटना से प्रकाशित हिन्दुस्तान समाचार पत्र में भी इस बाबत मुख्य अभियंता का समाचार आया है कि केन्द्र सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद काम शीघ्र शुरू किया जायेगा।

अत: आपसे अनुरोध है कि इस मामले को गंभीरतापूर्वक लिया जाये।

(दो) गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रेश पटेल (जामनगर): महोदय, देश भर में गोहत्या रोकने हेतु केन्द्रीय कानून बनाने के लिए आजादी के अनेक नेता तथा सैनिकों ने बार-बार आजादी से पहले एवं बाद में मांग की है। देश की लगभग तमाम धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संस्थायें भी गोहत्या रोकने की मांग कर रही हैं। लेकिन आजादी के पचास वर्ष बाद भी देश में गोहत्या रोकने हेतु कानून नहीं बना। हाल ही में गुजरात भर में गोहत्या विरोधी अभियान गाय, बछड़ों एवं बैलों को बचाने के लिए 15.1.2000 से चल रहा है और गोहत्या के बारे में "प्रिवेन्शन ऑफ एण्टी सोशल एक्टिविटी एक्ट" की मांग कर रहे हैं जिसमें विभिन्न संस्थाएं सहयोग दे रही हैं और केन्द्र का ध्यान खींच रहे हैं ताकि केन्द्र ऐसा कानून बनाये जिससे गुजरात एवं देश में अन्य जगह गाय, बछड़े और बैल वगैरह की गैर-कानूनी हत्या को रोका जा सके।

अत: जनमानस की भावना को ध्यान में रखते हुए मेरी केन्द्र सरकार से पुरजोर मांग है कि देश में गोहत्या रोकने के लिए फौरन केन्द्रीय कानून बनाया जाए।

(तीन) राष्ट्रीय राजमार्गों विशेष रूप से मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 की मरम्मत और रखरखाव के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री रामानन्द सिंह (सतना): महोदय, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों समेत राज्य की प्राय: सभी सड़कों की हालत अत्यन्त जर्जर व खस्ताहाल है। केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत तथा रख-रखाव की राशि का सदुपयोग न होने से राज्य से गुजरने वाले प्राय: सभी राष्ट्रीय राजमार्ग चिन्ताजनक स्थिति पर पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश देश के बीचोंबीच होने से प्रदेश से गुजर कर दूसरे राज्यों में आने-जाने वाले वाहनों को आवागमन में रुकावट तथा बाधा पड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 7 की हालत ठीक नहीं है। वर्षा पश्चात् मरम्मत भी नहीं कराई गई है। प्रदेश में सड़क यातायात एक कठिन समस्या बनती जा रही है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश में सड़कों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

---

*सभा पटल पर रखे माने गये।

(चार) हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रामपुरराय घाटी और बालावाली के बीच गंगा नदी द्वारा हो रहे भारी भू-कटाव को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री हरपाल सिंह साथी (हरिद्वार): मेरे संसदीय क्षेत्र हरिद्वार के अन्तर्गत रामपुरराय घाटी से बालावाली तक की हजारों एकड़ किसानों की उपजाभू भूमि गंगा नदी के कटान के कारण समाप्त हो गई है और आगे उसकी रोकथाम की उचित व्यवस्था न होने के कारण और भूमि के नुकसान की सम्भावना बनी हुई है, जिसके कारण किसानों में भारी रोष व्याप्त है।

अत:, मैं आपके माध्यम से सम्बन्धित मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि गंगा नदी के कटान की रोकथाम के लिए अविलम्ब कोई कार्य योजना बनाई जाए ताकि भविष्य में किसानों की भूमि कटान रुक सके। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाए।

(पांच) केरल में कोचीन विमानपत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जार्ज ईडन (एर्णाकुलम): केरल में नेदुमपसेरी स्थित कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का एक अनोखा ही अनुभव रहा है जिसका निर्माण केरल राज्य सरकार, निजी क्षेत्र के व्यक्तियों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से गठित एक कम्पनी द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर और सुविधायुक्त इस हवाई अड्डे की तुलना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से की जा सकती है। केरल के हजारों लोग विश्व के कई देशों में काम करते हैं। कम्पनी के निजी क्षेत्र के शेयरधारियों की अधिकांश संख्या अप्रवासी भारतीयों की है। 30 देशों के लगभग 10,000 अप्रवासी भारतीय हैं। उनका यह सपना है कि अगर यह हवाई अड्डा चालू हो जाए तो वे अपने देश सीधे जा सकते हैं। इसके साथ ही, केरल में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। कई विदेशी विमान भी कोचिन हवाई अड्डे के चालू होने में रुचि दिखा रहे हैं। कुछ यूरोपीय देशों ने इस हवाई अड्डे पर नियमित रूप से पर्यटक चार्टर चलाने शुरू भी कर दिए हैं। यद्यपि इस हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय सुविधा और स्तर है फिर भी केन्द्र सरकार ने इस हवाई अड्डे को अभी तक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित नहीं किया है। अगर सरकार इस हवाई अड्डे को एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लेती है तभी कोचीन हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी जा सकती है। अन्यथा, कम्पनी को भारी वित्तीय घाटा होगा।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

(छह) दीमापुर सिटी, नागालैण्ड में दीमापुर-तिनसुखिया रेल लिंक पर रेल उपरिपुल को शीघ्र पूरा करने के लिए धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री के.ए. सांगतम (नागालैण्ड): नागालैंड में दीमापुर शहर के मध्य में दीमापुर-तिनसुकिया रेल लिंक पर पिछले एक दशक से मुख्य सड़क पर एक रेल उपरिपुल के निर्माण का कार्य चल रहा है। राज्य ने इस सड़क पर फ्लाई ओवर का काम पूरा कर लिया है और अब इसका प्रयोग किया जा रहा है। परन्तु निधियों की कमी के कारण केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किया गया काम पूरा नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने भूतल परिवहन मंत्रालय से पुल को शीघ्र पूरा करने के लिए कई बार अनुरोध किया था परन्तु इस परियोजना पर कोई कार्रवाई शुरू की गई प्रतीत नहीं होती। इस कारण, इतनी चौड़ी सड़क पर वाहनों का आना-जाना लोगों के लिए काफी समस्या पैदा कर रहा है जिससे लोगों के जीवन को खतरा है। यातायात काफी प्रभावित हो रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं।

इसलिए, मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए तुरंत निधियां जारी की जाएं।

(सात) राजस्थान में लूनी-मूनाबाव रेल लाइन का शीघ्र आमान परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर): मैं सरकार का ध्यान लुनी-मुनाबाव रेल लाइन के आमान परिवर्तन के प्रति आकर्षित करना चाहूंगा। मुनाबाव पाकिस्तान की सीमा पर है और रक्षा की दृष्टि से यह देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तीन वर्ष से अधिक हो गए हैं परन्तु इस कार्य में प्रगति नाममात्र ही हुई है। यह पाया गया है कि 1997-98 के दौरान इस कार्य के लिए 39 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी जिसमें से 1 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, बल्कि निधि वापस कर दी गई है।

इसके अलावा, चालू वर्ष के दौरान 30 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी परन्तु मुझे बताया गया है कि अभी भी अधिकांश राशि खर्च नहीं की गई है। महोदय, यह परियोजना न केवल राजस्थान

के पिछड़े मरू जिलों के विकास के लिए बल्कि देश की रक्षा संबंधी तैयारी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जरा भी कमी होने से सीमा के आसपास की परिवर्तनशील स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा और भी कमजोर हो जाएगी तथा खतरे में पड़ जाएगी।

इसलिए मेरा सरकार से निम्नलिखित अनुरोध है:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कार्य निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब तथा लगातार निधियों को वापस किए जाने की जांच की जानी चाहिए तथा भविष्य में ऐसी खामियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाने चाहिए।

(ख) चूंकि यह परियोजना रक्षा संबंधी तैयारी तथा अत्यन्त पिछड़ी थार मरूभूमि से संबंधित है अत: इस कार्य के कार्यान्वयन का काम युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए तथा इसे शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। इससे उस सूखाग्रस्त क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे जहां लगातार तीसरे वर्ष भी भयंकर सूखे का सामना करना पड़ रहा है।

(आठ) हथकरघा क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

श्री टी. गोविन्दन (कासरगौड़): मैं सरकार का ध्यान हथकरघा क्षेत्र द्वारा उठाई जाने वाली समस्याओं की तरफ दिलाना चाहता हूं। हथकरघा क्षेत्र में विपणन एक बड़ी समस्या है। यह पता चला है कि बाजार विकास स्कीम के 1-4-2000 से बंद होने की संभावना है। हाल ही तक, भारत सरकार ने हथकरघा वस्त्र की बिक्री पर 10 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता दी है। जार विकास स्कीम की प्रणाली 10-4-2000 तक जारी रहनी चाहिए।

परियोजना पैकेज स्कीम के अंतर्गत सरकार शोरूमों के लिए 1 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता देती रही है। परन्तु यह सहायता केवल एक शोरूम के निर्माण तक ही सीमित है वह भी अगर वह भूमि सोसायटी के अधीन हो। आमतौर पर यह संभव नहीं होता क्योंकि शोरूमों को केवल अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जहां उत्पादों का पहुंचना और बेचना संभव है। ऐसे स्थलों पर भूमि की कीमत इतनी अधिक होती है कि प्राथमिक शीर्ष सहकारी सोसायटियों के लिए इन्हें खरीदना कठिन होता है। इसलिए सोसायटियों को किराये के स्थानों पर भी शोरूम स्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह सहायता बड़े को-ओपरेटिवों के लिए कम से कम पांच शोरूमों की स्थापना के लिए दी जानी चाहिए तथा उन हथकरघा बुनकर को-ओपरेटिव सोसायटियों को जो एक सौ से अधिक करघे चलाते हैं।

हथकरघा विकास केन्द्र और विकेन्द्रीकृत रंगाई इकाईयां योजना की दूसरी किस्त अभी दी जानी है। यह योजना 1998-99 से समाप्त कर दी गई है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस राशि को तुरंत मंजूरी दी जाए।

(नौ) दिल्ली-चौडगरा-बिन्दकी राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्र भूषण सिंह (फरूखाबाद): अध्यक्ष महोदय, जी.टी. रोड पर दिल्ली से चौडगरा-बिन्दकी के बीच वाहनिक यातायात दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पंजाब, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर से आने वाला वाहनिक यातायात समय पर ईंधन बचाने के उद्देश्य से इस मार्ग को प्राथमिकता देता है।

ज्ञातव्य है कि इस मार्ग (500/550 किलोमीटर) पर यातायात किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से कम नहीं है, परन्तु इसे केवल राज्य मार्ग का ही दर्जा प्राप्त है। इस वजह से इस मार्ग का विकास जैसा होना चाहिए, वैसा नहीं हो पा रहा है।

अत: मेरा माननीय भूतल परिवहन मंत्री जी से अनुरोध है कि उपर्युक्त 500/550 किलोमीटर दूरी के दिल्ली-चौडगरा-बिन्दकी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करें ताकि इस मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने का काम प्रारम्भ हो सके, जो कि बढ़ते हुए वाहनिक यातायात हेतु अत्यन्त जरूरी है।

(दस) बिहार के खगड़िया जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया): महोदय, बिहार प्रान्त के खगड़िया जिला में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए कृषि अनुसंधान परिषद ने वर्ष 1984 में प्रयास किया था, लेकिन भूमि संबंधी कठिनाईयों के कारण वह योजना वहीं रुक गई। इस जिला में गेहूं, धान, मकई, चना, सरसों, मिर्च, मसाले, शकरकंद, सूरजमुखी, ईख आदि की भरपूर पैदावार होती है, लेकिन किसानों को कृषि संबंधी वैज्ञानिक जानकारी देने वाली कोई भी एजेंसी जिला में कार्यरत नहीं है। लीची, टमाटर, आम, अमरूद, बेर, केला आदि का उत्पादन तो पर्याप्त होता है लेकिन फल संरक्षण की तकनीक से अनभिज्ञ किसानों को अपने उत्पाद की लागत कीमत भी नहीं मिल पाती है।

आज खगड़िया जिला के किसानों को उन्नत बीज, बीज संरक्षण की तकनीक, फल संरक्षण, कृषि संयंत्र प्रशिक्षण, भू जल

के सदुपयोग संबंधी प्रशिक्षण आदि की आवश्यकता है और कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना से ये सम्पन्न हो सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि खगड़िया जिला में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना की जाये।

(ग्यारह) राष्ट्रीय वस्त्र निगम और महाराष्ट्र राज्य वस्त्र निगम की बंद पड़ी मिलों को फिर से खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन और महाराष्ट्र राज्य टेक्सटाइल कारपोरेशन ने उन मिलों को बंद करने का प्रस्ताव किया है जो उनके द्वारा चलाई जा रही है। नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन और महाराष्ट्र राज्य टेक्सटाइल कारपोरेशन द्वारा इन मिलों को बंद किए जाने से ही महाराष्ट्र में लगभग 30,000 मजदूर बेकार हो जाएंगे।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पर्याप्त निधि प्रदान करके राज्य की इकाइयों का पुनरुद्धार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए तथा हजारों मजदूरों को भूखा मरने से बचाए।

(बारह) देश में तेजाबी वर्षा को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री वैको (शिवकाशी): मैं सरकार का ध्यान देश में बढ़ते हुए अम्ल वर्षा होटस्पोट्स की गंभीर स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं।

देश में 1990 में पर्यावरणीय हवा में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर जैसे प्रदूषक तत्वों की मात्रा 3371.74 किलो टन थी। अब यह बढ़कर 6594.44 किलो टन हो गई है। इसके वर्ष 2010 में 10,932.15 किलो टन के खतरनाक अनुपात तक पहुंचने की आशा है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दिल्ली, दक्षिणी बिहार और पश्चिम बंगाल के मध्य क्षेत्र में अम्ल वर्षा के खतरे की संभावना है। हाल ही में हुए अध्ययन से पता चला है कि कोंकण तट और तमिलनाडु में भी अम्ल वर्षा के क्षेत्र हैं।

अम्ल वर्षा का पानी मिट्टी से पारे को अलग कर देता है जिससे पौधों और पेडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो पशु ऐसे पौधे और घास खाते हैं उन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अम्ल वर्षा के क्षेत्र में पैदा होने वाले बच्चे मानसिक रूप से विकलांग हो सकते हैं। यह इतना गंभीर मामला है कि इस पर उतना ही ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है जितना नाभीकीय विनाश के खतरे पर।

दिल्ली, कलकत्ता, भोपाल, लखनऊ और पुणे में वर्षा के पानी का विश्लेषण करने पर कार्बन और सल्फर की मात्रा के खतरनाक अनुपात का पता चला है। इससे पता चलता है कि अम्ल वर्षा का खतरा भारत के कई भागों पर छाया हुआ है।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस स्थिति का जायजा ले और देश से अम्ल वर्षा को हटाने में युद्धस्तर पर भरसक प्रयास करे।

अध्यक्ष महोदय : अब यह सभा कल तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 25 फरवरी, 2000/ 6 फाल्गुन, 1921 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद(हिन्दी संस्करण)

गुरुवार, 24 फरवरी, 2000/ 5 फाल्गुन, 1921(शक)

का

शुद्धि-पत्र

...

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
26	15	(घ) से (ङ)	(घ) और (ङ)
117	3	(ख) और (घ)	(ख) और (ग)
182	नीचे से 4	श्री सुरेश रामराम जाधव	श्री सुरेश रामराव जाधव
280	नीचे से 15	(ख)	(घ)

पी.एल.एस.–48/4/2/2000 (एन०)

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।